



॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

MAEC-112

कृषि एवं ग्रामीण विकास

खण्ड 01 कृषि एवं ग्रामीण विकास की अभिनव प्रवृत्तियाँ –

इकाई-01	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियाँ	3-9
इकाई-02	कृषि एवं उद्योग में अन्तःसम्बन्ध, कृषि सेवा केन्द्र	10-25
इकाई-03	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन	26-31
इकाई-04	पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, जलवायु परिवर्तन	32-39
इकाई-05	पड़त भूमि विकास, कृषि एवं सामाजिक वानिकी	40-46

खण्ड 02 कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण

इकाई-06	हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं भूरी क्रांति	47-59
इकाई-07	शुष्क भूमि खेती परियोजना एवं औषधीय पौधों की खेती	59-68
इकाई-08	बागवानी एवं फूलों की खेती, लघु सिंचाई परियोजनाएँ	69-79
इकाई-09	ग्रामीण भण्डारण, बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण	80-90
इकाई-10	कृषि जिंस वायदा बाजार	91-98

खण्ड 03 कृषि में मूल्य संवर्धन एवं नवीन योजनाएँ

इकाई-11	कृषि का वाणिज्यीकरण एवं प्रौद्योगिकीय कृषि	99-109
इकाई-12	फलोत्तर प्रबन्धन एवं कुशल कृषि विपणन	110-119
इकाई-13	अनुबंध कृषि, जैवकीय कृषि एवं कार्बनिक कृषि	120-132
इकाई-14	भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव	133-143
इकाई-15	कृषि विपणन एवं उपभोक्ता संरक्षण	144-153

खण्ड 04 कृषि एवं ग्रामीण विकास में नवोन्मेषी पहल

इकाई-16	कृषि फसल बीमा, कृषि विस्तार सेवाएं/ग्रामीण विकास की योजनाएं	154-162
इकाई-17	ग्रामीण विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका, एम.एस.एम. ई. क्षेत्र पर उदारीकरण का प्रभाव	163-167
इकाई-18	जल स्रोत प्रभाव, जनजाति कल्याण	168-176
इकाई-19	सामाजिक न्याययुक्त विकास एवं ग्रामीण विकास नीति	177-186
इकाई-20	सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव	187-190

खण्ड 05 ग्रामीण विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका

इकाई-21	ग्रामीण विकास एवं संस्थागत ऋण प्रणाली, RRB, कोआपरेटिव बैंक	191-199
इकाई-22	ग्रामीण विकास संस्थागत प्रणाली	200-212
इकाई-23	स्वयं सहायता समूह एवं किसान क्लब	213-220
इकाई-24	वित्तीय समावेशन एवं माइक्रो फाइनेंस	221-229
इकाई-25	ग्रामीण विकास में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	230-239
इकाई-26	NABARD	240-248

MAEC-112 कृषि एवं ग्रामीण विकास

परामर्श-समिति

प्रोफेसर सत्यकाम

प्रो. सत्यपाल तिवारी

संयोजक

श्री विनय कुमार

कुलपति-अध्यक्ष

निदेशक, मानविकी विद्याशाखा-

कार्यक्रम

कुलसचिव-सचिव

विशेषज्ञ समिति

प्रो. सत्यपाल तिवारी

डॉ अनिल कुमार यादव

प्रो.किरण सिंह

प्रो. एम.के. सिंह

डॉ. विश्वनाथ कुमार

डॉ. अनूप कुमार

अध्यक्ष

संयोजक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज

एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

एस.बी. पी.जी. कालेज, बड़ागाँव, वाराणसी

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज

पाठ्यक्रम समन्वयक

डॉ. अनिल कुमार यादव

सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त वि.वि., प्रयागराज

सम्पादक

डॉ. राकेश कुमार सिंह

सह-आचार्य अर्थशास्त्र, आर.डी.एस. कालेज, मुजफ्फरपुर, बिहार

परिभाषक

डॉ. अनिल कुमार यादव

सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त वि.वि., प्रयागराज

लेखक मण्डल

डॉ. अनिल कुमार यादव,

सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त वि.वि., प्रयागराज

खण्ड-5 इकाई-06

डॉ. प्रदीप कुमार त्रिपाठी,

सहायक आचार्य, विभागाध्यक्ष, एप्लाइड इकोनॉमिक्स,

प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया), नैनी, प्रयागराज

खण्ड-1 इकाई-01,02,03,04,05

खण्ड-2 इकाई-01,02,03,04,05

खण्ड-3 इकाई-01,02,03,04,05

खण्ड-4 इकाई-01,02,03,04,05

खण्ड-5 इकाई-01,02,03,04,05

प्रथम मुद्रण- मई, 2025

MAEC-112 कृषि एवं ग्रामीण विकास हिन्दी

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

ISBN - 978-93-48987-75-4

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से श्री विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, 2025.

मुद्रक- चन्दकला यूनिवर्सल प्रा0लि0, 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड, प्रयागराज-211002

इकाई-01 कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियाँ

इकाई की रुपरेखा

- 1.1 उद्देश्य
- 1.2 प्रस्तावना
- 1.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका
- 1.4 आर्थिक योगदान
- 1.5 रोजगार और आजीविका
- 1.6 खाद्य सुरक्षा
- 1.7 ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और विकास
- 1.8 भारत में कृषि विकास की प्रवृत्तियाँ
- 1.9 ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान
- 1.10 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना
- 1.11 सारांश
- 1.12 बोध प्रश्न
- 1.13 उपयोगी पुस्तके

1.1 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में रोजगार और आजीविका से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में कृषि विकास की प्रवृत्तियाँ से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई वर्तमान में ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान के उपयोग में के बारे में जानेंगे।

1.2 प्रस्तावना

तकनीकी उन्नति, बाजार में बदलाव और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव कर रही हैं। यह अध्ययन तीन प्रमुख प्रवृत्तियों तकनीकी नवाचार, संधारणीय अभ्यास और आर्थिक विविधीकरण की समीक्षा करता है। जीपीएस और ड्रोन जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करके सटीक खेती, कृषि पद्धतियों में क्रांति ला रही है, उत्पादकता बढ़ा रही है और पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर रही है। उत्पादकता को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली संधारणीय कृषि, जैविक खेती, कृषि वानिकी और मृदा संरक्षण जैसी प्रथाओं को अपनाने के साथ प्रमुखता प्राप्त कर रही है। परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल अपशिष्ट में कमी और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विविधीकरण भी प्रमुखता प्राप्त कर रहा है, पारंपरिक खेती से कृषि-पर्यटन, स्थानीय खाद्य प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में बदलाव के साथ। ये पहल ग्रामीण समुदायों के लिए नई आय धाराएँ प्रदान करती हैं और क्षेत्रीय विकास और आर्थिक झटकों के खिलाफ लचीलेपन में योगदान करती हैं। अध्ययन इन प्रवृत्तियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए मात्रात्मक डेटा विश्लेषण को गुणात्मक केस स्टडीज के साथ जोड़ते हुए मिश्रित-विधि दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए कृषि और ग्रामीण

अर्थव्यवस्थाओं के विकास को समर्थन देने के लिए सिफारिशों के साथ समाप्त होता है, जिससे स्थिरता, समावेशिता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बढ़ावा मिलता है।

कृषि लंबे समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आधारशिला रही है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने वाला एक बुनियादी स्तंभ है। हालाँकि, तकनीकी प्रगति, पर्यावरणीय दबावों और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में बदलाव के कारण इस क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। यह विकास केवल एक वृद्धिशील परिवर्तन नहीं है, बल्कि कृषि कैसे संचालित होती है और ग्रामीण क्षेत्र खुद को कैसे बनाए रखते हैं, इसका एक गहरा पुनर्गठन है। हाल के दशकों में, तकनीकी नवाचार आधुनिक कृषि के लिए केंद्रीय बन गए हैं। GPS, सेंसर, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स में प्रगति से प्रेरित सटीक खेती के आगमन ने खेती के तरीकों में क्रांति ला दी है। ये तकनीकें किसानों को डेटा-संचालित निर्णय लेकर अपने संचालन को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती हैं जो फसल की पैदावार में सुधार करती हैं, संसाधनों की खपत को कम करती हैं और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करती हैं। यह बदलाव पारंपरिक खेती के तरीकों से हटकर अधिक वैज्ञानिक और दक्षता-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर एक प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही, कृषि प्रथाओं में स्थिरता की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के क्षरण और जैव विविधता के नुकसान पर चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक खेती, संरक्षण जुताई और कृषि पारिस्थितिकी जैसी तकनीकों का उपयोग तेजी से किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि पद्धतियाँ पर्यावरणीय स्वास्थ्य और लचीलेपन में योगदान दें। इन प्रवृत्तियों के जवाब में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ भी विविधतापूर्ण हो रही हैं। कृषि के इर्द-गिर्द केंद्रित ग्रामीण आजीविका का पारंपरिक मॉडल नई आर्थिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तारित हो रहा है। कृषि-पर्यटन, स्थानीय खाद्य प्रणालियाँ और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ पारंपरिक खेती के व्यवहार्य विकल्प या पूरक के रूप में उभर रही हैं। यह विविधीकरण न केवल नई आय धाराएँ प्रदान करता है बल्कि ग्रामीण समुदायों की आर्थिक लचीलापन को भी मजबूत करता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य तकनीकी नवाचार, स्थिरता और आर्थिक विविधीकरण के बीच परस्पर क्रिया की जाँच करके कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में इन आधुनिक प्रवृत्तियों का पता लगाना है। वर्तमान विकास और उनके प्रभावों का विश्लेषण करके, यह शोध इस बात की व्यापक समझ प्रदान करना चाहता है कि ये प्रवृत्तियाँ कृषि और ग्रामीण जीवन को कैसे नया रूप दे रही हैं। निष्कर्ष नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और समुदायों के लिए आने वाले अवसरों और चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे क्योंकि वे कृषि और ग्रामीण विकास के विकसित परिदृश्य को नेविगेट करते हैं।

1.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका

कृषि ऐतिहासिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रही है, जिसने देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेवा क्षेत्र के तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण और विकास के बावजूद, रोजगार, जीडीपी और ग्रामीण आजीविका में इसके योगदान के कारण कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। यह अध्ययन भारत में कृषि की बहुआयामी भूमिका का अवलोकन करता है, आर्थिक विकास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव की खोज करता है।

1.4 आर्थिक योगदान

कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालाँकि जीडीपी में इसका हिस्सा 1950 के दशक के 50% से घटकर हाल के वर्षों में लगभग 17-18% रह गया है, फिर भी यह क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। कृषि क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कृषि विकास परिवहन, भंडारण और खुदरा जैसे संबंधों के माध्यम से अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

1.5 रोजगार और आजीविका

भारत में कृषि रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें लगभग 42% कार्यबल खेती और संबंधित

गतिविधियों में लगे हुए हैं। इस जनसांख्यिकी में छोटे किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण उद्यमी शामिल हैं। यह क्षेत्र लाखों ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, कृषि में उत्पादकता और आय का स्तर अक्सर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है, जिससे अल्परोजगार और आय असमानता के मुद्दे पैदा होते हैं।

1.6 खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा भारत में कृषि नीति का एक मूलभूत पहलू है। यह क्षेत्र देश की बड़ी और विविध आबादी के लिए भोजन की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भारत ने खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से हरित क्रांति के माध्यम से, जिसने फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों को पेश किया। इन प्रगति के बावजूद, खाद्य उत्पादन, बर्बादी और पोषण संबंधी कमियों में क्षेत्रीय असमानताओं सहित चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

1.7 ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और विकास

कृषि ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और विकास को प्रभावित करती है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और बाजार सुविधाओं में निवेश कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण रहा है। ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का विकास न केवल कृषि गतिविधियों को बल्कि व्यापक ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में योगदान देता है।

चुनौतियाँ

कृषि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

- जलवायु परिवर्तन: मौसम के पैटर्न में परिवर्तन, पानी की उपलब्धता और चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है।
- भूमि क्षरण: मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई और रसायनों का अत्यधिक उपयोग भूमि स्वास्थ्य और कृषि स्थिरता को प्रभावित करता है।
- बाजार तक पहुँच: अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और मूल्य अस्थिरता के कारण किसानों को अक्सर बाजारों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- तकनीकी अंतराल: जबकि प्रौद्योगिकी अपनाने में वृद्धि हुई है, उन्नत कृषि तकनीकों और उपकरणों के व्यापक प्रसार की आवश्यकता है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनी हुई है, जिसका रोजगार, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी घटती हिस्सेदारी के बावजूद, यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। टिकाऊ प्रथाओं, तकनीकी नवाचार और सहायक नीतियों के माध्यम से कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और लाखों ग्रामीण भारतीयों की आजीविका में सुधार करने में इसकी निरंतर भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

1.8 भारत में कृषि विकास की प्रवृत्तियाँ

भारत में कृषि विकास एक गतिशील और विकसित क्षेत्र है, जो तकनीकी प्रगति, नीतिगत परिवर्तनों, जलवायु परिस्थितियों और बाजार की ताकतों द्वारा संचालित है। देश ने पिछले दशकों में अपने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव किया है, जिसमें तेजी से विकास और चुनौतियों का दौर रहा है, जिसके कारण रणनीतियों और प्रथाओं में बदलाव की आवश्यकता हुई है। भारत में कृषि विकास के प्रमुख रुझानों में सटीक कृषि, टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ, विविधीकरण और उच्च मूल्य वाली फसलें, सरकारी नीतियाँ और समर्थन, जलवायु परिवर्तन और लचीलापन, बाजार की गतिशीलता और मूल्य श्रृंखलाएँ शामिल हैं। जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स जैसी सटीक कृषि तकनीकों को खेती के तरीकों को अनुकूलित करने, संसाधनों के उपयोग

और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाया गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों और उन्नत बीज किस्मों जैसी जैव प्रौद्योगिकी ने उच्च पैदावार और कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोध में योगदान दिया है। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पानी के संरक्षण और कृषि स्थिरता को बढ़ाने के लिए जैविक खेती और संरक्षण कृषि जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को तेजी से अपनाया जा रहा है।

किसान अपनी फसलों में विविधता ला रहे हैं और इसमें फल, सब्जियाँ और मसाले जैसी उच्च मूल्य वाली वस्तुएँ शामिल कर रहे हैं, जो उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताओं, उच्च आय क्षमता और बेहतर बाजार पहुँच के कारण संभव हो पाया है। जैव विविधता को बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और किसानों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करने के तरीके के रूप में कृषि वानिकी भी लोकप्रिय हो रही है।

भारत सरकार ने कृषि विकास को समर्थन देने के लिए कई नीतियाँ शुरू की हैं, जिनमें सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और ऋण सुविधाएँ शामिल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन किसानों के सूचना तक पहुँचने, अपने उत्पाद का विपणन करने और वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने के तरीके को बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है और अनुकूलन रणनीतियों में जलवायु-लचीली फसलों को अपनाना, बेहतर सिंचाई तकनीक और बदलते मौसम पैटर्न और चरम घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर जल प्रबंधन अभ्यास शामिल हैं।

वैश्विक एकीकरण नए अवसर प्रदान करता है लेकिन इस क्षेत्र को वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए उजागर करता है। प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स सहित मजबूत मूल्य श्रृंखलाएँ विकसित करना एक प्रमुख प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन क्षमता को बढ़ाना है।

इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, भारतीय कृषि क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास, कुछ क्षेत्रों में कम उत्पादकता और भूमि क्षरण तथा संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की रणनीतियों को प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और संधारणीय प्रथाओं में निरंतर निवेश के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुसंधान और विकास को बढ़ाना, विस्तार सेवाओं में सुधार करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना कृषि विकास को बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

1.9 ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान

ग्रामीण विकास में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ग्रामीण समुदायों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। यहाँ बताया गया है कि कृषि ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती है:

- **आर्थिक विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अक्सर प्राथमिक आर्थिक गतिविधि होती है। रोजगार के अवसर प्रदान करके और आय उत्पन्न करके, यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करती है। किसान और कृषि व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, जो आगे की आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** कृषि सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण समुदायों को भोजन तक पहुँच हो। विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुधन का उत्पादन करके, यह खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती है और आयातित खाद्य पर निर्भरता को कम कर सकती है, जो अधिक महंगा हो सकता है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** कृषि विकास से अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढाँचा बनता है। उदाहरण के लिए, सिंचाई प्रणालियों, सड़कों और भंडारण सुविधाओं में निवेश से कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिल सकता है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण:** कृषि विकास शैक्षिक पहल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। किसान और कृषि श्रमिक विस्तार सेवाओं और कृषि शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से नए कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बेहतर खेती के तरीके और बेहतर उत्पादकता हो सकती है।

बेहतर कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और पौष्टिक भोजन तक पहुँच बढ़ाने से, कृषि बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान दे सकती है। इसके अतिरिक्त, कृषि विकास से बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ मिल सकती हैं क्योंकि ग्रामीण समुदाय आर्थिक रूप से विकसित होते हैं।

- **ग्रामीण आजीविका:** कृषि खेती से परे कई तरह की आजीविका का समर्थन करती है, जिसमें प्रसंस्करण, विपणन और वितरण में भूमिकाएँ शामिल हैं। रोजगार के अवसरों का यह विविधीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर और बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- **स्थायित्व और पर्यावरण:** स्थायी कृषि पद्धतियों से पर्यावरणीय लाभ हो सकते हैं, जैसे कि बेहतर मृदा स्वास्थ्य और जल प्रबंधन। इससे ग्रामीण समुदायों की जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के प्रति लचीलापन बढ़ सकता है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव:** कृषि अक्सर ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ी होती है। यह सांस्कृतिक प्रथाओं और सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करने में मदद कर सकती है, जिससे ग्रामीण आबादी को पहचान और निरंतरता की भावना मिलती है।
- **ग्रामीण-शहरी संबंध:** कृषि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का प्रवाह बनाकर ग्रामीण-शहरी संबंधों को मजबूत कर सकती है। इससे व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण में वृद्धि हो सकती है।
- **नवाचार और प्रौद्योगिकी:** कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रगति से उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हो सकती है। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से पैदावार में सुधार, श्रम तीव्रता में कमी और नए बाजार खोलकर ग्रामीण विकास को गति मिल सकती है।

कुल मिलाकर, कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के लिए मौलिक है, जो विकास के लिए आधार प्रदान करती है और ग्रामीण आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है।

1.10 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो आजीविका, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। इसे मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। प्रमुख रणनीतियों में कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढाँचे का विकास, स्थानीय उद्यमिता और रोजगार, बाजार पहुँच और व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा जाल और सामुदायिक जुड़ाव और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं।

कृषि आधुनिकीकरण में उन्नत तकनीकों को लागू करना, फसल और पशुधन प्रबंधन में सुधार करना और किसानों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना शामिल है। शिक्षा और कौशल विकास शैक्षिक अवसरों और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करता है, व्यक्तियों को आधुनिक नौकरी बाजारों और उद्यमशील उपक्रमों के लिए कौशल से लैस करता है। स्वास्थ्य और कल्याण स्वास्थ्य परिणामों और एक उत्पादक ग्रामीण कार्यबल में सुधार करते हैं। बुनियादी ढाँचे का विकास, जैसे कि सड़क, ऊर्जा और जल आपूर्ति प्रणाली, आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है और ग्रामीण समुदायों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। स्थानीय उद्यमिता और रोजगार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। सामाजिक सुरक्षा जाल और सामुदायिक जुड़ाव समावेशी विकास सुनिश्चित करते हैं और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करते हैं। कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में संधारणीय प्रथाओं को अपनाना दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता का समर्थन करता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था कई देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जो संसाधन, रोजगार और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करती है। हालाँकि, इसे अक्सर सीमित बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक कम पहुँच और शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम आर्थिक अवसरों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संतुलित राष्ट्रीय विकास के लिए

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय उद्यमिता जैसे मुद्दों का समाधान हो सके। प्रभावी ग्रामीण आर्थिक विकास रणनीतियाँ कृषि के आधुनिकीकरण, शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने और बुनियादी ढाँचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा देते हैं, बाजार तक पहुँच बढ़ाते हैं, पर्यटन का समर्थन करते हैं और सामाजिक सुरक्षा जाल लागू करते हैं। दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए पर्यावरणीय स्थिरता को इन रणनीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए। लक्ष्य एक अधिक समावेशी और लचीला आर्थिक ढांचा बनाना है जो ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाता है, असमानताओं को कम करता है और अद्वितीय अवसरों का लाभ उठाता है।

कृषि सुधार, साक्षरता और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, बुनियादी ढाँचा विकास, स्थानीय उद्यमिता, विपणन और निर्यात, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक विकास, तथा पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई और आधुनिक मशीनरी जैसी उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण स्कूलों और केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और अस्पताल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए। बुनियादी ढाँचे के विकास में सड़क और परिवहन नेटवर्क, बेहतर बिजली और पानी की आपूर्ति और छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन शामिल होना चाहिए। आसान ऋण और वित्तीय सहायता के माध्यम से स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थानीय उत्पादों और निर्यात अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विपणन नेटवर्क बनाए जा सकते हैं, जबकि स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के माध्यम से पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए, और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पहल, जैसे कि वृक्षारोपण और जल संचयन कार्यक्रम, भी लागू किए जा सकते हैं। ये उपाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

1.11 सारांश

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विकास तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों के संयोजन से प्रभावित होता है। तकनीकी नवाचार, संधारणीय प्रथाएँ और आर्थिक विविधीकरण कृषि और ग्रामीण विकास के परिदृश्य को बदल रहे हैं। तकनीकी प्रगति सटीक कृषि उपकरण पेश कर रही है जो दक्षता और उत्पादकता में सुधार करते हैं, लेकिन पहुँच में असमानताओं और न्यायसंगत प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता को भी उजागर करते हैं। संधारणीय कृषि पर्यावरणीय चुनौतियों, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जल संरक्षण और रासायनिक इनपुट को कम करने के जवाब के रूप में उभर रही है। हालाँकि, सफल कार्यान्वयन के लिए लागत और ज्ञान अंतराल जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए सहायक नीतियों, शिक्षा और निवेश की आवश्यकता होती है। आर्थिक विविधीकरण ग्रामीण समुदायों को कृषि-पर्यटन, स्थानीय खाद्य प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे नए अवसर और आय स्रोत प्रदान करता है। हालाँकि, इन गतिविधियों को ग्रामीण आजीविका और बुनियादी ढाँचे पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और समर्थन की आवश्यकता होती है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में आधुनिक रुझान अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करते हैं। तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें समावेशिता और समानता सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ होना चाहिए। संधारणीय प्रथाएँ पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, लेकिन व्यापक रूप से अपनाने के लिए व्यवस्थित समर्थन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विविधीकरण अधिक लचीलेपन और विकास का मार्ग प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए रणनीतिक विकास और निवेश की आवश्यकता होती है।

1.12 बोध प्रश्न

- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से आप क्या समझते हैं ?
- रोजगार और आजीविका प्रमुख पहलुओं के अध्ययन की व्याख्या कीजिए।

- भारत में कृषि विकास की प्रवृत्तियाँ की विवेचना कीजिए।
- ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और विकास की विवेचना कीजिए।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए।
- ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान की व्याख्या कीजिए।

1.13 उपयोगी पुस्तकें

- Hill, B., Ray, D. (1987). Agriculture in the Rural Economy. In : Economics for Agriculture. Palgrave, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-18782-9_15
- Dantwala, M. L. et. al, (1991), Indian Agricultural Development Since Independence, Oxford & IBM Publishers , New Delhi.
- Dutt Ruddar and K.P.M Sundharam, (2007), Indian economy, S.Chand Publishers, New Delhi.
- Lekhi, R.K. and Joginder Singh, (2002), Agricultural Economics, Kalyani Publishers, Ludhiana.
- Balakrishnan, P. (2000), “Agriculture and Economic Reforms: Growth and Welfare”, Economic and Political Weekly, March 4-10.
- Robert E. Evenson, Carl E. Pray, Mark W. Rosegrant (1999), Agricultural Research and Productivity Growth in India.
- Lopamudra Lenka Samantaray, A Study on the Current Trend of Agricultural Productivity in India and its Future Prospects, International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), Volume 2, Issue 4, April 2015, PP 16-21
- राजेन्द्र कुमार मीना" भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.2, Issue 7, page no.402-405, July-2015, Available :<http://www.jetir.org/papers/JETIR1701900.pdf>
- Dr. Anil Kumar, Emerging trends in rural development in India, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 10, December 2021: 5540-5546
- https://www.iatp.org/sites/default/files/Agricultures_Contribution_to_Rural_Development.html
- Yakanna, A. (2017) ‘Issues and Challenges of Rural Development in India’, Indian Journal of Applied Research, Volume-7, Issue-10
- Singh, Bhanu Pratap, Impact of COVID-19 on Rural Economy in India (May 20, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3609973> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3609973>
- <https://www.worldbank.org/en/programs/knowledge-for-change/brief/agriculture-and-rural-development>

इकाई—02 कृषि और उद्योग में अंतर—सम्बन्ध कृषि सेवा केंद्र

Interrelationship between Agriculture And Industry

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य (Objective)
- 2.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 2.2 कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा (Definition of Agricultural Economics)
- 2.3 कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Agricultural Economics)
- 2.4 कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति (Nature of Agricultural Economics)
- 2.5 कृषि क्षेत्र का महत्व (Importance of Agricultural Economics)
- 2.6 औद्योगिक अर्थशास्त्र (Industrial Economics)
- 2.7 औद्योगिक क्षेत्र का महत्व (Importance of Industrial Economics)
- 2.8 कृषि और उद्योग में अंतर—संबंध
- 2.9 कृषि क्षेत्र पर उद्योग का प्रभाव
- 2.10 औद्योगिक क्षेत्र पर कृषि का प्रभाव
- 2.11 भारत के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान
- 2.12 भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान
- 2.13 कृषि सेवा केंद्र
- 2.14 निष्कर्ष
- 2.15 संदर्भ ग्रंथ सूची

2.0 उद्देश्य (Objective)

इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप समझ सकेंगे कि:

- कृषि क्षेत्र विशेषताओं के आधार पर उसका की पहचान कर सकेंगे।
- औद्योगिक क्षेत्र के विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान कर सकेंगे।
- भारत के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र के योगदान को समझ सकेंगे।
- भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान को समझ सकेंगे।
- कृषि और उद्योग के अंतर संबंध को समझ सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

कृषि और उद्योग दोनों परस्पर एक दूसरे से सह—सम्बन्धित हैं जो किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दोनों क्षेत्र अन्योन्याश्रित हैं और अक्सर समग्र अर्थव्यवस्था के विकास और स्थिरता

को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करते हैं। कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्र एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं। किसी एक क्षेत्र के विकास के अभाव में दूसरे का विकास नहीं हो सकता है यदि किसी भी क्षेत्र में कृषि का तीव्र विकास करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि औद्योगिक विकास पर भी बल दिया जाए क्योंकि कृषि क्षेत्र को उर्वरक, उपकरण, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। जबकि दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है और तैयार माल के बाजार के रूप में घरेलू क्षेत्र कार्य करता है। इस प्रकार दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। जिसका अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है।

2.2 कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा

कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो कृषि से संबंधित समस्याओं के सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन करता है।

स्नोडग्रास और वालेस के अनुसार, “कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान का एक अनुप्रयुक्त चरण है जिसमें कृषि से संबंधित समस्याओं के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।”

प्रो. ग्रे कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं, “यह वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और विधियों को कृषि उद्योग की विशेष स्थितियों पर लागू किया जाता है।” बेशक ये दोनों परिभाषाएँ दायरे में व्यापक हैं, लेकिन ये व्याख्यात्मक नहीं हैं और अस्पष्टता की विशेषता रखती हैं।

प्रो. ग्रे कृषि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के सामान्य विषय की एक शाखा के रूप में मानते हैं। यह अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र की कई शाखाओं में से सिर्फ एक है। जैसे औद्योगिक अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, परिवहन अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, घरेलू अर्थशास्त्र, आदि।

इस प्रकार प्रो. ग्रे के अनुसार, कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नामक विशाल क्षेत्र का केवल एक चरण है जिसमें प्राथमिक ध्यान कृषि से जुड़ी आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण पर दिया जाता है,

प्रो. हबर्ड ने कृषि अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, “कृषि में मनुष्य की धन-प्राप्ति और धन-उपयोग गतिविधि से उत्पन्न संबंधों का अध्ययन।” यह परिभाषा प्रो. एली की अर्थशास्त्र की परिभाषा पर आधारित है और मार्शल की आर्थिक गतिविधियों की अवधारणा से मिलती-जुलती है और इसलिए इसका दायरा भी सीमित है।

लियोनेल रॉबिंस के अनुसार, अर्थशास्त्र आवंटन दक्षता की समस्याओं से निपटता है, अर्थात् विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों के बीच चुनाव – विशेष रूप से जब संसाधन दुर्लभ होते हैं – कुछ दिए गए लक्ष्यों को अधिकतम करने के लिए। इस प्रकार यह वैकल्पिक उपयोगों के बीच संसाधनों के विभिन्न आवंटनों के मूल्यांकन के लिए विश्लेषणात्मक तकनीक प्रदान करता है।

प्रो. टेलर रॉबिंसियन टोन में कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं कि “कृषि अर्थशास्त्र में खेत के लिए भूमि, श्रम और उपकरणों का चयन, उगाई जाने वाली फसलों का चयन, चलाए जाने वाले पशुधन उद्यमों का चयन और इन सभी एजेंसियों को किस अनुपात में संयोजित किया जाना चाहिए, इस पूरे प्रश्न पर विचार किया जाता है। इन प्रश्नों पर मुख्य रूप से लागत और कीमतों के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है।” टेलर की परिभाषा कृषि प्रबंधन के दृष्टिकोण से खेती की एक बहुत ही सावधानी से की गई परिभाषा प्रतीत होती है और इसलिए इसका दायरा संकीर्ण और सीमित है।

प्रोफेसर जौजियर ने भी इसी तरह की परिभाषा दी है, “कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो कृषि के संसाधनों को बनाने वाले विभिन्न तत्वों के संबंधों को विनियमित करने के तरीके पर विचार करती है, चाहे वह एक दूसरे से संबंध हो या मनुष्यों से, ताकि अधिकतम समृद्धि हासिल की जा सके।”

प्रोफेसर होलेरो के अनुसार, “कृषि अर्थशास्त्र का संबंध कृषि उद्योग में संसाधनों के आवंटन, उत्पादन, विपणन या सार्वजनिक नीति में विकल्पों से है।” कृषि अर्थशास्त्री कृषि उत्पादन में दक्षता के अध्ययन, खेती में विभिन्न मात्राओं और इनपुट के संयोजन से मिलने वाले लाभ और दी गई भौतिक और आर्थिक स्थितियों के तहत सर्वोत्तम कृषि उत्पादन विकल्पों के निर्धारण से संबंधित हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, आर्थिक गतिविधियों को उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग में विभाजित किया जाता है, कृषि अर्थशास्त्र उन सभी को कवर करता है क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, किसी वस्तु का वितरण करना है, किसके बीच वितरित करना है और किस आधार पर वितरित करना है और क्या उपभोग करना है और कितना उपभोग करना है।

विशेष रूप से, हम कह सकते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र में व्यवसाय के रूप में खेती का चुनाव, कृषक और पशुपालन के बीच मशीनरी और श्रम का चुनाव उत्पादन के विभिन्न कारकों का संयोजन, खेती की तीव्रता, सिंचाई, खाद, विपणन, मृदा संरक्षण, भूमि राजस्व प्रणाली, लागत, मूल्य, मजदूरी, लाभ, वित्त, ऋण, रोजगार आदि शामिल हैं। इन सभी मामलों में कृषि अर्थशास्त्री के सामने मूलभूत समस्या कृषि समुदाय के आर्थिक हितों में दी गई स्थितियों के तहत आदर्श अनुपात में उत्पादन के कारकों के संयोजन की सिफारिश करना है।

वह कृषि बाजारों के अर्थशास्त्र, विभिन्न कृषि उत्पादों के विपणन की लागतों, तथा समाज के उद्देश्यों को अधिक कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए विपणन संरचना में किए जाने वाले वैकल्पिक कदमों या परिवर्तनों से चिंतित हैं। तथा सार्वजनिक नीति में विकल्पों के विश्लेषण और किसी विशेष कार्यक्रम, जैसे कि मूल्य समर्थन कानून या मृदा संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के आर्थिक प्रभावों में रुचि रखते हैं। कृषि अर्थशास्त्री अध्ययन में आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों का उपयोग करते हैं।

2.3 कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र

कृषि अर्थशास्त्र के विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से कृषि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। संसाधनों की कमी और उपयोगों के विकल्प का एक सामान्य विषय इन सभी परिभाषाओं में लगभग चलता है। इस तरह, कृषि अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र से अलग नहीं है।

सामान्य अर्थशास्त्र में उपयोग किए जाने वाले विश्लेषण के सभी उपकरण कृषि अर्थशास्त्र में भी उपयोग किए जाते हैं। हमारे पास कृषि अर्थशास्त्र की वही शाखाएँ हैं, जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, विपणन, वित्तपोषण और योजना और नीति निर्माण का अर्थशास्त्र, जो सामान्य अर्थशास्त्र में होता है। कृषि क्षेत्र के लिए सूक्ष्म और वृहद स्तर पर अध्ययन भी आम तौर पर किया जाता है। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र के लिए स्थैतिक और गतिशील विश्लेषण भी प्रासंगिक हैं।

कृषि अर्थशास्त्र इस तथ्य की जाँच करता है कि किसान विभिन्न उद्यमों का चयन कैसे करता है, जैसे कि फसलों का उत्पादन या मवेशी पालन और वह एक ही उद्यम में विभिन्न गतिविधियों का चयन कैसे करता है। उदाहरण के लिए, कौन सी फसल उगानी है और कौन सी फसल छोड़नी है लागतों को कैसे कम किया जाए किसी गतिविधि के लिए इनपुट के किस संयोजन का चयन किया जाए लेकिन प्रत्येक फसल की मात्रा का उत्पादन किया जाना है, लेकिन किसान को उन लोगों के साथ किस तरह का व्यावसायिक संबंध रखना है, जिनसे वे अपने इनपुट खरीदते हैं या जिन्हें वे अपना उत्पाद बेजते हैं।

कृषि अर्थशास्त्र केवल खेत के स्तर पर किसान के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है। यानी एक तरह से सूक्ष्म विश्लेषण। कृषि समस्याओं का एक वृहद पहलू भी है। कृषि की अस्थिरता और कृषि बेरोजगारी ऐसी समस्याएँ हैं जिनसे मुख्य रूप से वृहद स्तर पर निपटना होगा। कृषि विकास की कुछ समस्याएँ हैं जैसे पट्टेदारी प्रणाली और पट्टेदारी व्यवस्था, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं से संबंधित समस्याएँ हैं जो फिर से मुख्य रूप से मैक्रो चरित्र की हैं। ऐसी समस्याएँ, उनकी उत्पत्ति, उनका प्रभाव और उनके समाधान सभी कृषि अर्थशास्त्र के विषय हैं।

पुनः, वर्तमान में 'कृषि अर्थशास्त्र' केवल 'कृषि में संसाधनों की मितव्ययिता' से संबंधित सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है, चाहे वह सूक्ष्म या वृहद स्तर पर हो या 'स्थिर' या 'गतिशील' दृष्टिकोण से हो।

कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र 'केवल संसाधनों की बचत' से कहीं बड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं, कृषि समग्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की एक-दूसरे पर परस्पर निर्भरता अच्छी तरह से स्थापित है। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार, कृषि अर्थशास्त्र में, हम यह भी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार कृषि का विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है किस प्रकार श्रम और पूंजी गैर-कृषि क्षेत्रों में प्रवाहित हो सकते हैं किस प्रकार कृषि विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास को आरंभ करता है और बनाए रखता है।

इसका तात्पर्य यह है कि कृषि अर्थशास्त्र न केवल कृषि में दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के संबंध में विकसित होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ संसाधनों के बहिर्वाह के संबंध में और अन्य क्षेत्रों से कृषि क्षेत्र में इन संसाधनों के प्रवाह के बारे में सिद्धांतों की भी जांच करता है।

2.4 कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति

कृषि अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करता है। कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में ध्यान देने योग्य पहली बात यह है कि, सामान्य तौर पर, यह अपने अधिकांश सिद्धांत अपने मूल सामान्य अर्थशास्त्र से लिया गया है।

कृषि अर्थशास्त्र की मुख्य शाखाएँ भी सामान्य अर्थशास्त्र के समान ही हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है। अगर सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से अलग नहीं हैं, तो कृषि अर्थशास्त्र के अलग से अध्ययन की क्या जरूरत है? कृषि अर्थशास्त्र केवल कृषि के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रकृति में बहुत सामान्य हैं और अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत को वास्तविकता से अलग माना जाता है।

इससे पहले कि इस सिद्धांत को कृषि पर लागू किया जाए, जिसमें आर्थिक विश्लेषण के उद्देश्य से फसल उत्पादन के अलावा वानिकी और पशुपालन भी शामिल है, इसके सिद्धांतों को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि उनके सिद्धांत कृषि क्षेत्र में स्थिति की मुख्य विशेषताओं के साथ पूरी तरह से मेल खाएं।

आर्थिक सिद्धांत में विभिन्न बाजार संरचनाओं जैसे एकाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अल्पाधिकार के तहत मूल्य निर्माण का अध्ययन करते हैं। जहां तक कृषि का सवाल है, यह माना जाता है कि चूंकि खेतों की संख्या बहुत बड़ी है और साथ ही, उनका आकार अपेक्षाकृत छोटा है और उत्पादित फसलें अविभेदित (सजातीय) हैं, इसलिए कृषि उपज बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा प्रबल होने की संभावना है।

दूसरे शब्दों में, हम अल्पाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता या एकाधिकार की स्थिति में कृषि उपज के मूल्य निर्माण के अध्ययन को लगभग पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे। इसके अलावा, कृषि में काश्तकारी या फसल बंटवारे की व्यवस्था है – जो केवल कृषि के लिए एक विशेष समस्या है। इस समस्या के अध्ययन के लिए सामान्य अर्थशास्त्र में प्रतिपादित संसाधन आवंटन के सिद्धांत में संशोधन की आवश्यकता होगी।

कृषि में लागू करने से पहले आर्थिक सिद्धांतों में किए जाने वाले संशोधन इतने बड़े और विविध हैं कि ज्ञान के एक अलग निकाय के रूप में कृषि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का पूर्ण औचित्य है।

कृषि अर्थशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान ना होकर व्यवहारिक विज्ञान है

कुछ कृषि अर्थशास्त्रियों ने कृषि अर्थशास्त्र को एक अनुप्रयुक्त विज्ञान कहा है।

फोर्स्टर और लिओगर के अनुसार, “कृषि अर्थशास्त्र एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है और इस प्रकार इसका संबंध कृषि की आर्थिक समस्याओं की पहचान, वर्णन और वर्गीकरण से है, ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके।” ग्रे के अनुसार भी, ‘कृषि अर्थशास्त्र को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और विधियों को कृषि उद्योग की विशेष स्थितियों पर लागू किया जाता है।’

हालाँकि, ब्लैक इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अनुप्रयुक्त विज्ञान में किसी विशेष परिस्थिति में शुद्ध विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शामिल होता है। उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। यह सुझाव देता है कि भौतिकी और अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों को कुछ स्थितियों में कैसे लागू किया जाए।

भौतिकी के सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं किया जाता। ये बरकरार रहते हैं। कृषि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों में भी बदलाव किया जाता है। ब्लैक के अनुसार कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की तुलना

भौतिकी से नहीं बल्कि यांत्रिकी से की जा सकती है।

यदि यांत्रिकी को शुद्ध विज्ञान का विशिष्ट रूप कहा जाना चाहिए, तो हम कृषि अर्थशास्त्र के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात्, अनुप्रयुक्त विज्ञान के बजाय शुद्ध विज्ञान का विशिष्ट रूप। कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। हमने पहले बताया है कि कृषि अर्थशास्त्र को अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान का विशिष्ट रूप कहा जाना चाहिए।

इस प्रकार के विज्ञान के रूप में, यह कृषि में कार्यरत विभिन्न आर्थिक चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंधों की व्याख्या करता है। और जैसा कि पाया जाता है, संबंध का उपयोग कृषि को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि अर्थशास्त्र भी एक कला है। इसके अलावा, जैसा कि 'सामान्य अर्थशास्त्र' के मामले में है, कृषि अर्थशास्त्र एक मानक विज्ञान भी है।

2.5 कृषि क्षेत्र का महत्व

कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें फसलों की खेती, पशुधन पालन और अन्य संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं। यह आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भोजन, कच्चा माल और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र अनाज, कपास, गन्ना और विभिन्न अन्य फसलों जैसे आवश्यक कच्चे माल प्रदान करके उद्योगों के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। कृषि मानव उपभोग के लिए फसलों और पशुधन का उत्पादन करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और जैव ईंधन उत्पादन जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। कृषि किसी राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास और स्थिरता में योगदान देती है।

2.6 औद्योगिक अर्थशास्त्र

औद्योगिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो अर्थव्यवस्था के भीतर फर्मों और उद्योगों के व्यवहार और प्रदर्शन के अध्ययन पर केंद्रित है। यह जांचता है कि फर्म प्रतिस्पर्धी बाजार में कैसे निर्णय लेते हैं और उन कारकों का विश्लेषण करते हैं जो उनके उत्पादन, मूल्य निर्धारण और निवेश विकल्पों को प्रभावित करते हैं। सामान्यतया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था उन गतिविधियों से संबंधित है जो उत्पादन के कारकों (सुविधाएं, आपूर्ति, कार्य, ज्ञान) को मिलाकर बाजार के लिए भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।

2.7 उद्योगों का महत्व

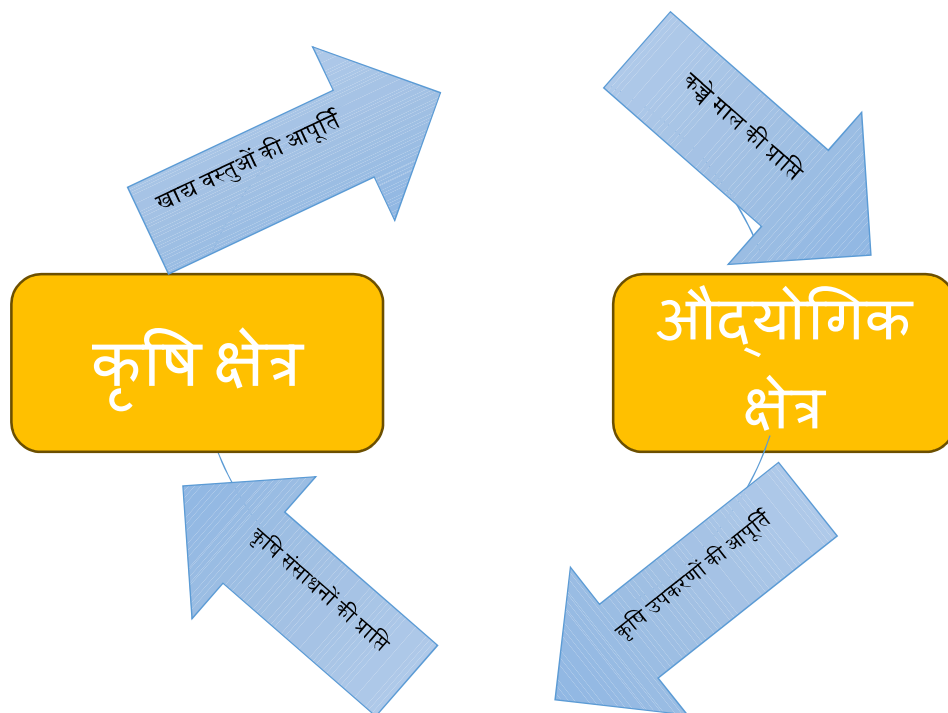
उद्योगों को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र माना जाता है, जिसमें कच्चे माल को तैयार उत्पादों में संसाधित करना शामिल है। वे कृषि द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें मूल्यवर्धित वस्तुओं में बदलते हैं। उद्योग रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, राजस्व उत्पन्न करते हैं, तथा तकनीकी उन्नति और नवाचार में योगदान करते हैं। उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल को संसाधित करते हैं तथा उन्हें तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि कपड़ा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, तथा जैव ईंधन। उद्योग रोजगार सृजित करके तथा राजस्व उत्पन्न करके आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। उद्योग अनुसंधान और विकास के माध्यम से तकनीकी उन्नति और नवाचार को आगे बढ़ाते हैं। यह क्षेत्र घरेलू उपभोग तथा निर्यात के लिए निर्मित उत्पाद प्रदान करता है, जिससे विदेशी मुद्रा आय में योगदान होता है।

2.8 कृषि और उद्योग के बीच अंतर—सम्बन्ध

कृषि और उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास में दोनों क्षेत्र आवश्यक हैं। देश की आर्थिक प्रगति तभी सम्भव है, जबकि कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्र सापेक्षिक रूप से विकसित हों। इसका प्रमुख कारण यह है कि कृषि और उद्योग परस्पर अनुपूरक हैं, अर्थात् कृषि की उन्नति उद्योगों के विकास में सहायक होती है और औद्योगिक प्रगति कृषि को विकास के चरम शिखर पर पहुँचाने में सहायता देती है।

पं० जवाहरलाल नेहू के शब्दों में, “बिना कृषि विकास के औद्योगिक प्रगति नहीं की जा सकती। वास्तव में दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं।” कृषि एवं उद्योग दोनों ही

व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, जिसमें प्राकृतिक साधनों से उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं। उद्योग द्वितीयक व्यवसाय है, जिसमें प्राकृतिक साधनों को विज्ञान एवं तकनीक के द्वारा आर्थिक साधनों में बदला जाता है। उद्योग और कृषि दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार-स्तम्भ हैं। यही कारण है कि जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। उद्योग और कृषि अर्थव्यवस्था रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। जिस प्रकार एक पहिये पर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार केवल कृषि या केवल उद्योग के आधार पर अर्थव्यवस्था की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। कृषि व उद्योग एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी नहीं वरन् एक-दूसरे के पूरक हैं। कृषि में प्राकृतिक साधनों से वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं और उद्योगों द्वारा उन्हें उपयोगी वस्तुओं में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए—कृषि से कपास की प्राप्ति होती है और सूती वस्त्र उद्योग द्वारा इस कपास से विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र बना दिये जाते हैं। कृषि अनेक तरह से उद्योगों पर निर्भर करती है।



कृषि-उद्योग परस्पर निर्भरता रेखा चित्र

कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रकार के यन्त्रों, मशीनों व साधनों की आवश्यकता होती है। कृषि को ये यन्त्र ट्रैक्टर, मशीनें इंजीनियरिंग उद्योग से मिलते हैं। यदि इंजीनियरिंग उद्योग न होता तो सम्भवतः कृषि का आधुनिकीकरण ही न हो पाता। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के खादों की आवश्यकता होती है। यद्यपि प्राकृतिक खादें भी कृषि में प्रयोग की जाती हैं किन्तु आधुनिक समय में उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग बहुतायत से होता है। कृषि को ये उर्वरक उद्योग से ही प्राप्त होती हैं। कृषि भी उद्योगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि के लिए उद्योग। कृषि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। उदाहरण के लिए कृषि से कपास मिलती है तो उद्योग द्वारा उसके सूती वस्त्र बनाये जाते हैं। कृषि से गन्ने की प्राप्ति होती है तो उद्योगों द्वारा उसकी चीनी बनायी जाती है। इसी प्रकार कृषि से जूट मिलता है तो उद्योग द्वारा उस जूट से अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनायी जाती हैं। आज भारत का सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। कृषि के बिना इन उद्योगों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, उद्योगों के स्थानीयकरण में भी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए—कपास की अधिकता के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग का, गन्ने की अधिकता के कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का और जूट की अधिकता के कारण पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग का स्थानीयकरण हो गया है। आज कृषि की अनेक शाखाएँ उद्योगों का रूप लेती जा रही हैं। उदाहरण के लिए—दुग्ध उद्योग, मत्स्य पालन उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग आदि। भारत में कृषि और उद्योग दोनों के महत्त्व को देखते हुए दोनों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। कृषि में एक निश्चित सीमा तक भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया है और उद्योगों में भी भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

चित्र में, OL कृषि क्षेत्र में रोजगार के स्तर को दर्शाता है। रोजगार के किसी भी स्तर पर, कृषि क्षेत्र के भीतर कुल कृषि उत्पादन और खपत के स्तर क्रमशः Q_1 और OC हैं। जब रोजगार का स्तर OL_1 होता है, तो उत्पादन L_1Q_1 होता है, खपत L_1C_1 होती है। इसलिए कृषि के बाहर उपयोग के लिए C_1Q_1 का अधिशेष होता है। इस अधिशेष का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप, L_2Q_2 का उत्पादन स्तर प्राप्त होता है।

वक्र Q_1 का ढलान सकारात्मक है लेकिन घटता जा रहा है, जो पारंपरिक कृषि में घटते प्रतिफल के नियम के संचालन को दर्शाता है। यह भूमि (उत्पादन के कारक के रूप में) और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता के कारण उत्पन्न होता है, जिससे घटते प्रतिफल मिलते हैं क्योंकि अन्य (पूरक) इनपुट के उपयोग में वृद्धि होती है।

हालाँकि, तकनीकी प्रगति, आउटपुट (OQ) वक्र को ऊपर की ओर स्थानांतरित करके, कम से कम अस्थायी रूप से कानून के संचालन को रोक सकती है। उस स्थिति में, किसी भी दिए गए रोजगार स्तर के लिए, उत्पादन अधिक होगा। इसके परिणामस्वरूप, बड़े अधिशेष का परिणाम होगा, जिससे औद्योगिक (और अन्य) क्षेत्रों में रोजगार का एक बड़ा स्तर बनाए रखा जा सकेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि एक क्षेत्र के विकास को दूसरे क्षेत्र के सुधार के बिना बढ़ाना संभव नहीं है। अगर कृषि को देश का 'हृदय' माना जाता है, तो जाहिर है कि उद्योग को 'दिमाग' माना जाना चाहिए। इन क्षेत्रों की अन्योन्याश्रितता को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है:

2.9 कृषि क्षेत्र पर उद्योग का प्रभाव

कृषि क्षेत्र पर उद्योग के प्रभाव का उल्लेख करना अनावश्यक है। कृषि पर उद्योग का प्रभाव इस प्रकार है:

(i) उद्योग कृषि क्षेत्र के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं

इसमें कोई संदेह नहीं कि आरंभिक अवस्था में औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र की सहायता से विकसित होता है। लेकिन, एक बार जब यह तकनीकी क्षेत्र में परिपक्व हो जाता है और खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो जाता है, तो पूंजी या श्रम या यहां तक कि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी कृषि पर इसकी निर्भरता कम हो जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से किसानों के वाणिज्यिक उद्देश्यों को बल मिलेगा और वे खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों की ओर रुख करेंगे। वे बाजार के लिए उत्पादन करेंगे और इससे कुछ संबद्ध प्रसंस्करण उद्योगों का भी विकास होगा। निकोलस गलत नहीं कहते हैं, "कृषि उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार कृषि के अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र को तोड़ देता है।"

(ii) आधुनिक कृषि इनपुट का प्रावधान

यह कृषि में उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यह पाया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र ने कृषि को एक नया तकनीकी आधार प्रदान किया है। यह नियमित रूप से कृषि के लिए वैज्ञानिक उपकरण और उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप-सेट रासायनिक उर्वरक आदि की आपूर्ति करता है जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि अत्यधिक पूंजी गहन है, जिसमें परिष्कृत मशीनरी, उर्वरकों और कीटनाशकों की

भारी खुराक और उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है।

इन इनपुट के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में शानदार वृद्धि हुई है। ये सभी इनपुट औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए हैं। इतना ही नहीं। जैसा कि कहा जाता है, परिवहन और संचार प्रणाली में क्रांति के कारण कृषि खाली भूमि पर चली गई है। ये सुविधाएँ स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र की देन हैं।

(iii) भूमि पर जनसंख्या के दबाव में कमी

इसमें कोई संदेह नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए शुरू में कृषि क्षेत्र से श्रम को निकाला गया था। हालांकि, श्रम की इस वापसी ने कृषि को भी मदद की है, खासकर घनी आबादी वाले देशों में। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या भी कृषि में कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार है।

जोतों का उप-विभाजन और विखंडन तथा कम बचत ने कृषि को पूरी तरह से पिछड़ा बना रखा है। ये समस्याएँ कुछ हद तक हल हो जाती हैं जब विकासशील औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से जनसंख्या के बाहर जाने में मदद करता है। अमेरिका और ब्रिटेन में खेतों का आकार समय के साथ मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण बढ़ा है।

(iv) उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति

विकासशील औद्योगिक क्षेत्र न केवल किसानों को आधुनिक इनपुट बल्कि उपभोग की वस्तुएँ भी प्रदान करता है। उनका उपभोग पैटर्न विविधतापूर्ण है। कुछ आराम और विलासिता भी उनके उपभोग कार्यक्रम में अपना रास्ता बना लेती है और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। नए जीवन स्तर को बनाए रखने की इच्छा, बदले में, किसानों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।

(v) कृषि विकास के लिए बुनियादी ढांचे का प्रावधान

इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषि का आधुनिकीकरण आधुनिक कृषि-इनपुट के उपयोग पर निर्भर करता है। लेकिन उनके उपयोग के लिए कई सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, हमें इनपुट को खेतों तक ले जाने और खेतों से उत्पादों को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन के अच्छे साधनों की आवश्यकता है। परिवहन, बिजली, वित्तीय संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएँ, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, सभी का अस्तित्व मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के कारण है।

किसानों तक आधुनिक तकनीक की जानकारी पहुंचाने के लिए संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। स्कूल, कृषि अनुसंधान आदि कॉलेज, अस्पताल, बिजली और गोदाम आदि कृषि के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के कुछ अन्य घटक हैं। ये सभी औद्योगिक क्षेत्र की देन हैं।

(vi) बौद्धिक वातावरण

यह स्पष्ट है कि आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र, जब कृषि क्षेत्र के संपर्क में आता है, तो वह अपने कम परम्परागत बौद्धिक वातावरण को कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित कर देता है। ऐसा वातावरण जो नए कौशल, पूंजी निर्माण, घटती जन्म दर, तकनीकी नवाचारों और सबसे बढ़कर, उद्यमी वर्ग के निर्माण के लिए बहुत अनुकूल है, निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र के विकास में मदद करेगा।

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास और प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

2.10 औद्योगिक क्षेत्र पर कृषि का प्रभाव

औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि क्षेत्र उद्योगों को विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ कच्चा माल तथा घरेलू श्रम भी प्रदान करता है संक्षेप में औद्योगिक क्षेत्र पर कृषि क्षेत्र के पड़ने वाले प्रभाव को निम्न आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है

(i) उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति

कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति करता है बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, माचिस उद्योग, रेशम उद्योग आदि। यह नियमित रूप से उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, चाय, मसाले, गेहूँ, धान आदि कच्चे माल की आपूर्ति करता है।

(ii) मजदूरी वस्तुओं की आपूर्ति

खाद्यान्नों की बाजार में आवक को इस बात का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिया जा सकता है कि कृषि गैर-कृषि क्षेत्र के लिए मजदूरी के सामान के रूप में क्या बचा सकती है, बशर्ते बाजार में आवक में किसानों की ओर से कोई संकटपूर्ण बिक्री शामिल न हो। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, हम पिछले 30 वर्षों या उससे अधिक समय के लिए पंजाब राज्य में बाजार में आवक को नीचे दे रहे हैं।

पंजाब में कृषि का विकास देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से हुआ है और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर देश में सबसे कम है। इसलिए, यह मानने का एक कारण है कि बाजार में जो कुछ भी बेचा जाता है वह वास्तव में कृषि क्षेत्र द्वारा बचा हुआ अधिशेष है।

(iii) कृषि और विदेशी व्यापार

हालाँकि भारत आजादी के बाद से ही खाद्यान्नों का आयात करता रहा है, लेकिन यह आर्गो-आधारित उद्योगों के उत्पादों का निर्यात भी करता रहा है, जिससे देश को न केवल खाद्यान्न आयात के लिए बल्कि अन्य आयातों के लिए भी भुगतान करने में मदद मिली है, जिसमें पूंजीगत सामान भी शामिल हैं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत के प्रमुख पारंपरिक निर्यात सूती वस्त्र, जूट वस्त्र और चाय हैं।

(iv) औद्योगिक क्षेत्र के लिए बाजार की व्यवस्था

कृषि क्षेत्र की बढ़ती आय के कारण औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। हालाँकि भारत में इस मुद्दे से संबंधित कोई प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं ग्रामीण लोगों की खपत अनुसूची में अपना स्थान बना रही हैं।

(v) औद्योगिक क्षेत्र को पूंजी आपूर्ति

आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि क्षेत्र, पूंजी उपलब्ध कराता है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में यह कारक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में चले गए हैं। किसान परिवार अपना पैसा बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा रखते थे, जिसका उपयोग अंततः उद्योग मालिकों द्वारा निवेश के रूप में किया जाता था।

(vi) श्रम की आपूर्ति

कृषि क्षेत्र जिसे घरेलू क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र को निरंतर श्रम की आपूर्ति करता है। भारत में कपड़ा उद्योग, इंग्लैंड में विभिन्न उद्योगों और जापान में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना में कृषकों का योगदान सर्वविदित है। भारतीय श्रम के बारे में यह कथन कि यह प्रवासी प्रकृति का था और इसका कारण कृषि के साथ इसका संबंध था, यह दर्शाता है कि यह कृषि क्षेत्र ही था जिसने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रारंभिक चरणों में उसे श्रम प्रदान किया।

(vii) औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था

कृषि क्षेत्र औद्योगिक मजदूरों को अनाज, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ तथा डेयरी उद्योगों में पालतू पशुओं के लिए नियमित आधार पर चारा उपलब्ध कराता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी देश के औद्योगिक विकास के प्रारंभिक स्थिति में कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों का ही विकास हुआ है जो

इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उद्योगों के विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।

2.11 भारत के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका

भारत के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका का विभिन्न दृष्टिकोणों से विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसे अक्सर संसाधनों के अंतरक्षेत्रीय हस्तांतरण, मुख्य रूप से कृषि अधिशेष के दृष्टिकोण से देखा गया है। इससे भी अधिक सामान्य रूप से, इसे द्वैतवादी मॉडल के भीतर देखा गया है, जो अधिशेष श्रम पर आधारित है, लेकिन गतिशील कानूनों के एक सेट द्वारा पूरक है जो ब्रेक-आउट बिंदु और द्वैतवाद के समाप्त होने की ओर ले जाता है। उद्योग के बिना कृषि का विकास संभव है, लेकिन इसके विपरीत सच नहीं है, क्योंकि कृषि के बिना औद्योगिक विकास असंभव है। इतिहास इस बात को अच्छी तरह से दर्शाता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्रांति हुई थी।

1953 में, रैग्नर नर्कसे ने पहली बार अपने संतुलित विकास सिद्धांत में कृषि-उद्योग परस्पर निर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों को पारस्परिक आधार पर एक दूसरे की सहायता करके एक साथ विकसित होना चाहिए। और विशेष रूप से औद्योगीकरण और सामान्य रूप से आर्थिक विकास की किसी भी योजना में कृषि-उद्योग की इस परस्पर निर्भरता को मान्यता दी जानी चाहिए।

आर्थिक विकास में कृषि का योगदान को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है :

1- कारक योगदान

2- उत्पाद योगदान

3- बाजार योगदान।

1- कारक (साधन) योगदान

कृषि के विकास से कुछ संसाधन अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। चूंकि ये संसाधन उत्पादक प्रकृति के होते हैं, इसलिए हम इन संसाधनों के गैर-कृषि क्षेत्रों में स्थानांतरण को कृषि का 'कारक योगदान' कहते हैं। कारक योगदान निम्नलिखित रूपों में हो सकता है:

(क) पूंजी का प्रावधान:

आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को भौतिक पूंजी प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में, ये धन कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होता है और फिर अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है। प्रारंभिक चरणों में एक बंद अर्थव्यवस्था में, यह कृषि क्षेत्र ही है जो आय, पूंजी और श्रम का सबसे बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। यहां तक कि जब एक अविकसित अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, तब भी विदेशी सहायता या विदेशी वाणिज्यिक निवेश जैसे पूंजी के बाहरी स्रोत आर्थिक विकास में केवल सीमित योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा, विदेशी राजनीतिक प्रभाव ऐसी पूंजी के साथ होने की संभावना है और यह वर्तमान अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

गैर-कृषि क्षेत्रों में पूंजी का हस्तांतरण स्वैच्छिक या अनिवार्य हो सकता है। यह स्वैच्छिक तब होता है जब कृषक स्वयं अपनी बचत औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश करते हैं। इंग्लैंड के कृषक उद्योगपति और जापान के भूस्वामी गैर-कृषि क्षेत्रों में पूंजी के इस प्रकार के स्वैच्छिक प्रवाह का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

धन के प्रवाह का अनिवार्य रूप आमतौर पर सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र पर कराधान के माध्यम से लाया जाता है, तथा इसकी शुद्ध आय को गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया जाता है।

जापान में भूमि कर को अक्सर कृषि क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में धन के अनिवार्य हस्तांतरण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। 19 वीं सदी के अंतिम दो दशकों में यह सरकार के कुल कर राजस्व का 80% था। कराधान, जब्ती, शुल्क लगाने या कृषि उत्पादों की मनमाने ढंग से कम कीमतें रखकर कृषि से अधिशेष की जबरन निकासी, कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्रों में धन स्थानांतरित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपाय हो

सकते हैं।

हालांकि, धन हस्तांतरण के लिए हमेशा बाध्यता आवश्यक नहीं होती। कृषि विकास से ही कृषि उपज की कीमत में कमी आ सकती है, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में उत्पादन की लागत कम हो सकती है, उनके मुनाफे में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से इन क्षेत्रों में पूंजी सृजन में मदद मिल सकती है।

एक और तरीका है जिसके माध्यम से कृषि, गैर-कृषि क्षेत्रों को पूंजी प्रदान कर सकती है। नर्कसे ने इस प्रक्रिया का जिक्र किया है। उनके अनुसार घनी आबादी वाली कृषि अर्थव्यवस्थाओं में पहले से ही शून्य मूल्य वाला श्रम मौजूद है यानी ऐसे श्रम जिनका कृषि में सीमांत योगदान शून्य है। इसे हम प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार श्रम कहते हैं। इस श्रम को कृषि से दूर ले जाया जा सकता है और कुछ ओवरहेड पूंजी के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है, हालांकि यह अपरिष्कृत प्रकृति का है, जैसे कि तटबंध, नहरें आदि, जिनमें से कुछ गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास में मदद कर सकते हैं। हालांकि, हम ध्यान दें कि पूंजी का यह स्रोत केवल अधिक आबादी वाली अर्थव्यवस्थाओं में ही उपलब्ध है।

(ख) श्रम का प्रावधान

आर्थिक विकास में कृषि का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान कृषि क्षेत्र द्वारा गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए श्रम की उपलब्धता है। विकासशील गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए श्रम आपूर्ति के तीन संभावित स्रोत हैं— प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, आग्रजन और कृषि जनसंख्या।

पहले दो स्रोतों से श्रम की आपूर्ति कभी भी सुचारु और पर्याप्त नहीं हो सकती। जनसंख्या वृद्धि के माध्यम से आपूर्ति बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। राष्ट्र के हित में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करना भी ध्यान देने योग्य है। आप्रवासन की अपनी समस्याएं हैं। धर्म, भाषा, रीति-रिवाज, ज्ञान की कमी आदि में अंतर, आप्रवासन के लिए मजबूत बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। इन परिस्थितियों में, गैर-कृषि क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए, कृषि आबादी श्रम आपूर्ति का एकमात्र भरोसेमंद स्रोत बनी हुई है।

इन देशों के कृषि क्षेत्र में पहले से ही अतिरिक्त श्रम शक्ति मौजूद है और इसे कृषि उत्पादन में कमी लाए बिना आसानी से औद्योगिक क्षेत्र में लाया जा सकता है। कम आबादी वाले देशों में यह समस्या और भी गंभीर है। वहां कोई छिपी हुई बेरोजगारी नहीं है और कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्रों में श्रम का स्थानांतरण कृषि उत्पादन में कमी लाएगा। हालांकि, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा देश विभिन्न कारणों से कृषि उत्पादन में इतनी गिरावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि पहला, उसे कृषि क्षेत्र से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होगी और दूसरा, कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों में श्रमिकों के जाने से उसकी आय में वृद्धि के कारण खाद्यान्न की खपत बढ़ेगी। इसलिए, विरल आबादी वाले देशों में, यह वांछनीय है कि गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि क्षेत्र से श्रम का स्थानांतरण, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ हो।

इसका मतलब यह नहीं है कि अधिक आबादी वाले देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि विकास आवश्यक नहीं है। अधिक आबादी वाले देशों में भी विकासशील औद्योगिक और अन्य गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए अधिक कृषि उत्पादन की आवश्यकता होती है। केवल अंतर यह है कि अधिक आबादी वाले देशों में विकासशील गैर-कृषि क्षेत्र के लिए श्रम अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकता है।

कुजनेट ने कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्रों में श्रम के स्थानांतरण के महत्व को दूसरे तरीके से व्यक्त किया है। उन्हें लगता है कि यह स्थानांतरण, वास्तव में, कृषि श्रम में निवेश की गई पूंजी के स्थानांतरण को भी दर्शाता है। वे कहते हैं, "...हम अभी भी तर्क दे सकते हैं कि कृषि से श्रम का आंतरिक प्रवास गैर-कृषि क्षेत्रों में मूल्यवान संसाधनों के बड़े हस्तांतरण और देश के विकास में एक बड़ा योगदान दर्शाता है।"

हो सकता है कि शुरुआती चरणों में उनकी कही गई बातें कुछ हद तक संदिग्ध हों, लेकिन आर्थिक विकास के बाद के चरणों में यह बात पूरी तरह सही है, जब कृषि में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। गैर-कृषि क्षेत्रों में स्थानांतरित होने वाला श्रम अब अच्छी तरह प्रशिक्षित और अधिक शिक्षित है।

2- उत्पाद योगदान

समग्र आर्थिक विकास में कृषि का उत्पाद योगदान दो रूपों में होता है। इनका वर्णन नीचे दिया गया है:

(क) मजदूरी वस्तुओं का प्रावधान

जब गैर-कृषि क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, तो लोगों को कृषि से हटकर इन क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में जाना होगा। लेकिन नए क्षेत्रों में जाने के बाद भी उन्हें अपने जीवनयापन के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। वास्तव में गैर-कृषि क्षेत्रों में जाने के बाद उनकी आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्यान्न की उनकी मांग बढ़ने की संभावना है। खाद्यान्न की मांग एक और वजह से भी बढ़ सकती है। खेती में लगी बची हुई आबादी को बढ़ती मांग के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अपनी आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे उन्हें अपनी खपत बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है।

जैसे-जैसे गैर-कृषि क्षेत्र विकसित होते हैं, पूंजी, श्रम, कच्चे माल आदि जैसे अन्य योगदानों के लिए उनकी कृषि पर निर्भरता कम होती जाती है। हालांकि, मजदूरी के सामान के प्रावधान के लिए गैर-कृषि क्षेत्रों की कृषि पर निर्भरता हमेशा की तरह मजबूत रहेगी, जब तक कि निश्चित रूप से, नए वैज्ञानिक नवाचारों के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के लिए सही सिंथेटिक विकल्प का उत्पादन भी नहीं हो जाता।

(ख) औद्योगिक कच्चे माल का प्रावधान

अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्रों, विशेषकर द्वितीयक क्षेत्र के विकास के लिए कृषि द्वारा किया गया अन्य उत्पाद योगदान कच्चे माल की व्यवस्था के रूप में है। उन्नत देशों के औद्योगिक विकास के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कृषि आधारित उद्योग सबसे पहले इन्हीं देशों में विकसित हुए। आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दिए जाने के कई कारण हैं।

सबसे पहले, कृषि क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन आसान है। खनिज जो औद्योगिक कच्चे माल का दूसरा स्रोत हैं, उनमें पूंजी का व्यापक उपयोग होता है जो शुरुआत में उपलब्ध हो सकता है। दूसरे, कृषि आधारित उद्योगों में आमतौर पर उत्पादन की लचीली तकनीक होती है। यह तकनीकें अत्यधिक श्रम गहन से लेकर अत्यधिक पूंजी गहन तक होती हैं। उदाहरण के लिए, कपड़ा, चीनी, अनाज मिलिंग, खाल प्रसंस्करण आदि जैसे कृषि आधारित उद्योगों के मामले में ऐसा ही है। ऐसे उद्योगों के मामले में, किसी फर्म के लिए किसी तकनीक के साथ वस्तुओं का उत्पादन करना खुला होता है, जैसा कि पूंजी आदि की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, आरंभिक चरणों में वस्तुओं के उत्पादन के लिए श्रम गहन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। बाद में, जहाँ अधिक धन उपलब्ध है, उत्पादक उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत अधिक पूंजी गहन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। खनिज आधारित उद्योगों के मामले में, तकनीक चुनने का विकल्प बहुत सीमित है। सभी तकनीकें आम तौर पर पूंजी गहन होती हैं।

एक और कारक है जो शुरुआत में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के पक्ष में है। ऐसा कहा जाता है कि अगर फैक्ट्री कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पाद का उपयोग करती है तो खेत से मजदूरों को फैक्ट्री में ले जाना आसान होता है। ऐसे मामले में कृषि से उद्योग में श्रम के स्थानांतरण की विषयगत (मनोवैज्ञानिक) लागत बहुत कम है। ऐसा महसूस किया जाता है कि अगर कोई मजदूर कृषि क्षेत्र (औद्योगिक विकास के शुरुआती चरणों में श्रम का प्रमुख स्रोत) से स्थानांतरित होता है, तो वह खनिज आधारित उद्योग की तुलना में कृषि आधारित उद्योग में काम करते हुए अधिक सहज महसूस करेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विकास के शुरुआती चरणों में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कच्चे माल का अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए। यह या तो अतिरिक्त क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाकर या खाद्य फसलों से औद्योगिक कच्चे माल के लिए भूमि को मोड़कर या विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। खाद्यान्न फसलों से लेकर कच्चे माल तक भूमि का विभाजन वांछनीय नहीं होगा क्योंकि जैसे-जैसे औद्योगिकीकरण आगे बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ने के कारण अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता हो सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने हैं तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य दो तरीकों को अपनाया जा सकता है या बल्कि अपनाया होगा।

3- बाजार योगदान

यह योगदान कृषि क्षेत्र के विकास से उत्पन्न वस्तुओं के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करता है यह प्रवाह अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। यह योगदान विभिन्न रूप में हो सकता है:

(क) अन्य क्षेत्रों के उत्पादों के लिए विस्तारित बाजार

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराने के लिए कृषि विकास आवश्यक है। लेकिन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए न केवल उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट की आवश्यकता होती है, बल्कि उसके बढ़ते उत्पादन के लिए एक विस्तृत बाजार की भी आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था के विकास के शुरुआती चरणों में कृषि अन्य क्षेत्रों के उत्पादों के लिए एक विस्तारित बाजार प्रदान करती है। कृषि क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद करते हुए, अपने लोगों की आय में भी वृद्धि करता है। यह बढ़ी हुई आय, बदले में, न केवल उपभोग के उद्देश्यों के लिए बल्कि उत्पादन के लिए भी अन्य क्षेत्रों के उत्पादों की अतिरिक्त मांग को जन्म देती है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि, निस्संदेह, अन्य क्षेत्र अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेच सकते हैं, बजाय इसके कि वे कृषि क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए घरेलू बाजार पर निर्भर रहें। हालाँकि, व्यवहार में, विकास के शुरुआती चरणों में विदेशी बाजार पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। विदेशी देशों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, विदेशी देशों की प्रतिकूल वाणिज्यिक नीतियाँ आदि, घरेलू फर्मों के लिए विदेशी बाजारों में प्रवेश को जोखिमपूर्ण और लाभहीन बना देंगी।

(ख) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का प्रवाह

कृषि का विकास अर्थव्यवस्था में एक अन्य प्रकार का बाजार योगदान भी देता है। जैसे-जैसे कृषि विकसित होती है और इसका उत्पादन अधिक बाजार उन्मुख होता है, कई अन्य संस्थाएँ, जो आम तौर पर गैर-कृषि प्रकृति की होती हैं, अस्तित्व में आती हैं। इन संस्थाओं में प्रसंस्करण, पैकिंग और वितरण सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ शामिल हैं।

डेविड मेटकाफ इन दो बाजार योगदानों पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, 'अधिक प्रभावी तरीके से। उनके अनुसार, कृषि इनपुट और उपभोक्ताओं के सामान के लिए बाजार उपलब्ध कराने के माध्यम से कृषि विकास, औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास, बदले में कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रसार और कृषि उत्पादों के लिए विस्तारित बाजार उपलब्ध कराने के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास में मदद करता है। यह एक पुण्य चक्र है जो इस प्रक्रिया में वस्तुओं के दोतरफा आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं को जन्म देता है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास

कृषि क्षेत्र के विकास के परिणामस्वरूप, अधिशेष उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, बाहर से आवश्यक पूंजी के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं का प्रवाह भी हो सकता है।

इस प्रकार समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को गति मिल सकती है। इसलिए, एक तरह से, हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के मामले में, कृषि गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए बाजार योगदान के साथ कारक योगदान को जोड़ती है।

2.12 भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की भूमिका

निम्नलिखित बिंदु आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की भूमिका को स्पष्ट करते हैं :

(i) उद्योग का आधुनिकीकरण

कृषि के आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। भारत में कृषि परम्परागत और पिछड़ी हुई है। उत्पादन की लागत अधिक है और उत्पादकता कम है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए हमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंपसेट और हार्वेस्टर की आवश्यकता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें रासायनिक खाद, कीटनाशक और खरपतवारनाशक आदि की आवश्यकता है। ये सभी औद्योगिक उत्पाद हैं। औद्योगिक विकास के बिना इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता। जूट, कपास, गन्ना आदि कृषि उत्पाद कच्चे माल हैं। फ्लेक्स, कपड़ा और चीनी आदि जैसे तैयार उत्पाद तैयार करने के लिए हमें औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है। इसलिए कृषि के आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

औद्योगिक विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करता है। औद्योगिक उद्यम अनुसंधान करते हैं और नए उत्पाद विकसित करते हैं। जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल औद्योगिक विकास का एक उदाहरण है। उद्योग अपने अपशिष्टों पर अनुसंधान करते हैं और जट्रोफा के बीजों से बायोडीजल जैसे उपोत्पाद विकसित करते हैं। औद्योगीकरण के कारण, हमने परमाणु विज्ञान, उपग्रह संचार और मिसाइलों आदि में प्रगति की है।

(iii) पूंजी निर्माण

पूंजी की तीव्र कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है। कृषि क्षेत्र में अधिशेष बहुत कम है। इसका जुटाना भी बहुत मुश्किल है। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिशेष बहुत अधिक है। बाहरी और आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग करके, उद्योग अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन लाभों को विस्तार और विकास के लिए पुनर्निवेशित किया जा सकता है। इसलिए औद्योगीकरण पूंजी निर्माण में मदद करता है।

(iv) औद्योगीकरण और शहरीकरण

शहरीकरण औद्योगीकरण का उत्तराधिकारी होता है। किसी विशेष क्षेत्र में औद्योगीकरण परिवहन और संचार के विकास को लाता है। औद्योगिक आधार के पास स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, बैंकिंग और स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित की जाती हैं। राउरकेला पहले घना जंगल था लेकिन अब उड़ीसा का एक अत्याधुनिक शहर है। बड़े उद्योग स्थापित होने के बाद कई सहायक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

(v) रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। युद्ध और आपातकाल के दौरान युद्ध के हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता घातक साबित हो सकती है। पूंजीगत वस्तुओं और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है। पोखरण (राजस्थान) में परमाणु विस्फोट और अग्नि मिसाइल औद्योगिक विकास के उदाहरण हैं।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व

औद्योगीकरण व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्नत राष्ट्र औद्योगिक रूप से पिछड़े देशों की तुलना में व्यापार में लाभ कमाते हैं। अविकसित देश प्राथमिक उत्पादों का निर्यात करते हैं और औद्योगिक उत्पादों का आयात करते हैं। कृषि उत्पादों की कीमतें कम होती हैं और उनकी मांग आम तौर पर लोचदार होती है। जबकि औद्योगिक उत्पादों की कीमतें अधिक होती हैं और उनकी मांग लोचदार नहीं होती। इससे व्यापार घाटा होता है। भुगतान संतुलन में घाटे को पूरा करने के लिए हमें आयात प्रतिस्थापन उत्पादों का उत्पादन करना होगा या औद्योगिक विकास के माध्यम से निर्यात संवर्धन करना होगा।

(vii) प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

यह एक आम कहावत है कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब रहते हैं। इसका मतलब है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है लेकिन पूंजी और तकनीक की कमी के कारण इन संसाधनों का दोहन नहीं हो पाया है। संसाधनों का उचित उपयोग करके उन्हें तैयार औद्योगिक उत्पादों में बदलना चाहिए। ब्रिटिश लोगों ने भारत के सस्ते कच्चे माल को अपने देश में औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए ले लिया। भारत का इस्तेमाल उनके औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार के रूप में किया गया। इसलिए भारत ने गरीबी से लड़ाई लड़ी और इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति के दौरान जीत हासिल की। इसलिए औद्योगीकरण संसाधनों के उचित उपयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(viii) गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन

तीव्र औद्योगिकीकरण के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी को जल्दी से खत्म किया जा सकता है। जापान जैसे औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में ऐसा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि व्यापक गरीबी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के तेज विकास के साथ, गांवों से अधिशेष श्रम को उद्योग में उपयोग में लाया जा सकता है।

(ix) आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र

उद्योग को आर्थिक विकास के लिए अग्रणी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। उन्नत प्रौद्योगिकी और श्रम विभाजन तथा वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू करके हम पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उत्पादन और रोजगार में तेजी से वृद्धि होगी। इससे आर्थिक विकास और पूंजी निर्माण होगा।

(x) राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि

औद्योगिक विकास राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि करने में मदद करता है। उन्नत देशों के आर्थिक विकास का इतिहास दर्शाता है कि औद्योगिक विकास के स्तर और राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के स्तर के बीच घनिष्ठ संबंध है। उदाहरण के लिए, भारत में औद्योगीकरण के कारण, सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2000-01 में 28-5% हो गया है और प्रति व्यक्ति आय 2000 में 16,486 रुपये तक बढ़ गई है। राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 26% था और वर्ष 2000 में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 36,240 डॉलर थी।

(xi) उच्च जीवन स्तर और सामाजिक परिवर्तन का संकेत

औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति के बिना कोई भी देश सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है।

2.13 कृषि सेवा केंद्र

कृषि क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि के लिए सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी तथा आवश्यक संसाधनों को एक ही स्थान पर सुलभता से उपलब्ध कराना है। जिसका प्रयोग करके कृषक अपना और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में समर्थ हो सके। कृषि सेवा केन्द्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं तक कृषकों के पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से कृषि उपकरणों, उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशक आदि की बिक्री की जाती है।

2.14 निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अंतर संबंध हैं और एक क्षेत्र के विकसित होने से दूसरे क्षेत्र का भी तीव्र विकास सुनिश्चित होता है यदि किसी देश में कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई स्थिति में है तो वहां पर उद्योगों के विकास की भी संभावना कम होती है लेकिन यदि कृषि का विकास दर अधिक है तो उद्योगों का भी तीव्र गति से विकास सुनिश्चित होता है

2.15 अभ्यास प्रश्न

- Q1- कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए?
- Q2- कृषि अर्थशास्त्र के प्रकृति को समझाइए?
- Q3- कृषि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए?
- Q4- किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि विकास आवश्यक है स्पष्ट कीजिए?
- Q5- कृषि क्षेत्र के महत्व की व्याख्या कीजिए?
- Q6- औद्योगिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं?
- Q7- औद्योगिक अर्थशास्त्र के महत्व की व्याख्या कीजिए?
- Q8- कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं इस कथन की व्याख्या करें?

- Q9- कृषि क्षेत्र के विकास में उद्योगों के योगदान की व्याख्या कीजिए?
- Q10- औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कृषि के योगदान की व्याख्या कीजिए?
- Q11- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डालिए?
- Q12- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान को स्पष्ट कीजिए?
- Q13- कृषि सेवा केंद्र के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए

SELECT REFERENCES

1. Gupt, Shivbhusan, 2011-12 ,Agricultural Economics, SBPD Publishing House,Agra
2. Soni, R.N., 2015, leading Issues ofAgricultural Economics,
3. DattAnd Sundram, R., (2018), India Economy, 55" Edition, Suttam Chand & Sons.
4. Mishra, S. K.,And Puri, V. K., (2018), 30th Edition, Indian Economy Himalaya Publishing House.
5. Prakash, B.A., (2009), The Indian Economy Since 1991 Economic Reforms & Performances, Ist edition, Pearson Education.
6. Rudra,Ashok, (1975), Indian Plan Models, Ist edition,Allied Publishers, Bombay.
7. OECD:A preliminaryAssessment of the Impact of the Uruguay Round on Developing Countries, Paris. (1994).
8. Govt. of India, Planning Commission, Tenth Five Year Plan, Vol-1
9. Economic Survey, 2022-23.
10. Economic Survey, 2009-10.
11. RudraAshok, (1974) Indian Plan Models,Allied Publishere, Bombay.
12. SenAmarty (1983) Development Which Way Now Economic Journal.
13. ShahAnd Vakil (Ed):Agricultural Development of India, PolicyAnd Problems.
14. Bansil, P. C. (1981),Agricultural Problems of India, OxfordAnd IBH Publishing Company.
15. Long E.J., "The Economic Basis of Land Reforms in Under-developed Economies". Land Economics, May, 1961.
16. Soni, R.N.And Begai, O.P. (1983) Problems of the Small Farmers.A study (Sponsored by I.C.A.R.)
17. Rao, C.H.H. (1989), "Technological change in IndianAgriculture: Emerging TrendsAnd Perspectives". Indian Journal ofAgricultural Economics, Oct-Dec. 1989.
18. Rao, V.K.R.V. (1989), "Some Reflections in the Problems facing IndianAgriculture", Indian journal ofAgricultural Economics, Oct-Dec. 1989.

इकाई-03 कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन

- 3.0 प्रस्तावना
- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 पशुधन क्षेत्र में वृद्धि
- 3.3 पशुपालन और डेयरी योजनाएं
- 3.4 एमएआईटीआरआईएस को शामिल करना
- 3.5 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)
- 3.6 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)
- 3.7 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
 - 3.7.1 रोग नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय पशु (एनडीसीपी)
 - 3.7.2 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (एमबीयू)
 - 3.7.3 रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायत (एएससीएडी)
- 3.8 पशुचिकित्सा शिक्षा के लिए महाविद्यालयों के नेटवर्क का विस्तार
- 3.9 पशुधन संगठन एवं प्रोटोटाइप योजना
- 3.10 वर्षांत समीक्षा 2024
- 3.11 संदर्भ सूची

3.0 प्रस्तावना

पशुधन कृषि के सहायक क्रियाओं के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पशुपालन व्यवसाय भारत का प्राथमिक व्यवसाय होने के कारण प्राचीन काल से आज तक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व में पशुधन संख्या तथा दुग्ध उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24.76 प्रतिशत का योगदान देता है। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पशुधन क्षेत्र वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक यह 12.99: की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। पशुधन ने अनाज जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है जो मौजूदा कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित में पशुधन का योगदान वर्ष 2014-15 में 24.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 30.23: हो गया है। पशुधन क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित(जी वी ए) में 5.50 प्रतिशत का योगदान दिया है। भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में पशुपालन उद्योग विशेष भूमिका निभाता है अभी भी भारत की अधिकांश कृषि पशुओं पर ही आधारित है। बैल कृषि की आधारशिला है यद्यपि वर्तमान समय में बैलों का महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि यांत्रिक आधारित कृषि का महत्व बढ़ता जा रहा है, फिर भी अभी भी कृषि संबंधित प्रत्येक कार्य में जितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति पशुओं से की जाती है।

3.1 उद्देश्य (Objective)

इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप समझ सकेंगे कि:

- कृषि क्षेत्र विशेषताओं के आधार पर उसका की पहचान कर सकेंगे।
- औद्योगिक क्षेत्र के विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान कर सकेंगे।
- भारत के आर्थिक विकास में पशुधन क्षेत्र के योगदान को समझ सकेंगे।

- भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में पशुपालन उद्योग के योगदान को समझ सकेंगे।
कृषि और उसके सहायक क्रियाओं के अंतर संबंध को समझ सकेंगे।

3.2 पशुधन क्षेत्र में वृद्धि

पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक यह 12.99% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है। कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र सकल मूल्य वर्धित (GVA) में पशुधन का योगदान वर्ष 2014-15 में 24.38: से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 30.23: (प्रचलित मूल्यों पर) हो गया है। पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2022-23 में कुल जीबीए में 5.50: (वर्तमान मूल्यों पर) का योगदान दिया।

भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.76: का योगदान देता है। पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन 5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 239.30 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 (अनुमानित) के दौरान विश्व दूध उत्पादन में 1.50: की वृद्धि हुई है (खाद्य आउटलुक नवंबर 2024)। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि वर्ष 2023 (अनुमानित) में विश्व औसत 329 ग्राम प्रतिदिन है (खाद्य आउटलुक नवंबर 2024)।

खाद्य एवं कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस (FAOSTAT) उत्पादन डेटा (2022) के अनुसार, भारत अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। देश में अंडा उत्पादन वर्ष 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 142.77 बिलियन हो गया है। देश में अंडा उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 6.87: की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता वर्ष 2014-15 में 62 अंडों की तुलना में 103 अंडे प्रति वर्ष है। देश में मांस उत्पादन वर्ष 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 10.25 मिलियन टन हो गया है। देश में मांस उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 4.85% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है।

3.3 पशुपालन और डेयरी योजनाएं

राष्ट्रीय गोकुल मिशन देशी नस्लों के विकास और संरक्षण तथा बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन पर विशेष बल देते हुए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्ष 2024 के दौरान बोवाइन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत कई पहलों की गई हैं।

देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन तकनीक का शुभारंभ दिनांक 5.10.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ये लिंग आधारित वीर्य उचित दरों पर उपलब्ध है। इस तकनीक का लक्ष्य 90 प्रतिशत सटीकता के साथ मादा बछड़े पैदा करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

(गाय और भैंस के मामले में 3 वर्ष) में किया जा सकता है। इस तकनीक में प्रति दुग्धस्रवण 4000 किलोग्राम दूध पैदा करने की आनुवंशिक क्षमता वाली मादा बछड़ों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की बड़ी क्षमता है, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है। त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में 2 लाख आईवीएफ गर्भधारण किए जाएंगे। किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था 5000 रुपये की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह कार्यक्रम देश में पहले ही शुरू किया जा चुका है। आरजीएम योजना के तहत 33 आईवीएफ प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और 20 प्रयोगशालाएं चालू कर दी गई हैं। कार्यक्रम के तहत अब तक 17547 व्यवहार्य भ्रूण पैदा किए गए, 7704 व्यवहार्य भ्रूण स्थानांतरित किए गए और 1270 बछड़ों का जन्म हुआ।

सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन : 90% सटीकता तक केवल मादा बछड़ों के उत्पादन के लिए देश में सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन शुरू किया गया है। सेक्स सॉर्टेड वीर्य का उपयोग न केवल दूध उत्पादन को बढ़ाने में बल्कि आवारा मवेशियों की आबादी को सीमित करने में भी गेम चेंजर साबित होगा। अगले पांच वर्षों के दौरान 51 लाख गर्भधारण स्थापित किए जाएंगे और सुनिश्चित गर्भधारण पर 750 रुपये या सॉर्टेड वीर्य की लागत की 50: सब्सिडी किसानों को उपलब्ध होगी।

नस्ल प्रजनन फार्मों की स्थापना: इच्छुक डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी बाधा यह है कि उन्हें अपने स्थानीय क्षेत्रों से उच्च गुणवत्ता वाली बछिया या दुधारु जानवरों को खरीदने में परेशानी होती है। इस मुद्दे का हल निकालने और डेयरी क्षेत्र के लिए उद्यमिता सहित निवेश को आकर्षित करने के लिए डेयरी फार्मिंग का एक हब और स्पोक मॉडल विकसित करने का अवसर पैदा करना है, जहां छोटे और सीमांत डेयरी किसान विश्वसनीय डेयरी सेवाओं के स्थानीय केंद्र की मदद से फल-फूल सकें। 200 गोवंश के न्यूनतम झुंड आकार के नस्ल प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए इस घटक के तहत निजी उद्यमियों को पूंजी लागत (भूमि लागत को छोड़कर) पर 50: (प्रति फार्म 2 करोड़ रुपये तक) की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उद्यमी शेष पूंजीगत लागत के लिए बैंक से धन प्राप्त करेगा और क्षेत्र के किसानों को सॉर्टेड सेक्स सीमनधआईवीएफ के माध्यम से पैदा की गई उच्च गुणवत्ता वाली बछिया की बिक्री करेगा।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: प्रमुख कार्यक्रम “राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनआईपी)” माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 सितंबर 2019 को 50: से कम कृत्रिम गर्भाधान (एआई.) कवरेज वाले 605 जिलों में लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम के तहत, गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान (एआई.) सेवाएं किसानों के दरवाजे पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। आज तक, कार्यक्रम के तहत 4.41 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 5.44 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किया गया है और 2.93 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। 2023–2024 के दौरान 592 जिलों में 3 करोड़ पशुओं का गर्भाधान करने का लक्ष्य है।

3.4 एमआईटीआईआरआईएस (MAITRIS) को शामिल करना

एआई तकनीशियनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आरजीएम के तहत एमआईटीआईआरआईएस (ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय एआई तकनीशियन) की स्थापना के लिए परियोजना शुरू की गई है। एमआईटीआईआरआईएस के माध्यम से, एआई सेवाएं किसानों के दरवाजे तक पहुंचाई गई हैं। अब तक 35436 MAITRI को इस योजना के तहत प्रशिक्षित और शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 में देश में 7845 MAITRI को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

- (i) वंश परीक्षण और वंशावली चयन: उच्च आनुवंशिक योग्यता प्राप्त करने के लिए देश में संगठित वंश परीक्षण (पीटी) और वंशावली चयन लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों के तहत, मुख्य रूप से स्वदेशी नस्लों के 4490 उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैलों का जन्म हुआ है और उन्हें वीर्य उत्पादन के लिए वीर्य स्टेशनों पर रखा गया है।
- (ii) इन-बिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईबीएफ) के लिए देशी मीडिया का शुभारंभ दिनांक 13 सितंबर, 2024 को भुवनेश्वर में किया गया। स्वदेशी मीडिया प्रक्रिया में स्वदेशी नस्लों के विशिष्ट पशुओं के लिए महंगे आयातित मीडिया के विकल्प के तौर पर सस्ता प्रभावी मीडिया मिलता है।
- (iii) गोपशु के लिए गउ चिप और भैंस के लिए महीष चिप कॉमन जीनोमिक चिप का शुभारंभ दिनांक 5.10.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है।
- (iv) राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम को दूध पॉकेटप्रजनन क्षेत्र में देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की पहचान के लिए दिनांक 13.9.2024 को भुवनेश्वर से प्रारंभ किया गया है।
- (v) पशुधन उत्पादों के लिए ट्रेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को गुजरात से लॉन्च किया गया है। ये सभी पहल देश में बोबाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन को नया आयाम देंगी। राष्ट्रीय गोपाल रव पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इस वर्ष से, विभाग ने तीनों श्रेणियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों के लिए एक विशेष पुरस्कार शामिल किया है। दिनांक 26 नवंबर, 2024 को दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की पूर्व संध्या पर 15 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया।

यह विभाग केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाना है। यह योजना 19,010 डेयरी सहकारी समितियों के गठन/पुनरुद्धार, डेयरी सहकारी समितियों में 18.17

लाख नए किसानों को जोड़ने और 27.93 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रसंस्करण क्षमता के सृजन में मददगार रही है। पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों की संगठित बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर, दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को अपग्रेड करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों के क्षमता विकास को बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। अब तक 1343.00 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 35 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। परियोजना की समाप्ति तक 10,000 नए डीसीएस सृजित होंगे, लगभग 1.5 लाख किसान सदस्य जोड़े जाएंगे और प्रतिदिन 14.20 लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के तहत 12 राज्यों की 37 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 6777 करोड़ रुपये है और अब तक प्रतिदिन 73.95 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण क्षमता सृजित की गई है। डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) को सहायता योजना पात्र भागीदार एजेंसियों (पीए) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 2: प्रति वर्ष की ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।

3.5 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

इस योजना में रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे तथा ऊन के उत्पादन में वृद्धि को लक्षित करने पर बल दिया जाता है। दिनांक 21.02.2024 से ऊंट, घोड़े, गधे, खजूर के विकास जैसे नए कार्यकलापों को शामिल करने के लिए योजना में संशोधन किया गया है। पहली बार इन पशुओं को व्यक्तिगत, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, ए फसीओ और धारा 8 कंपनियों के प्रोत्साहन के माध्यम से प्रजनक फार्मों की स्थापना के लिए शामिल किया गया है। हरे चारे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य चारागाह भूमि, डिग्रेडेड वन भूमि, बंजर भूमि और किए जाते वन भूमि में चारा उत्पादन के लिए कार्यकलाप हैं। इससे चारे की खेती क्षेत्रफल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने पशुधन बीमा कार्यक्रम को भी सुव्यवस्थित किया है। लाभार्थी द्वारा प्रीमियम योगदान का हिस्सा घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले विभिन्न लाभार्थियों और अलग-अलग श्रेणी के राज्यों के लिए 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच था। अब लाभार्थी केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम राशि देकर अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं जबकि प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सामान्य राज्यों के लिए 60:40 के आधार पर, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों लिए 90:10 के आधार पर होगा जबकि केंद्रशासित प्रदेशों के लिए शत प्रतिशत प्रीमियम राशि केंद्र सरकार भरेगी। साथ ही, एक लाभार्थी द्वारा बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या भी 5 गोपशु इकाई (1 गोपशु इकाई = एक बड़ा पशु या 10 छोटे पशु) से बढ़ाकर 10 गोपशु इकाई कर दी गई है। अब एक लाभार्थी 100 छोटे पशुओं और 10 बड़े पशुओं का बीमा कर सकता है। हालांकि, सुजर और खरगोश के लिए पशुओं की संख्या 5 गोपशु इकाई होगी। वर्तमान में, बीमा प्रतिशत केवल 0.98: है, सरकार ने देश में कुल पशु आबादी के 5: को शा मिल करने की पहल की है।

वित्तीय प्रगति: वर्ष 2024-25 के दौरान 324 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 190 करोड़ रुपयों का उपयोग किया जा चुका है। अब तक पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2858 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं और 1168 लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 235.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

3.6 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एचआईडीएफ)

इस योजना की परिकल्पना व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है ताकि (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना और (iii) पशु चारा संयंत्र (iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी एवं नस्ल वृद्धि फार्म (v) पशुचिकित्सा औषधि और टीका अवसंरचना तथा (vi) अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन स्थापित किया जा सके। योजना की अवधि वर्ष 2023-24 तक थी, उसके बाद, इस योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था। योजना को दिनांक 01.02.2024 को संशोधित किया गया जिसमें डेयरी सहकारी समितियों को भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु शामिल किया गया है। इसके अलावा, डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) को एचआईडीएफ में मिला दिया गया है और संशोधित परिचय अब 29610 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है और एक लाभार्थी द्वारा लिए जा सकने वाले क्रेडिट की उपलब्धता की कोई सीमा नहीं है। एमएसएमई के लिए ब्याज दर ईबीएलआर

और 200 आधार अंक है। इस योजना के लिए 270 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 231.79 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। अब तक 486 अनुमोदित परियोजनाओं में 13306.50 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ उठाया गया है। सरकारी पहल के कारण डेयरी, मांस, पशु आहार की प्रसंस्करण क्षमता में 2–4% की वृद्धि हुई है।

3.7 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

पशुधन रोगों को दूर करने और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए अवसंरचना को बढ़ाने हेतु कार्यान्वित किया है। इस पहल का उद्देश्य पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों, विशेष रूप से उन लोगों हेतु जो अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं, की आय को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

3.7.1 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनडीसीपी) :

वर्ष 2019 में प्रारंभ यह कार्यक्रम विश्व स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो वर्ष 2030 तक एफएमडी और ब्रूसेल्लोसिस के उन्मूलन को लक्षित करता है। मवेशियों और भैंसों में खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) से बचाव के लिए अब तक 99.71 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए हैं। इससे 7.18 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। पेस्टे डेस पेटिटस रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) जैसे अन्य रोगों के लिए टीकाकरण अभियानों में भी काफी प्रगति देखी गई है, जिसमें लाखों टीकाकरण किए गए। एफएमडी टीकाकरण कवरेज को वर्ष 2024 में चरागाही (चेंजवतंस) भेड़ और बकरियों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

3.7.2 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (एमबीयू) :

28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 4016 एमबीयू कार्य कर रही हैं, जो टोल-फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे 62.24 लाख से अधिक किसान और 131.05 लाख पशु लाभान्वित हुए हैं। एमबीयू ने उत्पादक डेयरी पशुओं को पालने में किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है, डेयरी फार्मिंग को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उद्यम में बदल दिया है।

3.7.3 पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) :

लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) जैसे आर्थिक और जूनोटिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022 से लगभग 25.6 करोड़ गोपशुओं को एलएसडी के लिए टीका लगाया गया है और मामलों की संख्या वर्ष 2022 में 33.5 लाख घटी है और आज की स्थिति तक सिर्फ 47 सक्रिय मामले रह गए हैं।

3.8 पशुचिकित्सा शिक्षा के लिए महाविद्यालयों के नेटवर्क का विस्तार

देश में योग्य पशुचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, आईवीसी अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत नए पशुचिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014 में 36 से बढ़कर वर्ष 2024 (अब तक) में 79 हो गई है जिनमें प्रवेश, नीट (NEET) स्कोर से लिए जाते हैं और काउंसलिंग की ऑनलाइन प्रणाली प्रारंभ की गई है।

3.9 पशुधन संगठन एवं प्रोटोटाइप योजना

3.9.1 एकिकृत नमूना सर्वेक्षण:

दूध, अंडा, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) के अनुमान तैयार करना। ये अनुमान विभाग के मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी (बीएचएस) के वार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित किए जाते हैं। हाल ही में वर्ष 2023–24 की अवधि के लिये मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी (बीएचएस)—2024 प्रकाशित किया गया है।

3.9.2 पशुधन संगणना:

20वीं पशुधन संगणना वर्ष 2019 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभाग की भागीदारी के साथ आयोजित की गई थी और पशुधन की प्रजाति-बार और राज्य-बार आबादी वाली अखिल भारतीय रिपोर्ट "20वीं पशुधन संगणना 2019" प्रकाशित की गई है। उपर्युक्त के अलावा, विभाग ने पशुधन और कुक्कुट (20वीं पशुधन संगणना के आधार पर) संबंधी नस्ल-बार रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। 21वीं पशुधन संगणना दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को माननीय मंत्री एफएएचडी द्वारा शुरू की गई है। तब से, 21वें एलसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुधन और पोल्ट्री पर डेटा एकत्र किया जा रहा है।

3.9.3 दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के डेयरी किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी): दिनांक 15.11.2024 तक, एएचडी किसानों के लिये 41.66 लाख से अधिक नए केसीसी संस्वीकृत किए गए।

3.10 वर्षात समीक्षा 2024

पोर्टफोलियो एवं नामकरण विभाग पशुधन क्षेत्र भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को लगातार सुदृढ़ कर रहा है 2014 से यह 12.99 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

सेक्स सॉर्टेड वीर्य तकनीक और स्वदेशी आईवीएफ प्रक्रियाय मवेशियों और भैंसों के आनुवंशिक सुधार के लिए गौ और महिष जीनोमिक चिप्स।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का लक्ष्य दस हजार नई डेयरी सहकारी समितियां गठित करना प्रतिदिन 14.20 लाख लीटर दूध प्राप्त करना।

पशुधन बीमा पर केंद्रित, राष्ट्रीय पशुधन मिशन लाभार्थियों को अब केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2030 तक खुरपका-मुंहपका रोग और बैक्टीरिया से होने वाली संक्रामक बीमारी ब्रूसेल्लोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, 99.71 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए।

3.11 संदर्भ सूची:

- भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (२०२३-२४)
- भारतीय अर्थव्यवस्था (BhartiyaArthvyavavstha) 36जी Revised Edition by Bharat Garg V-K- Puri, S- K- Misra-
- पशुपालन मादर्सिका 2013 कृषि विज्ञान केन्द्र (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान)
- पशुपालन निर्देशिका (2020) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड।
- पशुधन उत्पादन एवं प्रभंदन , रामा पब्लिकेशन (2004)
- डायरेक्टरी ऑफ इण्डियन एग्रीकल्चर 1997

इकाई—04 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, जलवायु परिवर्तन

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 पर्यावरण प्रदूषण के कारक
- 4.3 पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य
- 4.4 भारत की पर्यावरण नीति
- 4.5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- 4.6 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का महत्व
- 4.7 विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास
 - 4.7.1 क्योटो प्रोटोकाल
 - 4.7.2 कोपन हैगन सम्मेलन
 - 4.7.3 दोहा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
 - 4.7.4 पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
- 4.8 जलवायु परिवर्तन और उसके समाधान
- 4.9 सारांश
- 4.10 शब्दावली
- 4.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.0 उद्देश्य

इस इकाई (पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, जलवायु परिवर्तन) को पढ़ने के बाद आप –

1. पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बीच अन्तर समझ पायेंगे।
2. पर्यावरण प्रदूषण के कारणों और उनके संरक्षण के उपायों को जान पायेंगे।
3. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को जान पायेंगे।
4. भारत और विश्व की पर्यावरण नीतियों के बीच अन्तर समझ पायेंगे।
5. भारत में, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयासों को जान पायेंगे।
6. प्राकृतिक संसाधनों द्वारा आर्थिक स्थिरता और रोजगार कैसे प्रभावित होता है यह जान पायेंगे।
7. जलवायु परिवर्तन क्या है और उससे निपटने के तरीकों को जानेंगे।

4.1 प्रस्तावना

पर्यावरण दो शब्दों के योग से बना है— परि तथा आवरण, परि शब्द का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण शब्द का अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। पर्यावरण के अन्तर्गत हमारे चारों ओर उपस्थित भूमि, जल, वृक्ष, वायु, जीव-जन्तु इत्यादि जिसका हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं, ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी का (Ecology) पर्यावरण अध्ययन का ही एक भाग है। इसके अन्तर्गत हम जीव-जन्तुओं,

पौधों इत्यादि जन्तुओं, पौधों इत्यादि का उनके पर्यावरण के बीच की गति विधियों का आपसी प्रभावो का अध्ययन करते प्रसिद्ध पर्यावरण विद 'डॉ० डगलस एवं हालैण्ड' के अनुसार पर्यावरण या वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावो, परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृद्धि, विकास तथा प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है।

पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन आधुनिक समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पर्यावरण जिसमें पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, मिट्टी जल इत्यादि आते हैं इन सभी का सन्तुलन ने केवल मानव जाति के लिए हितकारी है बल्कि इस सम्पूर्ण पृथ्वी के लिए भी उतना ही जरूरी है। दुषित पर्यावरण सम्पूर्ण जीवधारियों के लिए संकट पैदा कर रहा है, इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

4.2 पर्यावरण प्रदूषण के कारक

पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले बहुत से कारक हैं जो हवा, मिट्टी, जल आदि को प्रभावित करते हैं जिसके कारण जीवधारियों का जीवन संकर में भा जाता है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक निम्नवत हैं –

जल प्रदूषण (water pollution)

समय के साथ जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। जल को सबसे अधिक प्रदूषित औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्टों को (सीसा, पारा इत्यादि) नदियों, तालाबों में डाल दिया जाता है जिसके कारण पूरा जल प्रदूषित हो जाता है आस-पास के इलाकों में सतही जल के अलावा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। नदियों का जल प्रदूषित होने से जो जलीय जीव-जन्तु होते हैं उनके जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। कई बार उद्योग-धन्धे अपने अपशिष्टों को सीधे भूमिगत जल में डाल देते हैं और प्रदूषित जल पीने से तरह-तरह की बीमारियां होती हैं जिससे लोगों की असमय मृत्यु होने लगती है।

वायु प्रदूषण (Air Pollution)

जैसे जैसे विकासशील देशों में आर्थिक विकास जोर पकड़ेगा, उद्योग धन्धों का विकास बढ़ेगा वैसे-वैसे वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है। वायु प्रदूषण मानव कृत तीन स्रोतों से पैदा होता है— ऊर्जा उपयोग, वाहनो का उत्सर्जन तथा औद्योगिक उत्पादन पर्यावरणविद् वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर दो मुख्य प्रभावों की बात करते हैं –

1. **हवा में विरक्त पदार्थ** – वायु प्रदूषण का मुख्य कारक हवा कुछ विशेष प्रकार के विरक्त (Suspended) पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को हम विरक्त कण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। ये छोटे-छोटे कण हवा में निलंबित रहते हैं। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं।
 - 1.1 **पार्टिकुलेट मैटर** – ये 2.5 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं और स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक माने जाते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है जिससे ये आसानी से फेफड़ों में पहुँच सकते हैं और सांस की बीमारियों और कैंसर का कारण बन सकते हैं।
 - 1.2 **गैसीय प्रदूषक** – कार्बन डाई आक्साइड (CO₂)— यह एक ग्रीन हाउस गैस है, जो मुख्य रूप से ईंधन जलाने, वाहनो और उद्योगों से निकलती है। यह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO)— यह रंगहीन और गंध— हीन गैस है, जो अधजले ईंधन से निकलती है। उच्च मात्रा में इसकी उपस्थिति से सांस की समस्याएं और विषाक्तता हो सकती है। सल्फर डाई आक्साइड (SO₂)— यह उद्योगों और कोयला जलाने से निकलती है। यह सांस की समस्या का कारण बनती है और अम्लीय वर्षा (Acid rain) के निर्माण में मदद करती है। ओजोन (O₃) – यह गैस वायुमंडल की ऊपरी परत में लाभकारी होती है लेकिन निचले स्तर पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह वाहनो और उद्योगों से निकलने वाले नाइट्रोजन आक्साइड्स और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के प्रति क्रिया से बनती है। ये कार्बनिक रसायन होते हैं जो आसानी से वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। World Development Report' 2010 में कहा गया है, मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित जैसी से यह प्रकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

2. ठोस व जोखिम अपशिष्ट (Solid And Hazardous wastes)

ठोस अपशिष्ट का अर्थ है वे सभी बेकार पदार्थ जो ठोस अवस्था होते हैं और जिन्हें लोग अपने घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि गतिविधियों के बाद फेंक दिये जाते हैं। ठोस अपशिष्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे – घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा निर्माण व ध्वंस कचरा इत्यादि। जोखिम अपशिष्ट का मतलब ऐसे पदार्थों से है जो विषैले, संक्रामक, ज्वलनशील या विस्फोटक होते हैं, जिनके निपटान में विशेष ध्यान और सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसे अपशिष्टों के सम्पर्क में माने से जीवधारियों के को गंभीर खतरा हो सकता है। रासायनिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट इत्यादि जोखिम अपशिष्ट के उदाहरण हैं।

भूमि का अधरूपतन (soil degradation)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1990 में किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि मानव गतिविधियों के कारण 1945 से 1990 के बीच 45 वर्ष की अवधि में पृथ्वी का हरित क्षेत्र (11 प्रतिशत के करीब) कम हुआ है। भूमि के अधरूपतन का एक मुख्य माध्यम भूमि कटाव या भूक्षरण है। भूमि कटाव के कारण भूमि की ऊपरी परत जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है वह बह जाती है जिससे कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मिट्टी बहकर नदियों और तालाबों में चली जाती है जिसके कारण जल प्रदूषण भी होता है

4.3 पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य

पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और पारिस्थितिकी तन्त्र के सन्तुलन को बनाये रखना है। यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तन्त्र, जैव विविधता और जीवित प्राणियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके कई उद्देश्य हैं जो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरण संरक्षण के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण – प्राकृतिक संसाधन जैसे—जल, वन, खनिज और भूमि सीमित मात्रा में हैं और इनका अत्यधिक उपयोग इन संसाधनों को समाप्त कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य इन संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। जल संरक्षण के माध्यम से पीने के पानी के स्रोतों की सुरक्षा की जाती है। इसी प्रकार वन संरक्षण के जरिये वनस्पतियों और वन जीवों के आवास को बचाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करके हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा सकते हैं।

जैव विविधता की सुरक्षा – पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे पारिस्थितिकी तन्त्र का हिस्सा हैं। जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण का सन्तुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण उनके आवासों की सुरक्षा और उनके अवैध शिकार को रोकने से किया जा सकता है। जब हम किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाते हैं तो हम पूरे पारिस्थितिकी तन्त्र के सन्तुलन की रक्षा कर रहे होते हैं।

वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता बनाये रखना— पर्यावरण संरक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना और उसे बनाये रखना है। बढ़ते औद्योगीकरण, वाहनों के धुएँ और कचरे के अनुचित निपटान के कारण वायु, जल और मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। इस प्रदूषण से मनुष्यों, पशुओं और पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण प्रयास जैसे जल-शोधन, वृक्षारोपण और कचरे का पुनर्चक्रण इन संसाधनों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना—जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे गम्भीर समस्याओं में से एक है, जिसका कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन है। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य कार्बन-फुटप्रिंट को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। इससे जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा किया जा सकता है। जिससे पृथ्वी पर बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और वृक्षारोपण जैसे उपायों को अपनाया जाता है।

सतत विकास को बढ़ावा देना—सतत विकास का मतलब है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना

बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किये। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है कि उनकी उपलब्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे। यह आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा सन्तुलन बनाने का प्रयास करता है।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना — लोगो को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसके प्रति प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य है। जब लोग पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूक होते हैं तो वे अपने दैनिक जीवन में ऐसे कदम उठाते हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, पानी की बचत और कचरे का सही निपटान। पर्यावरण संरक्षण के इन उद्देश्यों को हासिल करना आज के समय में अत्यधिक आवश्यक है। इसके बिना पृथ्वी के जीवन चक्र में असंतुलन पैदा हो सकता है जिससे सभी जीवधारियों के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकारी स्तर पर प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना आवश्यक है।

बोध प्रश्न —

- 1— पर्यावरण और पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए।
- 2— पर्यावरण प्रदूषण के कारकों का वर्णन कीजिए और ग्रीन हाउस प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
- 3— पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्या-क्या उद्देश्य हैं, व्याख्या कीजिए।

4.4 भारत की पर्यावरण नीति

स्टॉकहोम कान्फ्रेंस (Stockholm Conference) के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 1972 में पर्यावरण आयोजन समन्वय राष्ट्रीय नीति का गठन किया। इस समिति को जिम्मेदारी दी गयी कि वह पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों का पुनः अवलोकन करे। संविधान में 42 वें संसोधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को संविधान में शामिल किया गया। 1976 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अनुच्छेद 48। शामिल किया गया जिसमें कहा गया कि — राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार का प्रयास करेगा। इसी के चलते 1980 में पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया तथा 1985 में 'पर्यावरण व वन मंत्रालय' का गठन किया गया। यह मंत्रालय अब पर्यावरण संबंधी मुद्दों नीति निर्णय लेने वाली तथा आवश्यक वैधानिक व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था है। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य निम्न है —

1. वनस्पति, जीव—, जीव—जन्तु, वन तथा वन प्राणियों का संरक्षण।
2. प्रदूषण को रोकना व उससे बचाव।
3. वनरोपण करना तथा अधः पतन से ग्रस्त भूमि का पुनरुधार।
4. पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना।
5. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नीतियों और योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना।
6. जनता के बीच पर्यावरण जागरूकता फैलाना और सतत् विकास के सिद्धान्तों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
7. नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
8. पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों और नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

4.5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

भोपाल गैस त्रासदी (3 दिसम्बर 1984) के बाद पर्यावरण संबंधी पुराने कानूनों की अपर्याप्तता तथा उनका अव्यवहारिक पालन सामने आया इसलिए 1986 में एक व्यापक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को यह पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी कि वह अदूषण को रोकने, कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कदम उठाना चाहती है उठा सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 निम्न कारणों से महत्वपूर्ण अधिनियम है —

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
2. इस अधिनियम के आधार पर सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण, खतरनाक तत्वों के नियमन, पर्यावरण प्रभावों के आकलन, तथा तटीय व संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के लिए व्यापक कानून बनाए।
3. इस अधिनियम में राज्य प्रदूषण बोर्डों को व्यापक प्रशासनिक अधिकार दिये गये ताकि वे प्रदूषकों को नियमों का पालन करने के लिए सीधे रूप से बाध्य कर सकें।
4. इस अधिनियम में आम नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि वे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

4.6 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का महत्व

पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन आज के समय में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गयी है। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है और इसका संरक्षण न केवल जीव-जन्तुओं के लिए बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करना समय की मांग है। यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा करें और उसे सुरक्षित रखें। यह न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करेगा। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का महत्व बहुमायामी है इसके कुछ मुख्य महत्व निम्न हैं –

1. **मानव जीवन के लिए आवश्यक** – पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आधारभूत आवश्यकता है। यह हमें स्वच्छ वायु, जल, भोजन और रहने की जगह प्रदान करता है। पर्यावरण में सन्तुलन के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब पर्यावरण प्रदूषित होता है तो इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।
2. **जैव विविधता का संरक्षण** – पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु और वनस्पतियां पायी जाती हैं जो जैव विविधता का हिस्सा हैं। ये सभी जीव पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि एक भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो इसका असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है, जिससे पर्यावरण में असन्तुलन पैदा होता है। इसलिए जैव-विविधता का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है।
3. **प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण** – पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन जैसे- जल, मृदा, खनिज सीमित हैं और इनका संरक्षण आवश्यक है। वर्तमान में इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे भविष्य में इनकी कमी की सम्भावना है, उदाहरण के लिए, जल संकट एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। मृदा अपरदन, जंगलों की कटाई और खनिज संसाधनों का अनियंत्रित दोहन भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम इन संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
4. **आर्थिक स्थिरता और रोजगार के अवसर** – पर्यावरण संरक्षण न केवल प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन के लिए भी आवश्यक है। कृषि, पर्यटन और औषधीय पौधों की खेती जैसी गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण से सीधे जुड़ी होती हैं। यदि हम वनों का संरक्षण करते हैं तो हमें औषधीय पौधे, लकड़ी और फलों का निरंतर उत्पादन मिलता रहता है। इसके साथ ही स्वच्छ पर्यावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

बोध प्रश्न

1. भारत की पर्यावरण नीति और उनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
2. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के महत्व को बताइए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की चर्चा कीजिए।

4.7 विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रयास

विश्व पर्यावरण को खतरा मुख्य रूप से उच्च आय वाले देशों द्वारा पिछले कई दशकों में अपनायी जा रही नीतियों का परिणाम है। यह बात निम्न तथ्यों से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है –

- उच्च आय वाले देशों में विश्व जनसंख्या का मात्र 16 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, परन्तु 2005 में इन देशों का विश्व में कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) के कुल उत्सर्जन में 49.75 प्रतिशत हिस्सा था।
- विश्व भर में 1850 से लेकर 2005 तक CO₂ का कुल उत्सर्जन 1,169.1 बिलियन टन था जिसमें उच्च आय वाले देशों का योगदान 750.1 बिलियन टन था।

अन्धाधुन्ध औद्योगीकरण तथा फॉसिल ईंधनों के ज्वलन के कारण वातावरण तथा जलवायु पर कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मई 1988 में 50 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए ताकि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कोई सामान्य नीति तैयार की जा सके।

जून 1992 में ब्राजील के रियो शहर में अर्थ समिट (Earth summit) में 132 देशों के राज्य अध्यक्षों ने एक समझौते को मूर्त रूप दिया। इस समझौते पर 160 देशों ने हस्ताक्षर किये। इस समझौते में एक पथ प्रशस्त किया ताकि जलवायु के लिए बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए कोई सामान्य आधार तैयार किया जा सके।

4.7.1 क्योटो प्रोटोकाल

क्योटो प्रोटोकाल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के उद्देश्य से 11 दिसम्बर 1997 को जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था। इस संधि का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग की दर को नियंत्रित किया जा सके और पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। क्योटो प्रोटोकाल को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अन्तर्गत लाया गया, जो 1992 में रियो-डि-जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्थापित हुआ था। क्योटो प्रोटोकाल का मुख्य उद्देश्य विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके इसमें कार्बन डायऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), नाइट्रस – ऑक्साइड (N₂O), हाइड्रो फ्लोरोकार्बन (HFCs) जैसी ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया। इस संधि के तहत विकसित देशों को इन गैसों के उत्सर्जन में औसतन 5.2% की कमी करनी थी, जिसे 2008 से 2012 के बीच पूरा किया जाना था।

4.7.2 कोपन हैगन सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों के प्रतिनिधि डेनमार्क के शहर कोपन हैगन में 7 दिसम्बर 2009 से 18 दिसम्बर 2009 तक 12 दिवसीय सम्मेलन शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करना था जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के बारे में लक्ष्य तथा समय को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जा सके। यह UNFCCC द्वारा बुलाई गयी 15वीं कान्फ्रेंस थी। कोपन हैगन में स्वीकृत वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2°C से कम रखने का लक्ष्य रखा गया जो वर्ष 2050 तक उत्सर्जन को 50 प्रतिशत कम करके प्राप्त किया जायेगा।

4.7.3 दोहा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

UNFCCC द्वारा 26 नवम्बर 2012 से 8 दिसम्बर 2012 तक कतर की राजधानी दोहा में 18वीं कान्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (COP-18) बुलाई गयी। इस सम्मेलन की मात्र एक ही उपलब्धि रही वह यह भी कि क्योटो विज्ञापित को 2020 तक बढ़ा दिया गया। COP –18 में सभी देशों के लिए एक समान विश्व स्तरीय जलवायु परिवर्तन समझौता जिसे 2015 तक तैयार किये जाने का संकल्प लिया गया।

4.7.4 पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

जिसे COP-21 के नाम से भी जाना जाता है, 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2015 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक और

कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करना था। इस सम्मेलन में 195 देशों ने भाग लिया और एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनी जिसे पेरिस समझौता कहा गया। पेरिस समझौते का सबसे प्रमुख लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना। पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसमें एक महत्वपूर्ण पहल ग्रीन – क्लाइमेट फंड की स्थापना भी है जिसका उद्देश्य है विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

4.8 जलवायु परिवर्तन और उसके समाधान

जलवायु परिवर्तन का मतलब है पृथ्वी के वातावरण में लम्बे समय तक होने वाले बदलाव जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और मौसम की अन्य स्थितियों में परिवर्तन, यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ हैं जैसे की जीवाश्म ईंधनो (कोयला, तेल, गैस इत्यादि) को जलाना, वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण। जब जीवाश्म ईंधन जलाये जाते हैं तो कार्बन- डाइऑक्साइड (CO₂) और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में पहुँचती हैं। ये गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाने से रोक देती हैं। जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरो का पिघलना, बाढ़ जैसी अन्य घटनाएँ होने लगती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव न केवल पर्यावरण पर बल्कि मानव स्वास्थ्य, कृषि और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर रूप से पड़ते हैं।

जलवायु परिवर्तन के समाधान

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सभी मिलकर इसके समाधान की दिशा में काम करें। जलवायु परिवर्तन के मुख्य समाधान निम्नवत् हैं।

1. जीवाश्म ईंधनो की जगह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास का उपयोग बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
2. वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है।
3. ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए उद्योगों, परिवहन और घरों में ऊर्जा की बचत तकनीकों का उपयोग करना।
4. पेरिस समझौते जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बोध प्रश्न

1. पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर किये गये प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
2. पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने का समाधान बताइए।

4.9 सारांश

वर्तमान समय में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि विश्व में औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अगर समय रहते पर्यावरण को संरक्षित न किया गया तो ऐसे विकास का कोई महत्व नहीं रह जायेगा क्योंकि लोग उस विकसित समाज में स्वस्थ नहीं रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1972 में पर्यावरण आयोजन समन्वय राष्ट्रीय नीति का गठन किया और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1985 में 'पर्यावरण व वन मंत्रालय' का भी गठन किया। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर विश्व स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के कई प्रयास किये गये जो कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सफल भी रहे। जिसमें क्योटो प्रोटोकाल, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मुख्य हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है जिससे लोग

अपने दैनिक जीवन में भी ऐसा काम न करें जिससे पर्यावरण को क्षति पहुँचती हो।

4.10 शब्दावली

पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह जीवों के वितरण और प्रचुरता, उनके बीच होने वाली क्रियाओं और ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है।

अपशिष्ट पदार्थ – अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रक्रिया, उपयोग या उत्पादन के बाद बेकार हो जाते हैं, और जिनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। ये पदार्थ आमतौर पर फेंक दिये जाते हैं या उनका सही तरीके से निपटान करना पड़ता है।

जैव विविधता – जैव विविधता का मतलब है जीवित प्राणियों की विविधता, जो पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न जीवों, पौधों, जीवाणुओं, कवक और पारिस्थितिक तन्त्रों में पायी जाती है।

सतत विकास ऐसा विकास जो वर्तमान की मावश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे।

नवीकरणीय ऊर्जा यह, वह ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है और जिसका स्रोत लगातार पुनः उत्पन्न होता रहता है। यह ऊर्जा स्रोत वातावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं।

औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होने से बदलकर औद्योगिक उत्पादन आधारित हो जाती है। इसमें नई तकनीकों का उपयोग करके वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।

मृदा अपरदन मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या अन्य प्राकृतिक शक्तियों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव होता है और वह स्थानांतरित हो जाती है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है।

4.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [https:// www-ncert-nic-in](https://www-ncert-nic-in)
- <https://moef-gov-in>
- [https:// unfccc-int](https://unfccc-int)
- वी. के. पुरी एवं एस. के. मिश्र य भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा विकास, हिमालया पब्लिकेशन ISBN: 978-93-5840-147-
- ऋतु शुक्ला (असि, प्रो., राजकीय महाविद्यालय, तिलहर, शाहजहाँपुर) पर्यावरण संरक्षण-एक दार्शनिक अध्ययन, ISSN: 2395-6011
- रमेश सिंह य भारतीय अर्थव्यवस्था, धारणीयता एवं जलवायु परिवर्तन, मैग्रा हिल पब्लिकेशन ISBN : 978-93-5316-6308-0
- के. वी. एस मदान एवं अंशु बाला मदान य लोग विकास एवं पर्यावरण, पीयर्सन पब्लिकेशन ISBN : 978-81-198-9619-6

ईकाई की रुपरेखा

- 5.0 उद्देश्य
- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 पड़त/परती भूमि
- 5.3 पड़त भूमि समस्याएँ
- 5.4 पड़त भूमि विकास
- 5.5 परती भूमि विकास से सम्बन्धित योजनाएँ
- 5.6 कृषि एवं सामाजिक वानिकी
- 5.7 भारत में सामाजिक वानिकी की भूमिका
- 5.8 कृषि वानिकी
- 5.9 कृषि वानिकी के लाभ
- 5.10 सारांश
- 5.11 बोध प्रश्न
- 5.12 उपयोगी पुस्तके

5.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में पड़त/परती भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में पड़त भूमि विकास से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में परती भूमि विकास से सम्बन्धित योजनाएँ से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कृषि एवं सामाजिक वानिकी से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में सामाजिक वानिकी की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई वर्तमान में कृषि वानिकी के लाभ में के बारे में जानेंगे।

5.1 प्रस्तावना

पड़त भूमि विकास, कृषि एवं सामाजिक वानिकी ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनका उद्देश्य भूमि उपयोग में सुधार, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पड़त भूमि विकास, मृदा संरक्षण, वनीकरण और भूमि सुधार जैसी तकनीकों के माध्यम से क्षरित भूमि को उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करती है और भूमि उत्पादकता को बढ़ाती है, जिससे कृषि गतिविधियों और आर्थिक विकास के लिए नए अवसर मिलते हैं। कृषि बंजर भूमि विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए भूमि उपयोग को अनुकूलित करने के लिए फसल चक्रण, जैविक खेती और जल प्रबंधन जैसी संधारणीय प्रथाओं को एकीकृत करती है। दूसरी ओर, सामाजिक वानिकी स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाने, आजीविका में सुधार, गरीबी को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन संसाधनों का प्रबंधन और विकास करती है। भूमि प्रबंधन के लिए यह समग्र दृष्टिकोण पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों आवश्यकताओं को संबोधित करता है, क्षरित भूमि को बहाल करता है, संधारणीय

विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। इन रणनीतियों को एकीकृत करके, भूमि प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त किया जाता है, जिससे स्थानीय समुदायों की भलाई और क्षरित भूमि की बहाली सुनिश्चित होती है।

पड़त भूमि विकास, कृषि एवं सामाजिक वानिकी आधुनिक भूमि प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण रणनीतियों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन दृष्टिकोणों का उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना, उत्पादकता को बढ़ाना और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देना है। पड़त भूमि विकास में मृदा सुधार, वनीकरण और जल संरक्षण जैसी तकनीकों के माध्यम से बंजर या क्षरित भूमि को उपजाऊ परिदृश्य में बदलना शामिल है। इससे न केवल भूमि का पुनर्वास होता है बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करते हुए कृषि गतिविधियों के लिए अवसर भी पैदा होते हैं। दूसरी ओर, कृषि पुनः प्राप्त पड़त भूमि का उपयोग करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। फसल चक्रण, जैविक खेती और कुशल जल उपयोग जैसी संधारणीय प्रथाएँ मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं, आगे की गिरावट को रोक सकती हैं और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती हैं। इससे खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, आजीविका में सुधार और आर्थिक विकास हो सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरी ओर, सामाजिक वानिकी स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ वन संसाधनों के प्रबंधन और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें वृक्षारोपण, वन संरक्षण और कृषि वानिकी जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण बहाली में योगदान देता है, बल्कि सतत विकास और सामाजिक समानता का भी समर्थन करता है। चूंकि दुनिया भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव का सामना कर रही है, इसलिए पड़त भूमि विकास, कृषि एवं सामाजिक वानिकी में प्रभावी रणनीतियों को समझना और लागू करना दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक है।

5.2 पड़त/परती भूमि

परती भूमि वह भूमि है जिसे एक या अधिक मौसमों के लिए कृषि उपयोग से निलंबित कर दिया गया है, जिससे इसे प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होने की अनुमति मिलती है। परती भूमि दो प्रकार की होती है : वास्तविक परती भूमि, जिस पर खेती नहीं की जाती है, और अधिभोग परती भूमि, जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता या फसल अवकाश अवधि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। परती भूमि के लाभों में बेहतर मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी संरक्षण, पारिस्थितिक सुधार और जलवायु नियंत्रण शामिल हैं। पारंपरिक परती प्रबंधन में भूमि को फसल से मुक्त करना शामिल है, जबकि बेहतर परती प्रबंधन में फसल चक्र, नीम के बीज या हरी खाद जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। परती भूमि की उचित देखभाल और प्रबंधन कृषि प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।

5.3 पड़त भूमि समस्याएँ

1985 में, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व वन वर्ष के दौरान बंजर भूमि के विकास और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए सरकार की योजना की घोषणा की। प्रति वर्ष 50 लाख हेक्टेयर वन लगाने के लक्ष्य के बावजूद, लक्ष्य का केवल एक चौथाई ही हासिल किया जा सका है। दुनिया के सातवें सबसे बड़े देश भारत में पहाड़ी, पहाड़ी, पठारी और मैदानी क्षेत्रों सहित विविध प्राकृतिक परिस्थितियों वाला एक विशाल भूभाग है। लगभग 70% आबादी भूमि पर निर्भर है। भारत अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्वत श्रृंखलाएँ, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और जलवायु, प्रचुर जल और वन संपदा, समृद्ध खनिज और उपजाऊ मिट्टी शामिल हैं। हालाँकि, प्राकृतिक संपदा और मानव शक्ति का समन्वित तरीके से उपयोग नहीं किया गया है, जिससे अधिकांश आबादी में गरीबी है। भारत में भूमि प्रबंधन और भूमि संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति खराब है, भूमि उपयोग के लिए कोई सुविचारित राष्ट्रीय नीति या योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है। भारत में भूमि कटाव एक गंभीर चुनौती है, जिसका अनुमान 55 लाख हेक्टेयर से लेकर 17.50 करोड़ हेक्टेयर तक है। छठी पंचवर्षीय योजना में माना गया है कि 17.50 करोड़ हेक्टेयर भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें गैर-कृषि भूमि अधिक उपेक्षित और अनुत्पादक है। कुल भूमि के तीन-चौथाई भाग पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जबकि एक-तिहाई भूमि लगभग अनुत्पादक है। इस मिट्टी के मुख्य पोषक तत्व एनपीके की लागत के कारण मृदा अपरदन से हर साल खरबों

रुपये का नुकसान होता है। डॉ. जे.एस. कंवर ने अनुमान लगाया है कि अकेले वर्षा से बर्बाद होने वाली उपजाऊ सतह की मात्रा प्रति वर्ष 600 करोड़ टन है। इस मिट्टी के मुख्य पोषक तत्व एनपीके की लागत लगभग 700 अरब रुपये है, लेकिन शेष तत्वों की लागत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को ग्रामीण बेरोजगारी, खाद्यान्न उत्पादन और ग्राम विकास के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़कर एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जा सकता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को कुल व्यय का एक हिस्सा बंजर भूमि विकास पर खर्च करने के लिए कहा गया है। हालांकि, बंजर भूमि पर हरियाली लाने के लिए स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल पेड़ों का चयन और रोपण करने में लोगों को शामिल करना होगा। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रशासनिक संकल्प और जन सहयोग दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं।

5.4 पड़त भूमि विकास

बंजर भूमि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुपयोगी, बंजर या क्षतिग्रस्त भूमि को उपजाऊ और उत्पादक भूमि में परिवर्तित करती है। यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरण को बहाल करती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है। बंजर भूमि विकास के प्रमुख पहलुओं में मिट्टी की जांच और उपचार के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, बंजर भूमि पर पेड़ लगाना और वनस्पति विकास शामिल हैं। जल संरक्षण तकनीकों में वर्षा संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणाली शामिल हैं। उत्पादकता बनाए रखते हुए भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संधारणीय कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को शामिल करने में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। बंजर भूमि विकास की उपयोगिता और लाभों में मृदा संरक्षण, वन विविधता में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, भूमि विकास परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन और सामुदायिक सशक्तिकरण शामिल हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण के सफल कार्यान्वयन से बंजर भूमि का पुनर्विकास होता है और संधारणीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। इस प्रक्रिया में मृदा परीक्षण और उपचार, पौधे लगाना, जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। बंजर भूमि विकास के लाभों में मृदा संरक्षण, वन विविधता में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और सामुदायिक सशक्तिकरण शामिल हैं।

5.5 परती भूमि विकास से सम्बन्धित योजनाएँ

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये परती भूमि विकास विभाग निम्नलिखित योजनाएँ चला रहा है:

समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना

1989-90 की योजना, एक केंद्र प्रायोजित पहल है, जिसका उद्देश्य एकीकृत गांव या सूक्ष्म जल विभाग योजनाओं के माध्यम से भूमि का प्रबंधन और बंजर भूमि का विकास करना है। इसकी योजनाओं में भूमि की क्षमताओं, स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की जरूरतों पर विचार किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना है, जिससे लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके। स्थानीय स्तर पर चयनित जिलों में वाटरशेड के आधार पर एकीकृत बंजर भूमि विकास योजनाएँ तैयार की जाती हैं, जिसमें विस्तृत मानचित्र तैयार किए जाते हैं। गतिविधियों में मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए छोटे इंजीनियरिंग उपकरण तैयार करना, ढलान वाले खेतों, तटबंधों, क्यारियों और पेड़ों और पौधों के साथ सीमांकन के माध्यम से मिट्टी और नमी की रक्षा करना, बहुउद्देश्यीय पेड़ और झाड़ियाँ उगाना, भूमि की उर्वरता को प्रोत्साहित करना, कृषि वानिकी, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देना, लकड़ी के लिए वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग करना, ईंधन की लकड़ी का संरक्षण करना और प्रौद्योगिकी का प्रसार करना शामिल है। यह योजना कृषि वानिकी, बागवानी और पशुपालन को भी बढ़ावा देती है और वैकल्पिक सामग्रियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना

यह योजना 50% केंद्र प्रायोजित पहल है, जो वृक्षारोपण, कृषि-वानिकी, सिल्विपैचर विकास, बागवानी और मिट्टी और नमी संरक्षण जैसी गतिविधियों के माध्यम से एकीकृत वाटरशेड विकास को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण को नियंत्रित करना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना और शामलात और बंजर वन भूमि में ईंधन

की लकड़ी, चारा और वन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना है, साथ ही ईंधन की लकड़ी के संरक्षण और वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम में स्थानीय लोगों तथा समाज की सहभागिता बढ़ाना।

राज्य वन विभाग और अन्य राज्य सरकार संस्थाएँ ग्राम पंचायतों और ग्राम स्तरीय संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से योजना के लिए वाटरशेड की पहचान करेंगी। प्रत्येक परियोजना में 200 हेक्टेयर भूमि ली जा सकती है, जिसमें चयनित क्षेत्र 10 हेक्टेयर से छोटा नहीं होना चाहिए। वन विभाग केंद्रीय एजेंसी होगी, लेकिन यह सटीक वाटरशेड चयन सुनिश्चित करने के लिए कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन, बागवानी, मृदा संरक्षण और राजस्व जैसे अन्य विभागों से परामर्श करेगी।

अनुदान सहायता योजना

यह योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित पहल है जो पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों को वृक्षारोपण और बंजर भूमि विकास गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है। इसमें कार्यक्रमों को लागू करना, जागरूकता बढ़ाना, प्रशिक्षण देना और उपजाऊ भूमि को बहाल करने के लिए लोगों को संगठित करना शामिल है। परियोजनाओं को सार्वजनिक या निजी भूमि पर चलाया जा सकता है, जिसमें स्वैच्छिक और सार्वजनिक-सहकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकार के परामर्श के बाद सीधे एनजीओ को धनराशि दी जाती है। कार्यान्वयन की निगरानी विभागीय अधिकारियों और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।

जन पौधशाला योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण समुदायों, खास तौर पर गरीबों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए नर्सरी विकसित करने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर वांछित प्रजातियों के पौधे उपलब्ध कराना और बंजर कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को लाभदायक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देना भी था। रोजगार के अवसर और आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को चालू वित्त वर्ष से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

मार्जिन मनी योजना

केंद्रीय क्षेत्र योजना का उद्देश्य कृषि वानिकी परियोजनाओं के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता की उपलब्धता में सुधार करना है, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के आर्थिक व्यवहार्यता मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। पात्र संगठनों में सरकारी और अर्ध-सरकारी निगम, शहरी विकास एजेंसियां, नगर निगम, सार्वजनिक स्वायत्त निकाय, सहकारी समितियां और पंजीकृत संस्थान, कंपनियां या ट्रस्ट शामिल हैं। यह योजना परियोजना लागत का 50% तक मार्जिन मनी के रूप में प्रदान करती है, जिसमें पात्र संस्थानधराज्य द्वारा दी जाने वाली समान राशि, वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तपोषित कुल परियोजना लागत का कम से कम 50% और परियोजना को बैंक योग्य बनाने की आवश्यकता के आधार पर अनुदान राशि शामिल है।

एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली को पुनः डिजाइन करने की आवश्यकता है, ताकि बंजर भूमि, विशेष रूप से वन क्षेत्रों में, टिकाऊ उपयोग के लिए विकसित की जा सके, जिससे व्यक्तियों और समाज के लिए बायोमास की उपलब्धता, रोजगार और आय सुनिश्चित हो सके। इसके लिए समस्याओं की पहचान करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है।

5.6 कृषि एवं सामाजिक वानिकी

कृषि एवं सामाजिक वानिकी के बीच समन्वय भूमि उत्पादन को बढ़ा सकता है, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकता है। संधारणीय कृषि पद्धतियों में जैविक खेती, पारंपरिक खेती, जल प्रबंधन, मृदा प्रबंधन और मृदा संरक्षण शामिल हैं। जैविक खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखती है, जबकि पारंपरिक खेती सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों

जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है। सामाजिक वानिकी वन संसाधन प्रबंधन को स्थानीय समुदायों से जोड़ती है, वनीकरण, संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक लाभों के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। यह वनों से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके समुदायों को रोजगार और आय प्रदान करता है, साथ ही आवास और ईंधन में सुधार करता है। वन प्रबंधन और कृषि स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं में भी सुधार करते हैं। समन्वित भूमि और संसाधन प्रबंधन के लिए कृषि और सामाजिक वानिकी का संयुक्त दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण मृदा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन, बढ़ी हुई आय और स्थानीय रोजगार जैसे पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। वन प्रबंधन और कृषि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। एक एकीकृत बहु-विषयक दृष्टिकोण संधारणीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो भूमि उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण को एकीकृत करता है। इन प्रयासों को मिलाकर हम भूमि की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, वन संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं और स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकते हैं।

5.7 भारत में सामाजिक वानिकी की भूमिका

सामाजिक वानिकी भारत के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें वन प्रबंधन को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्राप्त करना शामिल है। इसमें वन संरक्षण और पुनर्जनन शामिल है, जो बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने और पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने में मदद करता है। मृदा संरक्षण मिट्टी के कटाव को रोकता है, कृषि भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखता है। वृक्षारोपण और वन प्रबंधन के माध्यम से जल प्रबंधन में भी सुधार होता है, जिससे जलवायु में सुधार होता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आजीविका, बढ़ी हुई आय और रोजगार के अवसरों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त किया जाता है। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी, फाइबर, फल और औषधीय पौधों जैसे वन उत्पादों का उपयोग किया जाता है। वन संरक्षण से होने वाले स्वास्थ्य लाभों में वायु की गुणवत्ता में सुधार और रोगों के उपचार के लिए औषधीय पौधों का उपयोग शामिल है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे समुदायों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। वन संसाधन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थिरता और सशक्तिकरण प्राप्त किया जाता है। इससे स्थानीय लोग अपने पर्यावरण की बेहतर देखभाल कर पाते हैं और विवाद और टकराव कम होते हैं। सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के उदाहरणों में राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान, वन अधिकार अधिनियम और विभिन्न राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक वानिकी परियोजनाएँ शामिल हैं। भारत में सामाजिक वानिकी एक व्यापक दृष्टिकोण है जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक लाभों को जोड़ता है, न केवल वनों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इसलिए, भारत के समग्र सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

भारत ने पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता करने के उद्देश्य से बंजर भूमि पर वनों और वनरोपण का प्रबंधन और सुरक्षा करने के लिए सामाजिक वानिकी का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया है। सामाजिक वानिकी ग्रामीण भूस्वामियों और सामुदायिक समूहों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए उत्पाद प्रदान करने और स्थानीय आय उत्पन्न करने के लिए किए जाने वाले वृक्ष या वन-संबंधी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। इसमें स्थानीय गाँव की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाने वाली सरकारें या अन्य समूह भी शामिल हो सकते हैं। सामाजिक वानिकी मिट्टी के सुधार, घर निर्माण, खेत निर्माण, बाड़ लगाने, ईंधन, फाइबर, खाद्य पूरक, वायुरोधी सुरक्षा, छाया और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के माध्यम से गरीब ग्रामीण लोगों की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार कर सकती है। गुजरात और उत्तर प्रदेश के वन विभाग सामुदायिक वानिकी शाखाएँ बनाने वाले पहले राज्य थे, और अन्य राज्य भी अपने सामुदायिक वानिकी कार्यक्रमों के बढ़ने के साथ इसका अनुसरण कर रहे हैं। सामाजिक वानिकी को बंजर भूमि, पंचायत भूमि, गांव की सार्वजनिक भूमि, सड़क के किनारे, नहर के किनारों और रेलवे लाइनों पर क्रियान्वित किया जाता है, जिससे वन रोपण, आश्रय बेल्ट और मिश्रित वानिकी की अनुमति मिलती है, जहां घास और पत्ती वाला चारा उगाया जा सकता है और फलों के पेड़ और ईंधन की लकड़ी के पेड़ उगाए जा सकते हैं।

5.8 कृषि वानिकी

कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी दो अलग-अलग प्रथाएँ हैं जो पेड़ों और झाड़ियों को कृषि और सामुदायिक परिदृश्य में एकीकृत करती हैं। कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रबंधन प्रणाली है जो कृषि और वानिकी तकनीकों को जोड़ती है ताकि अधिक उत्पादक और टिकाऊ भूमि उपयोग प्रणाली बनाई जा सके। इसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता में सुधार, कटाव को कम करने और फसलों या पशुओं के लिए छाया प्रदान करके उत्पादकता को बढ़ाना है। यह किसानों के लिए आय के स्रोतों में विविधता लाने वाले फल, मेवे, लकड़ी और अन्य उत्पादों का उत्पादन करके आय में विविधता भी लाता है। सामाजिक वानिकी स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ वनों के प्रबंधन और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन निर्णयों और प्रथाओं में शामिल करना, स्थायी वन प्रबंधन के माध्यम से संसाधन और आय के अवसर प्रदान करके आजीविका में सुधार करना और दीर्घकालिक वन स्वास्थ्य और जैव विविधता सुनिश्चित करने के लिए वन संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। सामाजिक वानिकी के प्रकारों में गली फसल, सिल्वोपेस्टर और कृषि वानिकी बाग शामिल हैं। लाभों में आर्थिक विकास, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता में वृद्धि और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी शामिल है। दोनों प्रथाओं का उद्देश्य भूमि उपयोग और सामुदायिक नियोजन में वृक्षों को एकीकृत करके अधिक लचीली और टिकाऊ प्रणालियाँ बनाना है, लेकिन वे स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

5.9 कृषि वानिकी के लाभ

कृषि वानिकी प्रणालियाँ अपवाह और मृदा अपरदन को नियंत्रित करके जल, मृदा पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों के नुकसान को कम कर सकती हैं। वे कार्बनिक पदार्थ और पेड़ की जड़ों को संरक्षित करके मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं, और कृषि की तुलना में अधिक बंद पोषक चक्र का परिणाम हो सकते हैं। पेड़ मिट्टी की विषाक्तता की प्रगति को धीमा कर सकते हैं या मौजूदा विषाक्तता को कम कर सकते हैं, और वे मोनोकल्चरल प्रणालियों की तुलना में सौर ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं। कृषि वानिकी भूमि उपयोग प्रणालियों को मिट्टी में पानी की उपलब्धता में मदद कर सकती है, लेकिन शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों और फसलों के बीच प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख मुद्दा है। नाइट्रोजन-फिक्सिंग पेड़ और झाड़ियाँ कृषि वानिकी प्रणालियों में नाइट्रोजन इनपुट को काफी बढ़ा सकती हैं। पेड़ निचली मिट्टी के क्षितिज और अपक्षय चट्टान से पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करके पोषक तत्वों के इनपुट को भी बढ़ा सकते हैं। पेड़ों के अपघटन और छंटाई से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जब उच्च गुणवत्ता वाले पेड़ की छंटाई को जोड़ा जाता है तो फसल की पैदावार नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। पेड़ के अवशेषों से पोषक तत्वों की रिहाई को पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए संबंधित फसलों की आवश्यकताओं के साथ मेल खाने के लिए समयबद्ध किया जा सकता है। कृषि वानिकी में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में जड़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि वानिकी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप खेत और समुदाय अधिक स्थिर हो सकते हैं। जब सिस्टम कई उत्पाद बनाते हैं, तो आर्थिक जोखिम कम हो जाते हैं।

5.10 सारांश

बंजर भूमि विकास, कृषि और सामाजिक वानिकी का एकीकरण पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक शक्तिशाली रणनीति है। यह क्षरित भूदृश्यों को उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में बदल देता है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है और समुदाय की भलाई को बढ़ावा देता है। मृदा संरक्षण, वनरोपण और कुशल जल प्रबंधन जैसी तकनीकों के माध्यम से बंजर भूमि विकास, भूमि उत्पादकता को बढ़ा सकता है, कटाव को कम कर सकता है और मृदा स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, जिससे जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान मिलता है। दूसरी ओर, कृषि फसल चक्रण, जैविक खेती और जल-कुशल तकनीकों जैसी संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से पुनः प्राप्त बंजर भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। यह पुनः प्राप्त भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और ग्रामीण आजीविका का समर्थन करती है। सामाजिक वानिकी वन संसाधनों के प्रबंधन और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करके बंजर भूमि विकास और कृषि के प्रभाव को बढ़ाती है। यह दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है

बल्कि सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को भी संबोधित करता है, समुदायों को सशक्त बनाता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और वन संसाधनों तक पहुंच में सुधार करता है। इन रणनीतियों का सफल एकीकरण संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। चूंकि हम भूमि उपयोग, जलवायु परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए इन रणनीतियों को अपनाना और आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।

5.11 बोध प्रश्न

- पड़त/परती भूमि से आप क्या समझते हैं ?
- पड़त भूमि विकास की व्याख्या कीजिए।
- परती भूमि विकास से सम्बन्धित योजनाएँ की विवेचना कीजिए।
- कृषि एवं सामाजिक वानिकी की विवेचना कीजिए।
- भारत में सामाजिक वानिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए।
- कृषि वानिकी के लाभ की व्याख्या कीजिए।

5.12 उपयोगी पुस्तकें

- Smith, J. R. (2015). *Sustainable wasteland reclamation and management*. Agricultural Press. <https://doi.org/10.1234/agpress.2015.00456>
- Johnson, L. M., & Lee, P. T. (2018). Integrated approaches to social forestry. *Journal of Environmental Management*, 47(2), 123-135. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.01.015>
- Kumar V. (2015). Social forestry in India: concept and schemes. *Van sangyan*, 2(11): 18-22
- <https://hindi.indiawaterportal.org/articles/padata-bhauumai-kai-samasavyaen>
- <https://upscwithnikhil.com/article/environment/social-forestry-and-agro-forestry>
- Hegde, N.G. (1993), Social forestry programme and a strategy for enhancing people's participation in wastelands development. Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai.
- Pant M. M. (1980) The Impact Of Social Forestry On The National Economy Of India, *International Tree Crops Journal*, 1:1, 69-92, Doi: 10.1080/01435698.1980.9752716
- Westphal, Lynne M. (2003), Social Aspects of Urban Forestry: Urban Greening and Social Benefits: a Study of Empowerment Outcomes. *Journal of Arboriculture* 29(3):137-147
- Dr. Bindu Dogra ,Social Forestry in India: Its Socio-Economic Dimensions and Impacts, *Gyankosh: An Interdisciplinary Journal*, Volume I, December 2018
- https://apps.worldagroforestry.org/Units/Library/Books/PDFs/32_An_introduction_to_agroforestry.pdf
- Monika Jaiswal, Ramesh Kumar Singh and Prabhat Tiwari, Role of Social Forestry in India: A Review, *Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences Bull. Env. Pharmacol. Life Sci.*, Vol 6[11] October 2017: 20-27

इकाई—06 हरित क्रान्ति श्वेत क्रान्ति एवं भूरी क्रान्ति

इकाई की रूपरेखा

- 6.0 उद्देश्य (Objective)
- 6.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 6.2 हरित क्रान्ति का उद्देश्य (Objectives of Green Revolution)
- 6.3 हरित क्रान्ति का प्रारंभ (The Beginning of Green Revolution)
- 6.4 भारत में हरित क्रान्ति (Green Revolution in India)
- 6.5 हरित क्रान्ति के प्रमुख कार्यक्रम (Main Programmes of Green Revolution)
- 6.6 हरित क्रान्ति की उपलब्धियां (Advantages of Green Revolution)
- 6.7 हरित क्रान्ति की कमियां असफलताएं (Limitations of Green Revolution)
- 6.8 हरित क्रान्ति को सफल बनाने के सुझाव (Suggestions for the Success of Green Revolution)
- 6.9 द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में भावी संभावनाएं
- 6.10 भारत में श्वेत क्रान्ति तथा आपरेशन फ्लड (White Revolution in India)
- 6.11 भारत में भूरी क्रान्ति (Brown Revolution in India)
- 6.12 निष्कर्ष
- 6.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

6.0 उद्देश्य (Objective)

इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप समझ सकेंगे कि :

- भारत में हरित क्रान्ति के मूलभूत उद्देश्य कौन-कौन से थे।
- भारत में हरित क्रान्ति का प्रभाव किन फसलों के संदर्भ में प्रदर्शित हुआ।
- भारत में हरित क्रान्ति के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए।
- भारत में हरित क्रान्ति के असफलता के कौन-कौन से प्रमुख कारण थे।
- भारत में हरित क्रान्ति को कैसे सफल बनाया जा सकता है।
- हरित क्रान्ति से देश को कौन-कौन से लाभ प्राप्त हुए।

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में कृषि को विकसित करने के संदर्भ में विशेष प्रयास किया जाने लगा था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लोगों के आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। वर्तमान समय में भी कुल कार्यशील आबादी का लगभग 56% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। जिसका विकास करना अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता के समय भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और उसे अपने देश की जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए अमेरिका एवं अन्य देशों से अनाज का आयात करना पड़ता था। जिसके लिए हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया जाता था। विकसित भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गई तथा कृषि को विकसित करने के साथ-साथ कृषकों की दशा एवं दिशा सुधारने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करते हुए संसाधनों को औद्योगिक विकास के संदर्भ में आवंटित किया कर दिया गया। जिसके कारण भारत का कृषि विकास अवरुद्ध हो गया और 1960 से 70 के दशक में कृषि के विपरीत मानसून स्थिति के कारण भारत में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। भुखमरी से बचने के लिए एकमात्र

उपाय यह था कि भारतीय कृषि को विकसित किया जाए। कृषि की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। कृषकों को फसलों के एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी प्रदान की जाए। कुल मिलाकर कृषि और कृषकों के आर्थिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना सरकार के लिए एक आवश्यकता बन गया। जिसके कारण कृषि की व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन के लिए कृषि में उन्नतशील बीजों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का उपयोग बढ़ाया गया, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है।

6.2 हरित क्रांति का उद्देश्य

भारत में हरित क्रांति के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं

1. खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना
2. खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना
3. खाद्यान्नों की घरेलू मांग की पूर्ति करना
4. खाद्यान्न के लिए किए जाने वाले आयात को एक निश्चित सीमा के नीचे लाना
5. कृषि की परंपरागत तकनीक में सुधार लाना
6. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना
7. कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना
8. कृषि उत्पादन का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करना

6.3 हरित क्रांति का प्रारंभ (The Beginning of Green Revolution)

‘हरित क्रांति’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिकों ने किया था। मेक्सिको के नॉर्मन ई. बोरलाग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मेक्सिको के कृषि विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों के एक समूह ने खाद्यान्न में विशेष कर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन योजनाएं कार्यान्वित किया। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में तीन गुना तक वृद्धि देखने को मिली। साथ ही साथ विभिन्न फसलों के प्रजातियां में सुधार हुआ और 1967–68 तक हरित क्रांति अनेक विकासशील देशों में प्रभावित हो गई। इसके पश्चात 1970 तक विश्व के अनेक देशों में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया।

6.4 भारत में हरित क्रांति (Green Revolution in India)

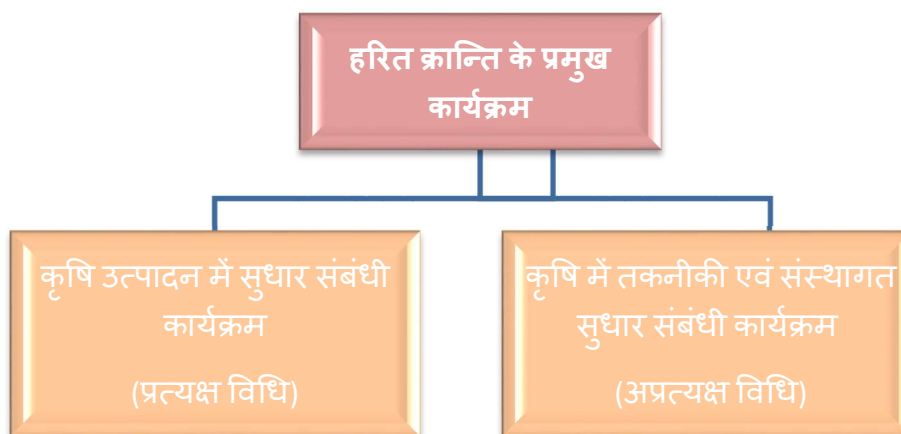
भारत में हरित क्रांति लाने का मुख्य श्रेय एम. एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है इसीलिए एम. एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत सरकार ने देश की कृषि की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन के कुछ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को 1959 में आमंत्रित किया। विशेषज्ञों के समूह ने यह बताया गया कि भारत में खाद्यान्न समस्या गंभीर रूप से विद्यमान है और इसके निराकरण हेतु कृषि नीति एवं खाद्यान्न नीति आवश्यक है। साथ ही साथ विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का पुनर्गठन करना भी आवश्यक है। फोर्ड फाउंडेशन से आमंत्रित तीन सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव प्रदान किया

1. गांव, विकासखंड, जिला, राज्य तथा केंद्र स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर कृषि के समस्त संसाधनों का समन्वय होना चाहिए।
2. विकासखंड के प्रत्येक गांव में कृषि तकनीकी की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. स्थानीय श्रमिकों के द्वारा सिंचाई, भूमि संरक्षण तथा सड़कों का निर्माण आदि ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिनका संबंध उत्पादन में वृद्धि से है।
4. उच्च वर्ग के किसानों को अपनी कृषि भूमि पर उत्पादन में वृद्धि हेतु नवीन कृषि तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए।

6.5 हरित क्रान्ति के प्रमुख कार्यक्रम (Main Programmes of Green Revolution)

भारत में 1960 के दशक के मध्य पारंपरिक कृषि व्यवहारों के स्थान पर आधुनिक तकनीकी एवं फॉर्म व्यवहारों का उपयोग किया गया जिसे कृषि में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है।

नई कृषि युक्ति (New Agricultural Strategy) को 1966 में एक पैकेज कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था और इसे अधिक उपज देने वाली किस्म का कार्यक्रम (High Yielding Varieties Programme) कहा गया से भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए उन्नतशील बीजों रासायनिक उर्वरक उर्वरकों कीटनाशकों सिंचाई सुविधाओं, कृषि कार्यों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों उपकरण तथा नवीन कृषि तकनीकी को विकसित करने और इनका समन्वित उपयोग करने पर बोल दिया गया। हरित क्रांति कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए “गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम” संचालित किया गया। जिसके अंतर्गत कुछ विशेष फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का आदि को सम्मिलित किया गया और उनके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया गया। किसानों को पैकेज (मिनी किट) उपलब्ध कराया गया। कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीकी का ज्ञान प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिसके फल स्वरूप कृषकों ने कृषि की नवीन तकनीकी का उपयोग करके उन्नतशील बीजों का उपयोग करके, अधिक उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया। जिसके परिणाम स्वरूप गेहूं, चावल, मक्का आदि के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज किया गया। जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर हुआ। हरित क्रान्ति के अंतर्गत चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों को दो भागों में विभाजित कर निम्न प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है :



➤ कृषि उत्पादन में सुधार संबंधी कार्यक्रम (प्रत्यक्ष विधि)

प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत कृषि उत्पादन में सुधार संबंधी कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नांकित हैं

- रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग
- उन्नतशील बीजों का प्रयोग
- बहु फसली कार्यक्रम
- कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण
- कृषि बचतों को प्रोत्साहन
- कृषि में पूंजी निर्माण
- कृषि फसलों के विपणन की व्यवस्था

➤ कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार संबंधी कार्यक्रम (अप्रत्यक्ष विधि)

अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत कृषि में तकनीक एवं संस्थागत सुधार संबंधी कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जो कि निम्न है

- आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग
- सिंचाई सुविधाओं का विकास
- भूमि संरक्षण
- भूमि परीक्षण कार्यक्रम
- पौध संरक्षण
- कृषि विकास के लिए सेवा केन्द्रों की स्थापना
- कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा

6.6 हरित क्रांति की उपलब्धियां (Advantages of Green Revolution)

हरित क्रांति के द्वारा भारत में कृषि क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ है। भारत खाद्यान्न की उत्पादन एवं उत्पादकता के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। कृषि बचतों में वृद्धि हुआ है, नवीन तकनीकी का प्रयोग होने से कृषि एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुई है। लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं तथा कृषकों की आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि हुआ है। संक्षेप में हरित क्रांति के प्रमुख उपलब्धियां को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

(i) कृषि उत्पादन में वृद्धि

हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न फसलों मुख्य रूप से गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। जिससे गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। 1950-51 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 550 लाख टन था जोकि वर्ष 2000-01 में बढ़कर 2130 लाख टन हो गया। तथा वर्ष 2022-23 में बढ़कर 3297 लाख टन हो गया। चावल का उत्पादन 1950-51 में 245 लाख टन था जो की 2000-01 में बढ़कर 900 लाख टन हो गया। तथा वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1357 लाख टन हो गया। इसी तरह गेहूं का कुल उत्पादन जोकि 1950-51 में 63 लाख टन था वह बढ़कर 2000-01 में 760 लाख टन हो गया। तथा वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1105 लाख टन हो गया। हरित क्रांति के दौरान विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि को निम्न तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 1: खाद्यान्नों के उत्पादन की प्रगति (लाख टन में)

फसल	1950-51	1990-91	2000-01	2010-11	2020-21	2021-22	2022-23
चावल	245	750	900	960	1243	1294	1357
गेहूं	63	550	760	780	1095	1077	1105
मोटा अनाज	154	320	310	434	512	521	573
कुल दालें	84	142	160	182	257	273	260
कुल खाद्यान्न	550	1760	2130	2420	3107	3156	3297

Source : (i) Agriculture StatisticsAtA Glance 2013 – 2018

(ii) कृषि फसलों के उत्पादकता में वृद्धि

हरित क्रान्ति के फलस्वरूप न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है बल्कि कृषि उत्पादकता में भी तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में परिभाषित किया जाता है वर्ष 1950–51 में कुल खाद्यान्नों की औसत उत्पादकता 6.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर थी जो कि वर्ष 2000–01 में बढ़कर 16.3 कुंतल प्रति हेक्टेयर और 2022–23 में बढ़कर 24.9 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी प्रकार वर्ष 1950–51 में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 7.1 कुंतल थी जो की बढ़कर 2000–01 में 19.1 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो गई तथा वर्ष 2022–23 में बढ़कर 28.4 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी प्रकार गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वर्ष 1950–51 में 6.6 कुंतल प्रति हेक्टेयर थी। जोकि बढ़कर वर्ष 2000–01 में 27.1 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो गई तथा वर्ष 2022–23 में यह बढ़कर 35.2 कुंतल प्रति हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गई। जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है—

तालिका 2: खाद्यान्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर क्विंटल में)

फसल	1950–51	1990–91	2000–01	2010–11	2020–21	2021–22	2022–23
चावल	7.1	17.5	19.1	22.4	27.1	28.0	28.4
गेहूं	6.6	22.8	27.1	29.7	35.2	35.4	35.2
मोटा अनाज	4.3	9.0	10.3	15.9	21.2	22.5	23.8
कुल दालें	4.4	5.8	5.9	7.3	8.8	8.9	9.0
कुल खाद्यान्न	6.5	13.8	16.3	18.5	23.9	24.2	24.9

Source% (i) Agriculture Statistics At A Glance 2013 – 2018

(ii) Agriculture Annual Report 2023–24

(iii) कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी का उपयोग

हरित क्रान्ति का कृषि क्षेत्र में सबसे प्रमुख योगदान यह है कि भारतीय कृषि में प्रचलित परंपरागत तकनीक के स्थान पर नवीन कृषि तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है। जिससे कृषकों का कीमती समय तथा शारीरिक श्रम कम लगता है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

(iv) कृषि का यंत्रीकरण

हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि का यंत्रीकरण हुआ है क्योंकि हरित क्रान्ति के पूर्व जो कृषि कार्य मानव श्रम एवं पशुओं के द्वारा हुआ करता था। उसके स्थान पर फसलों को लगाने, फसलों की सिंचाई करने, फसलों की कटाई करने, फसलों की मड़ाई करने आदि के लिए यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा है। जिसमें ट्रैक्टर, पंपसेट, थ्रेसर, रोटावेटर आदि प्रमुख है।

(v) सिंचाई सुविधाओं का विकास

हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की गई। भारत 1950–51 में जहां सकल बोए गए क्षेत्रफल में से लगभग 20: ही सिंचित था, वह बढ़कर के 2010–11 में लगभग 60: हो गया तथा 2020–21 में यह बढ़कर लगभग 65: हो गया है। इस प्रकार स्पष्ट है की हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है।

(vi) कृषकों के जीवन एवं रहन-सहन के स्तर में सुधार

हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई है। जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हुआ है और वह गरीबी रेखा से ऊपर उठकर अपने जीवन यापन एवं रहन-सहन के स्तर को सुधारने में सक्षम हो सके हैं। कृषि उत्पादन के बढ़ने से लोगों में कृषि के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है। और कृषक एक व्यवसाय के रूप में कृषि कार्यों को करने लगे हैं।

(vii) कृषि बचतों में वृद्धि

उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं के विकास और कृषि उपकरणों का प्रयोग करने से उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि हुई है जिससे कृषकों के बचतों में भी वृद्धि हुआ है। जिसे देश के विकास में लगाकर विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। कृषि एवं औद्योगिक संबंधों में सुधार होने से अनेक उद्योगों के लिए कृषि वरदान साबित हुई है।

(viii) रोजगार के अवसरों में वृद्धि

उन्नत कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाइयां तथा रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग में वृद्धि होने के कारण इनका उत्पादन करने वाली फर्मों का विस्तार हुआ है। जिससे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है और किस प्रकार रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।

(ix) कृषि का व्यवसायीकरण

हरित क्रान्ति के पूर्व भारतीय कृषि को जीवन निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता था लेकिन हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषकों का दृष्टिकोण पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। अब भारतीय कृषि में व्यावसायिक दृष्टिकोण आ गया है। जिससे कृषि का व्यवसायीकरण, व्यावसायिक फसलें, कम अवधि में अधिक उपज देने वाली प्रजातियां आदि का उपयोग किया जाने लगा है। लोग कृषि को एक व्यवसाय के रूप में मानकर कार्य कर रहे हैं। जिससे कृषकों का लाभ हो रहा है।

(x) कृषि और उद्योगों के बीच सहसम्बन्ध

हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में परस्पर सह-सम्बन्ध मजबूत हुए हैं। कृषि क्षेत्र में उद्योगों द्वारा निर्मित उपकरणों का मांग तीव्र गति से बढ़ा है साथ ही साथ अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कृषि क्षेत्र के द्वारा की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बन गए हैं और एक दूसरे के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रकार या स्पष्ट है कि हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के बीच से सम्बन्ध मजबूत हुआ है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वास्तव में हरित क्रान्ति के माध्यम से भारत में खाद्यान्न की समस्या को समाप्त करने में हम सफल हुए हैं। भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हुआ है। जोकि हरित क्रान्ति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

6.7 हरित क्रान्ति की कमियां असफलताएं (Limitations of Green Revolution)

(i) कुछ फसलों तक सीमित

हरित क्रान्ति की सबसे प्रमुख आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह केवल कुछ फसलों जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के उत्पादन एवं उत्पादकता तक ही सीमित था। इसने कृषि क्षेत्र के अन्य दलहनी, तिलहनी तथा नकदी फसलों को सम्मिलित नहीं किया जा सका। जोकि कृषि के समग्र विकास के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

(ii) सीमित क्षेत्र

हरित क्रान्ति को संपूर्ण भारत में समान मात्रा में लागू नहीं किया जा सका और इसका लाभ भी सभी

राज्य नहीं उठा सके। केवल कुछ विशिष्ट राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ही हरित क्रांति से लाभान्वित हुए। शेष अन्य राज्यों में इसका प्रभाव नगण्य था।

(iii) क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि

हरित क्रान्ति का लाभ केवल कुछ राज्यों को ही प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उन राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्र को प्राप्त होने के कारण क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई है। हरित क्रान्ति का अधिकतम प्रभाव उसे क्षेत्र में देखने को मिला है जहां पर सिंचाई सुविधा अधिक विकसित थी। क्योंकि सिंचाई की सुनिश्चित उपलब्धता हरित क्रान्ति का एक आवश्यक तत्व है। अतः इस क्रान्ति को उसे क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार हरित क्रान्ति के द्वारा क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है।

(vi) केवल बड़े किसानों को लाभ

हरित क्रान्ति का लाभ केवल उन बड़े किसानों को ही प्राप्त हुआ है जिन्होंने पंपिंग सेट, नलकूप ट्रैक्टर, कृषि यंत्रों को लगा लिया है। सामान्य किसानों को इसका विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कृषि आगतों की सम्यक व्यवस्था न होने के कारण वह इसके लाभ के भागीदार नहीं बन सके। जिसके कारण पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन मिला है।

(v) पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन

भारतीय कृषि में पूंजीवादी खेती का विकास अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों और सिंचाई पर भारी निवेश करना पड़ता है। भारी निवेश करना छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों की क्षमता से बाहर है। भारत में लगभग 810 लाख जोतें हैं परन्तु केवल 6 प्रतिशत बड़े किसानों के पास कुल भूमि का 40 प्रतिशत है और केवल वही नलकूप, पंपिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी निवेश कर रहे हैं। परिणामतः नई कृषि— उत्पादन रणनीति के कारण भारत में पूंजीवादी खेती का विकास हुआ है। अतः कृषि—क्रान्ति में प्रसार—प्रभाव का अभाव और इस कारण भारतीय खेती में विकास कुछ आर्थिक घेरो में सीमित हो गया है। परिणामतः निर्धन किसानों को लाभ नहीं हुआ बल्कि इसके कारण ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम 10 प्रतिशत भाग के हाथ में सम्पत्ति का संकेन्द्रण हुआ है। अतः भारत में बड़े किसानों की संख्या में वृद्धि का काफी प्रमाण उपलब्ध है। इनमें मिलिटरी की नौकरी से रिटायर हुए अफसर, रिटायर्ड सिविल अफसर, शहरी व्यापारी शामिल हैं जो अपनी आय उद्योग या व्यापारी से प्राप्त करते हैं और जिन्होंने हाल ही में कृषि को एक उद्योग के रूप में चलाना आरम्भ किया है। यह वर्ग कृषि में निवेश को लाभदायक समझता है। पंजाब में इनकी संख्या कुल किसानों की संख्या का 3 प्रतिशत है। पूंजीवादी किसानों, जिनमें भद्र किसानों के अतिरिक्त प्रगतिशील किसान भी शामिल हैं, के आधीन कुल फार्मों का 8.5 प्रतिशत फार्म हैं जो कि कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के 27 प्रतिशत क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इस वर्ग के किसान ही ट्रैक्टरों, नलकूपों, पंपिंग सेटों और अन्य उपकरणों पर विनियोग कर सकते हैं। इसी प्रकार ये किसान अपनी जोतों पर बिलडिंग, भू-सुधार और अन्य मरम्मत आदि के लिए पूंजी—व्यय करने की सामर्थ्य रखते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर यह परिणाम निकला है कि बड़े फार्मों पर प्रति एकड़ अधिक पूंजी—व्यय किया जाता है जो कि इनमें यन्त्रीकरण का सूचक है।

(vi) कृषकों की आय की असमानता में वृद्धि

अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के आधार पर या निष्कर्ष निकला है कि हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप छोटे और बड़े किसानों के बीच भू स्वामियों और भूमिहीन मजदूरों के बीच आय की असमानता में वृद्धि हुई है। क्योंकि हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि आदतों जैसे उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं, कृषि उपकरणों आदि पर अधिक पूंजी व्यय करनी पड़ती है, जबकि छोटे किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी होने के कारण वह इस प्रकार का बड़ा खर्च नहीं उठा सकते हैं। अतः छोटे किसानों और भूमि मजदूरों को हरित क्रांति का कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े एवं संपन्न किसानों को ही प्राप्त हुआ है जिससे बड़े एवं छोटे किसानों के बीच आय की असमानता में वृद्धि हुई है।

कृषि में तकनीकी परिवर्तनों का ग्राम—क्षेत्रों में आय—वितरण पर दुष्प्रभाव हुआ है। भारतीय कृषि में तकनीकी परिवर्तन और वितरण सम्बन्धी लाभों के बारे में अपने अध्ययन से सी.एच. हनुमन्त राव यह निष्कर्ष प्राप्त करता है। “तकनीकी परिवर्तनों से एक ओर विभिन्न क्षेत्रों, छोटे और बड़े फार्मों और भू—स्वामियों के बीच आय की

असमानताएँ बढ़ी हैं और दूसरी ओर भूमिहीन मजदूरों और मुजारों में खाई और चौड़ी हो गयी है। किन्तु परम रूप में तकनीकी परिवर्तन के लाभ सीमित वर्गों में बँटे हैं। इनका संकेत तकनीकी परिवर्तन के अनुभव करने वाले क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी एवं रोजगार में वृद्धि, और छोटे किसानों की आय में वृद्धि के रूप में मिलता है।” फिर भी हरी क्रान्ति के प्रधान लाभ प्राप्तकर्ता तो बड़े किसान ही हैं जो अपने लाभ के लिए उन्नत किस्म के आदानों और ऋण-सुविधाओं को हथिया लेते हैं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि नीतियों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए। डा. वी.के.आर.वी. राव के शब्दों में: “यह बात अब सर्वाविदित है कि तथाकथित हरी क्रान्ति जिसने देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी है, के साथ ग्रामीण आय में असमानता में वृद्धि हुई है, बहुत से छोटे किसानों को अपने काश्तकारी अधिकार छोड़ने पड़े और ग्राम-क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक तनाव बढ़े हैं।”

(vii) पर्यावरणीय असंतुलन में वृद्धि

हरित क्रान्ति के द्वारा कृषि की उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हुआ है लेकिन भारत की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों की मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई है जिसकी पूर्ति करने के लिए वनों एवं चारागाह की भूमिका का तेजी के साथ विनाश हुआ है। वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जा रहा है। जिससे अनेक पेड़ पौधों एवं वनस्पतियाँ लुप्त हो रही हैं और पर्यावरण संतुलन बढ़ रहा है। जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। जिसका भयंकर प्रणाम मानव जाति को भुगतना पड़ेगा।

(viii) पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रहा है। क्योंकि फसले रासायनिक उर्वरकों के समस्त पोषक तत्वों का उपयोग नहीं कर पाती हैं बल्कि उनमें से अनुपयुक्त रसायन, हवा एवं मिट्टी में घुल जाते हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को विभिन्न प्रकार के कीट और और खरपतवार से बचने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है जो कि वहां की उपस्थिति हवा, जल स्रोतों एवं मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल स्रोतों एवं मिट्टी में कीटनाशकों के पहुंचने से अनेक जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है। इस प्रकार कृषि के लिए उपयोगी जीवों की मृत्यु हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से वायु प्रदूषण जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण में वृद्धि हो रही है जो कि मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए हानिकारक है।

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हरित क्रान्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतया सफल नहीं हुई। क्योंकि यह केवल कुछ क्षेत्रों और कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित रह गई, जिसके कारण हरित क्रान्ति का लाभ संपूर्ण देश को समान रूप से प्राप्त नहीं हो सका और इससे राज्य स्तरीय विषमताओं एवं क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई है। कृषकों की आय असमानता में भी वृद्धि हुई है। अतः आवश्यकता इस बात की है की हरित क्रान्ति की कमियों को दूर करके इसे और अधिक उपयोगी बनाया जाए।

6.8 हरित क्रान्ति को सफल बनाने के सुझाव (Suggestions for the Success of Green Revolution)

भारत में हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए उसकी कमियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्नांकित हैं

1. हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए इसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलों जैसे खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, जूट आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
2. हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसका विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक किया जाना चाहिए।
3. हरित क्रान्ति के अंतर्गत छोटे खेत एवं छोटे कृषकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिसके लिए यह आवश्यक है कि इन किसानों को उन्नतशील बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं आदि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि इनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी होती है।
4. हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया

जाना चाहिए। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण से प्राप्त भूमि को भूमिहीन कृषकों में वितरित किया जाना चाहिए तथा साथ ही साथ उत्तराधिकार नियम के कारण लोगों के भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े के स्थान पर चकबंदी के द्वारा एक बड़ा भूखंड प्रदान किया जाना चाहिए।

- छोटे सीमांत एवं भूमिहीन कृषकों को रियायती ब्याज दर पर सह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह कृषि के लिए आवश्यक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों आदि का क्रय करने में समर्थ हो सकें।
- समन्वित फॉर्म तकनीकी को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि फॉर्म तकनीकी के अंतर्गत कृषि आदतों व कृषि फसलों के मूल्य के संदर्भ में उचित नीति अपनाई जा सकती है।
- कृषि में श्रम प्रधान तकनीक को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में विद्यमान है जिसका प्रभावी समाधान किया जा सके।
- कृषि कार्य के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं जैसे परिवहन, संचार एवं बिजली सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र में वर्तमान समय में एक बड़ा भूभाग असिंचित है। जिस पर मानसून के अनुसार फसलों की खेती की जाती है अतः आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई की सुविधा को विकसित किया जाए।
- कृषि कार्यों के लिए जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए।

6.9 द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में भावी संभावनाएं

भारत के वैज्ञानिक चावल और गेह के संकर-बीजों (Hybrid seeds) को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि उत्पादिता के वर्तमान अवरोधक को तोड़ा जा सके। यह उल्लेख करना जरूरी है कि ये दो फसलें मिलकर भारत में कुल खाद्यान्नों का तीन-चौथाई उपलब्ध कराती हैं।

चावल के सम्बन्ध में किए गए फार्म-परीक्षणों (Farm trials) से यह पता चला कि इनसे औसत रूप में प्रति हैक्टेयर उत्पादन 6.8 टन प्राप्त किया गया जबकि यह पारम्परिक शुद्ध-वांशिक चावल की किस्मों द्वारा 5.2 टन था। अतः इस प्रकार एक हैक्टेयर से 1.6 टन अतिरिक्त चावल (या 31%) प्राप्त किया जा सकता है। कुछ हालतों में तो संकर चावल द्वारा पारम्परिक किस्मों की तुलना में 35 से 44 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, संकर चावल (Hybrid rice) से प्रति हैक्टेयर 1.5 से 1.75 टन अतिरिक्त उपज का अनुमान है। फार्म-परीक्षणों में सफलता के बावजूद, भारत केवल 1.5 लाख हैक्टेयर भूमि संकर बीजों के आधीन ला पाया है चाहे सन् 2020 तक 20 लाख हैक्टेयर भूमि इनके आधीन लाने का लक्ष्य रखा गया था।

6.10 भारत में श्वेत क्रान्ति तथा आपरेशन फ्लड (White Revolution in India)

दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया को 'श्वेत क्रान्ति' के रूप में लिया जाता है। 1990-91 में देश में कुल दूध का उत्पादन 53.9 मिलियन टन था जो 2014-15 में 146.3 मिलियन टन रहा जो 2020-21 में 287.76 मि०टन हो गया। इसमें से 50: दूध भैंस तथा 46: दूध गाय से प्राप्त होता है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, इसको विश्व उत्पादन का 18.5: हिस्सा प्राप्त है भारत में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों में 4.18: की वृद्धि दर रही जबकि विश्व स्तर यह वृद्धि दर 2.2: रही। दूसरा स्थान यू०एस०ए० का है। प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता जो 1990-91 में 176 ग्राम प्रतिदिन थी वर्ष 2014-15 में 322 ग्राम हो गयी तथा वर्ष 2020-21 में यह और अधिक बढ़कर 347 ग्राम हो गई। जोकि विश्व की दूध उपलब्धता (294 ग्राम) से अधिक रही। दूध के उत्पादन में जो क्रान्तिकारी वृद्धि आयी उसके सम्बन्ध में दो कार्यक्रमों का उल्लेख आवश्यक है- 1964-65 में देश में शुरू किया गया "सघन पशु विकास कार्यक्रम" जिसके अन्तर्गत सबसे पहले श्वेत क्रान्ति लाने के लिए पशु पालकों को पशु पालन के सुधरे तरीकों का पैकेज, उन्नत नस्ल की गाय तथा भैंसे प्रदान की गयीं तथा कृत्रिम गर्भाधान के तरीके विकसित किए गये। दूसरा "आपरेशन फ्लड" आरम्भ किया गया। आपरेशन फ्लड या श्वेत क्रान्ति के भारत में जनक वर्गीज कुरियन हैं। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा तथा व्यापक समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने की। आज इस योजना में

लगभग एक करोड़ किसान तथा उनके परिवार लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप ही इस इस समय भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता जो 1990-91 में 176 ग्राम प्रतिदिन थी 2011-12 में बढ़कर 290 ग्राम हो गयी। देश में दूध की माँग प्रति वर्ष 6 मि० टन (4: वार्षिक) बढ़ रही है जबकि पूर्ति 3.5 मि० टन ही बढ़ रही है।

‘दूध की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (Intensive Dairy Development Programme) गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु मूलभूत ढाँचा सुदृढ़ करना, सरकारी संस्थाओं को सहायता और डेयरी उद्यमिता विकास योजना भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें हैं। डेयरी क्षेत्र में उत्पादकों को बाजार पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से ‘राष्ट्रीय डेयरी योजना मार्च 2012 में शुरू की गयी है।

19वीं पशुधन जनगणना (2012) के परिणाम इस प्रकार हैं—

- (i) पशुधन में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। (ब्राजील प्रथम)।
- (ii) विश्व में भैंस की जनसंख्या में भारत का हिस्सा 56: और मवेशी जनसंख्या में 14: भाग है।
- (iii) विश्व में भैंस के सम्बन्ध में भारत का पहला स्थान, बकरी जनसंख्या में द्वितीय, मवेशी जनसंख्या में द्वितीय तथा भेंड़ जनसंख्या में तीसरा स्थान है।
- (iv) भारत में पशुधन की कुल संख्या 529.7 मिलियन हैं।

वर्तमान समय में भारत में पशुधन बीमा योजना संचालित है। यह पशुधन बीमा स्कीम को फरवरी 2006 में 120 करोड़ रुपये की लागत से पहले 100 जिलों में चुनिन्दा आधार पर शुरू किया गया तथा शेष जिलों को 2006-07 में दायरे में कर लिया गया। यह केन्द्र समर्थित स्कीम है।

6.11 भारत में भूरी क्रांति (Brown Revolution in India)

भूरी क्रांति वह योजना है जो कॉफी, कोको और अन्य गैर-पारंपरिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाती है। भूरी क्रांति के सर्जक हीरालाल चौधरी थे और उन्हें भूरी क्रांति का जनक माना जाता है। भूरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कॉफी का उत्पादन करना था जो केवल विशाखापत्तनम के आदिवासी क्षेत्रों की भूमि पर ही संभव था।

कॉफी उत्पादन से संबंधित भूरी क्रांति

विशाखापत्तनम जिले के आदिवासी इलाकों में भूरी क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति के तहत, जिले के आदिवासियों को पर्यावरण के अनुकूल और जैविक कॉफी उगाने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि विदेशी देशों की कॉफी की माँग को पूरा किया जा सके।

चूँकि कॉफी की खेती जैव विविधता पर भारी नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसलिए मुख्य ध्यान पर्यावरण अनुकूल तरीके से कॉफी की खेती करने पर था। कॉफी बोर्ड ने पश्चिमी क्षेत्रों में कॉफी को एक विशिष्ट कॉफी के रूप में उन्नत करने का अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य एक ही क्षेत्र में कॉफी के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ना था।

वैसे तो 1970 के दशक से ही आदिवासी इलाकों में कॉफी उगाई जाती रही है, लेकिन हाल ही में पर्यावरण के अनुकूल कॉफी उगाने की क्रांति ने जोर पकड़ा है। आंध्र प्रदेश के लगभग 30,000 आदिवासी लोग शुरू में स्लैश-एंड-बर्न में लगे हुए थे, जिसे ‘पोडू’ या शिफ्टिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब, उन्होंने छायादार फसल के रूप में सिल्वर ओक की छत्रछाया में कॉफी उगाना शुरू कर दिया है।

भूरी क्रांति से लाभ

हालांकि इन इलाकों में कॉफी की खेती कम मात्रा में की जाती है, लेकिन इससे आदिवासी लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिली है। लिंगन्ना पडल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति का एक दिलचस्प मामला है, जिसके पास कॉफी की एक जमीन थी, जिससे उसे काफी पैसे कमाने में मदद मिली और इस पैसे से वह एक घर खरीदने और अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो गया।

यह भी माना जाता है कि आदिवासियों को बेहतर जीवनशैली प्रदान करने के अलावा, इसका लक्ष्य दुनिया

भर में जैविक कॉफी की मांग को पूरा करने के लिए विपणन हेतु एक मजबूत आधार तैयार करना भी था।

कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक हैं, लेकिन इनका उपयोग जैविक कॉफी की खेती के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये भूमि बहुत सारे रसायनों के संपर्क में रहने के कारण जैविक कॉफी की खेती के लिए अनुपयुक्त है। दूसरी ओर, विशाखापत्तनम के आदिवासी क्षेत्र जैविक कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वित्तीय और आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण उनकी भूमि रासायनिक उर्वरकों से मुक्त है।

अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भूरी क्रांति

भूरी क्रांति प्रदूषण फैलाने वाले, जानलेवा कचरे या अपशिष्ट उत्पादों को भी रीसाइकिल करती है। यह कचरे को खाद बनाने में मदद करती है और छोटे और महानगरों में बिजली पैदा करती है। यह भारत में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देती है।

भूरी क्रांति का महत्व

ब्राउन क्रांति को गैर-परंपरागत संसाधनों के विकास को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसने विश्व अर्थव्यवस्था में ऊर्जा संकट को बचाया है और पूरे जीवमंडल में प्रस्तुत ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों को कम किया है। प्राप्त विद्युत ऊर्जा से कार, ट्रक और हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। ऊर्जा का उपयोग घरों, उद्योगों और अन्य स्थानों में बिजली के उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भूरी क्रांति वह योजना है जो कॉफी, कोको और अन्य गैर-पारंपरिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाती है। भूरी क्रांति के सर्जक हीरालाल चौधरी थे और उन्हें भूरी क्रांति का जनक माना जाता है। भूरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कॉफी का उत्पादन करना था जो केवल विशाखापत्तनम के आदिवासी क्षेत्रों की भूमि पर ही संभव था। कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने और विकसित देशों की मांगों को पूरा करने के लिए अराकू घाटी में कॉफी बोर्ड द्वारा कई अलग-अलग अभियान भी शुरू किए गए थे।

6.12 अभ्यास प्रश्न

- Q1. हरित क्रान्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए?
- Q2. हरित क्रान्ति के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए?
- Q3. हरित क्रान्ति की कमियों की व्याख्या कीजिए?
- Q4. हरित क्रान्ति के लाभ एवं हानियों का विवेचन कीजिए?
- Q5. भारत में दूसरी हरित क्रान्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए?
- Q6. भारत में हरित क्रान्ति के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए?
- Q7. भारत में हरित क्रान्ति की प्रमुख उपलब्धियां का विवेचन कीजिए?
- Q8. भारत में हरित क्रान्ति की सफलता हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए?
- Q9. श्वेत क्रान्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए?
- Q10. भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता को रेखांकित कीजिए?
- Q11. भारत में भूरी क्रांति पर प्रकाश डालिए?

SELECT REFERENCES

1. Datt and Sundram, R., (2018), India Economy, 55th Edition, Suttam Chand - Sons.
2. Mishra, S. K., and Puri, V. K., (2018), 30th Edition, Indian Economy Himalaya Publishing House.

2. Prakash, B.A., (2009), The Indian Economy Since 1991 Economic Reforms & Performances, 1st edition, Pearson Education.
4. Rudra, Ashok, (1975), Indian Plan Models, 1st edition, Allied Publishers, Bombay.
5. OECD: A preliminary Assessment of the Impact of the Uruguay Round on Developing Countries, Paris. (1994).
6. Govt. of India, Planning Commission, Tenth Five Year Plan, Vol-1
7. Economic Survey, 2022-23.
8. Economic Survey, 2009-10.
9. Rudra Ashok, (1974) Indian Plan Models, Allied Publishere, Bombay.
10. Sen Amarty (1983) Development Which Way Now Economic Journal.
11. Shah and Vakil (Ed): Agricultural Development of India, Policy and Problems.
12. Bansil, P. C. (1981), Agricultural Problems of India, Oxford and IBH Publishing Company.
13. Sen, A.K. (1962). "An Aspect of Indian Agriculture", EW, Feb. 1962.
14. Saini, GR. (1971), "Holding Size, Productivity and Some Related Aspects of Indian Agriculture". June,
15. Rudra, A. (1968), "Farm Size and Yield Per acre", EPW, July 1968. 4. Rao, C.H.H. (1975) Technological Change and Distribution of Gains in Indian Agriculture, Delhi. Mac Millan & Co.
16. Heady, E.O. and Sircar P.K. (1983), "Size Productivity and Returns to Scale" Agricultural situation in India, June 1983.
17. Bardhan, P.K. (1973). "Size Productivity and Returns to Scale", JPE, Nov-Dec. 1973
18. Bhattacharya N. and G.R. Saini (1972), "Farm size and Productivity-A Fresh Lock". EPW, June, 1972.
19. Chadha, G.K. (1978), "Farm Size and Productivity Re-visited", EPW, Sept. 1978.
20. Long E.J., "The Economic Basis of Land Reforms in Under-developed Economies". Land Economics, May, 1961.
21. Soni, R.N. and Begai, O.P. (1983) Problems of the Small Farmers. A study (Sponsored by I.C.A.R.)
22. conducted by the Dept. of Statistics, Punjab University, Chandigarh. 12. Dantwala, M.L. (1961), "Agrarian Structure in 12 Districts", EPW (Special number) 1961.
23. Rao, C.H.H. (1989), "Technological change in Indian Agriculture: Emerging Trends and Perspectives". Indian Journal of Agricultural Economics, Oct-Dec. 1989.
24. Rao, V.K.R.V. (1989), "Some Reflections in the Problems facing Indian Agriculture", Indian journal of Agricultural Economics, Oct-Dec. 1989.
25. Bhalla, G.S. and G.K. Chadha (1983) Green Revolution and the Small Peasants, New Delhi, Concept Publishing Co.
26. Shergili, H.S. (1987), "Impact of New Technology on farm Size-Productivity Relationship in Punjab University, Chandigarh.
27. Mann, H.S. (1962) Co-operative Farming and Family Farming in the Punjab, Ph. D. Thesis. Ohio State University, 1962.

इकाई-07 शुष्क भूमि खेती परियोजना एवं औषधीय पौधों की खेती

ईकाई की रुपरेखा

- 7.0 उद्देश्य
- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 भारतीय कृषि में शुष्क भूमि का योगदान
- 7.3 भारत में शुष्क भूमि खेती का महत्व
- 7.4 शुष्क भूमि कृषि: सरकार की पहल
- 7.5 औषधीय पौधों की खेती
- 7.6 औषधीय पौधों की खेती के महत्व
- 7.7 सारांश
- 7.8 बोध प्रश्न
- 7.9 उपयोगी पुस्तकें

7.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में भारतीय कृषि में शुष्क भूमि का योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में शुष्क भूमि खेती परियोजना से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में शुष्क भूमि खेती का महत्व से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में शुष्क भूमि कृषि: सरकार की पहल की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में औषधीय पौधों की खेती से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई औषधीय पौधों की खेती के महत्व के बारे में जानेंगे।

7.1 प्रस्तावना

शुष्क भूमि खेती शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है, जो वर्षा के संग्रहण और कुशल उपयोग पर केंद्रित है। इसमें अर्ध-शुष्क परिस्थितियों में भूमि उपयोग के सभी चरण शामिल हैं, जिसमें खेती कैसे करें, कितनी खेती करें और खेती करें या नहीं जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। शुष्क भूमि खेती में जल संरक्षण और अधिकतम फसल उपज पर जोर दिया जाता है, जबकि इसमें अतिरिक्त पानी और उच्च उर्वरक इनपुट का निपटान भी शामिल होता है। शुष्क भूमि खेती सहित वर्षा आधारित खेती प्रणालियों में ऐसी प्रणालियाँ भी शामिल हो सकती हैं जो अतिरिक्त पानी के निपटान, अधिकतम फसल उपज और उच्च उर्वरक इनपुट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सफल शुष्क भूमि खेती प्रणालियों में भूमि पर वर्षा को बनाए रखना, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने के लिए मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण को कम करना और वर्षा पैटर्न के अनुकूल सूखा-सहिष्णु फसलों का उपयोग करना शामिल है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का विकास जारी है। औषधीय पौधों की खेती सदियों पुरानी प्रथा है जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए चिकित्सीय गुणों वाले पौधों की जानबूझकर वृद्धि और प्रबंधन शामिल है। इन पौधों को अक्सर औषधीय जड़ी-बूटियाँ कहा जाता है, इनकी जैवसक्रिय यौगिकों का उत्पादन करने की क्षमता के लिए इन्हें महत्व दिया जाता है जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा, फार्मास्यूटिकल्स, हर्बल सप्लीमेंट्स और अरोमाथेरेपी में किया जा सकता है। दुनिया भर में प्राकृतिक उपचार और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में औषधीय पौधों की खेती महत्वपूर्ण

भूमिका निभाती है। यह किसानों के लिए आर्थिक अवसर, पौधों की जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और पारंपरिक उपचार प्रथाओं को बढ़ावा देने सहित कई लाभ प्रदान करता है। औषधीय पौधों की खेती उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में की जाती है, और ये विभिन्न मिट्टी के प्रकारों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। खेती की प्रथाएँ प्रत्येक पौधे की प्रजाति की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न होती हैं, जिसमें मिट्टी की तैयारी, सिंचाई, कीट और रोग प्रबंधन और कटाई के बाद की प्रक्रिया शामिल है। वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा में बढ़ती रुचि के साथ, उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय पौधों और हर्बल उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ रही है। इससे औषधीय पौधों और उनके व्युत्पन्नों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष खेती तकनीकों, प्रमाणन मानकों और मूल्यवर्धित प्रसंस्करण विधियों का विकास हुआ है। सरकारी एजेंसियाँ, शोध संस्थान और गैर-लाभकारी संगठन स्थायी खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने, लुप्तप्राय औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण और औषधीय पौधों की खेती में लगे छोटे पैमाने के किसानों और स्वदेशी समुदायों के लिए समर्थन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। औषधीय पौधों की खेती एक गतिशील और बहु-विषयक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कृषि प्रथाओं, औषध विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ती है। प्रकृति की उपचार क्षमता का दोहन करके, औषधीय पौधों की खेती समग्र स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देती है।

- शुष्क भूमि में कृषि करते समय, पानी की सही मात्रा और समय पर सिंचाई का महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिकता के आधार पर उत्पादन करने के लिए सिंचाई की योजना बनाना महत्वपूर्ण है।
- शुष्क भूमि में खेती के लिए विशेष प्रकार की फसलों का चयन करना जरूरी है जो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन कर सकें। इसमें अगाधी, चना, सोयाबीन, बाजरा, और मक्का जैसी फसलें शामिल हो सकती हैं।
- शुष्क भूमि में खेती के लिए सीधी बुवाई एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिससे पानी की बचत होती है और फसल की अधिकतम प्रदर्शन होता है।
- शुष्क भूमि में खेती के लिए समृद्ध और सुस्त समाधान की तलाश करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि बांधों, छोटे-छोटे तालाबों, और जल संचयन प्रणालियों का निर्माण।
- शुष्क भूमि में खेती करते समय, प्राकृतिक आपातकालीन घटनाओं के लिए संवेदनशीलता बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि फसलों को अनाहार्य हानि से बचाया जा सके।

7.2 भारतीय कृषि में शुष्क भूमि का योगदान

सदियों से शुष्क भूमि पर खेती की जाती रही है, भारत के कुल खाद्य उत्पादन का 44 शुष्क भूमि से आता है। हाल के दशकों में शुष्क भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जहाँ कपास और तिलहन की फसलें शुष्क भूमि पर ज्यादा उग रही हैं, जबकि दालें अपरिवर्तित हैं। बेहतर सिंचाई, सामाजिक-आर्थिक कारक और हरित क्रांति जैसे कारकों ने इन परिवर्तनों में योगदान दिया है। भारत का शुष्क भूमि क्षेत्र 2050 तक 75 मिलियन हेक्टेयर पर स्थिर होने की उम्मीद है। 1950 के बाद से, शुष्क भूमि कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसमें शुरू में बाजरा और ज्वार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अधिक लाभकारी फसलों से बदल दिया गया है। दाल उगाने वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अधिक सिंचाई सुविधाओं के कारण कपास और मकई के क्षेत्रों में भारी वृद्धि देखी गई। कुल मिलाकर, बेहतर फसल पालन और खेती की तकनीकों के कारण पिछले 50 वर्षों में शुष्क भूमि की फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

7.3 भारत में शुष्क भूमि खेती का महत्व

शुष्क भूमि पर खेती, जिसे वर्षा आधारित कृषि या शुष्क खेती के रूप में भी जाना जाता है, भारत में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण महत्वपूर्ण महत्व रखती है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि भारत में शुष्क भूमि पर खेती क्यों महत्वपूर्ण है:

- **बड़ा भूमि क्षेत्र:** भारत के भूमि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की विशेषता है जहाँ वर्षा अनियमित और अविश्वसनीय है। इन क्षेत्रों में शुष्क भूमि पर खेती प्रमुख कृषि पद्धति है, जो भूमि के विशाल विस्तार को कवर करती है।
- **आजीविका सुरक्षा:** शुष्क भूमि पर खेती लाखों छोटे और सीमांत किसानों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है जो अपने भरण-पोषण के लिए वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करता है और दूरदराज और हाशिए के क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में मदद करता है।
- **फसल विविधता:** शुष्क भूमि पर खेती सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करती है जो पानी की कमी और अनियमित वर्षा के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं। यह कृषि में फसल विविधता और लचीलापन को बढ़ावा देता है, जिससे फसल विफलता और खाद्य असुरक्षा का जोखिम कम होता है।
- **जल संरक्षण:** शुष्क भूमि पर खेती की प्रथाएँ जल संरक्षण तकनीकों जैसे वर्षा जल संचयन, मिट्टी की नमी संरक्षण और कुशल सिंचाई विधियों पर जोर देती हैं। ये अभ्यास जल उपयोग दक्षता को अनुकूलित करने और कृषि उत्पादकता पर जल की कमी के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।
- **मृदा स्वास्थ्य:** संधारणीय शुष्क भूमि खेती अभ्यास, जैसे कि संरक्षण जुताई, जैविक खेती और कृषि वानिकी, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता संरक्षण में योगदान करते हैं। वे मृदा क्षरण को रोकते हैं, मृदा संरचना में सुधार करते हैं और पोषक चक्र को बढ़ाते हैं, जिससे दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
- **जलवायु लचीलापन:** शुष्क भूमि खेती प्रणाली स्वाभाविक रूप से जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम मौसम की घटनाओं, जैसे कि सूखा और बाढ़ के लिए लचीली होती है। किसान बदलती जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने फसल और कृषि प्रथाओं को अनुकूलित करते हैं, जिससे कृषि में जलवायु लचीलापन बढ़ता है।
- **जैव विविधता संरक्षण:** शुष्क भूमि खेती परिदृश्य वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का समर्थन करते हैं, जिसमें स्वदेशी फसल किस्में, जंगली पौधों की प्रजातियाँ और अद्वितीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। शुष्क भूमि क्षेत्रों में पारंपरिक खेती प्रथाओं और फसल विविधता का संरक्षण जैव विविधता संरक्षण और आनुवंशिक संसाधन संरक्षण में योगदान देता है।
- **आर्थिक अवसर:** शुष्क भूमि पर खेती मूल्य संवर्धन और कृषि व्यवसाय विकास के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करती है, जिसमें सूखा-प्रतिरोधी फसलों का प्रसंस्करण, जैविक उत्पादों का विपणन और शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।
- **नीतिगत समर्थन:** शुष्क भूमि पर खेती के महत्व को पहचानते हुए, सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम सब्सिडी, बीमा योजनाओं, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं और जल प्रबंधन और मृदा संरक्षण के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष रूप से, शुष्क भूमि पर खेती ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के माध्यम से भारत के कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कृषि के लिए एक लचीला और अनुकूल दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो स्थायी विकास और समावेशी विकास में योगदान देने के लिए शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की क्षमता का दोहन करता है।

7.4 शुष्क भूमि कृषि : सरकार की पहल

शुष्क भूमि कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने कई पहलें की हैं। इन पहलों का उद्देश्य शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यहां कुछ प्रमुख सरकारी पहलें दी गई हैं:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana & RKVY)

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) भारत सरकार की एक प्रमुख कृषि विकास योजना है जो कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादन, प्रोत्साहन, तकनीकी नवाचार, और कृषि विकास को समर्थन देना है।
- RKVY को 2007 में शुरू किया गया था, और इसे 2014 में नया रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों को कृषि उत्पादन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और कृषि विकास के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना है।
- RKVY के तहत, राज्य सरकारें अपनी कृषि विकास योजनाओं को बनाने और कार्यान्वयन के लिए अनुदान प्राप्त कर सकती हैं। इसके माध्यम से, कृषि उत्पादन को बढ़ाने, कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने, और कृषि यातायात और बाजार संरचना को सुधारने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- RKVY ने कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है और भारतीय कृषि को सुदृढ़ और स्थिर बनाने में मदद की है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana & PMKSY)

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक प्रमुख कृषि विकास योजना है जो कृषि सिंचाई क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकों को सिंचाई सुविधाओं तक पहुंचने में मदद करना है।
- PMKSY को 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करना, पानी के नियोजन और प्रबंधन में सुधार करना, और कृषि उत्पादकों के आय और जीवनाधार को बढ़ाना है।
- PMKSY के तहत, विभिन्न प्रकार की सिंचाई सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि जल संवर्धन, बांध, नदी तट और नदी अभिव्यक्ति, और मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं की मौजूदा समीक्षा और पुनरीक्षण। इसके अलावा, सिंचाई तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- PMKSY का उद्देश्य है कि कृषि सिंचाई में निवेश को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करें और कृषि उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission & NFSM)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission & NFSM) एक प्रमुख कृषि विकास योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।
- NFSM को 2007 में शुरू किया गया था। इसके तहत, अनेक क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, दलहन और जैविक खेती शामिल हैं।
- NFSM के माध्यम से, कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, खाद्य अभाव को कम करने, और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाता है।
- NFSM अनेक राज्यों में कृषि उत्पादकों को तकनीकी ज्ञान, बीज, उर्वरक, और अन्य संसाधनों की पहुंच प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार करके भारत में किसानों की स्थिति में सुधार हो।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है जो भारत सरकार

द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी जमीन के मृदा की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सही जानकारी प्रदान करना है।

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम को 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत, किसानों को नियमित अंतराल पर अपनी जमीन की मृदा का विश्लेषण कराया जाता है। इस विश्लेषण के बाद, उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है जिसमें मृदा की स्वास्थ्य स्थिति, उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की स्तर, और उसे सुधारने के लिए उपायों की सलाह दी जाती है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मदद से किसान अपनी जमीन की मृदा की गुणवत्ता को समझते हैं और उसे उचित तरीके से पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए उपाय करते हैं। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और खेती का प्रबंधन भी सुधारा जाता है।
- इस योजना के माध्यम से, कृषि क्षेत्र में बेहतर और समृद्ध जलवायु तंत्र, उत्पादन, और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

वाटरशेड विकास परियोजना (Watershed Development Programme)

- वाटरशेड विकास परियोजना एक प्रमुख प्रकार का जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम है जो जल संसाधनों की सुरक्षा, उपयोग और प्रबंधन को सुधारने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को सही तरीके से संचित करना और जल संसाधनों की सुरक्षा को बढ़ाना है।
- वाटरशेड विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, और जल संसाधनों के विकास के लिए एक संरचित प्रणाली का निर्माण करना है। यह प्रणाली उन सीमाओं को निर्धारित करती है जिनमें वाटरशेड का जल संचयन, जल संवर्धन, और जल संप्रेषण होता है।
- इस प्रकार के परियोजनाएँ धारावाहिक प्रणाली, जल संचयन, जल संवर्धन, और जल संप्रेषण को समायोजित करके जल संसाधनों का संरक्षण करती हैं। इसके माध्यम से, पानी की बर्बादी को कम किया जाता है और जल संसाधनों की स्थिरता बढ़ती है।
- वाटरशेड विकास परियोजनाएँ आम तौर पर किसानों के जल संबंधित जरूरतों को पूरा करने, जैसे कि सिंचाई, पानी के उपयोग की अधिकता को कम करने, और जल संसाधनों के लिए स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए कार्य करती हैं।

राष्ट्रीय शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम (National Dryland Development Programme & NDDP)

- राष्ट्रीय शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम (National Dryland Development Programme & NDDP) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख कृषि विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के शुष्क क्षेत्रों में जल, भूमि, और परिसंपत्तियों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
- NDDP को 1990 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाना, कृषि उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और उनकी जीवनाधार को सुधारना है।
- NDDP के तहत, विभिन्न क्षेत्रों में जल संचयन, जल संवर्धन, और भूमि संरक्षण के लिए परियोजनाएँ चलाई जाती हैं। इसके अलावा, कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रयोग बढ़ाया जाता है ताकि शुष्क क्षेत्रों में उत्पादनता बढ़ सके।
- यह योजना उन किसानों को लाभ प्रदान करती है जो शुष्क क्षेत्रों में कृषि करते हैं और अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए और सामर्थ्यवान तरीके सीखने के लिए इच्छुक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है शुष्क क्षेत्रों में कृषि की स्थिति को सुधारना और किसानों को सशक्त बनाना है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme & NAIS)

- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme & NAIS) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अनाहार्य आकस्मिक परिस्थितियों से बचाव प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधारे और उनके बाजार में स्थिरता बनाए रखी जा सके।
- NAIS को 1999 में शुरू किया गया था। इसके तहत, किसानों को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आने वाली हानियों से बचाने के लिए बीमा का सुविधा प्रदान की जाती है। यह बीमा किसानों को खेती के नुकसान को नुगरने में मदद करता है जो की किसान की पुनः लाभकारी खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
- NAIS का काम विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि आधारित की समायोजित बीमा योजनाओं का प्रोत्साहन करना है। यह योजना खेती के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि बारिश की कमी, बाढ़, सूखा, बारिश की अधिकता, आदि।
- NAIS बीमा किसानों को उनके कृषि उत्पादन को संरक्षित करने में मदद करता है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके माध्यम से, किसान बागबानी में अधिक निवेश कर सकते हैं, जो की उनके आय को बढ़ावा देता है और कृषि विकास को प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission & NHM)

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission & NHM) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय बागवानी क्षेत्र को विकसित करना, फल, सब्जियों, फूलों, मसालों, और औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि करना, और किसानों की आय को बढ़ाना है।
- NHM को 2005 में शुरू किया गया था। इसके तहत, बागवानी क्षेत्र में नए तकनीकी उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि सुखा शस्त्रक्रिया, समय रहित सिंचाई, नई सोखने की प्रणालियाँ, और बागवानी में नई जातियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है।
- NHM के अंतर्गत, कृषि उत्पादकों को उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन, और बाजार में उत्पादों की पहुंच में मदद प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उन्हें नए बागवानी क्षेत्रों का विकास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
- NHM भारतीय बागवानी क्षेत्र में नई तकनीकों और प्रणालियों का प्रयोग करके उत्पादकता बढ़ाने, बागवानी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, और बागवानी से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योजना है।

राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (National Project on Organic Farming & NPOF)

- राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (National Project on Organic Farming & NPOF) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जैविक कृषि की बढ़ती मांग को पूरा करना है, जिससे कृषि उत्पादन को पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्धि और लाभकारी बनाया जा सके।
- NPOF को 2004 में शुरू किया गया था। इसके तहत, जैविक कृषि के प्रमोट करने और विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। यह योजना जैविक खेती के प्रयोग, प्रोत्साहन, और विकास को बढ़ावा देने के लिए है।
- NPOF के अंतर्गत, कृषि उत्पादकों को जैविक खेती के लिए तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, और वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, खेती में जैविक उर्वरक, कीटनाशक, और पेस्टिसाइडों की जगह जैविक उपायों को बढ़ावा दिया जाता है।

- NPOF एक प्रमुख कदम है भारत में कृषि सेक्टर को पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्धि के दिशा में अग्रसर करने की दिशा में। यह योजना जैविक कृषि के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, और बाजार में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

इन सरकारी पहलों का उद्देश्य शुष्क भूमि कृषि को अधिक टिकाऊ, उत्पादक और किसानों के लिए लाभकारी बनाना है। इन कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से, सरकार जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और शुष्क भूमि कृषि को एक सफल और स्थायी कृषि पद्धति के रूप में स्थापित किया जा सके।

7.5 औषधीय पौधों की खेती

औषधीय पौधों की खेती उन पौधों की खेती को संदर्भित करती है जो औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं और जिनका उपयोग पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा में किया जाता है। ये पौधे विभिन्न बिमारियों के उपचार, स्वास्थ्य सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। औषधीय पौधों की खेती में पौधों के चयन, बुवाई, रखरखाव, और फसल कटाई की तकनीकों का समावेश होता है ताकि उनकी गुणवत्ता और मात्रा में सुधार किया जा सके। औषधीय पौधों की खेती को प्राचीन काल से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में इन पौधों का उपयोग होता आया है। वर्तमान में, औषधीय पौधों की खेती का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग प्राकृतिक और हर्बल उत्पादों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

औषधीय पौधा	वैज्ञानिक नाम	औषधीय उपयोग	प्रमुख खेती क्षेत्र
तुलसी) Basil)	Ocimum sanctum	सर्दी, खांसी, प्रतिरक्षा वृद्धि	पूरे भारत
अश्वगंधा)Ashwagandha)	Withania somnifera	तनाव, चिंता, ऊर्जा वृद्धि	मध्य प्रदेश, राजस्थान
एलोवेरा) Aloe Vera)	Aloe barbadensis miller	त्वचा की समस्याएं, पाचन सुधार	राजस्थान, गुजरात
नीम)Neem)	Azadirachta indica	त्वचा रोग, कीटनाशक	उत्तर प्रदेश, बिहार
हल्दी)Turmeric)	Curcuma longa	सूजन, प्रतिरक्षा वृद्धि	महाराष्ट्र, तमिलनाडु
सर्पगंधा) Rauwolfia)	Rauwolfia serpentina	उच्च रक्तचाप, मानसिक विकार	पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश
शतावरी)Shatavari)	Asparagus racemosus	प्रजनन स्वास्थ्य, पाचन	महाराष्ट्र, कर्नाटक
ब्राह्मी) Brahmi)	Bacopa monnieri	स्मरण शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश

औषधीय पौधों की खेती एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, जो न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करती है बल्कि

स्वास्थ्य सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस क्षेत्र में उन्नत तकनीकों और जैविक खेती के तरीकों को अपनाकर किसान अपनी उपज और लाभ को बढ़ा सकते हैं।

7.6 औषधीय पौधों की खेती के महत्व

औषधीय पौधों की खेती स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के लिए इसके बहुआयामी लाभों के कारण महत्वपूर्ण महत्व रखती है। औषधीय पौधों की खेती के महत्व को उजागर करने वाले कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- **स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती:** औषधीय पौधों में चिकित्सीय गुणों वाले जैवसक्रिय यौगिक होते हैं जिनका उपयोग सदियों से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में किया जाता रहा है। औषधीय पौधों की खेती विभिन्न बीमारियों के इलाज और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक उपचार का एक स्थायी स्रोत प्रदान करती है।
- **फार्मास्युटिकल उद्योग:** औषधीय पौधे फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए कच्चे माल के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में काम करते हैं। कई आधुनिक दवाएँ और दवा उत्पाद पौधे-आधारित यौगिकों से प्राप्त होते हैं, जिससे औषधीय पौधों की खेती दवा की खोज, विकास और उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाती है।
- **हर्बल सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल्स:** प्राकृतिक स्वास्थ्य विकल्पों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण औषधीय पौधों से प्राप्त हर्बल सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल्स की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। औषधीय पौधों की खेती हर्बल उत्पाद उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वनस्पति की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
- **आर्थिक अवसर:** औषधीय पौधों की खेती किसानों, उद्यमियों और ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करती है। यह आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है, विशेष रूप से छोटे पैमाने के और सीमांत किसानों के लिए, और ग्रामीण आजीविका और गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है।
- **मूल्य-वर्धित उत्पाद:** उगाए गए औषधीय पौधों को हर्बल अर्क, आवश्यक तेल, आहार पूरक और हर्बल सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न मूल्य-वर्धित उत्पादों में संसाधित किया जा सकता है। मूल्य संवर्धन औषधीय पौधों के बाजार मूल्य को बढ़ाता है और डाउनस्ट्रीम उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करता है।
- **जैव विविधता संरक्षण:** कई औषधीय पौधे स्थानिक या लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं जिन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता होती है। औषधीय पौधों की खेती से दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों की स्थायी खेती और संरक्षण को बढ़ावा देकर पौधों की जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलती है।
- **मृदा स्वास्थ्य और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ:** औषधीय पौधों की खेती जैविक खेती प्रथाओं, फसल चक्र और कृषि वानिकी के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में योगदान देती है। यह मिट्टी की जैव विविधता को बढ़ाता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और परागण और प्राकृतिक कीट नियंत्रण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ावा देता है।
- **जलवायु लचीलापन:** कुछ औषधीय पौधे पर्यावरण तनाव जैसे सूखा, गर्मी और कीटों के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें चुनौतीपूर्ण कृषि-जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। लचीले औषधीय पौधों की खेती से कृषि और खाद्य सुरक्षा में जलवायु लचीलापन बढ़ता है।
- **सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत:** कई औषधीय पौधे सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं में गहराई से निहित हैं, जो सांस्कृतिक पहचान और विरासत के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। औषधीय पौधों की खेती भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और स्वदेशी उपचार परंपराओं को संरक्षित करने में मदद करती है।

- **अनुसंधान और नवाचार:** औषधीय पौधों की खेती कृषि विज्ञान, फार्माकोग्नॉसी, फाइटोकेमिस्ट्री और जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार के अवसर प्रदान करती है। अनुसंधान प्रगति खेती की तकनीकों को बेहतर बनाने, पौधों की उत्पादकता बढ़ाने और चिकित्सीय क्षमता वाले नए बायोएक्टिव यौगिकों की खोज करने में योगदान देती है।

औषधीय पौधों की खेती मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास का समर्थन करने, जैव विविधता को संरक्षित करने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति की उपचार शक्ति का उपयोग करके, औषधीय पौधों की खेती सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और समग्र कल्याण में योगदान देती है।

7.7 सारांश

शुष्क भूमि खेती परियोजना और औषधीय पौधों की खेती दोनों ही भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शुष्क भूमि खेती परियोजना जलवायु अनुकूल खेती की तकनीकों का उपयोग करके कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देती है। वहीं, औषधीय पौधों की खेती किसानों को उच्च मूल्य वाले फसलों की खेती के अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और पर्यावरण को भी लाभ होता है। दोनों परियोजनाएँ मिलकर किसानों की आजीविका को सुधारने और कृषि क्षेत्र को स्थायी और लाभप्रद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

7.8 बोध प्रश्न

- भारतीय कृषि में शुष्क भूमि का योगदान से आप क्या समझते हैं ?
- शुष्क भूमि खेती परियोजना आप क्या समझते हैं ?
- शुष्क भूमि खेती का महत्व की व्याख्या कीजिए।
- औषधीय पौधों की खेती से आप क्या समझते हैं ?
- शुष्क भूमि कृषि: सरकार की पहल की विवेचना कीजिए।
- औषधीय पौधों की खेती के महत्वकी विवेचना कीजिए।

7.9 उपयोगी पुस्तकें

- Gunnell, Y. (2003). Past and present status of runoff harvesting systems in dryland peninsular india: A critical review. *Ambio.*, 32 : 320-324
- Rao, S.C. and Ryan, J. (2004). Crop Science Society of America. and Symposium on Challenges and Strategies for Dryland Agriculture. Challenges and strategies for dryland agriculture. In : Challenges and strategies for dryland agriculture. Crop Science Society of America, Madison, Wis.
- Lewington, A. (1993), “A review of importation of medicinal plants and plant extracts into Europe”, WWF International Plant Programme/IUCN
- Yaniv, Z., and D. Palevitch. 1982. Effect of drought on the secondary metabolites of medicinal and aromatic plants. p. 1-12. In C.K. Atal and B.M. Kapur (ed.) Cultivation and utilization of aromatic plants. Regional research laboratory, Jammu-Tawi, In
- Hanumanthappa. M, Jayaprakash. R and Nagaraj. R, 2018. Economic potentials of medicinal and aromatic plants in dryland and rainfed areas of India. *Journal of Pharmacognosy and*

- Singh, H.P., Sharma, K.P., Reddy, G.S. and Sharma, K.L. (2004). Dryland Agriculture in India. p. 67-92. In: Challenges and strategies for dryland agriculture. Crop Science Soc of, [S.l.].
- B.A. Stewart, Dryland Farming, Reference Module in Food Science, 2016, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.02937-1>
- <http://www.ciesin.org/docs/002-193/002-193.html>
- Smith, J. R. (2015). Innovations in dry land farming: Techniques and outcomes. Agricultural Research Press. <https://doi.org/10.1234/arpress.2015.00567>
- Johnson, L. M. (2018). The cultivation and use of medicinal plants: A comprehensive guide. Herbalist Publications. <https://doi.org/10.1234/herbpub.2018.00987>

इकाई-08 बागवानी एवं फूलों की खेती, लघु सिंचाई परियोजनाएँ

ईकाई की रुपरेखा

- 8.0 उद्देश्य
- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 बागवानी और फूलों की खेती के लाभ:
- 8.3 फूलों की खेती
- 8.4 भारत में फूलों की खेती का वर्तमान परिदृश्य
- 8.5 भारत में फूलों की खेती की मुख्य विशेषताएँ
- 8.6 खेती की जाने वाले फूलों के प्रकार:
- 8.7 फूलों की खेती में चुनौतियाँ
- 8.8 बागवानी और फूलों की खेती के लिए आवश्यकताएँ
- 8.9 लघु सिंचाई परियोजनाएँ
- 8.10 भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ
- 8.11 भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ एवं लाभान्वित राज्यों की संख्या
- 8.12 लघु सिंचाई योजनाओं का महत्व
- 8.13 सारांश
- 8.14 बोध प्रश्न
- 8.15 उपयोगी पुस्तके

8.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में बागवानी और फूलों की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में फूलों की खेती का वर्तमान परिदृश्य से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में कृषि प्रौद्योगिकियाँ एवं उनका प्रभाव की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में लघु सिंचाई परियोजनाएँ से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानेंगे।

8.1 प्रस्तावना

बागवानी एवं फूलों की खेती भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण व पुरातन हिस्सा है, जो न केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बागवानी में फल, सब्जियाँ, मसाले, और औषधीय पौधों की खेती शामिल होती है, जबकि फूलों की खेती मुख्यतः सजावटी पौधों और कट फ्लॉवर्स पर केंद्रित होती है। इन कृषि पद्धतियों ने सदियों से भारतीय जनसंख्या को पोषण, औषधि, और सौंदर्य प्रदान किया है। बागवानी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधीय पौधों की उन्नत किस्मों का उत्पादन, संरक्षण, प्रसंस्करण, और विपणन किया जाता है। यह क्षेत्र कृषि के परंपरागत तरीकों से अलग है, क्योंकि इसमें उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन होता है, जो किसानों को अधिक लाभ

और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। फूलों की खेती, जिसे पुष्पकृषि भी कहा जाता है, में विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधों, कट फ्लॉवर्स, और औषधीय पौधों की खेती शामिल होती है। यह खेती न केवल घरेलू और व्यावसायिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें औषधीय और धार्मिक उपयोग भी शामिल हैं। बागवानी एवं फूलों की खेती भारतीय कृषि के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, जो न केवल आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनकी उन्नत तकनीकों व नयी किस्मों को अपनाकर, किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है और देश की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी व निजी क्षेत्र का सहयोग और समर्थन आवश्यक है, ताकि किसानों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और बाजार तक पहुँच प्राप्त हो सके। इस प्रकार, बागवानी और फूलों की खेती को प्रोत्साहित करना भारत के ग्रामीण विकास और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बागवानी और फूलों की खेती के प्रमुख फसलों और उनके लाभों के बारे में सारणी दी गई है:

फसल का प्रकार	फसल का नाम	लाभ
फल	आम (Mango)	उच्च पोषण मूल्य, विटामिन ए और सी से भरपूर, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण।
	केला (Banana)	उच्च ऊर्जा सामग्री, विटामिन बी6 और सी का स्रोत, त्वरित आर्थिक लाभ।
	सेब (Apple)	विटामिन सी और फाइबर का अच्छा स्रोत, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण।
	संतरा (Orange)	विटामिन सी से भरपूर, ताजगी और स्वास्थ्य लाभ।
	अनार (Pomegranate)	एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी।
सब्जियाँ	टमाटर (Tomato)	विटामिन सी और ए का स्रोत, उच्च आर्थिक लाभ।
	आलू (Potato)	कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत, व्यापक खपत।
	प्याज (Onion)	कई व्यंजनों में आवश्यक, उच्च आर्थिक मूल्य।
	भिंडी (Okra)	फाइबर और विटामिन सी का अच्छा स्रोत, विभिन्न प्रकार के पकवानों में उपयोगी।
	बैंगन (Brinjal)	विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत, विविध पाक उपयोग।
फूल	गुलाब (Rose)	सौंदर्य और सजावट के लिए महत्वपूर्ण, इत्र और औषधीय उपयोग।

	गेंदा (Marigold)	सजावटी और धार्मिक उपयोग, कीट प्रबंधन में सहायक।
	चमेली (Jasmine)	इत्र और सजावट के लिए महत्वपूर्ण, औषधीय गुण।
	सूरजमुखी (Sunflower)	तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण, सजावट के लिए उपयोगी।
	लिली (Lily)	सजावट के लिए महत्वपूर्ण, विभिन्न रंगों में उपलब्ध।

8.2 बागवानी और फूलों की खेती के लाभ

- आर्थिक लाभ: फल और सब्जियों की खेती से किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। निर्यात और स्थानीय बाजारों में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है।
- स्वास्थ्य लाभ: फल और सब्जियाँ विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं।
- पोषण सुरक्षा: ये फसलें पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और संतुलित आहार का हिस्सा होती हैं।
- सजावट और सौंदर्य: फूलों की खेती से सौंदर्य और सजावट में सुधार होता है। इनका उपयोग विभिन्न अवसरों और समारोहों में किया जाता है।
- औषधीय उपयोग: कई फूलों और फलों में औषधीय गुण होते हैं, जो विभिन्न रोगों के उपचार में सहायक होते हैं।

बागवानी और फूलों की खेती से न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं बल्कि ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

8.3 फूलों की खेती

फूलों की खेती में फूलों और पत्तेदार पौधों की खेती, विपणन और व्यवस्था शामिल है, जो आधुनिक समाज का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। ऐतिहासिक रूप से, फूलों को केवल बाहर उगाया जाता था, उनकी गुणवत्ता और मात्रा मौसम द्वारा सीमित होती थी। हालाँकि, शहरों, सभ्यता और सामाजिक गतिविधियों के विकास के साथ, फूलों और सजावटी पौधों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए फूलों की खेती का उद्योग विकसित हुआ है। वाणिज्यिक फूलों की खेती में कटे हुए फूल, फूल वाले पौधे, बिस्तर के पौधे और पत्तेदार पौधे शामिल हैं। भारत में फूलों की खेती की एक लंबी परंपरा है, जिसमें सामाजिक अवसरों, पूजा स्थलों और घर की सजावट पर फूलों की पेशकश और आदान-प्रदान मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। बदलती जीवन शैली और शहरी समृद्धि में वृद्धि के साथ, हाल के दिनों में फूलों की खेती ने एक निश्चित व्यावसायिक स्थिति हासिल कर ली है। वाणिज्यिक फूलों की खेती की क्षमता के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का एक व्यवहार्य कृषि-व्यवसाय विकल्प के रूप में विकास हुआ है।

भारत की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियाँ समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय फूलों की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन की अनुमति देती हैं, लगभग पूरे वर्ष। भारत नारियल, काजू, चाय, मसाले और फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसने फूलों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। फूलों की खेती 161,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 870,000 मीट्रिक टन खुले और 4342 मिलियन कटे हुए फूल हैं। प्रमुख फूल उगाने वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा शामिल हैं।

हालांकि, छोटे आकार के जोत और अधोषित उत्पादन के आंकड़ों के कारण क्षेत्र के आँकड़ों की गणना करना मुश्किल है। इस बड़े क्षेत्र का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा पारंपरिक फूलों जैसे गेंदा, चमेली, गुलदाउदी, एस्टर, क्रॉसैंड्रा और रजनीगंधा के लिए समर्पित है। गुलदस्ते और सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कटी हुई फूलों की फसलों (तने के साथ) का क्षेत्र बढ़ती समृद्धि और लोगों की उपहार के रूप में फूलों का उपयोग करने की रुचि के कारण बढ़ गया है।

8.4 भारत में फूलों की खेती का वर्तमान परिदृश्य

भारत का पुष्प उद्योग, जो पारंपरिक खेती पर आधारित है, में आय बढ़ाने, किसानों को रोजगार देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण क्षमता है। फूलों के साथ देश का समृद्ध इतिहास और इसकी अनुकूल जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन इसे समृद्ध पुष्प उद्योग के लिए एक आदर्श केंद्र बनाते हैं। खेती के तरीकों और नई फूलों की किस्मों में निरंतर नवाचार के साथ, उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। हालांकि, इसे उत्पादन, विपणन और निर्यात में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारतीय पुष्प उद्योग को बुनियादी ढाँचे, उत्पादन, विपणन और निर्यात में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उचित तकनीकों के साथ, वैश्विक पुष्प व्यापार में बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।

फूलों की खेती या फूलों की खेती, भारतीय कृषि के भीतर एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जो घरेलू मांग और निर्यात अवसरों दोनों से प्रेरित है। भारत में फूलों की खेती का वर्तमान परिदृश्य महत्वपूर्ण प्रगति और चुनौतियों को दर्शाता है, जिसके विकास में विभिन्न कारक योगदान दे रहे हैं।

8.5 भारत में फूलों की खेती की मुख्य विशेषताएँ

- भारत फूलों की खेती में अग्रणी देशों में से एक है, जहाँ पूरे देश में फूलों की विविध किस्में उगाई जाती हैं। प्रमुख फूल उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- फूलों की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है, पारंपरिक फसलों की तुलना में इसके उच्च लाभप्रदता के कारण किसानों की बढ़ती संख्या फूलों की खेती की ओर रुख कर रही है।

8.6 खेती की जाने वाले फूलों के प्रकार

- कटे हुए फूल: गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, ऑर्किड, ग्लेडियोलस और एंथुरियम घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए उगाए जाने वाले लोकप्रिय कटे हुए फूल हैं।
- ढीले फूल: गेंदा, चमेली, रजनीगंधा और गुलदाउदी आमतौर पर माला, धार्मिक प्रसाद और सजावट के लिए उगाए जाते हैं।
- गमले में लगे पौधे और पत्ते: घर और कार्यालय की सजावट के लिए इनडोर पौधे, सजावटी पत्ते और फूल वाले पौधे लोकप्रिय हो रहे हैं।

फूलों का घरेलू बाजार मजबूत है, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से प्रेरित है, जहां फूल विभिन्न समारोहों और त्योहारों का अभिन्न अंग हैं। शहरीकरण, बढ़ती डिस्पोजेबल आय और जीवनशैली में बदलाव ने शहरी क्षेत्रों में सजावटी फूलों और गमले में लगे पौधों की मांग बढ़ा दी है।

भारत नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे देशों को फूल निर्यात करता है। गुलाब और लिली जैसे कटे हुए फूल शीर्ष निर्यात वस्तुओं में से हैं।

सरकारी पहल और सब्सिडी ने फूलों की खेती के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया है, जिससे विदेशी मुद्रा आय में योगदान मिला है।

ग्रीनहाउस खेती, ऊतक संवर्धन और माइक्रोप्रोपेगेशन जैसी उन्नत बागवानी प्रथाओं को अपनाने से फूलों

की गुणवत्ता और उपज में सुधार हुआ है। ड्रिप सिंचाई, फर्टिगेशन और एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रथाओं के उपयोग ने उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाया है।

भारत में कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान नई फूलों की किस्मों को विकसित करने, खेती के तरीकों में सुधार करने और कीटों और बीमारियों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। सरकारी निकायों, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों ने फूलों की खेती में नवाचार को बढ़ावा दिया है। भारत सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ और सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें ग्रीनहाउस निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाजार पहुँच पहल के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) फूलों की खेती के विकास का समर्थन करने वाले प्रमुख कार्यक्रम हैं।

8.7 फूलों की खेती में चुनौतियाँ

- अपर्याप्त कोल्ड चेन सुविधाएँ, भंडारण बुनियादी ढाँचा और परिवहन नेटवर्क पारगमन के दौरान फूलों की गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं।
- कुशल विपणन चैनलों और बाजार की जानकारी तक सीमित पहुँच किसानों की अपनी उपज के लिए उचित मूल्य पाने की क्षमता को प्रभावित करती है।
- फूलों की फसलें विभिन्न कीटों और रोगों के प्रति संवेदनशील होती हैं, और नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी प्रबंधन अभ्यास महत्वपूर्ण हैं।
- रासायनिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है, जिसके लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) अभ्यासों को अपनाना आवश्यक है।
- कीमतों में उतार-चढ़ाव और बाजार की मांग में उतार-चढ़ाव फूलों की खेती की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे किसानों के लिए अपनी फसलों में विविधता लाना और मूल्यवर्धित उत्पादों की खोज करना आवश्यक हो जाता है।
- कई छोटे और सीमांत किसानों में उन्नत पुष्प-कृषि अभ्यासों के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है, जो उनकी उत्पादकता और आय क्षमता को सीमित कर सकता है।

8.8 बागवानी और फूलों की खेती के लिए आवश्यकताएँ

बागवानी और फूलों की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय हो सकता है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ भी प्रदान करता है। उचित ज्ञान, तकनीक, और प्रबंधन के साथ, बागवानी और फूलों की खेती के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है।

- बागवानी और फूलों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे की अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं।
- उचित सिंचाई और जल प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके पौधों की बढ़वार और उत्पादन को सुनिश्चित किया जाता है।
- पौधों की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैविक और रासायनिक उर्वरकों का उचित उपयोग आवश्यक है।
- पौधों की सुरक्षा के लिए कीट और रोग प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- उत्पादन के बाद फूलों और बागवानी उत्पादों की प्रसंस्करण और विपणन की आवश्यकता होती है ताकि

8.9 लघु सिंचाई परियोजनाएँ

लघु सिंचाई परियोजनाएँ (Micro Irrigation Projects) बागवानी, फूलों की खेती, और कृषि की अन्य विधाओं में जल संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये परियोजनाएँ जल संरक्षण, फसल उत्पादकता में वृद्धि, और पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लघु सिंचाई तकनीकों में मुख्यतः ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई शामिल हैं, जो जल प्रबंधन की अत्याधुनिक विधियाँ हैं। लघु सिंचाई परियोजनाएँ बागवानी, फूलों की खेती, और अन्य कृषि गतिविधियों में जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन, फसल उत्पादन में वृद्धि, और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं को अपनाकर न केवल जल संरक्षण होता है, बल्कि किसानों की आय और फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सरकारी समर्थन, उचित प्रशिक्षण, और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से इन प्रणालियों को अधिक व्यापक रूप से अपनाने और किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

लघु सिंचाई परियोजनाओं की एक सारणी तैयार करने से पहले, हमें विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियों और उनकी विशेषताओं को समझना होगा। इस सारणी में निम्नलिखित जानकारी शामिल की जा सकती है:

परियोजना का नाम	विवरण	उपयुक्त फसलें	पानी की आवश्यकता	खर्च	सकारात्मक पहलू	नकारात्मक पहलू
टपक सिंचाई (Drip Irrigation)	पौधों की जड़ों में धीरे-धीरे पानी डालना	सब्जियां, फल, फूल	कम	उच्च	पानी की बचत, कम खरपतवार	स्थापना खर्च अधिक
फव्वारा सिंचाई (Sprinkler Irrigation)	पौधों पर फव्वारे की तरह पानी छिड़कना	अनाज, सब्जियां	मध्यम	मध्यम	समान पानी वितरण, जल संरक्षण	हवा में पानी की बर्बादी
गटर सिंचाई (Furrow Irrigation)	पौधों के पास बने गटरों में पानी भरना	जड़ फसलें, सब्जियां	अधिक	कम	सस्ती और आसान स्थापना	पानी की बर्बादी, मिट्टी कटाव
पट्टी सिंचाई (Basin Irrigation)	पौधों के चारों ओर पट्टी बनाकर पानी देना	धान, गन्ना	अधिक	कम	अधिक पानी संग्रहण, नमी संधारण	अधिक पानी की आवश्यकता
जलाशय सिंचाई (Reservoir Irrigation)	जलाशय से खेतों तक पानी पहुंचाना	सभी प्रकार की फसलें	विभिन्न	उच्च	जल स्रोत की उपलब्धता, नियमित जल आपूर्ति	उच्च निर्माण और रखरखाव लागत

यह सारणी सामान्य जानकारी पर आधारित है और क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है। बेहतर परिणाम के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेना लाभकारी हो सकता है।

8.10 भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन, कृषि को सहायता देने और बाढ़ को रोकने के लिए कई प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ हैं। यहाँ कुछ प्रमुख परियोजनाएँ दी गई हैं:

1. भाखड़ा नांगल परियोजना

- नदी : सतलुज
- लाभ पाने वाले राज्य : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
- विशेषताएँ : सबसे शुरुआती नदी घाटी विकास योजनाओं में से एक, जिसमें भाखड़ा बाँध और नांगल बाँध शामिल हैं।

2. इंदिरा गांधी नहर परियोजना

- नदी : सतलुज, ब्यास और रावी
- लाभ पाने वाले राज्यरू राजस्थान
- विशेषताएँ : भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक, यह थार रेगिस्तान को उपजाऊ कृषि भूमि में बदल देती है।

3. सरदार सरोवर परियोजना

- नदी: नर्मदा
- लाभ पाने वाले राज्य : गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान
- विशेषताएँ : पीने, सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराती है।

4. नागार्जुन सागर परियोजना

- नदी : कृष्णा
- लाभ पाने वाले राज्य : तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
- विशेषताएँ : भारत की सबसे बड़ी और सबसे शुरुआती बहुउद्देश्यीय सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं में से एक।

5. हीराकुंड बांध परियोजना

- नदी : महानदी
- लाभ पाने वाले राज्य : ओडिशा
- विशेषताएँ : दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक, यह बाढ़ को नियंत्रित करता है और सिंचाई प्रदान करता है।

6. तुंगभद्रा परियोजना

- नदी : तुंगभद्रा (कृष्णा की एक सहायक नदी)
- लाभ पाने वाले राज्य : कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
- विशेषताएँ : सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन प्रदान करता है।

7. कोसी परियोजना

- नदी : कोसी

- लाभ पाने वाले राज्य : बिहार
- विशेषताएँ : कोसी क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करना और सिंचाई प्रदान करना।

8. दामोदर घाटी परियोजना

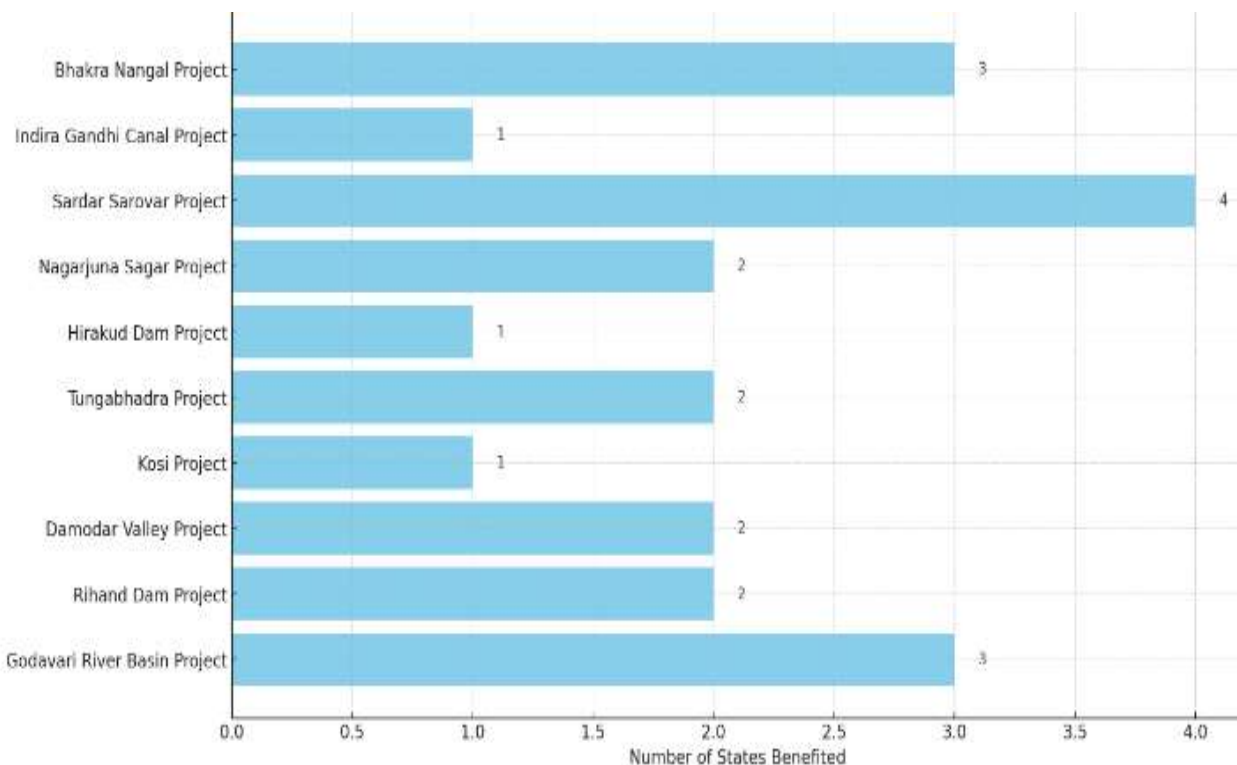
- नदी : दामोदर
- लाभ पाने वाले राज्य : झारखंड, पश्चिम बंगाल
- विशेषताएँ : अक्सर यूएसए में टेनेसी वैली अथॉरिटी से तुलना की जाती है, यह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन प्रदान करता है।

9. रिहंद बांध परियोजना

- नदी : रिहंद (सोन की एक सहायक नदी)
- लाभ पाने वाले राज्य : उत्तर प्रदेश, बिहार
- विशेषताएँ : सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन प्रदान करती है।

10. गोदावरी नदी बेसिन परियोजना

- नदी : गोदावरी
- लाभ पाने वाले राज्य : महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
- विशेषताएँ : व्यापक जल प्रबंधन और सिंचाई के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने की परियोजना।
- ये परियोजनाएँ भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो उन क्षेत्रों के विकास और जीविका में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं जहाँ वे सेवा प्रदान करती हैं।



8.11 भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं लाभान्वित राज्यों की संख्या

यहाँ भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और प्रत्येक परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या

को दर्शाने वाला एक बार ग्राफ है। यह दृश्य प्रतिनिधित्व देश भर में प्रत्येक परियोजना के भौगोलिक प्रभाव को समझने में मदद करता है। प्रस्तुत बार ग्राफ भारत में दस प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और प्रत्येक परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या को दर्शाता है। क्षेत्रीय पट्टियाँ विभिन्न परियोजनाओं को दर्शाती हैं, और प्रत्येक पट्टी की लंबाई संबंधित परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या को दर्शाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त राज्य (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में सबसे पुरानी नदी घाटी विकास योजनाओं में से एक, जिसमें भाखड़ा बांध और नांगल बांध शामिल हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त राज्य (राजस्थान) में भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक, यह थार रेगिस्तान को उपजाऊ कृषि भूमि में बदल देती है।

सरदार सरोवर परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त राज्य (गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान) में पीने, सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराता है। नागार्जुन सागर परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ पाने वाले राज्य (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश) में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बहुउद्देशीय सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। हीराकुंड बांध परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ पाने वाले राज्य (ओडिशा) दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक, यह बाढ़ को नियंत्रित करता है और सिंचाई प्रदान करता है। तुंगभद्रा परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ पाने वाले राज्य (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) में सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन प्रदान करता है। कोसी परियोजना में लाभ पाने वाले राज्य (बिहार) में इसका उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना और कोसी क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करना है। दामोदर घाटी परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ पाने वाले राज्य (झारखंड, पश्चिम बंगाल) में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन प्रदान करती है। रिहंद बांध परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ पाने वाले राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार) में सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन प्रदान करता है। गोदावरी नदी बेसिन परियोजना जिसके अन्तर्गत लाभ पाने वाले राज्य (महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश) में व्यापक जल प्रबंधन और सिंचाई के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने की परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना सबसे अधिक संख्या में राज्यों (4) को लाभ पहुँचाती है, जो इसके व्यापक प्रभाव को उजागर करती है। कई परियोजनाएँ केवल एक ही राज्य को लाभ पहुँचाती हैं, जो अधिक स्थानीयकृत प्रभाव को दर्शाती हैं (उदाहरण के लिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, कोसी परियोजना)। भाखड़ा नांगल परियोजना और गोदावरी नदी बेसिन परियोजना जैसी परियोजनाएँ कई राज्यों को लाभ पहुँचाती हैं, जो उनके क्षेत्रीय महत्व को दर्शाती हैं।

8.12 लघु सिंचाई योजनाओं का महत्व

भारत वैश्विक मानव आबादी का 17% और वैश्विक मवेशियों की आबादी का 15% हिस्सा रखता है, जबकि उसके पास दुनिया की केवल 2.4% भूमि और 4% जल संसाधन हैं। देश के उपयोग योग्य जल संसाधनों का मूल्यांकन 1123 बीसीएम किया गया है, जिसमें 690 बीसीएम सतही जल से और 433 बीसीएम भूजल स्रोतों से आता है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग (भारत सरकार, 1999) के अनुसार, उच्च मांग परिदृश्य में वर्ष 2050 तक अनुमानित कुल जल मांग 1180 बीसीएम है। इसमें से 826 बीसीएम केवल कृषि उपयोग के लिए होगा। जलवायु परिवर्तन से बढ़ती पानी की मांग समस्या को और भी बढ़ा देगी। भारत में सिंचाई उद्योग के सामने सबसे बड़ी बाधा स्थापित सिंचाई क्षमता, उपयोग की जाने वाली सिंचाई क्षमता और नहर प्रणाली में पानी के असमान आवंटन के बीच बढ़ती असमानता है। मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की अनुमानित कुल सिंचाई दक्षता लगभग 38% है। राष्ट्र के लिए कुल अनुमानित सिंचाई क्षमता 139.89 मिलियन हेक्टेयर (डि) है। इसमें बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 58.47 डि और छोटी सिंचाई परियोजनाओं से 81.43 डि शामिल हैं। 2011 में योजना आयोग के अनुसार, भारत की कुल सिंचाई क्षमता में लघु सिंचाई प्रणालियों का योगदान 58.19% है। लघु सिंचाई केवल भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उच्चतम संभव उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन के पर्याप्त स्तरों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कृषि सिंचाई जल प्रबंधन को उचित वितरण के साथ सही समय पर सही मात्रा में जल प्रदान करने में अधिक प्रभावी होना चाहिए। सिंचाई प्रणालियों का प्रदर्शन मूल्यांकन सेवा वितरण और संसाधन दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है।

लघु सिंचाई योजनाएँ भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है:

- लघु सिंचाई योजनाएँ छोटे जल स्रोतों जैसे कि तालाब, कुएँ, ट्यूबवेल, झीलें और नहरों का उपयोग करके

जल की उपलब्धता को बढ़ाती हैं। यह जल प्रबंधन में सहायक होती हैं और जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती हैं।

- लघु सिंचाई योजनाएँ किसानों को फसल के लिए नियमित और पर्याप्त जल उपलब्ध कराती हैं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां बारिश पर निर्भरता अधिक है और सिंचाई की कमी के कारण फसल की पैदावार कम होती है।
- इन योजनाओं से खेती की विविधता बढ़ती है और किसान बहुफसली प्रणाली अपनाने में सक्षम होते हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है और खाद्यान्न की उपलब्धता में सुधार होता है।
- लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
- ये योजनाएँ जल संरक्षण में मदद करती हैं और भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होती हैं। जल का सही उपयोग पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- लघु सिंचाई योजनाओं से जल की उपलब्धता बढ़ने पर किसानों को पानी खरीदने या जल की कमी के कारण होने वाले नुकसान से बचने में मदद मिलती है। इससे कृषि लागत में कमी आती है और किसानों की आय में सुधार होता है।
- इन योजनाओं से स्थानीय समुदायों को अपनी जल आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने की क्षमता मिलती है। इससे सामुदायिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
- सिंचित भूमि पर फसल की पैदावार अधिक होती है और फसलों की विविधता बढ़ती है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इससे देश की खाद्य आपूर्ति स्थिर रहती है और खाद्य संकट की संभावना कम होती है।

लघु सिंचाई योजनाएँ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये योजनाएँ जल प्रबंधन, कृषि उत्पादन, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास संभव है।

8.13 सारांश

बागवानी और फूलों की खेती के साथ लघु सिंचाई परियोजनाएँ किसानों के लिए एक समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इनसे न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार भी होते हैं। उचित तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन और सरकारी समर्थन से इन क्षेत्रों में किसानों की स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके साथ ही, जल संसाधनों का सतत और प्रभावी उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। बागवानी और फूलों की खेती वैश्विक कृषि प्रणालियों के अनुरूप आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है। वे पौष्टिक फल, सब्जियाँ और सजावटी पौधे प्रदान करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी छोटी सिंचाई परियोजनाओं ने कृषि उत्पादकता और जल उपयोग दक्षता में सुधार किया है। हालाँकि, शुरुआती निवेश लागत, तकनीकी ज्ञान अंतराल और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए, इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना, किसान शिक्षा को बढ़ावा देना और बाजार तक पहुँच बढ़ाना वैश्विक लचीलापन और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक कदम हैं। इन चुनौतियों का समाधान करके और नवाचार के अवसरों का लाभ उठाकर, ये क्षेत्र खाद्य सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

8.14 बोध प्रश्न

- बागवानी और फूलों की खेती से आप क्या समझते हैं ?

- खेती की जाने वाले फूलों के प्रकार की व्याख्या कीजिए।
- फूलों की खेती से आप क्या समझते हैं ?
- भारत में फूलों की खेती का वर्तमान परिदृश्य से आप क्या समझते हैं ?
- लघु सिंचाई परियोजनाएँ से आप क्या समझते हैं ?
- भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ की विवेचना कीजिए।
- लघु सिंचाई योजनाओं का महत्व की विवेचना कीजिए।

8.15 उपयोगी पुस्तकें

- Alkire, D., Neumann, D., & DeBuse, C. (2013). The Economics of Specialty Crops and Horticulture. *Choices*, 28(1). Retrieved from <https://www.choicesmagazine.org/choices-magazine/theme-articles/the-economics-of-specialty-crops-and-horticulture>
- Kumar, R., & Chandra, D. (2020). Floriculture in India: Challenges and Opportunities. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 9(6), 432-439. doi: 10.20546/ijcmas.2020.906.057
- Tadesse, G., & Rientjes, T. H. M. (2014). Performance of Small-Scale Irrigation Schemes in Tigray, Northern Ethiopia. *Journal of Agricultural Engineering and Biotechnology*, 2(3), 87-98. doi: 10.14738/jaeb.23.110
- Kumar, D., & Singh, R. (2019). Role of Minor Irrigation in Sustainable Agriculture Development: A Case Study of Haryana. *International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology*, 12(4), 661-668. doi: 10.5958/2230-732X.2019.00079.6
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). Horticulture Market Information. Retrieved from <http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/horticulture/horthome/en/>
- Central Water Commission, "Bhakra Nangal Project," Government of India, 2020.
- Central Water Commission, "Indira Gandhi Canal Project," Government of India, 2019.
- Central Water Commission, "Nagarjuna Sagar Project," Government of India, 2018.
- NABARD, "Minor Irrigation Schemes," Government of India, 2020.
- Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, "Minor Irrigation Projects," Government of India, 2019.
- Madhava Chandran K and Ambili G.K. 2016. Evaluation of minor irrigation schemes using performance indicators: case studies from South India. *Sustain. Water Resour.Manag.*2: 431-437
- Mahesh P. Tripathi, R.K. Nema, M.K. Avasthi and Tiwari, Y.K.2018. Performance evaluation of minor irrigation project using canal performance indicator. *Int.J.Curr. Microbiol. App.Sci.* 7(01): 1895-1903.

इकाई-09 ग्रामीण भण्डारण बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण

ईकाई की रूपरेखा

- 9.1 उद्देश्य
- 9.2 प्रस्तावना
- 9.3 ग्रामीण भण्डारण योजना की पृष्ठभूमि
- 9.4 विभिन्न ग्रामीण भंडारण प्रकारों का महत्व
- 9.5 ग्रामीण भंडारण योजना की महत्वपूर्ण शर्तें
- 9.6 ग्रामीण भण्डारण योजना की विशेषताएं
- 9.7 बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण
- 9.8 प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
- 9.9 प्रमुख सूखा से प्रभावित क्षेत्र
- 9.10 बाढ़ के कारण और परिणाम
- 9.11 सूखा और उसके कारण
- 9.12 सूखे का आर्थिक प्रभाव
- 9.13 ग्रामीण भण्डारण का बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण सम्बन्धी भूमिका
- 9.14 सारांश
- 9.15 बोध प्रश्न
- 9.16 उपयोगी पुस्तके

9.1 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण भण्डारण योजना की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में विभिन्न ग्रामीण भंडारण प्रकारों से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में बाढ़ के कारण और परिणाम से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई ग्रामीण भण्डारण का बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण सम्बन्धी भूमि के बारे में जानेंगे।

9.2 प्रस्तावना

ग्रामीण भण्डारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कृषि उत्पादों के संग्रहण और संरक्षण से संबंधित है। यह किसानों को अपनी फसल को उचित तरीके से संग्रहित करने और सही समय पर बाजार में बेचने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, यह किसानों की आय में सुधार और कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करने में सहायक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण सुविधाओं का निर्माण करना, जैसे कि गोदाम, साइलो, और कोल्ड

स्टोरेज आदि। यह किसानों को उनकी उपज को सुरक्षित और लंबे समय तक संग्रहित करने में मदद करता है। किसानों को उचित भण्डारण तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देना, ताकि वे अपनी फसल को सही तरीके से संग्रहित कर सकें और उसकी गुणवत्ता बनाए रख सकें। भण्डारण सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि छोटे और मध्यम किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। किसानों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना, जिससे वे एक साथ मिलकर भण्डारण सुविधाओं का उपयोग कर सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। नवीनतम प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करना, जैसे कि सेंसर और मॉनिटरिंग सिस्टम, ताकि भण्डारण की स्थिति का लगातार निगरानी की जा सके और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।

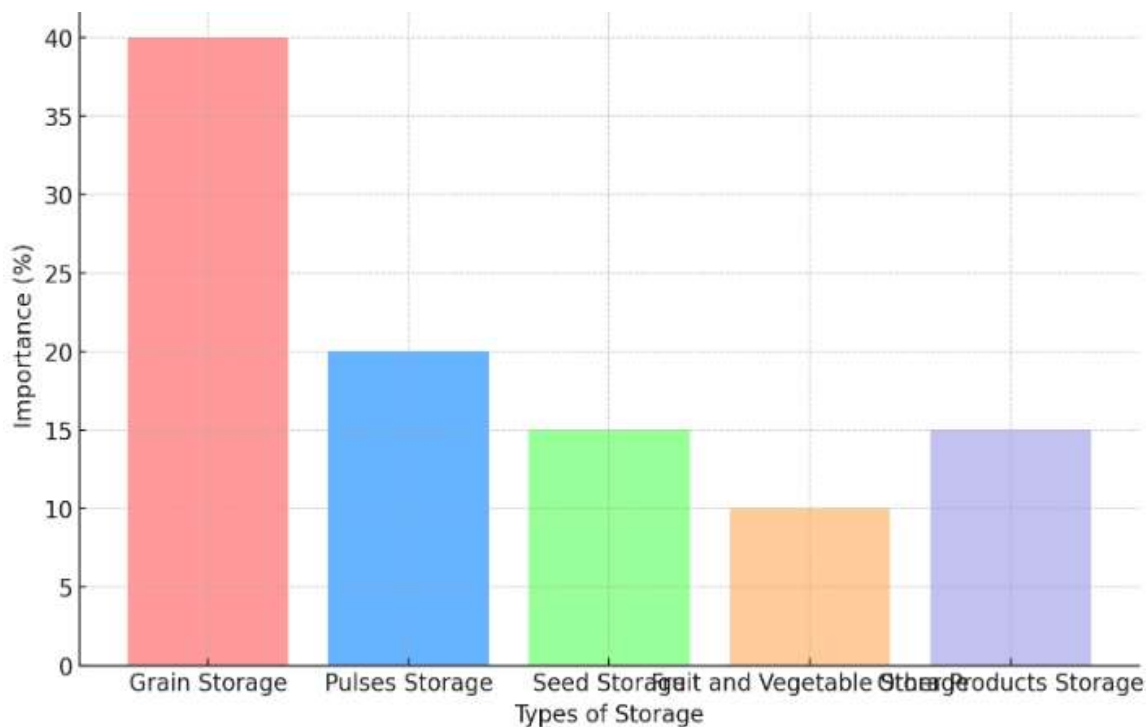
9.3 ग्रामीण भण्डारण योजना की पृष्ठभूमि

ग्रामीण भण्डारण योजना की पृष्ठभूमि भारत की कृषि प्रणाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना की पृष्ठभूमि को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय है, जिसमें एक बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। कृषि उत्पादों की समय पर और सही कीमत पर बिक्री किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों को फसलों की कटाई के बाद भण्डारण की कमी, उचित मूल्य न मिलना, और फसल की बर्बादी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। भण्डारण आवश्यकता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होता है। इससे किसानों को अपनी फसलों को तुरंत बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे बाजार में कीमतें कितनी भी कम क्यों न हों। उचित भण्डारण न होने से बड़ी मात्रा में फसल की बर्बादी होती है, जिससे किसानों की आय में कमी आती है। इन चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने किसानों की मदद के लिए ग्रामीण भण्डारण योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य किसानों को भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है ताकि वे अपनी फसलों को उचित मूल्य पर बेच सकें और भण्डारण की समस्या से निपट सकें। इस योजना ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भण्डारण की सुविधा मिलने से वे अपनी फसलों को बेहतर मूल्य पर बेच सकते हैं। उचित भण्डारण से फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। ग्रामीण भण्डारण योजना की पृष्ठभूमि को समझने से स्पष्ट होता है कि यह योजना किसानों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना न केवल किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है।

ग्रामीण भण्डारण के विभिन्न पहलुओं और उनके महत्व को दृश्य रूप से दर्शाने के लिए बार ग्राफ प्रस्तुत किया गया है। इसमें अनाज भण्डारण, दालों का भण्डारण, बीज भण्डारण, फल और सब्जियों का भण्डारण और अन्य उत्पाद भण्डारण जैसी श्रेणियां शामिल होंगी, साथ ही उनका महत्व भी बताया जाएगा। यह बार ग्राफ विभिन्न प्रकार के ग्रामीण भण्डारण के महत्व को दर्शाता है:

- अनाज भण्डारण: 40%
- दाल भण्डारण: 20%
- बीज भण्डारण: 15%
- फल और सब्जी भण्डारण: 10%
- अन्य उत्पाद भण्डारण: 15%

9.4 विभिन्न ग्रामीण भंडारण प्रकारों का महत्व



9.5 ग्रामीण भंडारण योजना की महत्वपूर्ण शर्तें

सब्सिडी: सरकारी प्रोत्साहन या सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय सहायता या समर्थन है जो आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक नीति को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ किसी उद्योग को दिया जाता है।

गोदाम: गोदाम एक प्रकार की वाणिज्यिक संरचना है जिसमें भंडारण के लिए उत्पाद रखे जाते हैं। ग्राहक जिन उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें इन वस्तुओं की मदद से बनाया जाता है।

नगर निगम: स्थानीय शासी निकाय के लिए कानूनी शब्द नगर निगम है, जिसमें शहर, काउंटी, कस्बे, टाउनशिप, चार्टर टाउनशिप, गांव और नगर शामिल हैं (लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है)।

ग्रामीण भण्डारण योजना का कार्यान्वयन

ग्रामीण भंडारण योजना शहरी, ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों में भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है। एससी या एसटी समुदाय के उद्यमियों के लिए, पूंजीगत लागत का 33.33 प्रतिशत दिया जाता है, जिसमें अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी लगभग 3 करोड़ रुपये है। कृषि स्नातकों या पेशेवरों के लिए, कुल पूंजीगत लागत का 25% दिया जाता है, जिसमें अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी 2.25 करोड़ रुपये है। कॉरपोरेट्स, व्यक्तियों या कंपनियों के लिए, कुल पूंजीगत लागत का 15% दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.35 करोड़ रुपये है। यदि एनसीडीसी की सहायता से गोदामों का जीर्णोद्धार किया जाना है, तो सब्सिडी कुल पूंजीगत लागत के 25% पर तय की गई है। सरकार कुल पूंजीगत लागत की गणना करने के लिए एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग करती है नाबार्ड प्राथमिक बैंक है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, कृषि विकास वित्त कंपनियों, शहरी सहकारी बैंकों और अन्य अनुमोदित एजेंटों से वित्तीय सहायता से निर्मित या पुनर्निर्मित गोदामों के लिए सब्सिडी वितरित करता है।

9.6 ग्रामीण भण्डारण योजना की विशेषताएं

ग्रामीण भण्डारण योजना की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- इस योजना के तहत गोदामों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी सामान्यतः 25% से 33% तक होती है, जो कि भंडारण क्षमता और क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती है।
- सब्सिडी के अलावा, लाभार्थियों को बैंक से रियायती दरों पर लोन भी प्राप्त हो सकता है, जिससे गोदाम की स्थापना की लागत को कम किया जा सके।
- योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, जैसे कि सामान्य भंडारण गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, और गोदामों का आधुनिकीकरण।
- गोदामों की क्षमता 50 से 10,000 मीट्रिक टन तक हो सकती है, जो कि किसानों और सहकारी समितियों की आवश्यकताओं के अनुसार हो सकती है।
- व्यक्तिगत किसान, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), और सहकारी समितियाँ इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- कृषि विपणन समितियाँ, निजी क्षेत्र के उद्यमी, और राज्य सरकारों के अधीन संस्थान भी लाभार्थियों में शामिल हैं।
- लाभार्थियों को भंडारण गोदामों की स्थापना और प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- किसानों और अन्य लाभार्थियों को भंडारण तकनीकों, फसल प्रबंधन, और विपणन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- गोदामों का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दिशानिर्देशों के अनुसार होता है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है।
- लाभार्थियों को भंडारण गोदामों के संचालन और रखरखाव के लिए उचित प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी होती है।
- लाभार्थियों को भंडारण गोदामों की स्थिति और उपयोगिता के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट देना होता है।
- भंडारण गोदामों से उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान हो जाता है, जिससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सकता है।
- भंडारण की सुविधा से फसलों की कीमतों में स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में उच्च मांग के समय बेच सकते हैं।
- भंडारण की सुविधा से किसानों को अपनी फसलों के लिए उचित मूल्य मिल सकता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
- भंडारण गोदामों में रखी गई फसलों के आधार पर किसान आसानी से बैंक से कर्ज प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान होता है।

ग्रामीण भण्डारण योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना की विशेषताएँ न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

9.7 बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण

जीवन के निर्वाह के लिए पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, फिर भी इसकी अधिकता से तबाही हो सकती है, जबकि कमी से त्रासदी हो सकती है। पानी की अधिक मात्रा से बाढ़ आ सकती है, जबकि पानी की कमी से सूखा पड़ सकता है। बाढ़ और सूखा जल स्तर में असंतुलन के कारण होने वाली गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। हालाँकि ये आपदाएँ ज्यादातर प्राकृतिक होती हैं, लेकिन वे मानवीय गतिविधियों से काफी प्रभावित होती हैं, जो उनके प्रभावों को और बढ़ा देती हैं। ऐतिहासिक रूप से, बाढ़ और सूखे दोनों की घटनाएँ होती रही हैं। हालाँकि, हाल के वर्षों में, जलवायु में बदलाव के कारण इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई है। बाढ़ और सूखे का पृथ्वी और जीवित आबादी के अस्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएँ दुनिया के किसी भी क्षेत्र में होने की संभावना है। हालाँकि, डेटा दर्शाता है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में इनका प्रभाव अधिक गंभीर है। यह मुख्य रूप से अमीर देशों में परिष्कृत चेतावनी प्रणालियों और प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणालियों की उपस्थिति के कारण है। आपदाओं की महामारी विज्ञान पर शोध केंद्र (CRED, 2004) की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1974-2003 के बीच सबसे अधिक आपदा घटनाओं, जैसे कि आंधी और बाढ़ का अनुभव किया है, जिसमें 506 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इन आपदाओं ने लगभग 4.5 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। इसके विपरीत, भारत ने इसी अवधि के दौरान 303 आपदा घटनाओं का अनुभव किया, लेकिन पीड़ितों की संख्या काफी अधिक थी, लगभग 1,932 मिलियन लोग प्रभावित हुए। बाढ़ तब आती है जब किसी स्थान पर पानी की मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र के भौतिक, अवसंरचनात्मक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को नुकसान होता है। बाढ़ किसी क्षेत्र में ज्यादातर भारी बारिश के कारण आती है जब प्राकृतिक जलमार्ग अतिरिक्त पानी को प्रभावी ढंग से प्रवाहित करने में असमर्थ होते हैं। बाढ़ तब आती है जब नदी के किनारे भारी बारिश के कारण पानी की अत्यधिक मात्रा को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त, तटीय क्षेत्रों में सुनामी या चक्रवात के दौरान तेज तूफान के परिणामस्वरूप बाढ़ आ सकती है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जल निकासी संरचना नहीं है, वे उच्च वर्षा की अवधि के दौरान बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। सूखा एक गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब लंबे समय तक वर्षा की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप फसलों को नुकसान होता है। सूखे की परिभाषा राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच भिन्न होती है, जो ज्यादातर औसत वर्षा के स्तर पर आधारित होती है। इसमें वे देश या क्षेत्र शामिल हैं जिनमें अक्सर वार्षिक औसत वर्षा कम होती है। जबकि वर्षा के बिना 5 से 6 दिनों की अवधि को सूखा नहीं माना जा सकता है, इसे उन देशों में सूखे की स्थिति कहा जाता है जहाँ पूरे वर्ष लगातार अधिक वर्षा होती है।

बाढ़ किसी देश के समाज और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, जिससे जीवन, वनस्पति, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है। इससे श्रम बल में कम लोग, कम कृषि और देश के विकास में योगदान देने वाले कम व्यवसाय होते हैं। लोगों का विस्थापन, जो अक्सर बेघर और बेरोजगार होते हैं, एक बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को इस अंतर को भरने के लिए भारी खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है, और देश अपने बुनियादी ढांचे को साफ करने और पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता ले सकता है। जबकि कुछ देश स्वेच्छा से समर्थन कर सकते हैं, अन्य अपने प्रयासों के लिए शुल्क ले सकते हैं, जिससे सहायता प्राप्त देश कर्ज में डूब जाता है और आर्थिक रूप से नुकसान में पड़ जाता है। बाढ़ सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जिससे अधिक आर्थिक नुकसान होता है और मानवीय गतिविधियों में मुश्किलें आती हैं। 2017 तक, जल-संबंधी प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में 306 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। 1980 और 2016 के बीच, 90% प्राकृतिक आपदाएँ जलवायु से संबंधित थीं, जिसमें 31% वैश्विक नुकसान तूफानों के कारण, 32% बाढ़ के कारण और 10% अत्यधिक तापमान के कारण हुआ। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन समुद्र के बढ़ते स्तर और कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की समस्याएँ बढ़ा सकता है।

भारत में बाढ़ से प्रभावित राज्य समय-समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ राज्य विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित टेबल में भारत के प्रमुख बाढ़-प्रभावित राज्यों की सूची दी गई है:

राज्य का नाम	प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
बिहार	उत्तर बिहार, कोसी क्षेत्र

राज्य का नाम	प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश	पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र
पश्चिम बंगाल	उत्तरी बंगाल, सुंदरबन
असम	ब्रह्मपुत्र घाटी
ओडिशा	महानदी डेल्टा, तटीय क्षेत्र
केरल	तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र
गुजरात	सौराष्ट्र, कच्छ
महाराष्ट्र	कोकण क्षेत्र, तटीय क्षेत्र
कर्नाटक	तटीय क्षेत्र, मलनाड क्षेत्र
पंजाब	सतलुज नदी का बेसिन
तमिलनाडु	तटीय क्षेत्र, चेन्नई
हरियाणा	यमुना नदी का बेसिन

भारत में सूखे से प्रभावित राज्य विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। निम्नलिखित तालिका में भारत के प्रमुख सूखा-प्रभावित राज्यों की सूची दी गई है। भारत में सूखे से प्रभावित राज्य विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। निम्नलिखित तालिका में भारत के प्रमुख सूखा-प्रभावित राज्यों की सूची दी गई है:

राज्य का नाम	प्रमुख सूखा से प्रभावित क्षेत्र
महाराष्ट्र	मराठवाड़ा, विदर्भ
राजस्थान	पश्चिमी राजस्थान (थार मरुस्थल)
गुजरात	कच्छ, सौराष्ट्र
कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक, रायचूर बलारी क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा, अनंतपुर
तेलंगाना	उत्तरी तेलंगाना
मध्य प्रदेश	बुंदेलखंड, विदिशा
उत्तरप्रदेश	बुंदेलखंड, मिर्जापुर

राज्य का नाम	प्रमुख सूखा से प्रभावित क्षेत्र
तमिलनाडु	रामनाथपुरम, विरुधुनगर
ओडिशा	पश्चिमी ओडिशा
छत्तीसगढ़	दक्षिणी छत्तीसगढ़, बस्तर
झारखंड	पलामू, गढ़वा

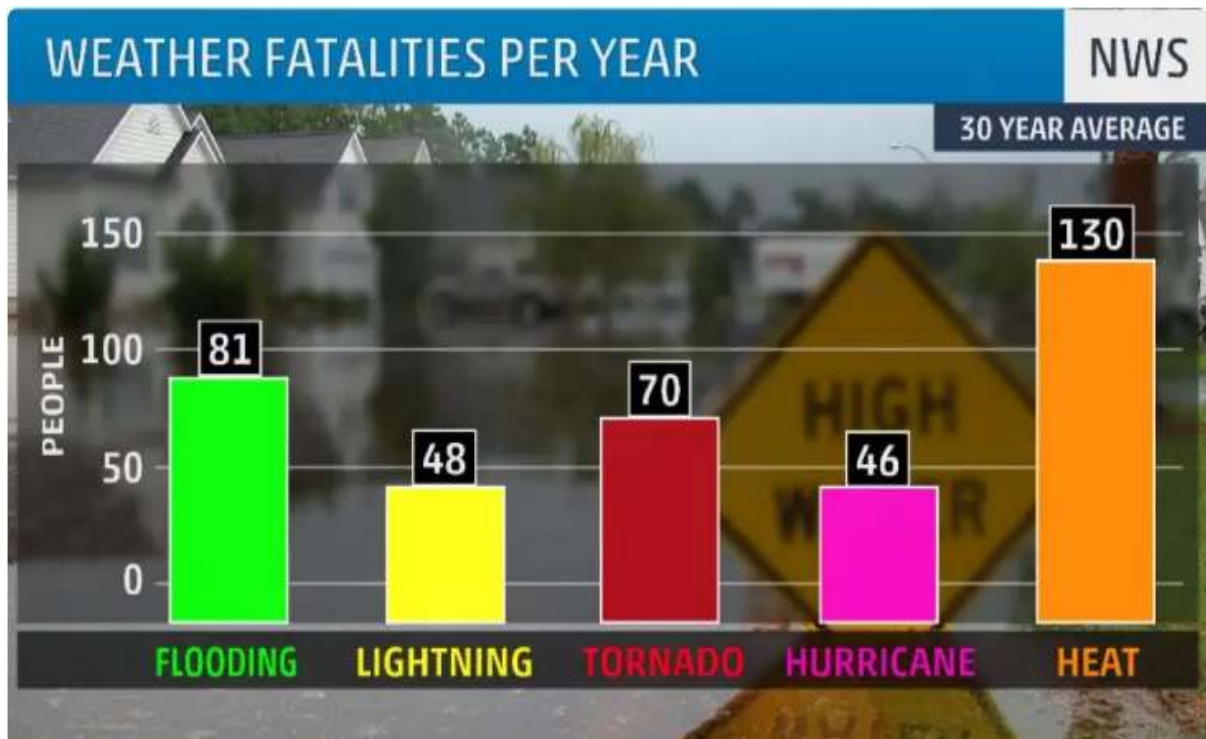
9.8 बाढ़ के कारण और परिणाम

बाढ़ कई कारणों से आती है, जिसमें तीव्र वर्षा, पानी के ऊपर तेज हवाएँ, असामान्य उच्च ज्वार, सुनामी, बाँध टूटना और पानी को रोकने वाले तालाबों या संरचनाओं का बढ़ता स्तर शामिल है। वे तब आते हैं जब झीलों, नदी के किनारे, मिट्टी और वनस्पतियाँ सारा पानी सोख नहीं पातीं, जिससे यह इतनी मात्रा में भूमि से बाहर निकल जाता है कि इसे नदी के माध्यम से नहीं पहुँचाया जा सकता या प्राकृतिक तालाबों, झीलों और मानव निर्मित जलाशयों में नहीं रखा जा सकता। कुल वर्षा का लगभग 30% छोटे अपवाह के रूप में होता है, और यह मात्रा जहाँ मौजूद है वहाँ पिघले हुए बर्फ के पानी से बढ़ सकती है। नदी की बाढ़ आमतौर पर भारी वर्षा के कारण होती है, कभी-कभी बर्फ पिघलने से बढ़ जाती है। अचानक बाढ़, जो बहुत कम या बिना किसी पूर्व चेतावनी के होती है, आमतौर पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में भारी बारिश के कारण होती है या यदि क्षेत्र पहले से ही पिछली बारिश से संतृप्त हो चुका हो। पानी के ऊपर तेज हवाएँ भी बाढ़ का कारण बन सकती हैं, यहाँ तक कि तूफानों के दौरान भी जो तटीय क्षेत्रों में पानी उड़ा देते हैं। असामान्य उच्च ज्वार तटीय क्षेत्रों में तब भी आ सकते हैं जब वे असामान्य रूप से उच्च ज्वार से भर जाते हैं। बाढ़ के कारण कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें संपत्ति को नुकसान, मानव और अन्य जीवित प्राणियों को खतरा, मिट्टी का कटाव, तलछट का जमाव और मछली प्रजनन स्थलों और वन्यजीवों के आवासों का विनाश शामिल है। वे जल निकासी, आर्थिक भूमि उपयोग, कृषि को भी बाधित कर सकते हैं और बाढ़ वाले क्षेत्रों में पुल के खंभों, सीवेज सिस्टम और अन्य संरचनाओं को संरचनात्मक नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाढ़ के कारण होने वाला वित्तीय नुकसान आम तौर पर हर साल लाखों डॉलर का होता है।

यूनेस्को के अनुसार, बाढ़ और सूखे के कारण सभी क्षेत्रों में सालाना 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान होता है, जबकि तूफान के कारण औसतन 46 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। अफ्रीका और एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, अनुमान है कि 2030 तक ये नुकसान 200-400 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। ये नुकसान पानी, भोजन और ऊर्जा सुरक्षा को काफी प्रभावित करते हैं और मौजूदा विकास सहायता का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं।

सी की रिपोर्ट है कि जल-संबंधी आपदाएँ सभी आपदाओं का 90% हिस्सा हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक लागत बढ़ती जा रही है। 2017 तक, इन आपदाओं के कारण दुनिया भर में 306 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 1980 और 2016 के बीच, 90% आपदाएँ जलवायु से संबंधित थीं, 2016 में 31% नुकसान तूफानों, 32% बाढ़ और 10% अत्यधिक तापमान के कारण हुआ। इस प्रवृत्ति को संबोधित करने के लिए किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

एस्पेरे के अनुसार, बाढ़ सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक आपदा है, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान और मानवीय गतिविधि में कठिनाइयाँ होती हैं। सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं में से लगभग 90% नुकसान बाढ़ और उससे जुड़े जल प्रवाह के कारण होते हैं, बाढ़ से होने वाली मौतें बवंडर और तूफान से होने वाली मौतों से लगभग दोगुनी होती हैं।



https://weather-com.translate.google/science/weather-explainers/news/weather-event-fatalities-heat?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=imgs

9.9 सूखा और उसके कारण

जलवायु परिवर्तन और वर्षा के आधार पर कई क्षेत्रों में सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने की उम्मीद है। सूखे का कारण वर्षा में कमी, नदी और जल प्रवाह में कमी, झील और जलाशय के जल स्तर में गिरावट और कुओं के पानी की गहराई में वृद्धि हो सकती है। यदि शुष्क मौसम बना रहता है और जल-आपूर्ति संबंधी समस्याएँ विकसित होती हैं, तो शुष्क अवधि सूखे में बदल सकती है। सूखे को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: मौसम संबंधी सूखा, जो कि वर्षा की कमी के साथ-साथ संभावित वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि है, जो एक बड़े क्षेत्र में फैलता है और एक लंबी अवधि तक रहता है; मिट्टी की नमी का सूखा, जड़ क्षेत्र में मिट्टी की नमी की कमी, वनस्पति की नमी की आपूर्ति को कम करना और कृषि सूखा, जो फसल की विफलता से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है।

जल विज्ञान संबंधी सूखा सतही और उपसतही जल में नकारात्मक विसंगतियों से संबंधित एक व्यापक शब्द है। उदाहरण के लिए, सामान्य से नीचे भूजल स्तर या झीलों में जल स्तर, घटता हुआ आर्द्रभूमि क्षेत्र और नदी के बहाव में कमी आदि।

सामाजिक-आर्थिक सूखा ऊपर बताए गए तीन प्रकारों के प्रभावों से जुड़ा हुआ है। यह जल संसाधन प्रणालियों की पानी की मांग को पूरा करने में विफलता और सूखे के पारिस्थितिक या स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को संदर्भित कर सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिक प्रकार के सूखे के प्रभाव मौसम संबंधी सूखे की तुलना में जल विज्ञान संबंधी सूखे से संबंधित हैं।

भूजल या हाइड्रोलॉजिकल सूखा भूजल स्तर में कमी की अवधि है, जो भूजल की स्थितियों और मनुष्यों और पर्यावरण की जरूरतों में अंतर के कारण क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर अलग-अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों में जल स्तर और प्रवाह में कमी आ सकती है, जिससे भूजल की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। भूजल पृथ्वी पर जल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हाइड्रोलॉजिकल चक्र में सबसे बड़ा संभावित मीठा पानी है। ज्यादा खपत से ज्यादातर देशों में भूजल स्तर में कमी आ सकती है। सूखे के दौरान भूजल प्रणाली पुर्तिकर स्रोत

के रूप में काम कर सकती है, और अगर भूजल भंडारण बढ़ा है और मौजूदा भूजल विकास के प्रभाव कम हैं तो सूखा और भी गंभीर हो सकता है। भूजल विकास और निरंतर भूजल निकासी के अभाव में, कम जल स्तर हो सकता है। सूखे के दौरान तटीय क्षेत्रों में मीठे पानी के कम निर्वहन से समुद्री जल सीमा से परे भूमि की ओर बढ़ आ सकती है, जिससे फिर से भूमि का अवतलन हो सकता है। सूखे के लिए एक आम प्रतिक्रिया अधिक कुँ खोदना है, लेकिन भूजल के बढ़ते उपयोग से भूजल विकास में स्थायी, अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। भूजल प्रणालियाँ सतही जल प्रणालियों की तुलना में अल्पकालिक जलवायु परिवर्तनशीलता पर अधिक धीमी गति से प्रतिक्रिया करती हैं, इसलिए भूजल संसाधनों और संबंधित मॉडल सिमुलेशन का आकलन अक्सर औसत स्थितियों पर आधारित होता है।

जलवायु परिवर्तन वर्षा, तापमान और मौसमी वितरण में परिवर्तन, गंभीर सूखा, वनस्पति परिवर्तन और बैकअप स्रोत के रूप में भूजल की बढ़ती मांग के माध्यम से भूजल स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। भूजल संसाधनों की स्थिरता और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। दुनिया की बढ़ती आबादी की पानी की उच्च मांगों ने जल संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है। जलवायु परिवर्तन का जल विज्ञान व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे पानी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। सूखा जलवायु परिवर्तन से होने वाला सबसे बड़ा खतरा है, जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ता है। सूखे ने मध्य पूर्व और अफ्रीका में संकट पैदा कर दिया है, जिससे जल संसाधनों की मांग बढ़ गई है। जल विज्ञान संबंधी सूखा विभिन्न जल विज्ञान संबंधी अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे जल गुणवत्ता प्रबंधन, जलविद्युत और पारिस्थितिक आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम डाउनस्ट्रीम प्रवाह आवश्यकताओं का निर्धारण, सिंचाई प्रणाली का डिजाइन और अपशिष्ट जल उपचार आदि।

यदि बढ़ पानी की अधिकता के कारण होती है, तो सूखे की वजह पानी की कमी और सूखे के कारण होती है और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी के कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है। सूखे के मुख्य कारण हैं:

सतही जल प्रवाह में कमी— जब जल विद्युत संयंत्रों और सिंचाई सुविधाओं के लिए बांधों या जलाशयों में भंडारण के कारण धाराएँ और नदियाँ जैसे सतही जल निकाय कम हो जाते हैं या सूख जाते हैं, तो नदी के निचले इलाकों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

वनों की कटाई— वाष्पीकरण, वर्षा और संचनन सहित पृथ्वी का जल विज्ञान चक्र पौधों और पेड़ों द्वारा बनाए रखा जाता है। पेड़ों में जल धारण करने की क्षमता होती है और वे वाष्पीकरण को नियंत्रित करते हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों के कारण वनों की कटाई से सतह का क्षरण होता है, भूजल स्तर कम होता है और लंबे समय तक सूखा, रेगिस्तान और सूखे का संकट पैदा होता है।

ग्लोबल वार्मिंग— ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि ने जलवायु को काफी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्र सूख जाते हैं और जंगल आग पकड़ लेते हैं जिससे रेगिस्तानीकरण और सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

9.10 सूखे का आर्थिक प्रभाव

वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पानी बहुत जरूरी है, जिसका असर लोगों, व्यवसायों और सरकारों पर पड़ता है। कृषि में, फसल उत्पादन पानी की आपूर्ति पर निर्भर करता है, और कमी से किसानों के लाभ व आय में कमी आ सकती है। इससे खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ सकती है, जिससे बुनियादी वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर खरीदारों, खास तौर पर कम आय वाले समूह पर पड़ता है। आयात भी जरूरी हो सकता है, जिससे सरकार को नुकसान हो सकता है। सूखे की स्थिति विनिर्माण, कृषि उत्पाद और पानी के मनोरंजक उद्योगों जैसे व्यवसायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जो पानी पर निर्भर हैं। लंबे समय तक सूखे की स्थिति व्यवसायों को संचालन बंद करने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे कई लोग बेरोजगार हो सकते हैं। सूखे की स्थिति हवा के कटाव, बीमारियों और महामारी के जोखिम को भी बढ़ाती है, जिससे व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्र को नुकसान होता है। कम वर्षा, उच्च तापमान और सूखापन जंगल की आग का कारण भी बन सकता है, जिससे जानवरों और मनुष्यों दोनों के आवासों को नुकसान पहुँच सकता है। पानी

की कमी या सतही पानी का सूखापन जल विद्युत उत्पादन और जलमार्गों के माध्यम से परिवहन को प्रभावित कर सकता है। सूखे जैसी स्थिति पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे कई जल-जनित जीवों और जानवरों की मृत्यु हो सकती है। वर्षा की दीर्घकालिक कमी से मृदा अपरदन भी हो सकता है, जिससे जैविक उत्पादन कम हो सकता है और भूमि क्षरण हो सकता है। इससे कई जीव-जंतु विलुप्त हो सकते हैं।

9.11 ग्रामीण भण्डारण का बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण सम्बन्धी भूमिका

ग्रामीण भण्डारण का बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां पर यह समझाना आवश्यक है कि ग्रामीण भण्डारण केवल कृषि उत्पादों के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जल संसाधनों के प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में ग्रामीण भण्डारण कैसे मददगार हो सकता है, इसका विवरण निम्नलिखित है:

बाढ़ नियंत्रण में ग्रामीण भण्डारण की भूमिका :

जल संचयन संरचनाएं : तालाब, जलाशय, और चेक डैम जैसी संरचनाओं का निर्माण करके बारिश के पानी को संग्रहित किया जा सकता है। यह बाढ़ के समय अधिक पानी को नियंत्रित करने में सहायक होता है।

सपाट जल निकासी प्रणाली : जल निकासी चैनलों का उचित निर्माण और रखरखाव बाढ़ के पानी को गांवों और खेतों से बाहर निकालने में मदद करता है।

हरित आवरण और वन संरक्षण : पेड़-पौधों का संरक्षण और वृक्षारोपण करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और बाढ़ की संभावना कम होती है।

जलभराव क्षेत्र (वेटलैंड्स) : जलभराव क्षेत्रों को संरक्षित करना, जिससे कि वे अतिरिक्त पानी को सोख सकें और बाढ़ को नियंत्रित कर सकें।

सूखा नियंत्रण में ग्रामीण भण्डारण की भूमिका:

जल संरक्षण तकनीकें: ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आदि तकनीकों का उपयोग करके जल की बचत की जा सकती है और सूखे के समय उपयोग के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है।

भूमिगत जल पुनर्भरण: वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूमिगत जल स्तर को पुनर्भरित किया जा सकता है, जिससे सूखे के समय पानी की उपलब्धता बनी रहे।

सूखा प्रतिरोधी फसलों का भंडारण: सूखा प्रतिरोधी फसलों का संग्रहण और उनके बीजों का सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है, जिससे सूखे के समय फसलों का उत्पादन संभव हो सके।

फसल चक्र और मिश्रित खेती: विविध प्रकार की फसलों को उगाने और उनके भंडारण से सूखे के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

9.12 सारांश

ग्रामीण भण्डारण का प्रभावी उपयोग बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके माध्यम से जल संचयन और निकासी संरचनाओं का निर्माण करके बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। जल संरक्षण तकनीकों और भूमिगत जल पुनर्भरण के माध्यम से सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फसल भंडारण और प्रबंधन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार, ग्रामीण भण्डारण न केवल कृषि उत्पादों की सुरक्षा में बल्कि जल संसाधनों के प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए समग्र और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिसमें सरकार, स्थानीय समुदाय, और संबंधित संस्थाओं का सहयोग शामिल होता है।

9.13 बोध प्रश्न

- ग्रामीण भण्डारण योजना से आप क्या समझते हैं ?
- ग्रामीण भण्डारण योजना अध्ययन की व्याख्या कीजिए।
- बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण की विवेचना कीजिए।
- बाढ़ के कारण और परिणाम की विवेचना कीजिए।
- सूखा और उसके कारण की व्याख्या कीजिए।
- ग्रामीण भण्डारण का बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण सम्बन्धी भूमिका की विवेचना कीजिए।

9.14 उपयोगी पुस्तकें

- <https://www.linkedin.com/pulse/rural-storage-india-need-hour-kamlendra-srivastava?trk=pulse-article>
- <https://www.geeksforgeeks.org/gramin-bhandaran-yojana-or-rural-godown-scheme/>
- डिकिन, ई., राइट, डी. द इफेक्ट आफ विंटर वाटर लागिंग एण्ड समर ड्राट्स आन द ग्रोथ एण्ड यिल्ड आफ विंटर वीट (ट्रिटिकम एस्टिवम एल.), यूरो. जे. एग्रोन. 244-234 ,28 ,2008
- वू, जेड.डब्ल्यू.य ली, जे.पी.य वह, जे.एच.य जियांग, जेड.एच. लार्ज स्केल एटमोस्फेरिक सिंगुलेरिटीस एण्ड समर लांग साइकिल ड्राउट्स फ्लूड अर्बरेष्ट अटरनेशन इन द मीडिल एण्ड लोवर रिचेस आफ द यांग्जी रिवर, चिन. साइंस. बुल- 2034-2027 ,51 ,2006
- उल्लाह, ए. सन, एच., यांग, एक्स., झांग, एक्स.एल, ड्राट कपिंग स्ट्रेटजीस इन काटन इनक्रिस्ड क्राप पर ड्राप, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 2017,15 ,271 –284
- क्रिसानोवा वी, ब्यूटेवेल्ड एच, हासे डी, हैटरमैन एफ—एफ, वैन नीकेर्क, रोस्ट के, मार्टिनेज और सैंटोस पी, शल्टर एम, प्रैक्टिसेस एण्ड लेसेन्स लर्नड इन कपिंग विथ क्लाइमेट हर्जेड्स एट द रिवर बेसिन स्केल, इकोल—सोक—2008,13 ,1 –28
- गुनरलप, बी.य गुनरलप, आई.य लियू, वाई, चेन्जिंग ग्लोबल पैटर्न आफ अर्बन एक्पोसर टू फ्लूड एण्ड ड्रोत्स हर्जेड्स, ग्लोब एनवायरनमेंटल चेंज, 2015,31 ,217 .225
- बनर, एम.आई.य स्लेटर, एल.य टैलाकसेन, एल.एम.य क्लार्क, एम, चौलेंजिंग इन माडलिंग एण्ड प्रिडिक्टिंग फ्लूड एण्ड ड्रोत्स— ए रिव्यू विले इंटरडिसिप्लिनरी रेव वाटर 2021,8 ,1520
- एलिस बी, स्कॉल्स एल, रेविट एम, वियावाटेने सी (2008)ए स्टॉर्मवॉटर बाढ़ और प्रदूषण प्रबंधन के लिए जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रणए दृष्टिकोण स्विच 1—11
- कार्टर एन (2005)ए बाढ़ जोखिम प्रबंधन बुनियादी ढांचे में संघीय भूमिकाए कांग्रेस के लिए सीआरएस रिपोर्ट, डेंटन, टेक्सास, यूएसए
- स्टैटिस्टा (2018), 1900 से 2016 तक दुनिया भर में आई महत्वपूर्ण बाढ़ से हुई आर्थिक क्षति (बिलियन अमेरिकी डॉलर में), सांख्यिकी पोर्टल, स्टैटिस्टा, न्यूयॉर्क, यूएसए
- ओपरमैन जे ए (2014), लाभ की बाढ़—बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए हरित बुनियादी ढांचे का उपयोग करनाए संरक्षण गेटवे

इकाई-10 कृषि जिंस वायदा बाजार

ईकाई की रुपरेखा

- 10.0 उद्देश्य
- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि वस्तुओं की भूमिका
- 10.3 भारत में कमोडिटी बाजारों की संरचना
- 10.4 भारत में कमोडिटी वायदा बाजार
- 10.5 भारत में कृषि जिंस वायदा बाजार
- 10.6 भारत में कृषि वस्तुओं के लिए भावी बाजार
- 10.7 कृषि जिंसों के वायदा कारोबार में सट्टेबाजी
- 10.8 सारांश
- 10.9 बोध प्रश्न
- 10.10 उपयोगी पुस्तकें

10.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि वस्तुओं की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कमोडिटी बाजारों की संरचना से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कमोडिटी वायदा बाजार की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कृषि जिंस वायदा बाजार से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई कृषि जिंसों के वायदा कारोबार में सट्टेबाजी के बारे में जानेंगे।

10.1 प्रस्तावना

कृषि जिंस वायदा बाजार भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरीकरण, जोखिम प्रबंधन और निवेश के अवसरों के लिए तंत्र प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बाजार उत्पादकों, व्यापारियों और निवेशकों को ऐसे अनुबंधों में शामिल होने में सक्षम बनाता है जो पूर्व निर्धारित कीमतों पर कृषि जिंसों की भविष्य की डिलीवरी को निर्दिष्ट करते हैं। ऐसा करके, यह कृषि क्षेत्र में निहित मूल्य अस्थिरता और बाजार अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद करता है। भारत में, कृषि जिंस वायदा बाजारों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है और राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) जैसे एक्सचेंजों के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है। ये प्लेटफॉर्म गेहूं, चावल, चीनी और कपास जैसी जिंसों पर विभिन्न वायदा अनुबंध प्रदान करते हैं। हालांकि, वायदा बाजार की प्रभावशीलता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए बाजार में हेरफेर, अपर्याप्त तरलता और किसानों के बीच जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, कृषि वस्तु वायदा बाजार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कृषि क्षेत्र में स्थिरता, निवेश और विकास को बढ़ावा देता है। इसका विकास और प्रभावी विनियमन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि यह किसानों और कृषि मूल्य श्रृंखला में शामिल अन्य हितधारकों की आर्थिक भलाई का समर्थन करना जारी रखे।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जिंस वायदा बाजार का महत्वपूर्ण स्थान है। वायदा बाजार उन बाजारों को

संदर्भित करता है जहां पर आने वाले समय में कृषि जिंसों के लिए अनुबंध किए जाते हैं, जिनमें दोनों पक्ष भविष्य की तारीख में एक निश्चित कीमत पर जिंस की बिक्री या खरीद के लिए सहमत होते हैं।

- वायदा अनुबंध: वायदा अनुबंध ऐसे संविदा होते हैं जिनमें विक्रेता और खरीदार भविष्य की तारीख में एक निश्चित कीमत पर कृषि उत्पादों का लेन-देन करने के लिए सहमत होते हैं। यह कीमत वायदा अनुबंध के समय तय होती है।
- संकट प्रबंधन: कृषि जिंस वायदा बाजार किसानों और व्यापारियों को मूल्य अस्थिरता से बचने में मदद करता है। यह फसल के उत्पादन से पहले ही लाभ और हानि को सीमित करने का मौका प्रदान करता है।
- निवेश के अवसर: वायदा बाजार निवेशकों को कृषि जिंसों में निवेश करने का एक तरीका प्रदान करता है, जिससे उन्हें लाभ कमाने का मौका मिलता है और किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक स्थिर बाजार मिलता है।
- मूल्य पूर्वानुमान: वायदा बाजार कृषि उत्पादों के मूल्य के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। इससे बाजार की आपूर्ति और मांग के बारे में पूर्वविचार किया जा सकता है।
- नियामक ढांचा: भारतीय कृषि जिंस वायदा बाजार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और वस्त्र और वस्त्र के संघीय ब्यूरो (FCI) जैसे नियामक निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन निकायों का उद्देश्य बाजार की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
- बाजार संरचना: भारत में प्रमुख वायदा एक्सचेंजों में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) शामिल हैं। ये एक्सचेंज विभिन्न कृषि उत्पादों के वायदा अनुबंधों की पेशकश करते हैं।

10.2 भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि वस्तुओं की भूमिका

कृषि लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी स्तंभ रही है, जो इसके विकास पथ को आकार देती है और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक के रूप में, भारत का कृषि क्षेत्र आजीविका को बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के सापेक्ष गिरावट के बावजूद, कृषि अपने पर्याप्त रोजगार आधार और ग्रामीण विकास पर इसके प्रभाव के कारण अभिन्न बनी हुई है। चावल और गेहूं जैसे प्रमुख अनाज से लेकर कपास और चाय जैसी नकदी फसलों तक की विविध कृषि वस्तुएँ भारत के कृषि उत्पादन का आधार बनती हैं। ये वस्तुएँ न केवल घरेलू खपत की जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण निर्यात मात्रा के माध्यम से वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को भी मजबूत करती हैं। इस क्षेत्र की गतिशीलता सरकारी नीतियों, बाजार के रुझान, जलवायु स्थितियों और तकनीकी प्रगति सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है।

भारत सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और उचित बाजार पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई नीतियाँ और समर्थन तंत्र लागू किए हैं। हालाँकि, इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तनशीलता, संसाधन की कमी और संधारणीय प्रथाओं की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे-जैसे भारत विकसित होता जा रहा है, कृषि क्षेत्र का भविष्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ खेती के तरीकों और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के एकीकरण पर निर्भर करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में कृषि वस्तुओं की भूमिका को समझने से इस क्षेत्र के महत्व और व्यापक आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में जानकारी मिलती है।

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला बना हुआ है, जो घरेलू बाजार और वैश्विक व्यापार दोनों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद में अपनी घटती हिस्सेदारी के बावजूद, कृषि रोजगार, ग्रामीण आय और खाद्य सुरक्षा का एक प्रमुख स्रोत बनी हुई है। कृषि वस्तुओं की विविधता मुख्य अनाज से लेकर

नकदी फसलों तक आजीविका को बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने में इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करती है। सरकारी पहलों और नीतियों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना है, जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन और बाजार पहुँच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। ये प्रयास इस क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने और इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, लगातार चुनौतियाँ निरंतर सुधारों और नवाचारों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

भारतीय कृषि का भविष्य उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल होने, संधारणीय प्रथाओं को अपनाने और वैश्विक बाजारों की जटिलताओं को नेविगेट करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हुए, भारत अपने कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन कर सकता है, जिससे व्यापक आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा और अपने लाखों नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे-जैसे राष्ट्र प्रगति करेगा, कृषि और आर्थिक विकास के बीच अंतर्सम्बन्ध भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने और इसके विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा।

कृषि उत्पाद खेती से प्राप्त कच्चे उत्पाद हैं जिनका वैश्विक बाजारों में कारोबार होता है। इनमें फसलें, पशुधन और अन्य उत्पाद शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख श्रेणियाँ दी गई हैं:

श्रेणी	उदाहरण	उपयोग
अनाज और अनाज	गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, जई, बाजरा	सामान्य खाद्य पदार्थ, पशु आहार, औद्योगिक उपयोग
तेल बीज और दालें	सोयाबीन, कैनोला, सूरजमुखी के बीज, दालें, चने	खाना पकाने के तेल, प्रोटीन स्रोत, पशु आहार
फल और सब्जियाँ	सेब, संतरे, केले, आलू, टमाटर, प्याज	ताजे उपभोग, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
पशुधन और मांस	गोमांस, सूअर का मांस, चिकन, मेमना, डेयरी उत्पाद	मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद
फाइबर	कपास, ऊन, अलसी	वस्त्र, कपड़े, औद्योगिक उत्पाद
चीनी और मिठास	गन्ने की चीनी, उच्च-फ्रुक्टोज मकई सिरप	खाद्य और पेय पदार्थों में मिठास
कॉफी और चाय	कॉफी बीन्स, चाय की पत्तियाँ	पेय पदार्थ
मसाले और जड़ी-बूटियाँ	काली मिर्च, दारचीनी, लौंग, तुलसी	स्वाद देने के लिए, औषधीय उपयोग

10.3 भारत में कमोडिटी बाजारों की संरचना

भारत में कमोडिटी बाजार दो रूपों में संचालित होता है: ओवर-द-काउंटर (OTC) स्पॉट बाजार और एक्सचेंज-आधारित बाजार। स्पॉट बाजार मुख्य रूप से कमोडिटी से जुड़े लोगों के लिए होते हैं, जैसे किसान, प्रोसेसर और थोक व्यापारी। एक्सचेंज-आधारित बाजार अनिवार्य रूप से डेरिवेटिव बाजार हैं, जो इक्विटी डेरिवेटिव के समान हैं, जिनमें मानकीकृत अनुबंध और निपटान होते हैं। अनुबंधों को अक्सर समाप्ति से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है और नकद में निपटाया जाता है, जिससे गैर-कमोडिटी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी की अनुमति मिलती है। भारत में कमोडिटी बाजार में व्यापार के लिए तीन-स्तरीय विनियामक ढांचा है, जिसमें सरकार सबसे ऊपर है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (FMC) और कमोडिटी एक्सचेंज हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1952 भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स में व्यापार को नियंत्रित करता है। थ्रू की धारा 15 कमोडिटी में वायदा कारोबार को केवल मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों पर करने की अनुमति देती है। वर्तमान में, भारत में 26 एक्सचेंज संचालित हैं, जो 146 कमोडिटी वस्तुओं में वायदा कारोबार गतिविधियों को अंजाम देते हैं। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एनएमसीई), अहमदाबाद, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स), नेशनल कमोडिटी

एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स), मुंबई और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) को राष्ट्रव्यापी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त है। अधिसूचित कमोडिटी और मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों की सूची एफएमसी पर उपलब्ध है।

10.4 भारत में कमोडिटी वायदा बाजार

कमोडिटी डेरिवेटिव्स (Commodity Derivatives) ऐसे वित्तीय उपकरण होते हैं जो वस्तुओं या कच्चे माल (जैसे सोना, चांदी, तेल, या गेहूँ) की कीमतों के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हैं। ये डेरिवेटिव्स निवेशकों को वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने (हेजिंग) का अवसर प्रदान करते हैं और साथ ही व्यापारियों को अधिक लाभ अर्जित करने का अवसर भी देते हैं। भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में वायदा और हाजिर कीमतों के बीच सूचना प्रवाह की प्रकृति का पता लगाता है, वैश्विक स्तर पर कमोडिटी डेरिवेटिव के इतिहास और कम परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में कमोडिटी बाजारों के महत्व पर विचार करता है। भारतीय शेयर और वायदा बाजारों पर पिछले अध्ययनों से पता चला है कि इन बाजारों में मूल्य सूचकांक/रिटर्न एक परिपक्व या कुशल बाजार में अपेक्षित के समान हैं। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में मूल्य आंदोलन इसके कम विकसित इतिहास और नीतिगत उलटफेरों को देखते हुए समान रुझान प्रदर्शित करते हैं। कमोडिटी वायदा बाजार के दो प्रमुख आर्थिक कार्य मूल्य जोखिम प्रबंधन और मूल्य खोज हैं। खाद्य और कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने, भंडारण की सुविधा प्रदान करने और आपूर्ति और मांग जोखिम के प्रबंधन के लिए कमोडिटी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग महत्वपूर्ण है। हालांकि, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मूल्य जोखिम हो सकता है, जिससे मूल्य जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वायदा अनुबंधों का उपयोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मूल्य जोखिम को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बाजार प्रतिभागी वर्तमान वायदा मूल्य की तुलना परिपक्वता पर अपेक्षित हाजिर मूल्य से करते हैं। इन्वेंट्री निर्णय वर्तमान और भविष्य की कमोडिटी की कमी को जोड़ते हैं, जो वर्तमान हाजिर मूल्य और अपेक्षित भविष्य के हाजिर मूल्य के बीच संबंध प्रदान करते हैं।

कमोडिटी फ्यूचर्स एक निवेश उत्पाद है जो फर्मों को वास्तविक कमोडिटीज के लिए सीधे जोखिम में डालने के बजाय आउटपुट या इनपुट के भविष्य के मूल्य के लिए बीमा प्रदान करता है। कमोडिटी फ्यूचर्स में निवेशकों को अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव के जोखिम को वहन करने के लिए मुआवजा मिलता है, और मानकीकृत, संगठित और केंद्रीकृत फ्यूचर्स एक्सचेंज यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रीमियम के बदले में बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा जोखिम वहन किया जाए। बाजार प्रतिभागियों की विविधता कुशल मूल्य खोज की ओर ले जाती है। हालांकि, कमोडिटी बाजारों में उनके विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, जैसे कि भंडारण योग्य, खराब होने वाले, इनपुट सामान, मध्यवर्ती सामान और एक ही कमोडिटी समूह के भीतर गुणवत्ता के अंतर के कारण अंतर्निहित कठिनाइयाँ हैं। इससे कमोडिटी बाजारों का विकास अधिक कठिन हो जाता है और वित्तीय बाजारों की तुलना में बुनियादी ढांचे के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।

भारत, जो कमोडिटी डेरिवेटिव के कुछ रूपों में अग्रणी है, ने कमोडिटी ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण रुचि और शेयर बाजार ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि देखी है। यह एक स्वागत योग्य संकेत है क्योंकि कमोडिटी एक्सपोजर को शामिल करने से समग्र अस्थिरता कम हो सकती है और रिटर्न क्षमता में सुधार हो सकता है। वित्तीय और भौतिक डेरिवेटिव ट्रेडिंग का एक साथ विकास दोनों बाजारों को व्यापक और गहरा बनाने में मदद कर सकता है, जिससे निवेशकों को अधिक विकल्प मिलेंगे और दोनों अंतर्निहित पोर्टफोलियो रणनीतियों से लाभ होगा। भारत में कृषि कमोडिटी वायदा बाजार के बारे में सरकारी नीति सार्वजनिक जरूरतों और मुद्रास्फीति के रुझान के अनुसार उतार-चढ़ाव करती है। हालाँकि, अब ध्यान गरीब कृषकों को मुख्यधारा के वित्तीय बाजारों में एकीकृत करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार का उपयोग करने पर है। इस बात पर बहस जारी है कि क्या ये विकास गरीब और सीमांत किसानों/उत्पादकों के हित में काम करेंगे।

10.5 भारत में कृषि जिंस वायदा बाजार

भारत में जिंस वायदा बाजार, जो 1875 में शुरू हुआ था, सोना, चांदी, एल्युमीनियम, तांबा, सीसा, निकल, जस्ता, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इलायची, कपास, कच्चा पाम तेल, कपास, मेंथा तेल और रबर जैसी विभिन्न वस्तुओं में काम करता है। एक आदर्श बाजार अर्थव्यवस्था में वायदा बाजार के लिए मूल्य जोखिम प्रबंधन और

मूल्य खोज महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य हैं। वायदा कीमतें पहले से ही मूल्य संकेत प्रदान करती हैं, जिससे योजनाकारों को वस्तुओं की कमी या अधिक आपूर्ति होने पर व्यवस्था करने में मदद मिलती है। हालांकि, मूल्य अस्थिरता और मुद्रास्फीति जैसी बाजार स्थितियों के कारण मूल्य खोज के कार्य पर सवाल उठाए गए हैं।

भारत में कृषि वायदा व्यापार ने 2003 में राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एनएमसीई) जैसे राष्ट्रीय एक्सचेंजों की स्थापना के साथ एक बड़ा पुनरुद्धार प्राप्त किया। हालांकि, भारत में कृषि वस्तुओं के वायदा व्यापार की मात्रा और मूल्य में 2012 से लगातार गिरावट देखी गई है, जिसमें चना, चीनी और आलू जैसी संवेदनशील वस्तुओं का मार्जिन अपेक्षाकृत अधिक है। वस्तु की संवेदनशीलता सफल वायदा व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है, और कुछ वस्तुएं अत्यधिक मूल्य अस्थिरता के दौरान वायदा बाजार व्यापार से निलंबित रहती हैं। वायदा बाजारों से वस्तुओं के निलंबन के रूप में सरकारी हस्तक्षेप हितधारकों के बीच असुरक्षा पैदा करते हैं और कमोडिटी वायदा एक्सचेंजों के मूल्य खोज और जोखिम प्रबंधन कार्यों को प्रभावित करते हैं।

भारतीय कृषि जिस वायदा बाजार का विभिन्न पक्षों पर प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं:

1. किसानों पर प्रभाव:

- **मूल्य स्थिरता :** किसानों को अपने उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने का मौका मिलता है, जिससे वे अपनी फसल की योजना और निवेश बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
- **रिस्क मैनेजमेंट :** वायदा अनुबंध किसानों को अपने जोखिमों को प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जैसे कि मौसम की घटनाओं या अन्य आपात स्थितियों के कारण मूल्य में उतार-चढ़ाव।

2. व्यापारियों और बिचौलियों पर प्रभाव:

- **मूल्य निर्धारण :** व्यापारियों को वायदा अनुबंधों के माध्यम से फसल की कीमतों में पूर्वानुमान लगाने और खरीदी या बिक्री के समय पर निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **संगठनात्मक लाभ :** यह व्यापारियों को बाजार की उतार-चढ़ाव से बचने और अपने लाभ को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का अवसर प्रदान करता है।

3. विपणन और वितरण पर प्रभाव:

- **लिक्विडिटी :** वायदा बाजार में तरलता की बढ़त होती है, जिससे कृषि उत्पादों की बिक्री और वितरण में आसानी होती है।
- **बाजार पहुँच :** किसानों और व्यापारियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की पहुँच बढ़ाने का अवसर मिलता है।

4. आर्थिक प्रभाव:

- **निवेश और विकास :** वायदा बाजार में निवेश की संभावनाएँ किसानों और व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **बाजार स्थिरता :** यह बाजार मूल्य अस्थिरता को कम करने में मदद करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावना बढ़ती है।

-5नियामक और पारदर्शिता पर प्रभाव:

- **नियामक ढांचा :** वायदा बाजार के नियामक ढांचे की वजह से पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है, जो बाजार की विश्वसनीयता को बढ़ाती है।
- **विपणन सुधार :** यह बाजार विपणन और वितरण की प्रक्रियाओं में सुधार लाने में मदद करता है, जिससे समग्र कृषि प्रणाली में सुधार होता है।

-6मूल्य सृजन और प्रबंधन:

- **संपत्ति निर्माण :** वायदा अनुबंधों के माध्यम से मूल्य निर्माण की प्रक्रिया आसान होती है, जिससे मूल्य निर्धारण में सुधार होता है और किसानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त होते हैं।
- **आर्थिक योजना :** वायदा बाजार की मदद से किसानों और व्यापारियों को भविष्य की आर्थिक योजनाएँ बनाने में सुविधा होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़ती है।

इन प्रभावों के माध्यम से, कृषि जिस वायदा बाजार भारतीय कृषि प्रणाली की स्थिरता, विकास और लाभप्रदता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

10.6 भारत में कृषि वस्तुओं के लिए भावी बाजार

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से मांग प्रबंधन में भारतीय राज्य की भूमिका मांग प्रबंधन से बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में बदल गई है। इस बदलाव के लिए वायदा बाजार महत्वपूर्ण है, लेकिन घरेलू कृषि जिंसों की कीमतों का अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ संरेखण ने कीमतों में अस्थिरता बढ़ा दी है। किसानों को भूमि आवंटन के लिए एक दूरदर्शी मूल्य की आवश्यकता होती है, और वायदा बाजार इसमें मदद करते हैं। 2003 में, कई कृषि जिंसों के वायदा बाजार में प्रतिबंध हटा दिया गया था। भारत में वायदा जिंस बाजारों का एक लंबा इतिहास है, पहला संगठित बाजार 1875 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। युद्ध के बीच की अवधि में कपास के डेरिवेटिव, तिलहन, कच्चा जूट, गेहूँ और बुलियन सहित विभिन्न जिंसों में वायदा बाजारों का उत्कर्ष देखा गया। हालांकि, महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध ने कमी की आशंकाओं को जन्म दिया और आवश्यक वस्तुओं में वायदा व्यापार पर एक आभासी प्रतिबंध लगा दिया। मूल्य अस्थिरता को कम करने और मूल्य खोज को बढ़ाने में वायदा बाजार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

वायदा अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1952 ने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में वस्तुओं में वायदा अनुबंधों के आदान-प्रदान और विनियमन की मान्यता के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। हालांकि, देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के कारण कई वस्तुओं के वायदा बाजारों पर प्रतिबंध जारी है। 1970 के दशक के मध्य में, वायदा व्यापार को केवल काली मिर्च और हल्दी जैसे चुनिंदा मसालों में ही अनुमति दी गई थी। 1993 में, काबरा समिति ने कृषि वस्तुओं में वायदा व्यापार को फिर से शुरू करने की सिफारिश की, जिसके बाद राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000 आई। 2003 में, गेहूँ, चावल, दालों और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं सहित कई कृषि वस्तुओं के वायदा व्यापार पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए गए थे। 2003-04 से, कृषि वायदा बाजारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन बाद के वर्षों में यह वृद्धि कम हो गई है। वायदा व्यापार में किसानों की भागीदारी निराशाजनक बनी हुई है। कृषि जिंसों में वायदा बाजार को सट्टेबाजी गतिविधियों के लिए एक साधन होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है, खासकर कृषि जिंसों के मामले में जहां वायदा व्यापार को जरूरी नहीं कि जिंस की भौतिक डिलीवरी के साथ समर्थित किया जाए। इसके अतिरिक्त, वायदा बाजार में किसानों की कम भागीदारी एक निराशाजनक मुद्दा रही है। कृषि जिंसों में वायदा बाजार की जांच करने के लिए वायदा की संरचना को समझना आवश्यक है। भारत में, कमोडिटी एक्सचेंजों की दो-स्तरीय संरचना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय (देशव्यापी) है। क्षेत्रीय एक्सचेंजों को केवल सीमित संख्या में अनुबंध रखने की अनुमति है जिनकी सदस्यता स्थानीय है, जबकि देशव्यापी राष्ट्रीय एक्सचेंज एक विमुद्रीकृत स्वामित्व पैटर्न के साथ बहु-वस्तु इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं। वर्तमान में, तीन ऐसे एक्सचेंज हैं : MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज), NMCE (नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज), और NCDEX (नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज)। MCX वित्तीय वर्ष 2019 में कारोबार किए गए कमोडिटी (वायदा अनुबंध) के मूल्य के संदर्भ में 91.6 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। NCDEX कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, और इसने 2003 में अपना संचालन शुरू किया। यह 19 कृषि कमोडिटी अनुबंधों सहित 23 कमोडिटी अनुबंधों में व्यापार की पेशकश करता है। NMCE को 2002 में भारतीय कमोडिटी-आधारित निगमों और सार्वजनिक एजेंसियों के एक समूह द्वारा भारत के पहले ऑनलाइन, डीम्यूचुरलाइज्ड कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में लॉन्च किया गया था, और कुल 13 विभिन्न कमोडिटीज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सूचीबद्ध किया गया था। डेरिवेटिव बाजार केंद्रीय कानून द्वारा शासित होता है और इसे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारा विनियमित

किया जाता है। भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में वायदा और विकल्प दोनों की अनुमति है। कृषि वस्तुओं के लिए वायदा बाजार का कामकाज हाजिर बाजार और उसके खुलेपन, पारदर्शिता और दक्षता पर निर्भर करता है। हालांकि, 1954 के आवश्यक वस्तु अधिनियम और 1963 के कृषि उपज और बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम के प्रतिबंधों के साथ, कृषि बाजार प्रतिबंधित है। नब्बे के दशक के मध्य से, केंद्र सरकार कृषि वस्तुओं के लिए घरेलू बाजारों को उदार बनाने की कोशिश कर रही है। मॉडल एपीएमसी अधिनियम (राज्य कृषि उपज विपणन विकास और विनियमन अधिनियम, 2003) विनियमित बाजार में कई बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है, जिसमें निजी बाजारों की स्थापना और किसानों के लिए वैकल्पिक विकल्प प्रदान करना शामिल है। हालांकि, मॉडल एपीएमसी अधिनियम को अपनाने की सीमा राज्यों में अलग-अलग है, और एक राष्ट्र और एक बाजार का विचार दूर की कौड़ी है। अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली का उपयोग करके किसानों को अपनी उपज सीधे दूर के उपभोक्ताओं को बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (ई-नाम) की स्थापना की। हालांकि, एपीएमसी अधिनियम के अनुसार बाजार के पदाधिकारियों पर विभिन्न प्रतिबंधों के कारण ई-नाम सफल नहीं हो सका। मॉडल एपीएमसी (कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति) अधिनियम, 2017 लागू हुआ, जो एकात्मक बाजार संरचना के लिए पर्याप्त नहीं था। भविष्य के व्यापार, कुछ वस्तुओं के लिए भविष्य के व्यापार के लाभों और हितधारकों के अनुभवों के बारे में चिंताओं के कारण कृषि वस्तुओं के भविष्य के बाजार को सफल होने की आवश्यकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन चिंताओं को संबोधित करना और भविष्य के बाजार की सफलता की संभावना के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

10.7 कृषि जिंसों के वायदा कारोबार में सट्टेबाजी

कृषि जिंसों के वायदा कारोबार में सट्टेबाजी का पुनः उदय एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है, जो वायदा बाजार के कार्यप्रणाली, पारदर्शिता, और आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव डालता है। वायदा कारोबार में बढ़ती सट्टाबाजी किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है और उनकी आय दोगुनी नहीं कर सकती। एक्सचेंज को स्थापित हुए 12 साल हो गए हैं और चना, सोया तेल, ग्वार गम, मेंथा तेल और जीरा जैसी कई जिंसों में अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है। वायदा कारोबार को अपनी सार्थकता साबित करने के लिए डिलीवरी आधारित होना चाहिए। अतीत में सट्टाबाजी के कारण कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। भारतीय वायदा कारोबार में कुछ साल की शांति के बाद सट्टाबाजी का चलन फिर जोर पकड़ रहा है। पिछले गुरुवार को कई जिंसों में सर्किट लगाए गए, लेकिन हाजिर कारोबार में दाल मिलों, थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए ग्राहकों की कमी रही। खुदरा व्यापारी थोड़ी भी खरीदारी करने नहीं आए। बाजार में आम चर्चा है कि एक्सचेंज वायदा खोलने और कारोबार बढ़ाने के लिए व्यापारियों की मदद ले रहा है। हालांकि, पिछले 10 साल से व्यापारी शांत हैं। लेमन अरहर और वर्मा उड़द का आयात बंद है और डिलीवरी का आधार अनिश्चित है। संभव है कि मार्च के बाद भी दोनों दालों पर प्रतिबंध जारी रहे। कृषि जिंसों के वायदा कारोबार में सट्टेबाजी का पुनः उदय एक गंभीर चिंता का विषय है, जो बाजार की स्थिरता और किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसे नियंत्रित करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी नियम, निगरानी, और जागरूकता के उपायों की आवश्यकता है। उचित प्रबंधन और सुधारात्मक कदमों के साथ, सट्टेबाजी की नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और वायदा बाजार को अधिक स्थिर और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

10.8 सारांश

कृषि वस्तु वायदा बाजार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो मूल्य स्थिरीकरण, जोखिम प्रबंधन और बाजार दक्षता प्रदान करता है। यह कृषि मूल्य निर्धारण में अस्थिरता और अनिश्चितताओं को दूर करने में मदद करता है, जिससे किसान और व्यापारी भविष्य की डिलीवरी के लिए कीमतों को लॉक कर सकते हैं, जिससे मूल्य में उतार-चढ़ाव का वित्तीय प्रभाव कम होता है। बाजार प्रतिकूल मूल्य आंदोलनों के खिलाफ बचाव के लिए उपकरण भी प्रदान करता है, कृषि उत्पादन से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करता है। यह मूल्य खोज और बाजार दक्षता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भविष्य की आपूर्ति और मांग की अपेक्षाओं को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक पारदर्शी मूल्य निर्धारण होता है। बाजार निवेश के अवसर भी प्रदान करता है, पूंजी आकर्षित करता है और बाजार में तरलता बढ़ाता है। हालांकि, यह बाजार में हेरफेर, तरलता के मुद्दों और छोटे पैमाने के किसानों के बीच सीमित जागरूकता जैसी चुनौतियों का सामना करता है। मजबूत नियामक उपायों,

बढ़ी हुई शिक्षा और बेहतर बाजार बुनियादी ढांचे के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना बाजार की क्षमता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है। कृषि वस्तु वायदा बाजार भारत के कृषि क्षेत्र की स्थिरता और विकास को बढ़ाने, किसानों, व्यापारियों और निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

10.9 बोध प्रश्न

- कमोडिटी बाजारों की संरचना से आप क्या समझते हैं ?
- भारत में कमोडिटी वायदा बाजार की व्याख्या कीजिए।
- भारत में कृषि जिंस वायदा बाजार की विवेचना कीजिए।
- कृषि वस्तुओं के लिए भावी बाजार की विवेचना कीजिए।
- कृषि जिंसों के वायदा कारोबार में सट्टेबाजी की विवेचना कीजिए।

10.10 उपयोगी पुस्तकें

- <https://www.epw.in/journal/2023/52/commentary/agricultural-commodity-futures-market-india.html>
- Naik, G., & Jain, S. K. (2002). Indian agricultural commodity futures markets: a performance survey. *Economic and Political weekly*, 3161-3173
- Nair, C. K. G. (2004). Commodity Futures Markets in India: Ready for “Take off?”!. National Stock Exchange of India Limited, Mumbai, India.
- Peck, A. E. (2013). The development of commodity futures exchanges in Kazakhstan and China. *Models of Futures Markets*, 42.
- Sahadevan, K. G. (2002). Sagging agricultural commodity exchanges: growth constraints and revival policy options. *Economic and Political Weekly*, 3153-3160
- Sahadevan, K. G. (2012). Commodity Futures and Regulation. *Economic & Political Weekly*, 47(52), 106-12
- Thomas, S. (2003). Agricultural commodity markets in India: Policy issues for growth. *Derivatives Markets in India*.
- Bansal, R., Dadhich, V., & Ahmad, N. (2014). INDIAN COMMODITY MARKET-A PERFORMANCE REVIEW. *INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT AND COMMERCE*.
- Sharma, P. (2016). GROWTH AND PERFORMANCE OF INDIAN AGRICULTURAL COMMODITY MARKET. *Business Sciences International Research Journal*.
- Maravi, A. S. (2015). Performance Analysis of Indian Agricultural Commodity Market. *IRACST – International Journal of Commerce, Business and Management*.
- Chhajed, M. I., & Mehta, M. S. (2013). Market Behavior and Price Discovery in Indian Agriculture Commodity Market. *International Journal of Scientific and Research Publications*.

इकाई-11 कृषि का वाणिज्यिकरण एवं प्रौद्योगिकीय कृषि

ईकाई की रूपरेखा

- 11.0 उद्देश्य
- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 कृषि के वाणिज्यिकरण
- 11.3 कृषि के वाणिज्यिकरण के लाभ
- 11.4 चुनौतियाँ
- 11.5 प्रौद्योगिकी कृषि
- 11.6 भारत में कृषि प्रौद्योगिकियाँ एवं उनका प्रभाव
- 11.7 वर्तमान में भारत में कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग
- 11.8 कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रभाव
- 11.9 सारांश
- 11.10 बोध प्रश्न
- 11.11 उपयोगी पुस्तकें

11.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में कृषि के वाणिज्यिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में प्रौद्योगिकी कृषि से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में कृषि प्रौद्योगिकियाँ एवं उनका प्रभाव की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में प्रौद्योगिकी कृषि के प्रमुख पहलुओं से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई वर्तमान में भारत में कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग में के बारे में जानेंगे।

11.1 प्रस्तावना

भारत ने कृषि वाणिज्यिकरण के तीन मुख्य रूप बागान कृषि, निर्वाह वाणिज्यिकरण और निर्भरता वाणिज्यिकरण का अनुभव किया है। बागान कृषि, विशेष रूप से बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में चाय बागान, वाणिज्यिकरण का सबसे प्रारंभिक रूप था। जूट चरण, या निर्वाह वाणिज्यिकरण, ने किसानों को न्यूनतम जीवन स्तर के लिए जूट जैसी विशेष नकदी फसलों की ओर रुख करते देखा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ निर्भरता व्यावसायीकरण और नील चरण, यूरोप और विदेशी वित्त में बढ़ी हुई आपूर्ति से प्रभावित था, जिसके परिणामस्वरूप नील की फसल लाभहीन हो गई। भारत में कृषि मध्ययुगीन काल से ही वाणिज्यिक प्रभावों से प्रभावित रही है, लेकिन उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में विकास ने इन प्रभावों को काफी हद तक मजबूत किया। रेलवे और सड़क परिवहन ने नकदी फसल में बड़े पैमाने पर विस्तार किया, जिससे उत्पादन व्यवस्था अवसर और दबाव के नए संदर्भ में आ गई। हालांकि, कृषि अर्थव्यवस्था और समाज के लिए इस विस्तारित वाणिज्यिक तर्क के निहितार्थ विवादास्पद रहे हैं। औपनिवेशिक काल से ही, आशावादी लोगों के बीच राय विभाजित रही है, जिन्होंने व्यावसायीकरण को सभी के लिए प्रगति और समृद्धि के रूप में देखा, निराशावादियों ने इसे वर्ग स्तरीकरण और बड़े पैमाने पर गरीबी में वापसी के रूप में देखा, और संशयवादियों ने माना कि इसका बहुत कम प्रभाव था और यह मौजूदा धन संचय संरचनाओं द्वारा काफी हद तक अवशोषित हो गया था।

11.2 कृषि के वाणिज्यिकरण

कृषि के वाणिज्यिकरण/व्यावसायीकरण से तात्पर्य निर्वाह खेती से कृषि पद्धतियों के परिवर्तन से है, जहाँ फसलें मुख्य रूप से स्थानीय उपभोग के लिए उगाई जाती हैं, एक अधिक बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण में, जहाँ प्राथमिक ध्यान बिक्री और लाभ के लिए फसलों का उत्पादन करने पर होता है। इस बदलाव में कृषि उत्पादन और आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक, मशीनीकरण और बाजार-संचालित दृष्टिकोण को अपनाना शामिल है। प्रस्तुत सारणी से यह स्पष्ट होता है कि कृषि के वाणिज्यिकरण में विभिन्न कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के समग्र विकास में सहायक होते हैं।

क्रमांक	कारक	विवरण	लाभ
1	उत्पादन विविधीकरण	विभिन्न फसलों और पशुपालन गतिविधियों का समावेश	जोखिम में कमी, बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन
2	कृषि विपणन	बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और उत्पादों का विपणन	किसानों की आय में वृद्धि, बेहतर बाजार मूल्य
3	अनुबंध कृषि	किसानों और कंपनियों के बीच पूर्व निर्धारित समझौते	स्थिरता और सुरक्षा, गारंटीकृत बिक्री
4	तकनीकी नवाचार	नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग	उत्पादकता में वृद्धि, कम लागत
5	मूल्य संवर्धन	कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और पैकेजिंग	उच्च मूल्य पर बिक्री, गुणवत्ता में सुधार
6	वित्तीय सेवाएँ	ऋण, बीमा, और वित्तीय योजनाओं की उपलब्धता	निवेश में वृद्धि, जोखिम प्रबंधन
7	सरकारी नीतियाँ	कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं और सब्सिडी	समर्थन और संसाधनों की उपलब्धता, कृषि विकास
8	प्रशिक्षण और शिक्षा	किसानों को आधुनिक तकनीकों और विपणन रणनीतियों का प्रशिक्षण	ज्ञान और कौशल में वृद्धि, उत्पादन और विपणन में सुधार
9	लाजिस्टिक्स और बुनियादी ढाँचा	भंडारण, परिवहन और वितरण नेटवर्क	नुकसान में कमी, समय पर बाजार तक पहुंच
10	कृषि अनुसंधान	नई किस्मों, उर्वरकों, और कीटनाशकों का विकास	बेहतर उत्पादकता, रोग और कीटों का नियंत्रण

उत्पादन विविधीकरण का मतलब है कि किसान केवल एक ही प्रकार की फसल उगाने के बजाय विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुपालन गतिविधियों का समावेश करते हैं। इससे किसानों को बाजार की मांग के अनुसार

उत्पादन करने और जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। कृषि विपणन का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों को बेहतर कीमत पर बेचने में मदद करना है। यह विभिन्न बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और उत्पादों का प्रभावी विपणन सुनिश्चित करता है। अनुबंध कृषि में, किसानों और कंपनियों के बीच पूर्व निर्धारित समझौते होते हैं, जिसमें किसानों को उनकी फसल के लिए गारंटीकृत मूल्य और बिक्री सुनिश्चित होती है। तकनीकी नवाचारों में नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग शामिल है, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी लाते हैं। मूल्य संवर्धन में कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग शामिल है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है और उन्हें उच्च मूल्य पर बेचा जा सकता है। वित्तीय सेवाओं में ऋण, बीमा, और वित्तीय योजनाओं की उपलब्धता शामिल है, जो किसानों को निवेश में वृद्धि व जोखिम प्रबंधन में मदद करती हैं। सरकारी नीतियों का उद्देश्य कृषि व किसान कल्याण के लिए योजनाएं और सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे कृषि विकास और समर्थन में मदद मिलती है। किसानों को आधुनिक तकनीकों और विपणन रणनीतियों का प्रशिक्षण देने से उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन और विपणन में सुधार होता है। खाद्य एवं बुनियादी ढांचे में भंडारण, परिवहन और वितरण नेटवर्क शामिल हैं, जो नुकसान में कमी एवं समय पर बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। कृषि अनुसंधान का उद्देश्य नई किस्मों, उर्वरकों, और कीटनाशकों का विकास करना है, जिससे बेहतर उत्पादकता और रोग और कीटों का नियंत्रण होता है।

कृषि के वाणिज्यिकरण के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

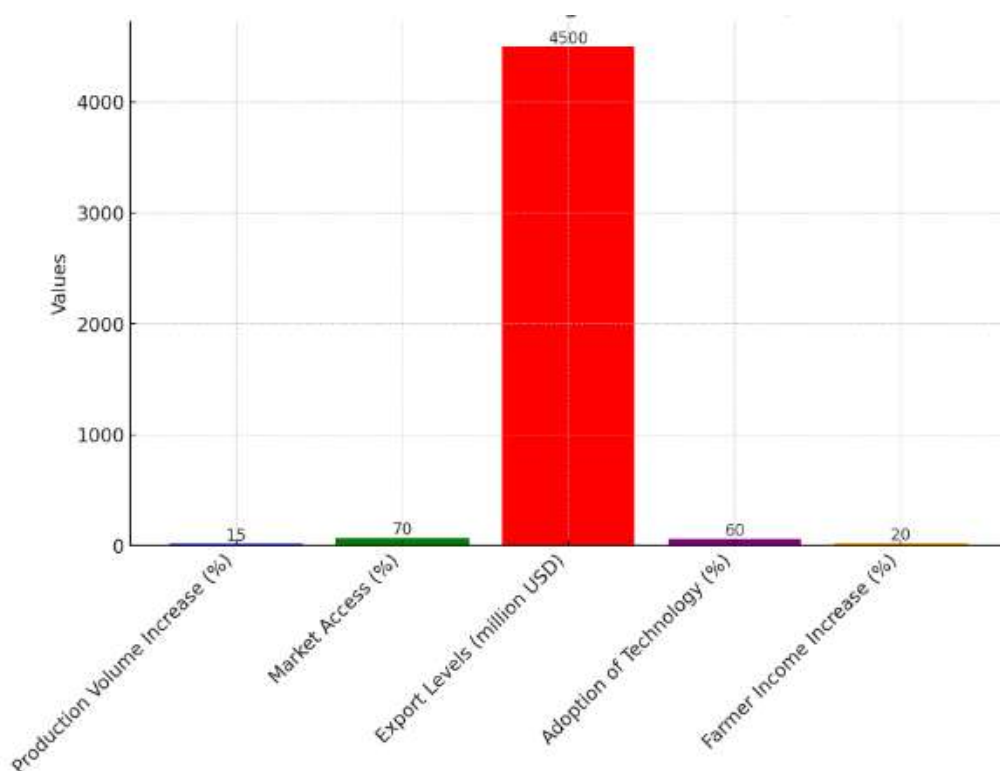
- किसान ऐसी फसलें उगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी बाजार में उच्च मांग और आर्थिक मूल्य हो। इसमें उच्च उपज व उच्च गुणवत्ता वाली फसल किस्मों का चयन करना शामिल है जिन्हें स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचा जा सकता है।
- कृषि पद्धतियों में आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी के उपयोग से दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई प्रणाली और उन्नत उपकरण श्रम लागत और समय को कम करने में मदद करते हैं, जिससे किसान बड़े क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं और उपज में सुधार कर सकते हैं।
- किसान उच्च उपज वाली फसल किस्मों को अपनाते हैं और फसल उत्पादकता बढ़ाने व कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशियों जैसे इनपुट का उपयोग करते हैं। इससे अधिक विश्वसनीय उपज सुनिश्चित होती है।
- कृषि के व्यावसायीकरण के लिए सड़कों, भंडारण सुविधाओं और परिवहन प्रणालियों जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान अपनी उपज को आसानी से बाजारों तक पहुँचा सकें, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आए और लाभप्रदता बढ़े।
- ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच किसानों को आधुनिक इनपुट, तकनीक और बुनियादी ढाँचे में निवेश करने में सक्षम बनाती है। वित्तीय संस्थान और सरकारी योजनाएँ कृषि व्यावसायीकरण के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- किसानों को प्रसंस्करणकर्ताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं से जोड़ने वाली कुशल आपूर्ति श्रृंखलाएँ वाणिज्यिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ, प्रसंस्करण इकाइयाँ और वितरण नेटवर्क विकसित करना शामिल है जो उपभोक्ताओं को कृषि उत्पादों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं।
- कृषि व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों और विनियमों में इनपुट के लिए सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्यात प्रोत्साहन और वैश्विक बाजारों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने वाली व्यापार नीतियाँ शामिल हैं। विनियामक ढाँचे गुणवत्ता मानकों और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करते हैं।
- कृषि अनुसंधान संस्थान और विस्तार सेवाएँ किसानों को खेती में नवीनतम ज्ञान, तकनीक और नवाचार

प्रदान करती हैं। इसमें फसल सुधार, कीट नियंत्रण, मृदा प्रबंधन और टिकाऊ खेती प्रथाओं पर शोध शामिल हैं।

- प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के माध्यम से कृषि उत्पादों में मूल्य जोड़ने से उनका बाजार मूल्य बढ़ता है। उच्च मूल्य वाली फसलों, पशुधन व कृषि-उद्योगों में विविधीकरण से आय में भी वृद्धि होती है और एक ही फसल पर निर्भरता कम होती है।
- कीमतों, मांग के रुझान एवं उपभोक्ता वरीयताओं के बारे में बाजार की जानकारी तक पहुँच किसानों को इस बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है कि क्या उत्पादन करना है और कब बेचना है। किसान सहकारी समितियाँ, नेटवर्क सामूहिक सौदेबाजी और बाजार तक पहुँच को सुविधाजनक बनाते हैं।

2022 में भारत में कृषि के व्यावसायीकरण को दर्शाने वाला एक ग्राफ बनाने के लिए, हम कई प्रमुख मीट्रिक पर विचार करेंगे जो कृषि पर व्यावसायीकरण के प्रभाव को उजागर करते हैं। इन मीट्रिक में उत्पादन की मात्रा, बाजार तक पहुँच, निर्यात स्तर, प्रौद्योगिकी को अपनाना और किसानों की आय शामिल हो सकती है। 2022 में भारत में कृषि के व्यावसायीकरण को दर्शाने वाला बार ग्राफ है। इसमें उत्पादन मात्रा में वृद्धि 15 प्रतिशत, बाजार तक पहुँच 70 प्रतिशत के साथ निर्यात का स्तर 4500 मिलियन अमरीकी डालर है और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी 60 प्रतिशत व किसानों की आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है। यह ग्राफ निम्नलिखित मीट्रिक को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसमें मीट्रिक की स्पष्ट तुलना प्रदान करता है, जो भारत में कृषि के विभिन्न पहलुओं पर व्यावसायीकरण के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है।

भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण, 2022



11.3 कृषि के वाणिज्यिकरण के लाभरू

- बढ़ी हुई आय: बेहतर पैदावार, कुशल उत्पादन विधियों और व्यापक बाजारों तक पहुँच के कारण किसान अधिक आय अर्जित करते हैं।

- आर्थिक विकास: कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करता है।
- खाद्य सुरक्षा: बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता और कुशल वितरण प्रणाली खाद्य की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ती है।
- नवाचार और स्थिरता: आधुनिक तकनीकों और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने से कृषि में नवाचार और दीर्घकालिक स्थिरता आती है।

11.4 चुनौतियाँ

- संसाधन की कमी : छोटे किसानों को ऋण, तकनीक और बाजारों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव : गहन कृषि प्रथाओं से मिट्टी का क्षरण, पानी की कमी और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है यदि इसे स्थायी रूप से प्रबंधित नहीं किया जाता है।
- बाजार में अस्थिरता : बाजार की कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव किसानों की आय और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

संक्षेप में, कृषि का व्यावसायीकरण पारंपरिक खेती को अधिक उत्पादक, कुशल और बाजार-उन्मुख क्षेत्र में बदल देता है, जिससे आर्थिक विकास होता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। हालाँकि, इसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे, वित्त, नीति एवं टिकाऊ प्रथाओं के संदर्भ में व्यापक समर्थन की आवश्यकता है।

11.5 प्रौद्योगिकी कृषि

भारत में कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने से खेती का परिदृश्य बदल रहा है, जिससे किसानों के लिए उत्पादकता, संसाधन दक्षता और लाभप्रदता में वृद्धि हो रही है। जबकि प्रौद्योगिकियों के अपनाने की दरें अलग-अलग हैं, कृषि पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है, जो निर्धारित व कुशल कृषि पद्धतियों में योगदान देता है। जैसे-जैसे ये प्रौद्योगिकियाँ अधिक सुलभ व सस्ती होती जाएंगी, उनके अपनाने में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे कृषि क्षेत्र की वृद्धि व स्थिरता में वृद्धि होगी। भारत, जहाँ 13 अरब लोग रहते हैं, कृषि उत्पादन में वैश्विक दूसरे स्थान पर स्थापित है, जिसमें कृषि, वानिकी, और मात्स्यिकी क्षेत्र ने 2021 में जीडीपी का 16.4% योगदान किया। हालाँकि, ये क्षेत्र अधिकांश आबादी के लिए जीविका का मुख्य स्रोत हैं। इन क्षेत्रों में कम और ठहरी आमदनी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, जिसमें लगभग 220 मिलियन लोग गरीबी में रहते हैं। सुधारी गई कृषि प्रौद्योगिकियों के अवलोकन के लिए महत्वपूर्ण है, जो कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि में मदद करते हैं। लेकिन अवधारणा की अवगमन, वित्त पहुँच, जोखिम और अतिरिक्त लाभों की संभावनाएँ जैसे मांग-पुष्टि पक्ष कारक इस विमुद्रण में कमी को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। आपूर्ति-पुष्टि पक्ष कारक नीति समर्थन, कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रणालियों में निवेश, अवसंरचना की उपलब्धता, और प्रौद्योगिकियों के वितरण और लाभ साझा करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। इन सभी कारकों का संयुक्त मिलाजुला उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रवेश दर को बढ़ाता है और अनुपातिक परिणामों के लिए चाहिए। भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र कृषि अनुसंधान प्रणाली प्रमुख रूप से इन प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसारण के लिए जिम्मेदार है, जबकि निजी क्षेत्र धीरे-धीरे उनके विकास एवं विपणन में योगदान कर रहा है।

प्रौद्योगिकी कृषि, जिसे अक्सर एग्रीटेक या एग्रोटेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, इसमें उत्पादकता, दक्षता एवं स्थिरता को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों और नवाचारों का अनुप्रयोग शामिल है। खेती के लिए यह आधुनिक दृष्टिकोण पारंपरिक कृषि द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों, जैसे संसाधन सीमाओं, जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य पदार्थों की बढ़ती वैश्विक मांग को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक उपकरणों व तकनीकों का लाभ उठाता है।

प्रौद्योगिकीय कृषि में उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीकों की सारणी

क्रमांक	तकनीक का नाम	विवरण	लाभ
1	ड्रिप इरिगेशन	पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की विधि	जल संरक्षण, उच्च उत्पादकता, कम ऊर्जा खपत
2	सेंसर टेक्नोलॉजी	मिट्टी, पानी, और मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए सेंसर	सटीक कृषि, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रभावी उपयोग
3	ड्रोन	खेतों की निगरानी और सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं	समय और लागत की बचत, उच्च सटीकता
4	रोबोटिक्स	फसल कटाई, रोपण, और निगरानी के लिए स्वचालित मशीनें	श्रम की बचत, दक्षता में वृद्धि
5	जीपीएस आधारित सिस्टम	फसल की सटीकता और ट्रैकिंग में उपयोग होता है	फसल प्रबंधन में सुधार, संसाधनों का कुशल उपयोग
6	बायोटेक्नोलॉजी	उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी बीजों का विकास	उत्पादकता में वृद्धि, रोग और कीटों से सुरक्षा

प्रौद्योगिकी कृषि के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

- जीपीएस, ड्रोन और सेंसर का उपयोग करके, सटीक कृषि फसलों व मिट्टी के सटीक प्रबंधन की अनुमति देती है। यह तकनीक किसानों को पानी, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करती है, जिससे उपज बढ़ने के साथ अपशिष्ट कम होता है।
- ड्रोन का उपयोग फसल की निगरानी, हवाई इमेजिंग, कीटनाशकों और उर्वरकों के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। रोबोटिक्स रोपण, कटाई व निराई जैसे कार्यों में सहायता कर सकते हैं, जिससे कृषि संचालन अधिक कुशल एवं कम श्रम-गहन हो जाता है।
- जीनोमिक्स एवं जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास को सक्षम बनाती है जो कीटों, बीमारियों और पर्यावरणीय तनावों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। इससे उत्पादकता बढ़ने के साथ फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- ये मिट्टी रहित खेती के तरीके पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल (हाइड्रोपोनिक्स) में या जलीय कृषि (एक्वापोनिक्स) के संयोजन में पौधों की खेती की अनुमति देते हैं, जहाँ मछली और पौधे एक साथ सहजीवी वातावरण में उगाए जाते हैं। ये तरीके प्रति इकाई क्षेत्र में उपज को काफी बढ़ा सकते हैं और पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं।
- IoT डिवाइस मिट्टी की नमी, तापमान और आर्द्रता जैसे विभिन्न कृषि मापदंडों पर वास्तविक समय का डेटा एकत्र करते हैं। यह डेटा किसानों को सूचित निर्णय लेने, सिंचाई प्रणालियों को स्वचालित करने

और फसल के स्वास्थ्य की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने में मदद करता है।

- डेटा एनालिटिक्स और AI का उपयोग कृषि डेटा का विश्लेषण करने, फसल की पैदावार की भविष्यवाणी करने, बीमारी के प्रकोप की पहचान करने और संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। ये तकनीकें किसानों को डेटा-संचालित निर्णय लेने और समग्र कृषि प्रबंधन में सुधार करने में सक्षम बनाती हैं।
- खेतों में सौर पैनलों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता को कम करता है, लागत कम के साथ उचित व टिकाऊ खेती की परम्परा को बढ़ावा देता है।

प्रौद्योगिकी कृषि न केवल किसानों के लिए उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाती है, बल्कि खेती की गतिविधियों के पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देती है। इन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके, कृषि बदलती जलवायु परिस्थितियों के लिए अधिक लचीली बन सकती है और बढ़ती वैश्विक आबादी की खाद्य मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकती है। प्रौद्योगिकी कृषि खेती के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पारंपरिक कृषि प्रथाओं को अधिक कुशल, उचित और उत्पादक प्रणालियों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

11.6 भारत में कृषि प्रौद्योगिकियाँ एवं उनका प्रभाव

भारत में कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाना एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रौद्योगिकी के प्रकार, फसलों, प्राकृतिक संसाधनों और कीट एवं रोग प्रबंधन जैसे विशिष्ट संदर्भों जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। कृषि हमेशा से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रही है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है और अधिकांश आबादी को आजीविका प्रदान करती है। दशकों से, विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों के एकीकरण ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन की शुरुआत की। उच्च उपज वाली किस्म (HYV) के बीजों की शुरुआत, साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग ने गेहूँ और चावल जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की। हरित क्रांति ने न केवल खाद्यान्न की कमी को दूर किया बल्कि भारत में आधुनिक कृषि पद्धतियों की नींव भी रखी। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य मशीनरी सहित मशीनीकरण को अपनाने से खेती में क्रांति आई और इसे अधिक कुशल और कम श्रम-गहन बनाया गया। इन प्रगतियों ने किसानों को बड़े क्षेत्रों में खेती करने, मैनुअल श्रम को कम करने और कृषि कार्यों को अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की अनुमति दी। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी तकनीकों ने कृषि में पानी की कमी के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ जल संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करती हैं, पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुँचाकर फसल की पैदावार और स्थिरता में सुधार करती हैं। जैव प्रौद्योगिकी ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलें पेश की हैं जो अधिक उपज और कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। इन नवाचारों ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में योगदान दिया है, जिससे खेती के लिए अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित डिजिटल तकनीकों के आगमन ने सटीक खेती के युग की शुरुआत की है। ये तकनीकें फसल के स्वास्थ्य, मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम की स्थिति पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करती हैं, जिससे किसान सूचित निर्णय ले सकते हैं और अपनी खेती के तरीकों को अनुकूलित कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) जैसे प्लेटफॉर्म ने किसानों के अपने उत्पाद बेचने के तरीके में क्रांति ला दी है। किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़कर, ये ई-मार्केटप्लेस बिचौलियों को खत्म करते हैं, जिससे किसानों के लिए बेहतर मूल्य और व्यापक बाजार पहुँच सुनिश्चित होती है। जैविक खेती के तरीके, जो सिंथेटिक रसायनों से बचते हैं और प्राकृतिक इनपुट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भारत में लोकप्रिय हो गए हैं। यह दृष्टिकोण न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ाता है बल्कि जैविक उत्पादों की बढ़ती माँग को भी पूरा करता है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है।

भारत में वर्तमान स्थिति में कृषि प्रद्योगिकीयाँ

प्रौद्योगिकी	विवरण	2022 में स्थिति
हरित क्रांति (Green Revolution)	उच्च उत्पादकता वाली बीज (HYV), रासायनिक खाद और कीटनाशक	व्यापक रूप से उपयोग, गेहूँ और चावल की पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि
मशीनीकरण (Mechanization)	ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी	छोटे और बड़े किसानों द्वारा बढ़ते उपयोग, कृषि कार्यों में कुशलता और गति
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro Irrigation Systems)	ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम	सरकार द्वारा सब्सिडी, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी
जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology)	जीएम फसलें, जैविक खाद	जीएम सरसों और कपास का उपयोग, जैविक खाद का बढ़ता उपयोग
डिजिटल कृषि (Digital Agriculture)	ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, सेंसरस और AI	विभिन्न राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट, फसल निगरानी और मृदा स्वास्थ्य के लिए उपयोग
कृषि ई-मार्केटप्लेस (Agricultural E&marketplaces)	eNAM प्लेटफार्म	किसानों के बीच बढ़ती लोकप्रियता, 1000 मंडियों में कार्यरत
जैविक खेती (Organic Farming)	रासायनिक खादों के बजाय जैविक तरीकों का उपयोग	भारत में जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है, निर्यात के लिए भी उत्पादन
मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card)	मृदा परीक्षण और सुधारात्मक सुझाव	2022 में 22 करोड़ से अधिक कार्ड जारी, मृदा की गुणवत्ता में सुधार
वैकल्पिक कृषि (Alternative Agriculture)	बहुफसली प्रणाली, मिश्रित खेती	विभिन्न राज्यों में प्रोत्साहन, किसानों की आय में वृद्धि

11.7 वर्तमान में भारत में कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग

- हरित क्रांति (उच्च उपज देने वाली किस्में, रासायनिक उर्वरक)–90%
- मशीनीकरण (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर)–75%
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम) – 55%
- जैव प्रौद्योगिकी (आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें) –40%
- डिजिटल कृषि (ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, सेंसर, एआई) –30%
- कृषि ई-मार्केटप्लेस (ईएनएएम) – 60%
- जैविक खेती – 25%
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड– 95%
- वैकल्पिक कृषि (बहु-फसल, मिश्रित खेती) – %50

11.8 कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रभाव

इन कृषि प्रौद्योगिकियों का संचयी प्रभाव गहरा रहा है:

- बढ़ी हुई उत्पादकता: तकनीकी प्रगति ने फसल की पैदावार और समग्र कृषि उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ाया है।
- खाद्य सुरक्षारू बढ़ी हुई उत्पादन क्षमताओं ने राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मदद की है।
- आर्थिक विकास: कृषि क्षेत्र के विकास ने देश के आर्थिक विकास और ग्रामीण समुदायों के उत्थान में योगदान दिया है।
- पर्यावरणीय स्थिरता: सूक्ष्म सिंचाई और जैविक खेती जैसी सतत प्रथाओं ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया है।
- किसान सशक्तीकरण: आधुनिक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच ने किसानों को सशक्त बनाया है, उन्हें बेहतर जानकारी, बाजार तक पहुँच और आय के अवसर प्रदान किए हैं।

भारत में कृषि प्रौद्योगिकियों के एकीकरण ने कृषि परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे यह अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लचीला बन गया है। ये प्रगति आधुनिक कृषि की चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय किसानों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

11.9 सारांश

कृषि के वाणिज्यीकरण का तात्पर्य निर्वाह खेती से बाजार-उन्मुख उत्पादन के लिए खेती में बदलाव से है, जिसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। यह परिवर्तन खाद्य, फाइबर और जैव ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ-साथ कृषि प्रौद्योगिकियों में प्रगति से प्रेरित है। कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने उत्पादकता, दक्षता और स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला है। कृषि के वाणिज्यीकरण और तकनीकी प्रगति ने दुनिया भर में कृषि पद्धतियों को काफी हद तक बदल दिया है। इन परिवर्तनों से उत्पादकता, दक्षता और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही ये बाजार जोखिम, पर्यावरण संबंधी चिंताएं एवं सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां भी पेश करते हैं। व्यावसायीकरण और प्रौद्योगिकी के लाभों को उचित व समावेशी प्रथाओं के साथ संतुलित करना कृषि के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी नीतियां व पहल जो छोटे पैमाने के किसानों का समर्थन करती हैं, जोकि उनके लिए उचित संसाधनों को सुलभ बनाने के साथ बाजार तक पहुंच बढ़ाती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि कृषि आधुनिकीकरण के लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाएं। कृषि का वाणिज्यीकरण और

आधुनिक प्रौद्योगिकियों का एकीकरण कृषि उत्पादकता, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, संतुलित व समावेशी प्रथाओं के माध्यम से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान एक उचित और न्यायसंगत कृषि भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नीतियों, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देकर, हम एक लचीले और समृद्ध कृषि क्षेत्र के निर्माण के लिए वाणिज्यीकरण और तकनीकी प्रगति की पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं।

11.10 बोध प्रश्न

- कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं ?
- कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रमुख पहलुओं के अध्ययन की व्याख्या कीजिए।
- प्रौद्योगिकी कृषि की विवेचना कीजिए।
- कृषि प्रौद्योगिकियाँ एवं उनका प्रभाव की विवेचना कीजिए।
- प्रौद्योगिकी कृषि के प्रमुख पहलुओं की व्याख्या कीजिए।
- कृषि में उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीकों की विवेचना कीजिए।

11.11 उपयोगी पुस्तकें

- Pingali, P., & Rosegrant, M. W. (1995). Agricultural commercialization and diversification: Processes and policies. *Food Policy*, 20(3), 171–185. [https://doi.org/10.1016/0306-9192\(95\)00012-4](https://doi.org/10.1016/0306-9192(95)00012-4)
- Pingali Parbhu, Anaka Aiyar, Mathew Abraham, Andaleeb Rahman (2019), “Enabling Smallholder Prosperity through Commercialisation and Diversification”, *Transforming Food System for a Rising India*, pp 165-191.
- **Bhalla, G.S., and Singh, Gurmail.** "Economic Liberalisation and Indian Agriculture: A District Level Study." SAGE Publications India, 2009
- **Vyas, V.S.** "Agricultural Trade Policy Reforms and Regional Market Integration in India." Oxford University Press, 2004.
- **Acharya, S.S., and Agarwal, N.L.** "Agricultural Marketing in India." Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2011.
- **Sharma, V.P.** "India's Agricultural Development Under the New Economic Regime: Policy Perspective and Strategy for the 12th Five Year Plan." Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), 2011.
- **Binswanger-Mkhize, Hans P., and D'Souza, Anna.** "Structural Transformation and Agricultural Productivity in India." International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2012.
- **Fan, Shenggen, Gulati, Ashok, and Thorat, Sukhadeo.** "Investment, Subsidies, and Pro-Poor Growth in Rural India." *Agricultural Economics*, 2008.
- Singh, Ram C. "Emerging Technologies in Agriculture." CBS Publishers & Distributors, 2017.
- Balasubramanian, R., and Palanisami, K. "Technological Change and Agricultural Growth in India." Macmillan India Ltd., 1996.
- Chand, Ramesh. "Technology-Led Agricultural Growth: Experiences of Indian States."

Academic Foundation, 2006.

- Ghosh, P.K., Mahanta, S.K., and Singh, K. "Technological Advances in Integrated Farming Systems." Indian Council of Agricultural Research (ICAR), 2011.
- Tripathi, P.C. "Technological Advances in Agriculture." Anmol Publications Pvt. Ltd., 2013.
- Mittal, Surabhi, and Mehar, M. "Socio-Economic Impact of Mobile Phones on Indian Agriculture." Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 67, No. 3, 2012.
- Agarwal, Bina. "Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry." Oxford University Press, 2010.

ईकाई की रुपरेखा

- 12.0 उद्देश्य
- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 फलोत्तर प्रबंधन
- 12.3 फसलों फलों, सब्जियों व अनाजों का फलोत्तर पश्चात होने वाले नुकसान
- 12.4 कुशल कृषि विपणन
- 12.5 कुशल कृषि विपणन का महत्व
- 12.6 कुशल कृषि विपणन के प्रमुख घटक
- 12.7 कृषि विपणन में चुनौतियाँ
- 12.8 भारत में कृषि विपणन का विकास
- 12.9 वैश्विक डिजिटल कृषि बाजार का आकार 2021– 2030
- 12.10 सारांश
- 12.11 बोध प्रश्न
- 12.12 उपयोगी पुस्तके

12.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में फलोत्तर प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कुशल कृषि विपणन से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में फसलों फलों, सब्जियों व अनाजों का फलोत्तर पश्चात होने वाले नुकसान से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कुशल कृषि विपणन के प्रमुख घटक से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई वैश्विक डिजिटल कृषि बाजार का आकार 2021– 2030 के बारे में जानेंगे।

12.1 प्रस्तावना

कृषि क्षेत्र ग्रामीण विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के साथ, कृषि विपणन इस क्षेत्र का प्रमुख चालक बन गया है। हालांकि, कुशल और वैज्ञानिक विपणन प्रणालियों तक पहुंच न होने के कारण किसान मूल्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। बिचौलिए, कमीशन एजेंट और व्यापारी किसानों को उनके लाभ के हिस्से से वंचित करते हैं। एक कुशल और संगठित विपणन प्रणाली अधिकतम मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करेगी, जिससे किसानों को अधिक उत्पादन करने और अपने उत्पाद को अधिक से अधिक बाजार में बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र खंडित और असमन्वित है, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण उच्च बर्बादी और नुकसान होता है। उत्पादकों को अंतिम मूल्य का केवल 30–40% प्राप्त होता है, जबकि उन्नत देशों में यह 60 प्रतिशत है। अंतिम मूल्य में 3% का अतिरिक्त मार्जिन किसानों की शुद्ध आय में 10% की वृद्धि कर सकता है, जो कृषि में निवेश करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन है। इसे प्राप्त करने के लिए, बेहतर बाजार पहुंच, परस्पर जुड़े बाजार, कुशल आपूर्ति श्रृंखला और एक

मजबूत विपणन सूचना प्रणाली की आवश्यकता है। राज्य के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनमें बड़े बाजारों के लिए पर्याप्त विपणन योग्य अधिशेष उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। कीमतों में सुधार के लिए किसानों को दूरवर्ती एवं बड़े बाजारों तक पहुंच होनी चाहिए।

12.2 फलोत्तर प्रबंधन

फलोत्तर प्रबंधन एक कृषि प्रणाली है जिसमें फलों के विकास, उत्पादन, और प्रबंधन को संदर्भ में व्यवस्थित और उन्नत बनाने का काम किया जाता है। यह विभिन्न तकनीकों, सूखे संरक्षण, उचित जलवायु व्यवस्था, रोग और कीट प्रबंधन, और बीमा के उपयोग के माध्यम से किया जाता है।

फलों के प्रबंधन के लिए मुख्य विषय शामिल हैं:

- उचित वार्षिक विकास योजना: यह योजना फसल के विकास को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है, जिसमें विभिन्न फसलों की प्रजातियों, उचित बीज, और समय-समय पर की जाने वाली सुरक्षा और परिप्रेक्ष्य शामिल होते हैं।
- सुरक्षा और प्रबंधन: फलों के उत्पादन के दौरान सुरक्षा और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। यह शामिल करता है फलों के रोगों और कीटों के प्रबंधन, उचित खाद्यान्न, और जलवायु परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त बिताने वाली रणनीतियों को।
- पानी और जलवायु व्यवस्था: फलों के उत्पादन के लिए उचित जलवायु व्यवस्था और संरक्षण का महत्व होता है। इसमें समीक्षा के लिए अलग-अलग पहलु शामिल होते हैं, जैसे कि जल बचाव, सिंचाई प्रणालियाँ, और प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग।
- प्रदर्शनी तकनीक: उचित फसल प्रबंधन और संवर्धन के लिए तकनीकी ज्ञान और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह शामिल करता है फसल के संभाल, काटने, प्रसंस्करण, और उचित परिसंपत्ति के लिए तकनीक।

फलोत्तर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है फलों के उत्पादन को सुरक्षित और स्थिर बनाना, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना, और कृषकों को विपणन मार्गदर्शन के माध्यम से उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करना होता है।

फलोत्तर प्रबंधन को बेहतर ढंग से समझने और इसे लागू करने के लिए, एक व्यवस्थित सारणी तैयार की जा सकती है जो विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है। इस सारणी में मुख्यतः फसल के बाद के प्रत्येक चरण और उनके संबंधित उपायों का विवरण होगा:

क्र.सं.	फलोत्तर प्रबंधन चरण	विवरण	संबंधित उपाय
1	कटाई (Harvesting)	फसल की सही समय पर और उचित तरीके से कटाई	कटाई के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके कटाई का सही समय निर्धारण
2	सफाई (Cleaning)	फसल से अवांछित पदार्थों को हटाना	हवादार स्थान पर सफाई पानी या मशीन द्वारा साफ करना
3	सुखाना (Drying)	फसल की नमी को कम करना ताकि	धूप में सुखाना या सौर सुखाने

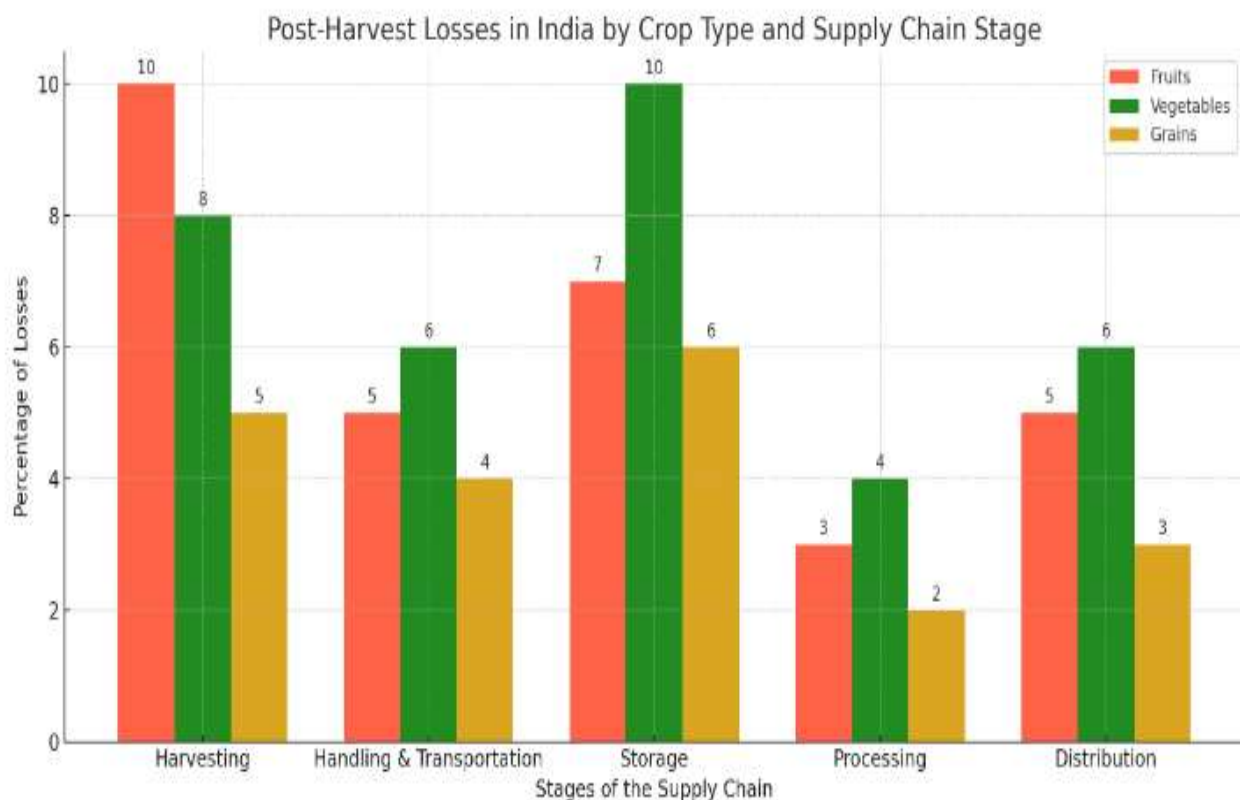
		भंडारण के दौरान खराब न हो	वाले यंत्रों का उपयोग
4	छंटाई और ग्रेडिंग (Sorting and Grading)	गुणवत्ता के अनुसार फसल का वर्गीकरण	मशीनों या हाथ से छंटाई ग्रेडिंग मानकों का पालन
5	पैकेजिंग (Packaging)	फसल को सुरक्षित और आकर्षक तरीके से पैक करना	गुणवत्ता वाले पैकेजिंग सामग्री का उपयोग सही आकार और मात्रा के पैकेज
6	भंडारण (Storage)	फसल को सुरक्षित और उचित वातावरण में रखना	ठंडे स्थान पर भंडारण आधुनिक भंडारण तकनीकों का उपयोग जैसे कोल्ड स्टोरेज
7	परिवहन (Transportation)	फसल को बाजार तक पहुंचाना	उपयुक्त वाहन का चयन समय पर और सुरक्षित परिवहन
8	बाजार में विपणन (Marketing in Market)	फसल की बिक्री के लिए बाजार का चयन और रणनीति	बाजार की मांग का विश्लेषण प्रत्यक्ष विपणन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफार्मों का उपयोग

इस सारणी के माध्यम से किसानों और कृषि व्यवसायियों को फसल के बाद के प्रत्येक चरण में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं और उपायों की स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। यह उनके लिए फलोत्तर प्रबन्धन को बेहतर ढंग से समझने और अपनाने में सहायक सिद्ध होगा।

12.3 फसलों फलों, सब्जियों व अनाजों का फलोत्तर पश्चात होने वाले नुकसान

प्रस्तुत आंकड़ा आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार की फसलों-फलों, सब्जियों और अनाजों-के लिए फलोत्तर पश्चात् होने वाले नुकसान के प्रतिशत को दर्शाता है। रंग-कोडित बार ग्राफ जिसमें लाल (फल) फलों के लिए कटाई के बाद के नुकसान का प्रतिशत दर्शाता है। हरा (सब्जियाँ) सब्जियों के लिए कटाई के बाद के नुकसान का प्रतिशत दर्शाता है। पीला (अनाज) अनाज के लिए कटाई के बाद के नुकसान का प्रतिशत दर्शाता है। इसमें फल व सब्जियों की क्षति को देखा जा सकता है। जिसमें फलों में कटाई और भंडारण के चरणों में महत्वपूर्ण नुकसान क्रमशः फल की कटाई के दौरान 10प्रतिशत, हैंडलिंग और परिवहन 5प्रतिशत, भंडारण 7प्रतिशत, वितरण हेतु 5प्रतिशत प्रसंस्करण 7प्रतिशत होता है और दूसरी तरफ सब्जियों में भंडारण और हैंडलिंग और परिवहन के चरणों के दौरान उच्च नुकसान क्रमशः सब्जियों में कटाई 8प्रतिशत, हैंडलिंग और परिवहन 6प्रतिशत, भंडारण 10प्रतिशत, वितरण 6प्रतिशत व प्रसंस्करण 4प्रतिशत होता है। फलों और सब्जियों की तुलना में अनाज में अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है, लेकिन भंडारण के दौरान अभी भी उल्लेखनीय नुकसान होता है। जिसमें अनाज की कटाई 5प्रतिशत, हैंडलिंग और परिवहन 4प्रतिशत, भंडारण 6प्रतिशत, वितरण 3 प्रतिशत व प्रसंस्करण 2प्रतिशत होता है। परिणाम स्वरूप कटाई और भंडारण के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण नुकसान बेहतर कटाई तकनीकों और बेहतर भंडारण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाता है। नुकसान को कम करने के लिए उचित हैंडलिंग और कुशल परिवहन प्रणाली खासकर फलों और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न फसलों को विभिन्न चरणों में विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, फलों को उन्नत भंडारण तकनीकों से लाभ हो सकता है, जबकि सब्जियों को बेहतर हैंडलिंग और परिवहन समाधानों की आवश्यकता हो सकती है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने

से किसानों के लिए आर्थिक लाभ में काफी सुधार हो सकता है और खाद्य अपव्यय को कम किया जा सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में योगदान मिलता है। यह आंकड़ा आपूर्ति श्रृंखला में नुकसान होने वाले स्थानों का एक स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे हितधारकों को सबसे अधिक नुकसान वाले क्षेत्रों में प्रयासों और संसाधनों को प्राथमिकता देने की अनुमति मिलती है।



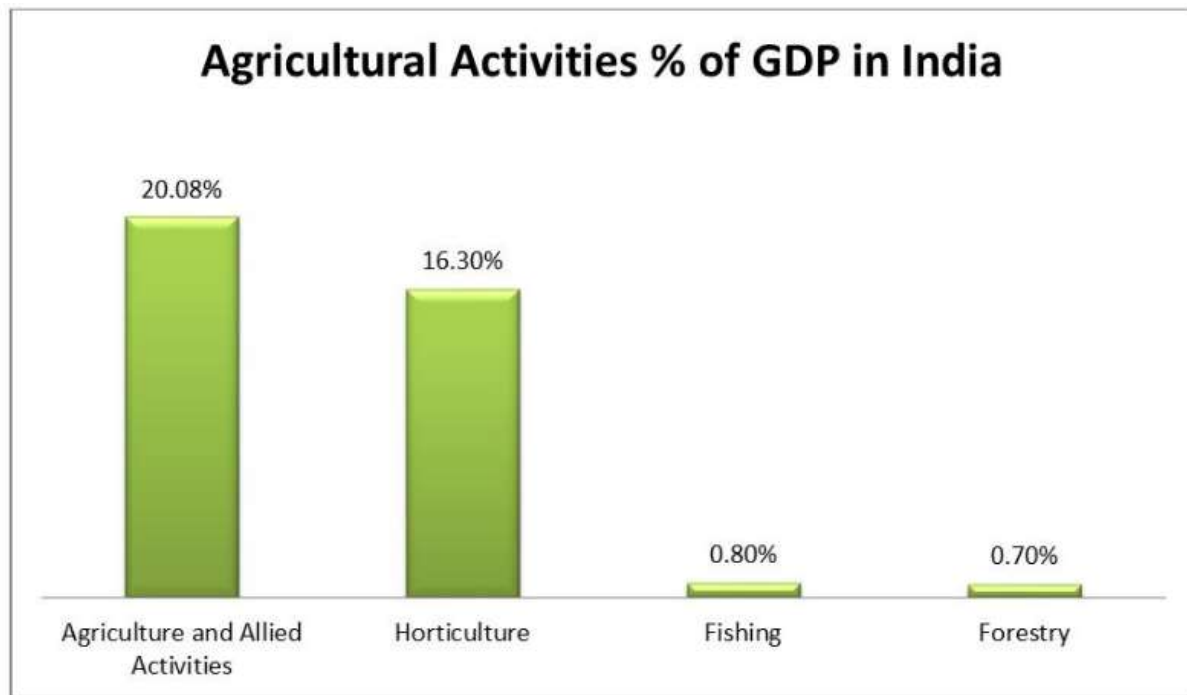
प्रस्तुत ग्राफ भारत में फसल के प्रकार और आपूर्ति श्रृंखला के चरण के अनुसार फलोत्तर पश्चात होने वाले नुकसान को दर्शाने वाला ग्राफ दिया गया है। यह ग्राफ फलों, सब्जियों और अनाज के लिए अलग-अलग चरणों में होने वाले नुकसान के प्रतिशत की तुलना करता है।

12.4 कुशल कृषि विपणन

कुशल कृषि विपणन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि कृषि उत्पाद उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक सुचारु रूप से पहुँचें, आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्य को अधिकतम करें। इसमें उत्पादन योजना, कटाई, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री सहित कई गतिविधियाँ शामिल हैं। कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए प्रभावी विपणन प्रणालियाँ आवश्यक हैं, क्योंकि वे किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने, अपव्यय को कम करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुँच प्राप्त हो।

कृषि खाद्य उत्पादन करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। एक सदी पहले, किसान मुख्य रूप से स्वयं के उपभोग या दूसरों के साथ विनिमय के लिए खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करते थे। हालाँकि, उत्पादन का माहौल आत्मनिर्भरता से व्यावसायीकरण की ओर महत्वपूर्ण रूप से बदल गया है। उच्च उपज वाली किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कीटनाशकों और कृषि मशीनीकरण जैसी तकनीकी प्रगति ने कृषि उत्पादन और बड़े विपणन योग्य अधिशेष को बढ़ाया है। इसके साथ ही शहरीकरण, आय, बदलती उपभोक्ता जीवनशैली और विदेशी बाजारों के साथ बढ़ते संबंध भी हैं। उपभोक्ता केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं जहाँ खाद्य उत्पादन होता है, और प्रसंस्कृत या अर्ध-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की माँग के लिए कच्चे कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता होती है। कृषि विपणन गतिविधियों के माध्यम से उत्पादकों और उपभोक्ताओं को एक साथ लाता है, जो अर्थव्यवस्था

का एक अनिवार्य तत्व बन जाता है। यह किसानों को कृषि इनपुट की आपूर्ति पर भी ध्यान केंद्रित करता है।



<https://bbamantra-com.translate.google/agricultural-marketing/? x tr sl=en& x tr tl=hi& x tr hl=hi& x tr pto=imgs>

कुशल कृषि विपणन को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, एक सारणी तैयार की जा सकती है जो विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है। इस सारणी में मुख्यतः विपणन के प्रत्येक चरण और उनके संबंधित उपायों का विवरण होगा:

क्र. सं.	कृषि विपणन चरण	विवरण	संबंधित उपाय
1	बाजार अनुसंधान (Market Research)	बाजार की मांग और मूल्य प्रवृत्तियों का अध्ययन	बाजार सर्वेक्षणय डिजिटल टूल्स और मोबाइल ऐप्स का उपयोग
2	उत्पाद विविधता (Product Diversification)	विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना ताकि बाजार की विभिन्न मांगों को पूरा किया जा सके	फसल विविधता अपनाना नई और मूल्यवान फसलों का परीक्षण
3	मूल्य संवर्धन (Value Addition)	फसल में मूल्य वृद्धि के लिए प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, और ब्रांडिंग	प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करना आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग
4	प्रत्यक्ष विपणन (Direct Marketing)	बिचौलियों के बिना सीधे उपभोक्ताओं को फसल बेचना	किसान बाजार (Farmer's Market) स्थापित करना ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग
5	विपणन चैनल (Marketing Channels)	विभिन्न विपणन चैनलों का उपयोग करना	थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म
6	संविदा खेती (Contract Farming)	कंपनियों या बाजार संगठनों के साथ अनुबंध करना	कृषि उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से अनुबंध खेती

7	लॉजिस्टिक्स और वितरण (Logistics and Distribution)	फसल को सही समय पर और सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुंचाना	प्रभावी परिवहन और भंडारण प्रणालीय लॉजिस्टिक्स का उचित प्रबंधन
8	मूल्य निर्धारण (Pricing)	प्रतिस्पर्धी और लाभदायक मूल्य निर्धारण	लागत और बाजार मूल्य का विश्लेषण उचित लाभ मार्जिन तय करना
9	प्रचार और विज्ञापन (Promotion and Advertising)	उत्पाद की बाजार में पहचान और मांग बढ़ाना	डिजिटल मार्केटिंगय सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग
10	सरकारी योजनाएँ और सब्सिडी (Government Schemes and Subsidies)	सरकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ उठाना	कृषि सब्सिडी, बीमा योजनाएँ, और क्रेडिट सुविधाएँ

इस सारणी के माध्यम से किसानों और कृषि व्यवसायियों को कुशल कृषि विपणन के प्रत्येक चरण में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं और उपायों की स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। यह उनके लिए कुशल विपणन रणनीतियों को समझने और अपनाने में सहायक सिद्ध होगा।

12.5 कुशल कृषि विपणन का महत्व

- कुशल विपणन प्रणालियाँ किसानों को व्यापक बाजारों से जोड़कर और बिचौलियों की संख्या को कम करके उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।
- स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों तक बेहतर पहुँच, बेहतर मूल्य खोज में मदद करती है और किसानों की आय में अस्थिरता को कम करती है।
- कुशल विपणन खराब हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के कारण होने वाले नुकसान को कम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिक खाद्यान्न बाजार तक पहुँचे।
- एक कुशल विपणन प्रणाली खाद्य उत्पादों की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जिससे खाद्य उपलब्धता और कीमतें स्थिर रहती हैं।
- कुशल विपणन सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिलता है।
- आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमताओं को कम करने से खाद्य की लागत कम हो सकती है, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो सकता है।
- कुशल विपणन खेती, भंडारण और परिवहन में नई तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है।
- सड़कों, भंडारण सुविधाओं और बाजार केंद्रों जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश कुशल विपणन प्रणालियों की आवश्यकता से प्रेरित है।

12.6 कुशल कृषि विपणन के प्रमुख घटक

- कुशल लेनदेन के लिए सुव्यवस्थित बाजार यार्ड, थोक बाजार और खुदरा बाजार महत्वपूर्ण हैं।
- ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ते हैं, जिससे बिचौलियों

की आवश्यकता कम हो जाती है।

- एक विश्वसनीय शीत श्रृंखला अवसंरचना सुनिश्चित करती है कि खराब होने वाले सामान को इष्टतम स्थितियों में संग्रहीत और परिवहन किया जाए, जिससे खराब होने की संभावना कम हो।
- अच्छी सड़कें, परिवहन सुविधाएँ और रसद सेवाएँ बाजारों में उपज की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती हैं।
- कीमतों, मांग और आपूर्ति के बारे में वास्तविक समय की बाजार जानकारी तक पहुँच किसानों को सूचित निर्णय लेने में मदद करती है।
- मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएँ किसानों को बाजारों और खरीदारों से जुड़े रहने में सक्षम बनाती हैं, जिससे बेहतर मूल्य वार्ता की सुविधा मिलती है।
- निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली, परिवहन और भंडारण के लिए सब्सिडी प्रदान करने वाली और अवसंरचना विकास का समर्थन करने वाली सरकारी नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं।
- गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लागू करना और लागू करना सुनिश्चित करता है कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद ही उपभोक्ताओं तक पहुँचें।
- ये संगठन सामूहिक सौदेबाजी में मदद करते हैं, बाजारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं और लेन-देन की लागत को कम करते हैं।
- कृषि विस्तार सेवाएँ किसानों को आधुनिक विपणन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती हैं।

12.7 कृषि विपणन में चुनौतियाँ

- आपूर्ति श्रृंखला में अनेक बिचौलियों की उपस्थिति किसानों की आय कम कर सकती है तथा उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा सकती है।
- आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी से अकुशलताएँ पैदा हो सकती हैं।
- अच्छी सड़कों तथा परिवहन सुविधाओं की कमी से देरी हो सकती है तथा लागत बढ़ सकती है।
- सीमित भंडारण सुविधाएँ, विशेष रूप से कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के पश्चात महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बनती हैं।
- छोटे तथा सीमांत किसानों के पास अक्सर आकर्षक बाजारों तक सीमित पहुँच होती है, जिससे उचित मूल्य प्राप्त करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।
- किसानों के पास अक्सर समय पर तथा सटीक बाजार सूचना तक पहुँच नहीं होती, जिससे सूचित निर्णय लेने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- कठोर तथा जटिल विनियमन क्षेत्रों तथा देशों में कृषि वस्तुओं की कुशल आवाजाही में बाधा डाल सकते हैं।
- अपर्याप्त नीति समर्थन कृषि विपणन प्रणालियों की वृद्धि तथा दक्षता को सीमित कर सकता है।

कुशल कृषि विपणन एक मजबूत कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार, भंडारण और परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने, वास्तविक समय की बाजार जानकारी प्रदान करने और सहायक नीतियों को लागू करने से कृषि विपणन की दक्षता में काफी वृद्धि हो सकती है। इससे न केवल उचित मूल्य सुनिश्चित करने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने से किसानों को लाभ होता है,

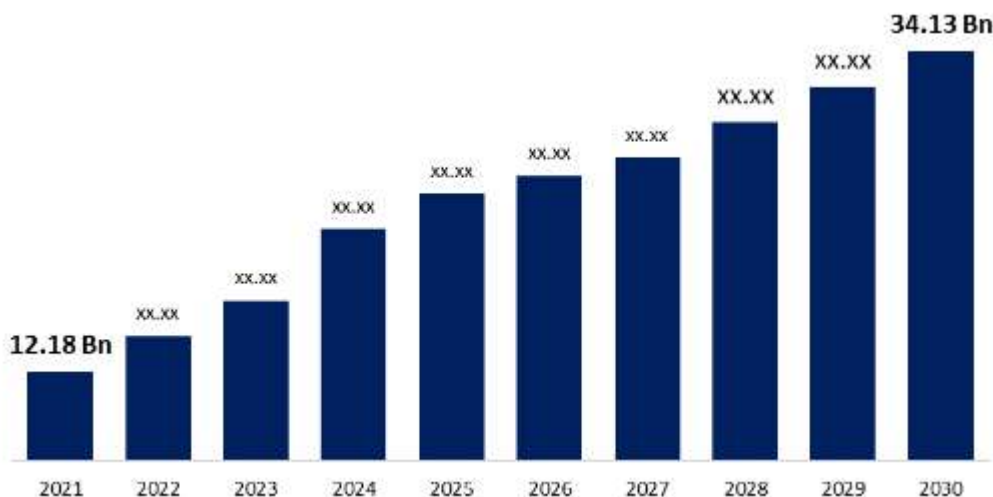
बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला, सुरक्षित और किफायती भोजन मिल सके। टिकाऊ कृषि विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए कुशल कृषि विपणन प्रणालियों में निवेश आवश्यक है।

12.8 भारत में कृषि विपणन का विकास

कृषि वस्तुओं का विपणन तब शुरू हुआ जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने में सक्षम हो गया, जिससे उपभोग के लिए उत्पादन से विनिमय के लिए उत्पादन में परिवर्तन हुआ। इस बदलाव ने किसानों की विपणन पर निर्भरता बढ़ा दी है, जिससे बाजार तंत्र का विकास हुआ है। कृषि पर रॉयल कमीशन ने 1928 में एक कुशल विपणन प्रणाली के महत्व को पहचाना। सरकारों ने विपणन की स्थिति में सुधार लाने और कृषि विपणन को यथासंभव कुशल बनाने के लिए विभिन्न प्रशासनिक और विधायी उपाय अपनाए हैं। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, कृषि विपणन को महत्व नहीं मिला, क्योंकि यह कृषि के व्यावसायीकरण की दिशा में क्रमिक प्रगति के कारण था। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने उत्पादन में वृद्धि, विपणन योग्य अधिशेष और शहरी आबादी की मांग के कारण मौजूदा विपणन प्रणाली में तेजी से सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विनियमित बाजारों के नेटवर्क के माध्यम से कृषि वस्तुओं के संगठित विपणन को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने कानून (कृषि उपज बाजार विनियमन अधिनियम) बनाए, और 31 मार्च, 2009 तक विनियमित बाजारों की संख्या बढ़कर 7139 हो गई। इन उपायों से थोक संयोजन स्तर पर उत्पादकों-विक्रेताओं की बाजार संबंधी बाधाओं को कम करने में मदद मिली है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि विपणन पर एक और संशोधित मॉडल कानून तैयार किया, जो देश में कृषि बाजारों के प्रबंधन और विकास में निजी बाजारों-धायार्डों, प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों, प्रत्यक्ष बिक्री के लिए उपभोक्ताओं के बाजारों की स्थापना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है।

12.9 वैश्विक डिजिटल कृषि बाजार का आकार 2021–2030

स्फेरिकल इनसाइट्स एंड कंसल्टिंग ने वैश्विक डिजिटल कृषि बाजार में 2021 में 12.18 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2030 तक 34.13 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की महत्वपूर्ण वृद्धि की भविष्यवाणी की है, जो 1280% की सीएजीआर पर है। यह वृद्धि तकनीकी प्रगति, अपशिष्ट में कमी, संसाधन दक्षता, उपज अधिकतमीकरण और रणनीतिक सरकारी नीतियों द्वारा संचालित है जो डिजिटल कृषि के बारे में जागरूकता और अपनाने को बढ़ाती है।



<https://www.sphericalinsights.com/press-release/digital-agriculture-market>

कृषि क्षेत्र की समग्र सफलता और स्थिरता में कुशल कृषि विपणन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कृषि उत्पादों को खेतों से उपभोक्ताओं तक सबसे प्रभावी तरीके से पहुँचाने के लिए गतिविधियों की व्यवस्थित योजना, संगठन और निष्पादन शामिल है। कुशल कृषि विपणन के महत्व को इसके कई लाभों के माध्यम से समझा जा सकता है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। कुशल विपणन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बिचौलियों की संख्या को कम करके और सीधे बाजार तक पहुँच बढ़ाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किया जाये। कुशल विपणन किसानों के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलता है, जिससे उनका ग्राहक आधार और संभावित आय बढ़ती है और सुव्यवस्थित विपणन प्रणाली किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद करती है, जिससे वे अपने उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं और वैश्विक बाजारों में पहुँच सकते हैं। कुशल विपणन प्रणालियाँ उत्पादों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करके कीमतों को स्थिर करने में मदद करती हैं, मौसमी उतार-चढ़ाव और बाजार की अधिकता के प्रभाव को कम करती हैं। कुशल विपणन खाद्य उत्पादों की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करता है, कमी को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि भोजन साल भर उपलब्ध रहे। विभिन्न बाजारों तक पहुँच से खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण संभव होता है, जिससे आहार विविधता और पोषण को बढ़ावा मिलता है। कुशल विपणन सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन मिलता है। बाजारों तक सीधी पहुँच उचित मूल्य निर्धारण की अनुमति देती है, जिससे बिचौलियों द्वारा अत्यधिक मार्कअप को समाप्त करके उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है। कुशल विपणन से आय में वृद्धि किसानों और उनके परिवारों की आजीविका में सुधार करती है, जिससे बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होता है।

कृषि क्षेत्र के विकास और स्थिरता के लिए कुशल कृषि विपणन महत्वपूर्ण है। यह किसानों की आय में सुधार, बाजारों का विस्तार और निवेश को आकर्षित करके आर्थिक विकास को बढ़ाता है। यह फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके और स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता, सुरक्षा और सामर्थ्य से लाभ होता है। इसके अलावा, कुशल विपणन आजीविका में सुधार और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर सामाजिक कल्याण का समर्थन करता है, साथ ही अपशिष्ट को कम करके और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और व्यापक आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुशल कृषि विपणन प्रणालियों में निवेश करना आवश्यक है।

12.10 सारांश

कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए फलोत्तर प्रबंधन एवं कृषि विपणन महत्वपूर्ण हैं। कृषि उपज की गुणवत्ता व सुरक्षा बनाए रखने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कटी हुई फसल का अधिक प्रतिशत बाजार तक पहुँचे, उन्नत भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रथाएँ आवश्यक हैं। मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन माध्यम जैसी सटीक बाजार जानकारी तक किसानों की पहुँच उन्हें अपनी बिक्री को अधिक प्रभावी ढंग से रणनीति बनाने में मदद करती है। सड़क, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ और कुशल परिवहन प्रणाली जैसे बुनियादी ढाँचे में निवेश से पारगमन का समय कम होता है और खराब होने की संभावना कम होती है। सफाई, छटाई, ग्रेडिंग व पैकेजिंग जैसी मूल्यवर्धित प्रक्रियाएँ कृषि उत्पादों की बाजार क्षमता और लाभप्रदता को बढ़ा सकती हैं और निर्यात सहित नए बाजार अवसर खोल सकती हैं। सहायक सरकारी नीतियाँ, जैसे सब्सिडी, बीमा योजनाएँ और ऋण सुविधाएँ, किसानों को फलोत्तर प्रबंधन और विपणन की बेहतर प्रणाली को अपनाने में सक्षम बनाती हैं। बाजार के बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई सरकारी पहलों से अधिक कुशल कृषि विपणन हो सकता है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों का गठन सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति, बेहतर संसाधनों तक पहुँच और बड़े बाजारों तक पहुँचने की क्षमता प्रदान करके छोटे पैमाने के किसानों को सशक्त बनाता है। फलोत्तर प्रबंधन और विपणन में सुविधाजनक प्रणाली एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने से दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं, जिसमें कम अपशिष्ट, संसाधन संरक्षण और कृषि क्षेत्र में बेहतर लचीलापन शामिल है। इन रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसानों, सरकारी एजेंसियों, कृषि मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

12.11 बोध प्रश्न

- फलोत्तर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ?
- फसलों फलों, सब्जियों व अनाजों का फलोत्तर पश्चात होने वाले नुकसान की व्याख्या कीजिए।
- कुशल कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं ?
- कुशल कृषि विपणन के प्रमुख घटक की विवेचना कीजिए।
- कृषि विपणन में चुनौतियाँ की व्याख्या कीजिए।
- भारत में कृषि विपणन का विकास की विवेचना कीजिए।

12.12 उपयोगी पुस्तकें

- Kader, A.A. (2002). Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California Agriculture and Natural Resources.
- Spadaro, D., & Gullino, M.L. (2014). Post-Harvest Pathology. Springer.
- Kader, A.A. (2005). "Increasing Food Availability by Reducing Postharvest Losses of Fresh Produce." *Acta Horticulturae*.
- Mrema, C.G., & Rolle, R.S. (2002). "Status of the Postharvest Sector and its Contribution to Agricultural Development and Economic Growth." Agricultural and Food Engineering Technical Report, FAO.
- Joshi, P.K., & Parthasarathy, R. (2005). "Postharvest Management and Marketing of Fruits and Vegetables." International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Acharya, S.S. and N.L. Agarwal (2011), Agricultural Marketing in India, Oxford & IBH publishing Company Pvt Ltd., Fifth edition.
- Singh, Hardeep, M.K. goel, and A.K. Singhal (2012), Challenges in Rural and Agriculture Market, VSRD International Journal of Business & Management Research, Vol. 2 (6), pp. 299-304
- <https://www.agricorn.in/2023/08/post-harvest-processing-fruits-vegetables-importance.html>
- Kader, A. A. (2002). Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California Agriculture and Natural Resources.
- Norwood, F. B., & Lusk, J. L. (2018). Agricultural Marketing and Price Analysis (2nd ed.). Waveland Press.
- Pruthi, J. S. (1993). Post-Harvest Management of Fruits and Vegetables: A Global Perspective. *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 63(12), 759-763.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2007). Marketing and Post-Harvest Handling of Fruit and Vegetables.
- Kitinoja, L., & Kader, A. A. (2002). Small-Scale Postharvest Handling Practices: A Manual for Horticultural Crops. University of California, Davis.
- Sharma, A., & Singh, S. P. (2011). Economic Analysis of Post-Harvest Losses in Marketing of Vegetables in India. *Agricultural Economics Research Review*, 24(2), 309-315.

ईकाई—13 अनुबन्ध कृषि, जैवकीय कृषि एवं कार्बनिक कृषि

ईकाई की रूपरेखा

- 13.0 उद्देश्य
- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 अनुबन्ध कृषि की परिभाषा
- 13.3 अनुबन्ध कृषि के मॉडल
 - 13.3.1 केन्द्रीकृत मॉडल
 - 13.3.2 न्यूक्लिसएस्टेट मॉडल
 - 13.3.3 बहुपक्षीय मॉडल
 - 13.3.4 अनौपचारिक मॉडल
 - 13.3.5 मध्यस्थ मॉडल
- 13.4 अनुबन्ध कृषि के लाभ
- 13.5 अनुबन्ध कृषि की चुनौतियाँ
- 13.6 भारत में अनुबन्ध कृषि से सम्बन्धित कानून
- 13.7 निष्कर्ष
- 13.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 13.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 13.10 अभ्यासार्थ प्रश्न
- 13.11 अनुबन्ध कृषि

13.1 उद्देश्य

- केन्द्र और राज्य स्तर की खरीद प्रणालियों पर भार कम करना
- ग्रामीण समुदायों में लाभकारी रोजगार पैदा करना
- कृषि में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना
- भारतीय किसानों द्वारा फसल चयन को बाजार पर केन्द्रित करना
- ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहे प्रयास को कम करना
- किसानों के लिए आय का एक स्थित स्रोत उत्पन्न करना
- प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना
- नई चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और विशेषताओं को एकत्रित करके सामान्य रूप से ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

- यह प्राकृतिक संपत्तियों को कृषि प्रणालियों में एकीकृत करके स्थानीय समुदायों के विकास में मदद करता है।
- यह पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक फसल पैदावार और लाभप्रदता उत्पन्न करता है।
- यह जैव विविधता को बढ़ावा देता है य उसकी रक्षा करता है जिससे जलवायु परिवर्तन में कमी आती है।
- यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।
- यह वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के लिए स्वस्थ, स्वादिष्ट और अधिक पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करता है।
- यह मिट्टी के क्षरण को काम करता है य जिससे इसकी उर्वरता बढ़ती है।
- यह रासायनिक रासायनिक इनपुट से पानी को प्रदूषित नहीं करता है और जलभृतों का संरक्षण करता है।

13.2 प्रस्तावना

भारतीय कृषि क्षेत्र में निर्वाह और वाणिज्यिक दोनों फसलों के लिए सदियों से देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की अनुबन्ध कृषि की व्यवस्था प्रचलित है। गन्ना, कपास, चाय, कॉफी आदि वाणिज्यिक फसलों में हमेशा से अनुबन्ध कृषि या कुछ अन्य रूपों में शामिल किया है। यहाँ तक कि कुछ फल, फसलों और मत्स्य पालन के मामले में अक्सर अनुबन्ध कृषि समझौते किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से इन वस्तुओं के सट्टा कारोबार से जुड़े होते हैं। आर्थिक उदारीकरण के मद्देनजर अनुबन्ध कृषि की अवधारणा का महत्त्व बढ़ रहा है, विभिन्न राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रौद्योगीकरण और पूंजी उपलब्ध कराने के द्वारा विभिन्न बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए किसानों के साथ अनुबन्ध में प्रवेश कर रहे हैं। आमतौर पर अनुबन्ध कृषि को पूर्व निर्धारित कीमतों पर उत्पादन और आगे के समझौतों के अन्तर्गत कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए किसानों और प्रसंस्करण और या विपणन कम्पनियों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। इस व्यापक ढाँचे के भीतर अनुबन्ध में किए गए प्रावधानों की गहराई और जटिलता के अनुसार संविदात्मक व्यवस्था की तीव्रता के आधार पर कृषि के विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं। कुछ विपणन पहलू तक सीमित हो सकते हैं या कुछ में प्रायोजक द्वारा संसाधनों की आपूर्ति और उत्पादकों की ओर से समझौते के द्वारा फसल प्रबन्धन विनिर्देशों का पालन करने के लिए विस्तारित हो सकते हैं। किसानों की इस तरह की व्यवस्था का आधार किसानों की तरफ से क्रेता को मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता के मानकों पर एक विशेष वस्तु प्रदान करने की प्रतिबद्धता और प्रायोजक की ओर से किसान के उत्पादन का समर्थन और वस्तु की खरीद करने की एक प्रतिबद्धता है।

13.2 अनुबन्ध खेती की परिभाषा

किसान (उत्पादक) और कम्पनी (खरीददार) अनुबन्ध खेती के दो पक्ष हैं। कम्पनियाँ किसानों को लागत सामग्रियाँ देती हैं। जैसे – बीज, खाद, कीटनाशक और तकनीकों के बारे में जानकारी इत्यादि और बदले में किसानों से उनके उत्पाद खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लेती है।

अनुबन्ध खेती की कुछ प्रचलित परिभाषाएँ –

1. पारी बाउमन के अनुसार (According to Pari Baumann)– अनुबन्ध खेती एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खरीददार कम्पनी निजी किसानों से उनकी फसल खरीदता है। इस अनुबन्ध के माध्यम से किसान और कम्पनी के बीच जोखिम का भी बटवारा होता है, जहाँ उत्पादन से जुड़े सारे जोखिम किसान वहन करता है, वहीं विपणन सम्बन्धी जोखिम कम्पनियों को उठाना पड़ता है।
2. चार्ल्स ईटन और एंड्रयू डब्लू-शेफर्ड के अनुसार (According to Charls EatonAndAndrue W- Shepherd) – किसानों और खरीददार कम्पनियों के बीच फसल के उत्पादन और सप्लाई का एक समझौता जिसमें

कीमतें पहले से तय हो जाती हैं।

3. सुखपाल सिंह के अनुसार (According to Sukhpal Singh)— किसान और कम्पनी के बीच एक समझौता जिसमें किसान एक विशिष्ट समय, कीमत, मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपनी फसल कम्पनी के हाथ सौंपता है।
4. निगेल की और मैकडॉनल्ड (According to Nigel Key And Macdonald)— किसान और फलस के बीच एक समझौता

बोध प्रश्न – अनुबन्ध कृषि से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।

13.3 अनुबन्ध खेती के मॉडल

अनुबन्ध खेती को फसल, प्रायोजक के उद्देश्यों और संसाधनों और किसानों के अनुभव के आधार पर विभिन्न तरीकों से संरचित किया जा सकता है, निर्दिष्ट अवधि के भीतर और आर्थिक कीमत पर पर्याप्त आपूर्ति की सुविधा के लिए उत्पादन को अनुबन्धित करना एक व्यावसायिक निर्णय है। किसी भी फसल या पशुधन उत्पाद को सैद्धान्तिक रूप में किसी भी मॉडल का उपयोग करके अनुबन्धित किया जा सकता है यहाँलाकि कुछ उत्पाद विशिष्ट दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं य मोटे तौर पर अनुबन्ध खेती की व्यवस्था पाँच मॉडलों में से एक में आती है।

13.3.1 केन्द्रीकृत मॉडल –

- इसमें बड़ी संख्या में छोटे किसानों से खरीद करनेवाला एक केन्द्रीकृत प्रोसेसर और या पैकर शामिल है।
- वृक्ष, फसलों, वार्षिक फसलों, मुर्गीपालन, डेयरी के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पादों को अक्सर उच्च स्तर के प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। जैसे कि चाय या सब्जियाँ डिब्बाबन्दीए या फ्रीजिंग के लिए।
- कोटा आवंटन और सख्त गुणवत्ता नियन्त्रण के साथ लम्बवत् रूप से समन्वित है।
- उत्पादन में प्रायोजकों की भागीदारी न्यूनतम इनपुट प्रावधान से लेकर विपरीत चरम तक भिन्न होती है य जहाँ प्रायोजक अधिकांश उत्पादन पहलुओं पर नियन्त्रण रखता है।

13.3.2. न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल –

- यह केन्द्रीकृत मॉडल का एक रूप है जहाँ प्रायोजक एक केन्द्रीय संपत्ति या बागान का प्रबन्धन भी करता है।
- केन्द्रीय संपत्ति का उपयोग आमतौर पर प्रसंस्करण संयंत्र के लिए थ्रपुट की गारंटी के लिए किया जाता है लेकिन कभी-कभी इसका उपयोग केवल अनुसन्धान या प्रजनन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग अक्सर पुनर्वास या स्थानान्तरण योजनाओं के साथ किया जाता है।
- इसमें सामग्री और प्रबन्धन इनपुट का महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है।

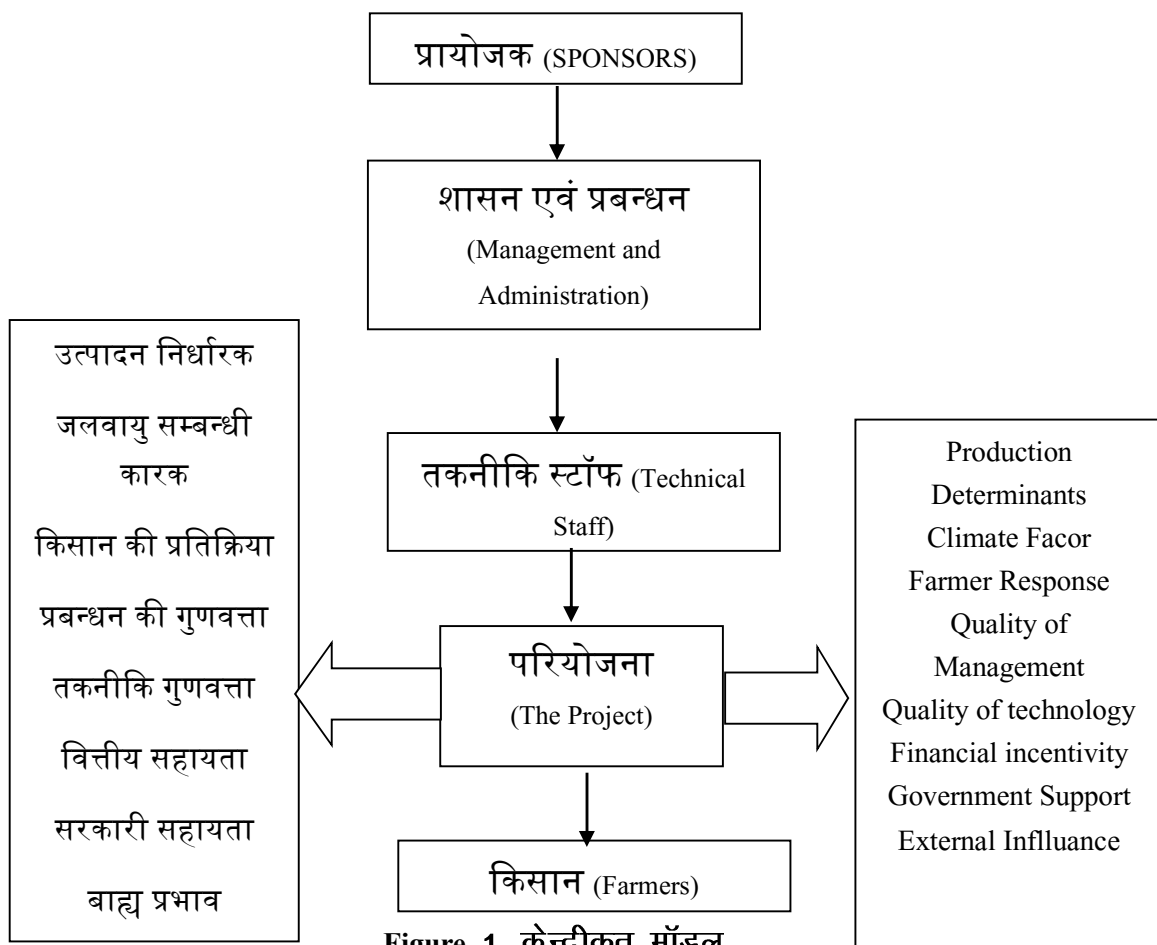


Figure 1. केन्द्रीकृत मॉडल

13.3.3 बहुपक्षीय मॉडल

- इसमें विभिन्न प्रकार के संगठन शामिल हो सकते हैं, जिनमें अक्सर वैधानिक निकाय भी शामिल होते हैं।
- केन्द्रीकृत या न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल से विकसित हो सकता है। उदाहरण के लिए किसानों को सहकारी समितियों में संगठित करके या किसी वित्तीय संस्थान की भागीदारी के माध्यम से

13.3.4 अनौपचारिक मॉडल

- व्यक्तिगत उद्यमियों या छोटी कंपनियों की विशेषता है।
- इसमें आमतौर पर मौसमी आधार पर अनौपचारिक उत्पादन अनुबन्ध शामिल होते हैं।
- अक्सर अनुसन्धान और विस्तार जैसी सरकारी सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है।
- इसमें अतिरिक्त – अनुबन्धात्मक विपणन का अधिक जोखिम शामिल है।

13.3.5 मध्यस्थ मॉडल

- किसानों से लेकर बिचौलियों तक के उपठेकेदारी संबंधों में प्रायोजक शामिल हैं।
- यह खतरा है कि प्रायोजक, उत्पादन और गुणवत्ता के साथ-साथ किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों पर

बोध प्रश्न – अनुबन्ध कृषि मुख्यतः कितने मॉडलों पर आधारित है?

13.4 अनुबन्ध कृषि के लाभ

अनुबन्ध कृषि से होनेवाले लाभ निम्नलिखित हैं—

- किसानों के हितों की रक्षा – यह किसानों को उनकी उपज के लिए एक आश्वासन वाला बाजार मुहैया कराती है तथा बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उन्हें सुरक्षित करके उनके जोखिम को कम करती है। पूर्व निर्धारित कीमतें, फसल कटाई के बाद होनेवाली क्षति के मामलों में प्रतिपूर्ति करने का अवसर प्रदान करती है।
- कृषि में निजी भागीदारी – जैसा कि राष्ट्रीय कृषि नीति द्वारा परिकल्पित है, यह कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करती है ताकि नई प्रौद्योगिकी, विकासशील बुनियादी ढाँचे आदि को बढ़ावा दिया जा सके।
- किसानों की उत्पादकता में सुधार – यह बेहतर आय, वैज्ञानिक पद्धति एवं क्रेडिट सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाकर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता व दक्षता को बढ़ाती है जिससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर एवं खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है।
- बेहतर मूल्य की खोज – यह कृषि उत्पादन बाजार समिति (APMC) के एकाधिकार को कम करती है एवं कृषि को एक संगठित गतिविधि बनाती है, जिससे गुणवत्ता व उत्पादन की मात्रा में सुधार होता है।
- निर्यात में वृद्धि – यह किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा आवश्यक फसलों को उगाने एवं भारतीय किसानों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से विशेष रूप से उच्च मूल्यवाले बागवानी उत्पादन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा खाद्यान्न की बर्बादी को काफी कम करती है।
- उपभोक्ताओं को लाभ – विपणन दक्षता में वृद्धि, बिचौलियों का उन्मूलन, विनियामक, अनुपालन में कमी आदि से उत्पाद के कृत्रिम अभाव को कम किया जा सकता है तथा खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को नियन्त्रित किया जा सकता है।

13.5 अनुबन्ध कृषि की चुनौतियाँ

- अनुबन्ध कृषि के मामले में आवश्यक उपजों के प्रकार, स्थितियाँ आदि के सन्दर्भ में राज्यों के कानून के मध्य एकरूपता या समरूपता का अभाव है। राजस्व की हानि की आशंका के चलते राज्य सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं।
- क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा – वर्तमान में यह कृषि विकसित राज्यों (पंजाब, तमिळनाडु आदि) में प्रचलित है, जबकि लघु एवं सीमान्त किसानों की उच्चतम सघनता वाले राज्य इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- भू-जोतों का आकार – उच्च लेन-देन एवं विपणन लागत के कारण खरीददार लघु एवं सीमान्त किसानों के साथ अनुबन्ध कृषि को वरीयता नहीं देते हैं। साथ ही इस हेतु उन्हें कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इससे सामाजिक, आर्थिक विकृतियों को बढ़ावा मिलता है एवं बड़े किसानों के लिए वरीयता की स्थिति पैदा होती है।

वर्ष 2015-16 की कृषि संगणना के अनुसार 86% भू-जोतों का स्वामित्व लघु एवं सीमान्त किसानों के पास था तथा भू-जोतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर था।

- यह निवेश के लिए कॉर्पोरेट जगत् पर किसानों की निर्भरता को बढ़ाता है, जिससे वे कमजोर होते हैं।
- पूर्व निर्धारित मूल्य, किसानों को उपज के लिये बाजार में उच्च मूल्यों के लाभ से वंचित कर सकते हैं।
- कृषि के लिए पूंजी वहन एवं कम संधारणीय पैटर्न – यह उर्वरकों एवं कीटनाशियों के बढ़ते उपयोग को

बढ़ावा देता है जो प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, मनुष्यों एवं जानवरों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।

- एकल कृषि को प्रोत्साहन – यह न केवल मृदा की सेहत को प्रभावित करता है अपितु खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है एवं खाद्यान्नों के आयात को बढ़ावा देता है।

बोध प्रश्न –

अनुबंध कृषि के विकास में होनेवाली चुनौतियाँ क्या-क्या हैं?

13.6 भारत में अनुबन्ध कृषि से सम्बन्धित कानून

- मॉडल कृषि विपणन समिति अधिनियम 2003 अनुबंध कृषि के उत्पादकों एवं प्रायोजकों के हितों की रक्षा के लिए कृषि मंत्रालय ने APMC Act 2003 का मसौदा तैयार किया था, जिसमें प्रायोजकों के पंजीकरण समझौते की रिकॉर्डिंग विवाद निपटान तंत्र आदि का प्रावधान है।
- केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए इस अधिनियम में कृषि बाजार में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है य जिससे दलालों और बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है। ग्रामीण आधिकारिक संरचना ना होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला इतनी बड़ी हो जाती है और बीच में इतने घटक हो जाते हैं कि किसानों का हिस्सा लगातार सिकुड़ता जाता है। APMC Act 2003 ग्रामीण कृषि आपूर्ति श्रृंखला में से कई घटकों को कम करने तथा किसानों को उनका उचित हिस्सा मिल सके इस उद्देश्य से लाया गया था।

किसान उपभोक्ता

बड़े व्यापारी

थोक विक्रेता

○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

छोटे व्यापारी

कमीशन दलाल

खुदरा विक्रेता

चित्र 2 कृषि आपूर्ति श्रृंखला

- इस कानून के फलस्वरूप कुछ राज्यों में इस प्रावधान के अनुसरण में अपने APMC अधिनियम में संशोधन किया। परंतु पंजाब में अनुबंध कृषि पर अलग-अलग कानून हैं।
- मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 –
 - इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस मॉडल अधिनियम के अनुरूप स्पष्ट अनुबंध कृषि कानून अधिनियम करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है।
 - इसे एक संवर्धनात्मक एवं सुविधाजनक अधिनियम के रूप में तैयार किया गया है तथा यह विनियामक प्रकृति का नहीं है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) –
 - केंद्रीय बजट 2014–15 और 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agriculture Market – NAM) के गठन को प्राथमिकता दिए जाने का सुझाव दिया था। इस पर अमल करते हुए 2 जुलाई 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना का एक प्रारूप तैयार भी किया।
 - NAM की परिकल्पना अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में की गई, जो कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के लिए मौजूदा APMC मण्डियों तथा अन्य मण्डियों के बीच एक नेटवर्क तैयार करेगा।

13.7 निष्कर्ष

- अनुबंध कृषि में सम्मिलित खाद्य संसाधनों को कर में छूट दी जा सकती है य जिसके बदले में उन्हें ग्रामीण अवसंरचना, किसान कल्याण आदि में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अनुबंध

कृषि के लिए आयात किया जा रहे कृषि उपकरणों पर लगने वाले शुल्क को हटाया जा सकता है।

- सरकार को किसानों एवं खरीददारों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर और सूचना विषमता को कम करके एक सक्षम वातावरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभी राज्यों को किसानों के लिए एक समान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम को अपनाना एवं कार्यान्वित करना चाहिए साथ ही खरीददारों के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

13.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

- अनुबंध कृषि के अंतर्गत खरीददारों खाद्य प्रसंस्करण इकाई व निर्यातक तथा उत्पादों की उत्पादकों के मध्य फसल पूर्व समझौते या अनुबंध किए जाते हैं य जिसके आधार पर कृषि उत्पादन किया जाता है।
- अनुबंध कृषि को समवर्ती सूची के तहत शामिल किया गया है जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है।
- सरकार ने अनुबंध कृषि में संलग्न फार्म को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अंतर्गत के अंतर्गत खाद्य फसलों के भंडारण सीमा एवं आवाजाही पर मौजूदा लाइसेंसिंग और प्रतिबंध में छूट दे रखी है।
- उत्तर बोध प्रश्न 2 –
 - अनुबंध कृषि मुख्यतः 5 मॉडलों पर आधारित है—
 1. केंद्रीकृत मॉडल
 2. न्यूक्लियस मोड स्टेट मॉडल
 3. बहुपक्षी मॉडल
 4. अनौपचारिक मॉडल
 5. मध्यस्थ मॉडल
- उत्तर बोध प्रश्न 3 –
 - अनुबंध कृषि के मामले में आवश्यक उपजों के प्रकार, स्थितियाँ आदि के सन्दर्भ में राज्यों के कानून के मध्य एकरूपता का अभाव
 - क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा
 - भू-जोतों का आकार – इससे सामाजिक, आर्थिक विकृतियों को बढ़ावा मिलता है एवं बड़े किसानों के लिए वरीयता की स्थिति पैदा होती है।
 - कृषि के लिए पूंजी की अधिक मात्रा एवं कम संधारणीय पैटर्न जो पर्यावरणीय दृष्टि से उचित नहीं है।
 - एकल कृषि को वरीयता दी जाती है।
- अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit-end Questions) –
 1. अनुबंध कृषि से होने वाले लाभ क्या-क्या है?
 2. भारतीय कृषि क्षेत्र में अनुबंध कृषि का क्या योगदान है?
 3. भारत में अनुबंध कृषि से संबंधित कानून कौन-कौन से हैं?
 4. वर्तमान समय में अनुबंध कृषि की क्या स्थिति है?
 5. भारतीय किसानों के लिए अनुबंध कृषि कितनी उपयोगी है?
 6. अनुबंध कृषि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

जैविक कृषि का स्पष्ट लक्ष्य अकार्बनिक उर्वरकों या रसायनों के उपयोग के बिना भोजन और वस्तुओं का उत्पादन करना है। कुछ उर्वरक और कीटनाशक अभी भी जैविक माने जा सकते हैं और इस प्रकार इनका उपयोग जैविक उत्पादन में किया जा सकता है। कार्बनिक कृषि का लक्ष्य मिट्टी में संग्रहित कार्बन को बढ़ावा बढ़ाने के लिए कार्बनिक क्रेडिट आय उत्पन्न करने करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए फसल पैदा करने के लिए मिट्टी

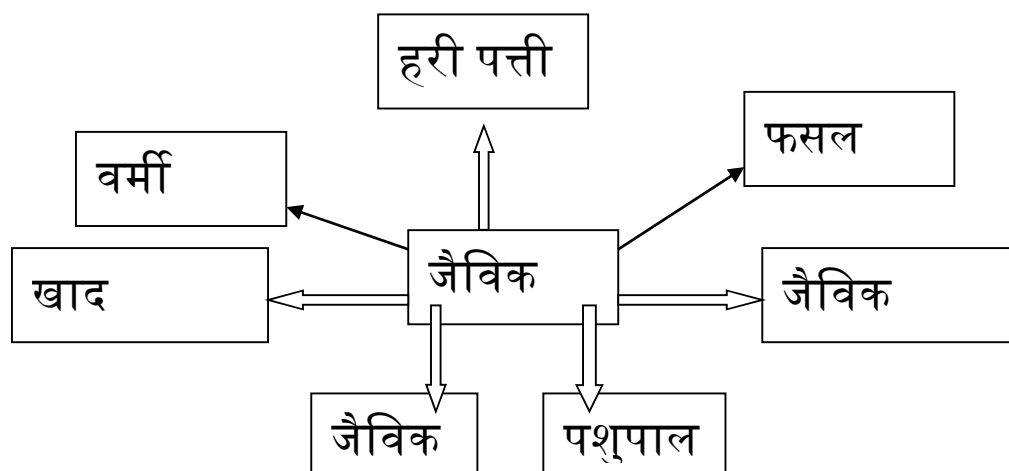
के उत्पादकता और क्षमता का निर्माण करना है। जैविक कृषि कई उर्वरक और कीटनाशकों की स्पष्ट चूक से अपने लक्षण को प्राप्त करती है जबकि कार्बनिक कृषि पांच सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर केंद्रित हैं—

1. मिट्टी की जुताई को कम करना
2. मिट्टी की रक्षा के लिए अवशेषों को बनाए रखना
3. जितना संभव हो सके वर्ष में अधिकांश समय तक एक जीवित पौधा रखना
4. फसल को अधिकतम करना
5. पौधों की विविधता और जब संभव हो तो पशुधन को शामिल करना

कुछ मायनों में जैविक कृषि भी इन सिद्धांतों को लागू करता है य विशेष कर फसल विविधता को। हाँलाकि रसायनों को खत्म करने के लिए कई जैविक फॉर्म खरपतवार प्रबंधन को पूरा करने के लिए जुताई पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। कार्बनिक खेती की फसलों को निर्धारित प्रथाओं या मानकों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है हालांकि मिट्टी में कार्बन बढ़ने से यह साबित करने का साधन मिल सकता है कि समय के साथ मिट्टी में सुधार हो रहा है।

➤ जैविक कृषि क्या है?

जैविक खेती एक कृषि प्रणाली है जो कृषि गतिविधियों को चलाने में प्राकृतिक सिद्धांतों और तकनीकी का उपयोग करती है। इस प्रकार की खेती का उद्देश्य हानिकारक रसायनों का उपयोग किए बिना उच्च गुणवत्तापरक स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल भोजन का उत्पादन करना है। जैविक खेती की अवधारणा उस दर्शन और पारंपरिक कृषि पद्धतियों से उत्पन्न हुई है य जो प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देती है। जैविक खेती का मानना है कि प्राकृतिक पर्यावरण संतुलित होना चाहिए और रसायनों और कीटनाशकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।



बोध प्रश्न 1. जैविक खेती से आप क्या समझते हैं?

➤ जैविक खेती से होने वाले लाभ

- कृषकों की दृष्टि से लाभ
 - भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
 - सिंचाई अंतराल में वृद्धि हो जाती है।
 - रासायनिक खाद्य पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
 - फसलों के उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- मिट्टी की दृष्टि से लाभ—
 - जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
 - भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है।
 - भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है।
- पर्यावरण की दृष्टि से लाभ—
 - भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है।
 - मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है।
 - खाद बनाने में कचरे का उपयोग होने से बीमारियों में कमी आती है।
 - फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होती है।
 - अंतरराष्ट्रीय बाजार स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना।
 - जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत – जैविक कृषि आंदोलन की अंतराष्ट्रीय संघ (IFOAM) की परिभाषा में जैविक कृषि के मूलभूत सिद्धांत निम्न प्रकार हैं—
- स्वच्छता का सिद्धांत
- पर्यावरणीय सिद्धांत
- क्षमता का सिद्धांत
- परिचर्या का सिद्धांत

इनका परिचय इस प्रकार है—

○ स्वच्छता का सिद्धांत –

- जैविक खेती मिट्टी, पौधों, पशुओं, मानव तथा धरती के स्वास्थ्य को टिकाऊ एवं अक्षुण्ण रखते हुए सबको एक अविभाज्य इकाई के रूप में मान्यता देती है। मानव समुदाय की उत्कृष्ट स्वास्थ्य की परिकल्पना बिना स्वस्थ वातावरण के नहीं हो सकती। स्वस्थ मृदा की स्वस्थ फसलों को जन्म देती है और इसी से पशु व मानव का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है।

○ पर्यावरणीय सिद्धांत—

- जैविक खेती, जीवंत पर्यावरण, प्राकृतिक जीव चक्र व उनके बीच अक्षुण्ण समन्वय तथा सबके संधारण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार संपूर्ण उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा प्राकृतिक स्रोतों के पुनः प्रयोग पर निर्भर है। प्रत्येक जीव स्वरूप का पालन पोषण उत्पादन प्रक्रिया के पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर सुनिश्चित किया जा सकता है।

○ क्षमता का सिद्धांत –

- जैविक खेती सदा पर्यावरण तथा सामान्य जीवन अवसर को सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधों में समभाव प्रतिष्ठित करती है। समान अवसर, सम्मान, न्याय तथा विश्व के प्रति आदर का भाव रखते हुए मानव तथा अन्य जीव स्वरूपों के बीच उचित संबंध क्षमता के सिद्धांत की मूल कड़ी है।

○ परिचर्या का सिद्धांत –

- जैविक खेती प्रबंधन प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक पूरी निष्ठा उत्तरदायित्व के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की पूरी प्रक्रिया आज की आवश्यकता पूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण मित्र हो और आज की तथा आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की देखभाल करें। जैविक खेती एक ऐसी ही जीवन तथा

लचीली प्रक्रिया है य जो सभी आंतरिक तथा बाह्य कारकों के साथ शीघ्र ही सामंजस्य बना लेती है।

➤ बोध प्रश्न—जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत कौन-कौन से हैं?

➤ जैविक उर्वरकों द्वारा पोषक तत्त्व प्रबंधन—

- जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर भूमि की अधूरी संरचना को सुरक्षित रखते हुए पौधों को उनकी आवश्यक पोषक तत्त्वों की मात्रा की पूर्ति की जाती है।
- जैविक उर्वरकों के प्रकार (नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जैविक उर्वरक)
 - राइजोबियम— यह एक सहजीवी जीवाणु है, जो कि पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडल की नवधन को इकट्ठा कर पौधों को उपलब्ध कराता है।
 - एजेटोवेक्टर — यह स्वतंत्र रूप से पौधों की जड़ के पास रहकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्र करता है।
 - एजोस्पाईरिलम — यह मृदा में नाइट्रोजन एकत्र करने वाला एक महत्वपूर्ण जीवाणु है। जो कि जड़ों में गांठें नहीं बनाते हैं किंतु जड़ों में मंडल बना कर रखते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं।
 - नील हरित शैवाल — यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्रित कर पौधों को उपलब्ध कराता है। इसका प्रयोग धान की फसल पर किया जाता है।
 - एजोला — एक जल फॉर्म है। एजोला द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किया जाता है।

➤ जैविक कृषि में उपयोग होने वाली खादें—

1. कंपोस्ट खाद — खेतों में पर्याप्त मात्रा में फसल अवशिष्ट एवं कार्बनिक अवशिष्ट उपलब्ध होते हैं उनके उचित उपयोग से अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद तैयार की जा सकती है।
2. हरी खाद — इस क्रिया में वानस्पतिक सामग्री को अधिकांशतः हरी दलहनी पौधों को उसी खेत में उगाकर जुताई कर मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे— सनई, मूंग, ढेचा देचा।
3. वर्मी कंपोस्ट — केंचुआ खाद का उपयोग करके फसलों की आवश्यक पोषक तत्त्वों की पूर्ति की जा सकती है।
4. शीघ्र खादें — a. भूत अमृत पानी b. अमृत संजीवनी c. मटका खाद d. बायोसोलरी
5. गोबर खाद

➤ बोध प्रश्न — जैविक कृषि में उपयोग होने वाली खाद्य कौन-कौन सी हैं?

➤ जैविक खेती की चुनौतियाँ —

- जैविक खेती से प्राप्त होने वाले उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली होते हैं य जो पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर तरीके से अनुकूल होते हैं परंतु जैविक खेती की अपनी कुछ चुनौतियाँ भी हैं—
 - कम उत्पादन— पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी पारंपरिक तरीकों की तुलना में जैविक खेती को लगातार पैदावार प्राप्त करने में अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
 - खरपतवार नियंत्रण — सिंथेटिक शाकनाशियों के बिना खरपतवारों को नियंत्रित करना जैविक किसानों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इसमें अक्सर अधिक श्रम गहन तरीकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हाथ से निराई करना या खेती करना जो समय अधिक लेने

के साथ-साथ रासायनिक विकल्पों जितना प्रभावित नहीं हो सकता है।

- **पोषक तत्त्व प्रबंधन** – जैविक खेती खाद और खाद जैसे पोषक तत्वों के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है य जो इष्टतम पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सटीक संतुलन प्रदान नहीं कर सकती है। सिंथेटिक उर्वरकों के बिना मिट्टी की उर्वरकता और पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखना एक कठिन कार्य हो सकता है।
- **कीट एवं रोग प्रबंधन** – सिंथेटिक कीटनाशकों के उपयोग के बिना जैविक किसानों को कीटों और बीमारियों के प्रभावी प्रबंधन में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **अल्प जीवन अवधि** – पारंपरिक खेती से उगाए गए उत्पादों की तुलना में जैविक खेती के उत्पादों की जीवन अवधि बहुत छोटी होती है। उनके उत्पादों के जल्दी-जल्दी खराब होने की संभावना अत्यधिक होती है।

➤ भारत में जैविक कृषि की दिशा व दशा वैश्विक महामारी कोविड- 19 के कारण पूरी विश्व में बेहतर स्वास्थ्य व सुरक्षित भोजन की मांग में वृद्धि होने लगी है। भारत जैविक कृषकों की संख्या के मामले में प्रथम तथा जैविक कृषि क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपने वाला पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा और उत्तराखंड भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत वैश्विक जैविक बाजारों में एक प्रमुख रोल अदा कर सकता है। भारत में प्रमुख जैविक निर्यातों में सनबीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधें, चावल और दालें हैं। विगत कुछ वर्षों में भारत से जैविक निर्यात तेजी से बढ़ रहा है य जो भारतीय किसानों के साथ-साथ देश के लिए भी एक अच्छा सूचक है।

➤ सरकार की जैविक कृषि के लिए की गई पहलें

- मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCD-NER)
 - MOVCD-NER एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
 - यह सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत एक उपमिशन है।
 - इसे वर्ष 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में प्रारंभ किया गया था।
 - यह योजना जैविक उत्पादन का प्रमाण प्रदान करनेवाले ग्राहकों में उत्पाद के प्रति विश्वास पैदा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- परम्परागत कृषि योजना (PKVY)
 - PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। जो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के उपमिशन मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक प्रमुख घटक है।
 - PKVY के तहत जैविक कृषि में कलस्टर दृष्टिकोण और भागीदारी गारंटी प्रणाली प्रमाणन के माध्यम से जैविक ग्रामों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है।
- एक जिला एक उत्पाद योजना –
 - इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विशेष उत्पादों को अधिक दृश्यता और बिक्री को प्रोत्साहित करना है ताकि जिला स्तर पर रोजगार पैदा हो सके।
 - इस योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को जैविक कृषि के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद की है।

■ जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म –

- जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.jaivikkheti.in को सीधे खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ थोक खरीददारों के साथ जैविक किसानों को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है।

➤ **बोध प्रश्न** – जैविक कृषि की प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहले क्या-क्या है?

➤ **निष्कर्ष** –

बढ़ते स्वास्थ्य संकट एवं पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ-साथ दुनिया के अन्य देश भी जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं य जो सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के साथ-साथ हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखेगा तथा वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ी को एक स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगा। भारत में जैविक खेती कोई नई अवधारणा नहीं है य अतः अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में उत्पादकों की अधिक जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने से भारतीय जैविक किसान जल्द ही वैश्विक कृषि व्यापार में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम होंगे

13.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- <https://www-pib-gov-in>
- <https://www-ofrf-org>
- <https://www-fao-org>
- <https://www-epw-gov-in>
- <https://www-naturalfarming-dac-gov-in>
- <https://www-ifoam-bio>
- <https://www-epa-gov>
- <https://www-orniserresearch-com>
- खुराना ए और वी. कुमार 2000 जैविक और प्राकृतिक खेती की स्थिति : चुनौतियां और संभावनाएं, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, नई दिल्ली
- शिवरंजनी एस. 2019 पानी की गुणवत्ता की रक्षा में जैविक खेती
- दुबे वाई. पी. और डेट एन 2014 मिट्टी के गुणों की तुलना में मटर (पिसम सैटिवम) की उत्पादकता और गुणवत्ता पर पोषक तत्वों के जैविक, अकार्बनिक और एकीकृत उपयोग का प्रभाव, इंडियन जनरल आफ एग्रीकल्चर साइंसेज 84 (10), 1195 से 1200
- औलख सी.एस. और रविशंकर एन 2017, भारतीय संदर्भ में जैविक खेती एक परिप्रेक्ष्य, कृषि अनुसंधान जर्नल, 54(2) 149–164
- **बोध प्रश्नों के उत्तर** –
 - **उत्तर बोध प्रश्न** –
 - जैविक खेती कृषि की एक पद्धति है, जो सिंथेटिक रसायनों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों, हार्मोन या एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना फसल पैदा करने के लिए प्राकृतिक आदानों और प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। जैविक खेती का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को काम करते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता, पशु कल्याण और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देना है।
 - **उत्तर बोध प्रश्न** –

- जैविक कृषि आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय संघ (IFOAM) की परिभाषा में जैविक कृषि के मूलभूत सिद्धांत मुख्यतः चार हैं—

1. स्वच्छता का सिद्धांत
2. पर्यावरणीय सिद्धांत
3. क्षमता का सिद्धांत
4. परिचर्या का सिद्धांत

○ उत्तर बोध प्रश्न –

- जैविक कृषि में उपयोग की जाने वाली खादें निम्नलिखित हैं—

1. हरी पत्ती खाद
2. वर्मी कंपोस्ट
3. कंपोस्ट खाद
4. शीघ्र खाद्य (भभूत अमृत पानी, अमृत संजीवनी, मटका खाद, बायोसेलरी आदि)
5. गोबर खाद

○ उत्तर बोध प्रश्न –

- जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख पहले निम्नलिखित हैं—

- मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCD–NER)
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PAVY)
- एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOPY)
- जैविक ई–कॉमर्स प्लेटफार्म

13.10 अभ्यासार्थ प्रश्न (Unit end Questions)

1. जैविक कृषि के लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें।
2. जैविक खेती को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार करें।
3. वर्तमान समय में भारत में हो रहे जैविक कृषि पर प्रकाश डालें।
4. जैविक कृषि पर्यावरण का एक मित्र है य समझाएं।
5. सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने में जैविक कृषि की क्या भूमिका है?
6. जैविक कृषि व कार्बनिक कृषि में अंतर को स्पष्ट कीजिए।
7. बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ क्या जैविक कृषि खाद्यान्नों की आपूर्ति में सक्षम है? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

इकाई-14 भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव

- 14.0 उद्देश्य
- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 विश्व व्यापार संगठन के मूल सिद्धांत
- 14.3 निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- 14.4 GATT और WTO के बीच अंतर
- 14.5 कृषि पर समझौता (एओए)
- 14.6 टैरिफ में कमी
- 14.7 विशेष सुरक्षा उपाय (एसएसजी)
- 14.8 वर्तमान और न्यूनतम पहुँच प्रतिबद्धताएँ
- 14.9 घरेलू सहायता
 - 14.9.1 “ग्रीन बॉक्स” उपाय
 - 14.9.2 “ब्लू बॉक्स” उपाय
 - 14.9.3 “एम्बर बॉक्स” उपाय
- 14.10 निर्यात सब्सिडी
- 14.11 सब्सिडी और प्रतिपूरक उपाय
- 14.12 घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर का सृजन
- 14.13 एओए के कार्यान्वयन का अनुभव
- 14.14 भारतीय कृषि पर प्रभाव
- 14.15 कृषि समझौता मुख्य विशेषताओं का सारांश : (एओए)
- 14.16 बाजार पहुँच
- 14.17 भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता
- 14.18 संदर्भ सूची

14.0 उद्देश्य

- व्यापार समझौतों का प्रशासन
- व्यापार वार्ता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना
- व्यापार विवादों का निपटारा
- राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा
- तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापार नीति के मुद्दों में विकासशील देशों की सहायता करना
- अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति तैयार करने का कार्य विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में शुरू हुआ। जब ब्रेटन वुड्स ने वित्त, व्यापार और वृहद आर्थिक स्थिरता के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पुनर्गठन करने का प्रयास किया। जनवरी 1995 में जिनेवा, स्विटजरलैंड में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना के साथ यह साकार हुआ। WTO के तहत उदार व्यापार व्यवस्था 1982 में शुरू हुए आठवें/उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ता के समापन पर 1994 में अनुमोदित मारकेस समझौते के साथ चालू हुई। भारत उन 136 सदस्य देशों में से एक है, जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूरे ढांचे को बदल दिया। तीन चौथाई सदस्य देश विकासशील देश हैं और विश्व व्यापार में उनकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से भी कम है। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। इसका ध्यान इस बात पर है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक, निर्यातक और आयातक अपना व्यवसाय कैसे संचालित करते हैं। WTO का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारु रूप से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित रूप से प्रवाहित करने में मदद करना है:

वर्तमान में 150 देश (हाल ही में शामिल हुए चीन और ताइवान सहित) सदस्य हैं और रूस, नेपाल और भूटान आदि सहित 42 देश हैं, जो WTO की सदस्यता के लिए कतार में हैं। सभी सदस्य सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। चूंकि विश्व व्यापार में राष्ट्रीय सीमाओं के पार कई जटिल लेन-देन शामिल होते हैं, इसलिए लेन-देन पर एक से अधिक राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं। इसलिए, व्यापार लेनदेन पर कानूनों में एकरूपता की आवश्यकता है, जो बदले में व्यापार में दक्षता की सुविधा प्रदान करती है।

भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर इसकी हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है। यह क्षेत्र उछाल वाला रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसने पिछले पांच वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। एमएसपी के माध्यम से सुनिश्चित लाभकारी मूल्य, फसल विविधीकरण को सक्षम करना, डिजिटलीकरण एवं यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में सरकार द्वारा की गई कई पहलों और उपायों का इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2023-24 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत रही, जो कि 2022-23° में 4.7 प्रतिशत से कम है, जिसका मुख्य कारण अल नीनो के कारण विलंबित और खराब मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट है। संबद्ध गतिविधियों पशुधन और मत्स्य पालन ने अनाज जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मौजूदा कीमतों पर कृषि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि से स्पष्ट है, जो 2014-15 में 24.38 प्रतिशत और 4.44 प्रतिशत से बढ़कर 2022-238 में क्रमशः 30.23 प्रतिशत और 7.25 प्रतिशत हो गई है। 2022-23° में मौजूदा कीमतों पर कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014-15 के 61.75 प्रतिशत की तुलना में 55.28 प्रतिशत है।

हालांकि देश एक प्रमुख कृषि उत्पादक है चावल, गेहूं, कपास और गन्ना सहित अन्य फसलों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है फिर भी देश में फसल की पैदावार अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में बहुत कम है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सरकार का अधिकांश समर्थन चावल और गेहूं को जाता है, जो चिंतन का विषय है। खंडित भूमि जोत, कम कृषि निवेश, कृषि मशीनीकरण की कमी, गुणवत्ता वाले इनपुट तक अपर्याप्त पहुंच और अपर्याप्त विपणन बुनियादी ढांचे के कारण फसल उत्पादन के बाद नुकसान होता है, बारिश पर निर्भरता और फसल उत्पादन के अल्पावधिक मौसम कम पैदावार के कुछ कारण हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी रिपोर्ट (डीएफआई) 2016 की सिफारिशों के अनुरूप कृषि में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कई पहलों की जा रही हैं, जिनमें फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, फसल की सघनता बढ़ाने, उच्च-मूल्य वाली कृषि और किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य देने हेतु विविधीकरण की रणनीतियों की पहचान की गई है। 2018-19 में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करने का निर्णय किसानों को सुनिश्चित लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दिशा में एक कदम था। अन्य पहलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के माध्यम से आय सहायता शामिल है, जो किसान को प्रति वर्ष ₹6000/- का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभदेती है। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), एक सूक्ष्म सिंचाई

योजना और वैकल्पिक और जैविक उर्वरकों के उपयोग सहित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कार्रवाई के माध्यम से इनपुट और टिकाऊ उत्पादन विधियों के उपयोग में अधिक दक्षता को बढ़ावा देना उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिए की जा रही अन्य पहलों के कुछ उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन और ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जैसी डिजिटल पहल भी शुरू की गई हैं, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति संभव हो सकेगी।

किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन और मत्स्यपालन की भूमिका को उचित रूप से मान्यता दी गई है, खासकर तब जब कृषि जोत कम हो जाती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) जैसी योजना में गुणवत्ता में सुधार, संगठित बाजारों तक पहुंच को सक्षम बनाने और स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए पहले शामिल हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र को उत्पादकता में सुधार, संस्थागत ऋण तक पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे विकास निधि (एफआईडीएफ) के माध्यम से कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन दिया गया है, जिसका कुल निधि आकार 7.52 हजार करोड़ रुपये है। उसी प्रकार मई, 2020 में शुरू की गई प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी सम्मिश्रण को सक्षम करना और इष्टतम जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि 2020-21 से 2022-23 में मछली उत्पादन में 7.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हो सके।

14.2 विश्व व्यापार संगठन के मूल सिद्धांत

14.2.1 देशों के बीच गैर-भेदभाव: सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र :

(एमएफएन) उपचार व्यापार प्रणाली बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। किसी देश को अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का मतलब है कि जब भी कोई देश अपने व्यापार भागीदारों के बीच किसी तरह का भेदभाव करता है।

व्यापार अवरोध पैदा करने या बाजार खोलने के लिए, उसे अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के लिए समान वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऐसा करना पड़ता है जो WTO के सदस्य हैं। इसलिए, WTO के तहत प्रत्येक सदस्य सभी अन्य सदस्यों के साथ सबसे पसंदीदा व्यापारिक साझेदारों के रूप में समान व्यवहार करता है। हालाँकि, NAFTA, EEC और SAFTA आदि जैसे क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक के लिए एक अपवाद है, जिसमें व्यापार में एक-दूसरे के साथ व्यवहार पर एक खंड है। MFN छूट किसी देश में 'सेवा' क्षेत्र पर लागू की जा सकती है।

14.2.2 देश के भीतर गैर-भेदभाव: राष्ट्रीय उपचार :

आयातित वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद देश की सीमा में प्रवेश करने पर स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बराबर माना जाना चाहिए। यही विनिमय विदेशी और घरेलू वस्तुओं, सेवाओं, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट पर भी लागू होना चाहिए।

14.2.3 मुक्त व्यापार: बातचीत के माध्यम से धीरे-धीरे :

व्यापार बाधाओं को कम करना व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है। ये बाधाएँ सीमा शुल्क (या टैरिफ) और आयात प्रतिबंध या कोटा जैसे मात्रात्मक प्रतिबंध जैसे उपाय हैं जो चुनिंदा मात्राओं को प्रतिबंधित करते हैं।

14.2. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

विश्व व्यापार संगठन खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रदान करने का वादा करता है। कर कटौती और उन्मूलन अभ्यास एक साथ चलते हैं। इसका अन्तिम परिणाम यह है कि घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं को करों और सब्सिडी के मामले में अन्य देशों के समान ही माहौल का सामना करना पड़ता है। स्थानीय और विदेशी वस्तुओं के बीच 'समान खेल का मैदान: प्रतिस्पर्धा, दक्षता और उपभोक्ता विकल्पों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देता है।

14.2.6 विकास और आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करना

यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तथ्य है कि WTO विकासशील देशों में विकास का पक्षधर है। इन देशों को समझौतों को लागू करने के लिए समय के लचीलेपन की आवश्यकता होती है और समझौते में GATT के पहले के प्रावधान शामिल होते हैं जो विकासशील देशों के लिए विविशष्ट सहायता और व्यापार रियायतों की अनुमति देते हैं।

14.3 GATT और WTO के बीच अंतर

- GATT अस्थायी और अनन्तिम था। WTO और इसके समझौते स्थायी है और इनका कानूनी आधार मजबूत है।
- WTO में स्थायी सदस्यता है। GATT में आधिकारिक कानूनी पाठ वाले “अनुबंध करने वाले पक्ष” थे, लेकिन कोई कानूनी निकाय या संगठन नहीं था।
- GATT में वस्तुओं के व्यापार से संबंधित प्रावधान थे। WTO में सेवा, बोधिक संपदा भी शामिल है।
- समझौते के बावजूद, WTO में प्रक्रिया GATT की तुलना में अधिक तेज और स्वचालित है।
- WTO में कुछ संशोधनों के साथ कमोबेश GATT के पाठ शामिल है।

14.4 कृषि पर समझौता (एओए)

दीर्घकालिक उद्देश्य एक निष्पक्ष और बाजार उन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करना है। प्रस्तावित तत्काल कार्यवाई समर्थन और संरक्षण पर प्रतीबद्धताओं की बातचीत के माध्यम से एक सुधार प्रक्रिया शुरू करना है जिससे कृषि समर्थन और संरक्षण में पर्याप्त प्रगतिशील कटौती हो और अंततः विश्व कृषि बाजार में प्रतिबंधों और विकृतियों को ठीक करने और रोकने में मदद मिले।

कृषि पर समझौता सुधार प्रक्रिया पर एक परीप्रेक्ष्य निर्धारित करता है और इस दिशा में आगे बढ़ते समय अपनाए जाने वाले तौर तरीकों की रूपरेखा तैयार करता है। यह समझौता प्रतीबद्धताओं की प्रकृति और सुधारों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी बताता है। बाजार पहुंच, घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मुख्य क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जहां विशिष्ट बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं की जानी हैं। यह विकसित देश के सदस्यों से विकासशील देश के सदस्यों के लिए विशिष्ट रुचि के उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने का आह्वान करता है।

कुल मिलाकर, वार्ता के परिणाम आने वाले वर्षों में कृषि व्यापार और घरेलू नीतियों के दीर्घकालिक सुधारों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यह कृषि व्यापार और घरेलू नीतियों के दीर्घकालिक सुधारों की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

कृषि व्यापार में बाजार अभिविन्यास को बढ़ाने का उद्देश्य कृषि व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को मजबूत किया गया है, जिससे आयात करने वाले और निर्यात करने वाले देशों के लिए समान रूप से बेहतर पूर्वानुमान और स्थिरता आएगी।

इस पृष्ठभूमि में देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भारत के कृषि व्यापार में चुनौतियों का सामना करने और अवसर का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। घरेलू व्यापारियों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आयात और निर्यात दोनों मोर्चों पर इस क्षेत्र पर सावधानीपूर्वक नजर रखना जरूरी है, अगर जरूरी हो तो घरेलू बाजार, निर्यात योग्य अधिशेष और आयात के बीच संतुलन को ठीक करना जरूरी है। इसलिए इस तरह के अनुकूलन के कार्य में कई मुद्दे शामिल हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए।

14.5 टैरिफ में कमी

सभी कृषि उत्पादों को कवर करने वाले नए प्रतिबद्ध टैरिफ और टैरिफ कोटा 1995 में प्रभावी हुए। उरुग्वे

दौर के प्रतिभागियों ने सहमित व्यक्त की कि विकसत देश छह वर्षों में चरणबद्ध तरीके से टैरिफ कोटा में औसतन 36 प्रतिशत की कटौती करेंगे, जबकि विकासशील देश दस वर्षों में 24 प्रतिशत की कटौती करेंगे। कई विकासशील देशों ने उन मामलों में अधिकतम टैरिफ दरों की पेशकश करने का विकल्प भी इस्तेमाल किया, जहां उरुग्वे दौर से पहले शुल्क बाध्य नहीं थे (यानी GATT या WTO विनियमन के तहत प्रतिबद्ध) कम से कम विकसत देश समझौते के तहत किसी भी टैरिफ कटौती को प्रभावित करने के लिए बाध्य नहीं है।

जिन उत्पादों के गैर- टैरिफ प्रतिबंधों को टैरिफ में बदल दिया गया है, उनके लिए सरकारों को विशेष आपातकालीन कार्रवाई (सुरक्षा उपाय) करने की अनुमति है ताकि कीमतों में तेजी से गिरावट या आयात में उछाल से उनके किसानों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन समझौते में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ये आपातकालीन सावधानियाँ कब और कैसे लागू की जा सकती है (उदाहरण के लिए, इनका उपयोग टैरिफ कोटा के भीतर आयात पर नहीं किया जा सकता)।

14.6 विशेष सुरक्षा उपाय (एसएसजी)

उम्मीदे विशेष सुरक्षा कार्रवाई करने की संभावनाओं और प्रावधानों की है, जो कुछ उत्पादों के लिए “विशेष उपचार की अनुमति देते हैं। विशेष सुरक्षा (एसएसजी) प्रावधानों के तहत, एक डब्ल्यूटीओ सदस्य किसी कृषि उत्पाद के आयात पर अपने राष्ट्रीय अनुसूची में प्रतिबद्ध शुल्क से अधिक अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है, जिसे उसके अनुसूची में ‘एसएसजी’ प्रतीक के साथ डिजाइन किया गया है और जिसका किसी भी वर्ष के दौरान आयात की मात्रा एक स्तर से अधिक है। एसएसजी प्रावधानों को उन उत्पादों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जो डब्ल्यूटीओ अवधि से पहले अंकित थे।

14.7 वर्तमान और न्यूनतम पहुंच प्रतिबद्धताएँ

टैरिफ़ीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए, मौजूदा बाजार पहुंच अवसरों को बनाए रखने का प्रावधान किया गया है, जिसके पूरक के रूप में न्यूनतम पहुंच टैरिफ कोटा (कम टैरिफ दरों पर) की स्थापना की गई है, जहां मौजूदा पहुंच घरेलू खपत के पांच प्रतिशत से कम है। ये न्यूनतम पहुंच टैरिफ कोटा तीन प्रतिशत से शुरू होने हैं और कार्यान्वयन अवधि के अंत में पांच प्रतिशत तक पहुंचने के लिए विस्तारित किए जाने हैं।

14.8 घरेलू सहायता

सब्सिडी वाले उत्पादन की घरेलू कीमतों का समर्थन करने वाली नीतियों के बारे में मुख्य शिकायतें दूसरे तरीके से, वे अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। इससे आयात कम हो जाता है या निर्यात सब्सिडी और इसलिए विश्व बाजार में कम कीमत पर डंपिंग। कृषि समझौता उन सहायता कार्यक्रमों के बीच अंतर करता है जो सीधे उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, और जिनके बारे में माना जाता है कि उनका कोई सीधा प्रभाव नहीं है।

एओए के घरेलू समर्थन प्रावधानों का मुख्य जोर व्यापार को स्वीकृत करने वाले उपायों और नीतियों से दूर जाने को प्रोत्साहित करना है। यह समझौता विशेष रूप से आयात को रोकने के उद्देश्य से मूल्य स्तर का समर्थन करने के लिए किसानों को सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को लक्षित करता है। हालांकि, समझौते के तहत कुछ सब्सिडी की अनुमति है, क्योंकि उनसे व्यापार को विकृत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

14.9 घरेलू समर्थन उपायों पर समझौते के प्रावधानों के दो मुख्य उद्देश्य हैं

किसानों को समर्थन के स्वीकार्य उपायों की पहचान करना और किसानों को व्यापार विकृत समर्थन को अनुशासित करने के लिए घरेलू समर्थन के संबंध में इन प्रतिबद्धताओं का मुख्य उद्देश्य उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। घरेलू कृषि समर्थन के स्तर को कम करना। इस उद्देश्य को घरेलू समर्थन के परिमाणीकरण द्वारा, समर्थन के समग्र माप (एएमएस) के रूप में और फिर एएमएस में क्रमिक कमी करके प्राप्त किया जाना है। समझौते के तहत सहायता उपायों की तीन श्रेणियां हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। छूट प्राप्त सहायता उपायों की ये तीन श्रेणियां हैं ग्रीन, ब्लू और एगबर बॉक्स उपाय।

14.9.1 “ग्रीन बॉक्स” उपाय माना जाता है कि इनका व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इनमें निम्न प्रकार की सहायता शामिल है:

- अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण, प्रशिक्षण, विस्तार और सलाहकार सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं पर सरकारी सहायता।
- खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग।
- घरेलू खाद्य सहायता,
- उत्पादकों को प्रत्यक्ष भुगतान, जैसे आय बीमा और सुरक्षा जाल में सरकारी वित्तीय भागीदारी, प्राकृतिक आपदाओं से राहत, और पर्यावरण सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान।
- वियुग्मित आय सहायता।
- आय बीमा और आय सुरक्षा—नेट कार्यक्रमों में सरकार की वित्तीय भागीदारी।
- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए भुगतान (सीधे या फसल बीमा योजनाओं में सरकारी वित्तीय भागीदारी के माध्यम से किया गया।
- उत्पादक सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों, संसाधन सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों और निवेश सहायता के माध्यम से प्रदान की जाने वाली संरचनात्मक समायोजन सहायता।
- पर्यावरण कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान।
- क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान।

विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदक उपचार :

1. निवेश सब्सिडी जो आमतौर पर विकासशील देशों में कृषि के लिए उपलब्ध है, और

पप. विकासशील देशों में ‘कम आय और संसाधन विहीन उत्पादकों को सामान्यतः उपलब्ध कृषि इनपुट सेवाएँ।

1.9.2 “ब्लू बॉक्स” उपाय ये उत्पादन सीमित करने के कार्यक्रम के तहत प्रत्यक्ष भुगतान को दर्शाते हैं। ये प्रासंगिक हैं केवल विकसित देशों के दृष्टिकोण से।

1.9.3 “एम्बर बॉक्स” उपाय इनमें कृषि को मिलने वाले वे घरेलू समर्थन शामिल हैं जिन्हें व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है। समर्थन के समग्र उपाय (एएमएस) इन समर्थनों को दो भागों में मापता है:

- उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी, अर्थात् प्रशासित मूल्य (भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य) और बाह्य संदर्भ मूल्यों के बीच का अंतर।
- गैर-उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी, अर्थात् उर्वरक, बिजली, सिंचाई आदि जैसे इनपुट पर सब्सिडी।

सहायता उपायों की छूट प्राप्त श्रेणियों का शुद्ध एएमएस विनमनानुसार कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन है:

घरेलू सहायता (आधार 1986-88)	विकसित देश (1995-2000)*	विकासशील देश (1995-2004)*
ए.एम.एस.	20%	13%

* विकसित देशों को 6 वर्षों के दौरान तथा विकासशील देशों को 10 वर्षों के दौरान अपने आधार वर्ष स्तर के ए.एम.एस. को कम करने की प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा।

कृषि क्षेत्र को निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर के भीतर घरेलू समर्थन दिया जाना चाहिए, अर्थात् विकासशील देशों में कृषि उपज के कुल मूल्य का 10% और विकसित देशों में 5% तक की कटौती की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, इस सीमा के भीतर कोई भी कटौती प्रतिबद्धता के अधीन नहीं है।

इसके अलावा, किसानों को कुछ प्रत्यक्ष भुगतान की भी अनुमति है, जहां किसानों को यह करना आवश्यक

है कि वे उत्पादन को सीमित करना (जिसे कभी-कभी ब्लू बॉक्स उपाय कहा जाता है), विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सरकारी सहायता कार्यक्रम और समर्थित उत्पाद या उत्पादों के कुल मूल्य की तुलना में छोटे पैमाने पर अन्य सहायता विकसित देशों के मामले में पाँच प्रतिशत और उससे कम और विकासशील देशों के लिए दस प्रतिशत और उससे कम है, जिसे अक्सर 'डी मिनिमस' सहायता कहा जाता है। 'डी मिनिमस' स्तर जिस पर समर्थन को न्यूनतम प्रभाव वाला माना जाता है, परीभाषित किए गए हैं। इन सब्सिडी को समझौते के तहत अनुमति दी जाती है और कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट दी जाती है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है और इसीलिए यह कार्यक्रम कटौती प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आता है।

14.10 निर्यात सब्सिडी

कृषि समझौता कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है जब तक कि सब्सिडी सदस्यों की प्रतिबद्धताओं की सूची में निर्दिष्ट न हो। जहां कहीं भी वे सूचीबद्ध हैं, समझौते के अनुसार डब्ल्यूटीओ सदस्यों को निर्यात सब्सिडी पर खर्च की जाने वाली राशि और सब्सिडी प्राप्त करने वाले निर्यात की मात्रा दोनों में कटौती करनी होगी। 1986-90 के ओसत को आधार स्तर के रूप में लेते हुए विकसित देशों ने 1985 से शुरू होने वाले छह वर्षों में निर्यात सब्सिडी के मूल्य में 36 प्रतिशत की कटौती करने पर सहमति व्यक्त की, जो विकासशील देशों के लिए दस वर्षों में 24 प्रतिशत थी। इसके अलावा, विकसित देशों ने छह वर्षों में सब्सिडी वाले निर्यात को 21 प्रतिशत कम करने पर भी सहमति व्यक्त की, जो विकासशील देशों के लिए 10 वर्षों में 14 प्रतिशत थी। सबसे कम विकासशील देशों को कोई कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

छह साल की कार्यान्वयन अवधि के दौरान, विकासशील देशों को विपणन और परिवहन की लागत को कम करने के लिए सब्सिडी का उपयोग करने की कुछ शर्तों के तहत अनुमति दी जाती है। समझौते में यह शामिल है कि सब्सिडी समझौतों के तहत उपलब्ध कुछ कार्यवाहियों से संबंधित ग्रीन बॉक्स नीतियों, घरेलू समर्थन और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बनाए गए निर्यात सब्सिडी के साथ लागू नहीं किया जाएगा। समझौते ने एक समिति का गठन किया है जो प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और निर्णयों का पालन करेगी।

निर्यात सब्सिडी भी निम्नानुसार कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन है :

निर्यात सब्सिडी (आधार 1986-2000)	विकसित देश (1995-2000)	विकासशील देश (1995-2004)
सब्सिडी मूल्य	36%	24%
सब्सिडी वाली मात्रा	21%	13%

समझौते में सूचीबद्ध प्रकार की निर्यात सब्सिडी, जो कटौती प्रतिबद्धताओं को आकर्षित करती है, भारत में मौजूद नहीं है।

निर्यात सब्सिडी में कटौती की प्रतिबद्धता निम्नलिखित है :

- प्रत्यक्ष सब्सिडी निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर करती है
- सरकारी निर्यात बिक्री या स्टॉक निपटान की कीमतें घरेलू बाजार कीमतों से कम होती हैं।
- कृषि उत्पाद के निर्यात पर अन्य भुगतान जो सरकारी कार्रवाई के आधार पर वित्तपोषित होते हैं।
- कृषि उत्पादों पर सब्सिडी, निर्यात उत्पादों में उनके समावेशन पर निर्भर है, तथा
- निर्यात के विपणन और परिवहन लागत को प्रभावित करने वाली सब्सिडी।

14.11 सब्सिडी और प्रतिपूरक उपाय

समझौते में सब्सिडी की परिभाषा दी गई है और 'विशिष्ट सब्सिडी की अवधारणा को प्रेरित किया गया है। समझौते में सब्सिडी की तीन श्रेणियां स्थापित की गई हैं। 'निषिद्ध' सब्सिडी वे हैं जो निर्यात प्रदर्शन, आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू उपयोग पर कानून में आकस्मिक है। निषिद्ध सब्सिडी नई निपटान प्रक्रियाओं के अधीन है, और यदि यह पाया जाता है कि सब्सिडी वास्तव में निषिद्ध है, तो इसे तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए, यदि यह निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो शिकायत करने वाले सदस्य को उपाय करने के लिए अधीकृत किया जाता है।

दूसरी श्रेणी 'कार्रवाई योग्य' सब्सिडी की है। समझौते में यह प्रावधान है कि किसी भी सदस्य को सब्सिडी के उपयोग के माध्यम से अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए, जैसे कि किसी अन्य हस्ताक्षरकर्ता के घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाना, सामान्य समझौते के तहत अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले लाभों को बढ़ाना या लागू करना (विशेष रूप से बाध्य टैरिफ रियायतों के लाभ), और किसी अन्य सदस्य के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाना।

तीसरी श्रेणी में 'गैर-कार्रवाई योग्य' सब्सिडी शामिल है, जो या तो गैर-विशिष्ट सब्सिडी या विशिष्ट सब्सिडी या औद्योगिक अनुसंधान और पूर्व-प्रतिस्पर्धी विकास गतिविधि, वंचित क्षेत्र को सहायता या विनियमनों को अनुकूलित करने के लिए कुछ प्रकार की सहायता से जुड़ी विशिष्ट सब्सिडी हो सकती है। चूंकि यह समाप्त हो चुका है और इसलिए नवीकरण के अधीन है, इसलिए समझौता सब्सिडी वाले आयातित सामानों पर प्रतिपूरक उपायों के उपयोग से भी संबंधित है। यदि मामला वास्तविक पाया जाता है, तो टैरिफ के अलावा, देश माल पर प्रतिपूरक शुल्क (सीवीडी) भी लगा सकता है।

14.12 घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर का सृजन

यह देखने के उद्देश्य से कि घरेलू उत्पादकों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए टैरिफ संरक्षण के अलावा सभी आयातों को घरेलू कानूनों, विनियमों, प्रक्रियाओं, तकनीकी और स्वच्छता तथा फाइटो-सैनिटरी मानकों के अधीन किया जाता है जो घरेलू उद्योग के लिए लागू होते हैं। इस संबंध में, डीजीएफटी ने नवंबर 2000 में आदेश जारी किए थे कि सभी पैकेज्ड आयातित उत्पादों को वजन और माप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य का संकेत देना होगा और साथ ही 131 वस्तुओं के लिए जिनके लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन अनिवार्य है, विदेशी निर्यातकों को बीआईएस से मान्यता प्राप्त करनी होगी।

इसके अलावा, घरेलू उद्योगधरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु डीजीएफटी द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं:

- क. चाय अपशिष्ट के आयात की अनुमति केवल चाय अपशिष्ट (विनियंत्रण) आदेश, 1959 के प्रावधानों की शर्तों की पूर्ति के अधीन दी जाएगी।
- ख. मादक पेय पदार्थों का आयात विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित विभिन्न अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन होगा।
- ग. सभी खाद्य एवं खाद्य उत्पादों का आयात, उनकी गुणवत्ता एवं पैकेजिंग आवश्यकताओं के संबंध में, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों एवं मानकों के अधीन होगा।
- घ. सभी मांस और पोल्ट्री उत्पादों को मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के तहत निर्धारित विनिर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग और गुणवत्ता की शर्तों का पालन करना होगा।
- ङ. विभिन्न खाद्य उत्पादों का आयात, गुणवत्ता विनिर्देशों, पैकेजिंग के मानदंडों, फल उत्पादों में जहरीली धातुओं की सीमाओं तथा फल उत्पाद आदेश, 1955 में निर्धारित खाद्य रंगों, परिरक्षकों और लवणों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधों के अनुपालन के अधीन होगा।
- च. इसके अलावा चीनी जैसी वस्तुओं के लिए जहां घरेलू उत्पादक को एक निश्चित मूल्य पर एफसीआई या सरकार को लेवी का एक विशेष प्रतिशत देना होता है, आयातित वस्तुओं के मामले में भी यही आवश्यकता

पूरी करनी होगी।

- छ. इसके अलावा, कृषि मंत्रालय पौधों, फलों और बीजों (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1989 के प्रावधानों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि विदेश से आयातित कृषि माल में कोई कीट न हो या मानव या पशु जीवन या पौधों के स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

14.13 एओए के कार्यान्वयन का अनुभव

पिछले वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि एओए ने कृषि में विश्व व्यापार को अपेक्षित रूप से गहरा नहीं किया है या कृषि उत्पादन का स्थानिक पुनर्वितरण या विकासशील देशों में किसानों को बेहतर रिटर्न या कृषि व्यापार में अधिक पारदर्शिता नहीं लाई है। यह स्पष्ट है की एओए के काफी प्रावधानों में आवश्यक कठोरता का अभाव है या उनमें अस्पष्टताएं हैं जिससे अलग-अलग व्याख्याओं की संभावनाएं हैं। यह सविदित है कि समझोते में जोश और अस्पष्टता की कमी का लाभ उन्हीं सदस्यों को मिल रहा है जो कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृतियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, चीनी, चावल या डेयरी उत्पादों जैसे विकासशील देशों के हित के उत्पादों पर टैरिफ काफी अधिक हैं, क्योंकि एओए के तहत प्रतिबद्धताओं के लिए केवल अ-भारित औसत आधार पर कटौती की आवश्यकता होती है।

14.14 भारतीय कृषि पर प्रभाव

धनात्मक प्रभाव

- (i) भारतीय कृषि बाजार तथा अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ दिया गया।
- (ii) कृषि उत्पादित वस्तुओं का विश्वव्यापार से प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होने से इसके मूल्य में कमी होने के कारण उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर इन वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
- (iii) प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होने से भारतीय किसानों का ध्यान फसल विविधिकरण (Crop Diversification) कि ओर जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप (Cropping Pattern) तथा (Cropping Intensity) में इस प्रकार परिवर्तन की संभावना होने लगी है कि एक तरफ भारतीय किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा दूसरी तरफ निजी निवेश कृषि में बढ़ने लगेगा।
- (iv) भारत में उन वस्तुओं की भी उपलब्धता में तेजी आई है, जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता है।
- (v) कृषि बाजार का आधुनिकरण के मांग में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढाँचें (Infrastructure) का विकास होने लगा।

भुगतान संतुलन के तहत, भारत मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) बनाए रखता रहा है और बाजार पहुंच के संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं ली है और यह डब्ल्यूटीओ में दायर हमारी अनुसूची में स्पष्ट रूप से कहा गया है। भारत ने जो एकमात्र प्रतिबद्धता ली थी, वह अपने प्राथमिक कृषि उत्पादों को 100 प्रतिशत पर बांधना था। हालांकि, कुछ टैरिफ लाइनें हैं, जिन्हें पहले के दौर की वार्ताओं में कम टैरिफ स्तरों पर बांधा गया था। इन टैरिफ लाइनों में से, 15 टैरिफ लाइनों के बंधे हुए स्तर, जिनमें दूध, स्किमड मिल्क पाउडर, स्पेल्ड गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, ज्वार, रेपीसीड और सरसों का तेल शामिल हैं, को दिसंबर 1999 में GATT अनुच्छेद XXVIII के तहत सफल वार्ता के माध्यम से बढ़ाया गया था।

भारत बाजार मूल्य समर्थन के अलावा कोई अन्य उत्पाद विशिष्ट समर्थन प्रदान नहीं करता है। संदर्भ अवधि (1986-89) के दौरान, कुल उत्पाद विशिष्ट एएमएस 24,442 करोड़ रुपये था। चूंकि उत्पाद विशिष्ट एएमएस की गणना घरेलू मूल्य से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (1986-88) को घटाकर और फिर परिणामी आंकड़े को समर्थन प्राप्त करने के लिए पात्र उत्पादन की मात्रा से गुणा करके की जाती है, इसलिए यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घरेलू मूल्यों से अधिक है, तो नकारात्मक आंकड़ा आएगा, इसलिए एएमएस के आंकड़े नकारात्मक होंगे। गैर उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी की गणना उर्वरकों, पानी, बीज, ऋण और बिजली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को ध्यान में रखकर की जाती है। संदर्भ अवधि के दौरान, कुल गैर-उत्पाद विशिष्ट एएमएस 4581 करोड़ रुपये रहा।

चूंकि हमारा कुल उत्पाद विशिष्ट एएमएस नकारात्मक है, वह भी बहुत बड़े पैमाने पर, और गैर-उत्पाद

विशिष्ट एएमएस भी न्यूनतम स्तर के भीतर है, इसलिए हमारे द्वारा कटौती की कोई प्रतिबद्धता करने का सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार, हमने डब्ल्यूटीओ में दायर अपनी अनुसूची में कोई प्रतिबद्धता नहीं की है। यहां तक कि विपणन वर्ष 1995-96 की गणना भी उत्पाद विशिष्ट एएमएस के आंकड़े को (-) 38.47 प्रतिशत और गैर उत्पाद विशिष्ट एएमएस को कृषि जीडीपी के 7.52 प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। यह अभी भी हमारे समग्र एएमएस को 10 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से काफी नीचे रखता है। इसके अलावा, एएमएस अधिसूचनाओं के व्याख्यात्मक नोट में यह भी संकेत दिया गया है कि गैर उत्पाद विशिष्ट समर्थन के आंकड़ों में निम्न आय और संसाधन विहीन किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी को शामिल नहीं किया गया।

भारत में कृषि वस्तुओं के निर्यातकों को कोई प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं मिलती है। उन्हें मिलने वाली एकमात्र सब्सिडी आयकर अधिनियम की धारा 80-एचएचसी के तहत आयकर से निर्यात लाभ की छूट के रूप में है, जो सूचीबद्ध सब्सिडी में से एक नहीं है (यहां तक कि भारत में सामान्य कृषि आय भी कर योग्य नहीं है) और फलों, सब्जियों और पुष्प उत्पादों जैसे कुछ उत्पादों के निर्यात शिपमेंट पर माल ढुलाई की लागत पर सब्सिडी।

कृषि पर समझौते में किसी भी तरह से यह आवश्यक नहीं है कि हम अपनी मौजूदा सब्सिडी कम करें। अनुसंधान, कीट और रोग विनयंत्रण, विपणन और संवर्धन सेवाओं और विभिन्न अवसंरचनात्मक सहायता सेवाओं के लिए यह किसी भी तरह से हमारे मौजूदा पीडीएस को प्रभावित नहीं करता है। भारत ने अन्य व्यापारिक भागीदारों को बाजार तक पहुंच के अवसर प्रदान करने के लिए कोई दायित्व नहीं लिया है। हम अपने किसानों के लिए अपनी कृषि नीति और विभिन्न घरेलू सहायता कार्यक्रमों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

14.15 कृषि समझौता (एओए): मुख्य विशेषताओं का सारांश

कृषि पर समझौता (एओए) बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर के अन्तिम अधिनियम का एक हिस्सा है। एओए पर सदस्य देशों द्वारा अप्रैल, 1994 में माराकेश, मोरक्को में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 अप्रैल, 1994 को लागू हुआ था। जनवरी, 1995 समझौते का दीर्घकालिक उद्देश्य एक निष्पक्ष और बाजार उन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करना है और समर्थन और संरक्षण पर प्रतिबद्धताओं की बातचीत के माध्यम से मजबूत और अधिक परिचालन प्रभावी GATT नियमों और अनुशासनों की स्थापना के माध्यम से एक सुधार प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। यह आगे कहा गया है की "दीर्घकालिक उद्देश्य एक सहमत समय अवधि में कृषि समर्थन और संरक्षण में पर्याप्त प्रगतिशील कटौती प्रदान करना है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व कृषि बाजारों में प्रतिबंधों और विकृतियों को ठीक किया जा सके और रोका जा सके।"

समझौते में सदस्य देशों की प्रतिबद्धताओं के तीन व्यापक क्षेत्र शामिल हैं—

1. बाजार पहुंच अर्थात आपात प्रतिबंध और टैरिफ पर अनुशासन,
2. घरेलू समर्थन, अर्थात सरकार द्वारा घरेलू उत्पादकों को सब्सिडी, और
3. एल्कोहल सब्सिडी

14.16 बाजार पहुंच

बाजार पहुंच के संबंध में समझौते में मुख्य रूप से सभी गैर-टैरिफ बाधाओं के टैरिफीकरण की परिकल्पना की गई है। दूसरे शब्दों में, गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे, मात्रात्मक प्रतिबंध (कोटा, परिमिट के माध्यम से आयात प्रतिबंध, आयात लाइसेंसिंग आदि) को समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए टैरिफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है और उसके बाद टैरिफ स्तरों में क्रमिक कमी की जानी है। आयात शुल्क में कटौती की प्रतिबद्धताएं निम्नानुसार हैं।

टैरिफ / आधार 1986-88)	विकसित देशों (1995-2000)*	विकसशील देशों (1995-2004)*
सभी कृषि उत्पादों के लिए औसत कटौती	36%	24%
प्रति उत्पाद लाइन न्यूनतम कटौती	15%	10%

* विकसित देशों को 6 वर्षों के दौरान तथा विकासशील देशों को 10 वर्षों के दौरान कटौती संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा।

14.17 भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता

कृषि में विश्व व्यापार के उदारीकरण ने विकास के नए आयाम खोले हैं। भारत को कृषि निर्यात के लिए कई वस्तुओं में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है क्योंकि इनपुट में लगभग आत्मनिर्भरता, अपेक्षाकृत कम श्रम लागत और विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ हैं। उत्पादकता के स्तर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्तरों तक बढ़ाना प्रमुख चुनौतियों में से एक है, जिसका सामना देश आज डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुसार आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को खत्म करने के परिणामस्वरूप कर रहा है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में उपज की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, कृषि, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीति का अनुसरण करने की मांग की जाती है। सीमित कृषि योग्य भूमि की बाध्यता को देखते हुए, उत्पादन में वृद्धि वाटरशेड विकास, भूमि सुधार कार्यक्रमों और सिंचाई बुनियादी ढाँचे के विस्तार के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि से होनी चाहिए। इनपुट संसाधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि फसल की तीव्रता बढ़ाई जा सके। स्थिरता के मुद्दों को अग्रिम अनुसंधान और वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिकता पर संबोधित करने की आवश्यकता है। रसायनों और पानी के अंधाधुंध उपयोग के विषाक्त अवशेषों से ढकी हुई मिट्टी के स्वास्थ्य की बहाली, ऊर्जा का इष्टतम उपयोग, जैव विविधता प्रणाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अपने आप में एक सापेक्ष अवधारणा है और यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सापेक्ष परिवर्तनों पर निर्भर करता है। यदि देशों द्वारा अपने घरेलू उत्पादों को दिए जाने वाले अनुचित समर्थन के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकृतियाँ हैं, तो कृषि उत्पादों की दक्षता गंभीर तनाव में आ जाती है, इस प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक लाभ एक गतिशील घटना है और यह अंतर्जात और बहिर्जात मापदंडों पर निर्भर है। एनसीईईआर द्वारा किए गए एक अध्ययन में, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की गतिशीलता को नाममात्र संरक्षण गुणांक के संदर्भ में मापा गया था, जो सीमा मूल्य और घरेलू मूल्य का अनुपात है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के सबसे ऊँचे रुझान के कारण दशक के दौरान भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है। इसलिए भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति विकसित करना और भी अधिक जरूरी है।

14.18 संदर्भ सूची:

- भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (२०२३-२४)
- भारतीय अर्थव्यवस्था (टीतजपलं।तजीअलंअंजेजीं) 36जी त्मअपेमक म्कपजपवद इल टीतंज लंतह
- V-K- Puri, S- K- Misra-
- कृषि अर्थशास्त्र (2023) डॉ. जय प्रकाश मिश्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
- कृषि अर्थशास्त्र में प्रमुख मुद्दे (हिंदी)“ आर.एन. सोनी और संगीता मल्होत्रा द्वारा।
- कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं भारत में कृषि विकास , डॉ.के.एन. जोशी द्वारा।
- Dantwala, M- L- (1967). IncentivesAnd disincentives in IndianAgriculture- Indian Journal ofAgricultural Economics, 22(2), 1-25.
- Bhuimali,A- (2018)- IMPACT OF WTO ON INDIANAGRICULTURAL TRADE (Doctoral dissertation] University of North Bengal)-
- Dhar] B- (2023)- WTOAgreement onAgriculture : Worsening India*sAgrarian crisis- The Indian Economic Journal, 71(1), 152-161.

इकाई—15 कृषि विपणन एवं उपभोक्ता संरक्षण

इकाई की रूपरेखा

- 15.0 उद्देश्य
- 15.1 प्रस्तावना
- 15.2 परिभाषा
- 15.3 कृषि विपणन पद्धति
 - 15.3.1 कृषि अतिरेक
 - 15.3.2 कृषि अतिरेक का आर्थिक महत्व
 - 15.3.3 कृषि अतिरेक को निर्धारित करने वाले कारक
- 15.4 कृषि विपणन की विशेषताएं
- 15.5 कृषि विपणन के उद्देश्य
- 15.6 आर्थिक विकास में कृषि विपणन का महत्व
- 15.7 भारत में कृषि विपणन व्यवस्था
 - 15.7.1 भारत में कृषि विपणन व्यवस्था के दोष
 - 15.7.2 भारत में विपणन प्रणाली क्षमता को बढ़ाने के उपाय
- 15.8 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
- 15.9 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
 - 15.9.1 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
 - 15.9.2 उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- 15.10 सारांश
- 15.11 शब्दावली

15.0 उद्देश्य (objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- कृषि और आर्थिक विकास के बीच सम्बन्ध स्पष्ट कर सकेंगे।
- कृषि विकास में आने वाली बाधाओं को जान सकेंगे
- किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों को जान सकेंगे
- भारत में कृषि विपणन के महत्व को जान पायेंगे सकेंगे
- उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके हितों के रक्षा उपायों को जानें गें

15.1 प्रस्तावना

कृषि तभी पोषणीय होगा जब यह अपने उत्पादों को विपणन प्रणाली द्वारा निवल धनात्मक प्रतिफल सृजित कर सके। कृषि भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था कई दशकों तक असंतोषजनक रही है, इसी से किसानों को

उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल सका पाया। इसमें सुधार की दृष्टि से सरकार द्वारा जो भी उपाय किए गए हैं, उनमें नियन्त्रित मंडियों की स्थापना, संग्रहण के लिए गोदामों का निर्माण, श्रेणी विभाजन की व्यवस्था, कृषि उपज के मूल्य का आकाशवाणी से प्रतिदिन प्रसारण, कृषि उपज के मूल्य में स्थिरता के प्रयास उल्लेखनीय हैं। विपणन योग्य आधिक्य कृषि विपणन की सबसे प्रमुख अनिवार्यता है। विपणन योग्य अधि से आशय 'किसान द्वारा अपने परिवार उपभोग के लिए रखे गये। अनाज के ऊपर कुल उत्पादन के आधिक्य से होता है

15.2 परिभाषा

कृषि विपणन दो शब्दों के जोड़ से बना है पहला है कृषि और दूसरा विपणन। कृषि के अन्तर्गत खेती और खेती से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे— पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, डेयरी उत्पाद आदि आते हैं। और विपणन से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो उपयोग योग्य वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने में शामिल होती है। कृषि विपणन के अन्तर्गत निम्न क्रियायें शामिल हैं— उत्पादों का एकत्रीकरण, संग्रहण, परिवहन, वितरण आदि। कोल्स एवं डाउन्सू के अनुसार: विपणन से तात्पर्य उन सभी व्यापारिक क्रियाओं को करने से है जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रारम्भिक कृषि उत्पादन स्थान से अंतिम उपभोक्ता तक संचालन होता है।

उपभोक्ता संरक्षण— उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उपभोक्ता संरक्षण से उपभोक्ता उपभोक्ताओं को यह स्वतन्त्रता मिलती है कि वे सुरक्षित और विश्वसनीय खरीददारी कर सकें उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता धोखाधड़ी और अनैतिक कृत्यों का शिकार न बने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्रदान उत्पादों की गुणवत्ता और उस उत्पाद जाय जिससे उपभोक्ता को अन्तिम निर्णय लेने में आसानी हो। उपभोक्ता संरक्षण के उपायों में — उत्पादन के दौरान उचित मानकों का पालन मोर मार्गदर्शिकाओं का उपयोग, उत्पादों के पैकिंग पर उत्पादों की पूरी जानकारी और उपभोक्ताओं को यदि कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मुहैया करायी जाती है।

15.3 कृषि विपणन पद्धति (Agricultural marketing System)

कोई भी उत्पादन क्रिया तब तक अधूरी रहती है। जब तक उत्पादन का विपणन में किया जाय, विपणन उत्पादन का एक अभिन्न अंग है। विपणन के बिना उत्पादन कार्य अधूरा रहता है। यदि कृषि विपणन को उचित ढंग से पूरा किया जाय तो इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जिसे फलस्वरूप किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करता है जिससे उनको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो। दूसरी ओर उत्पादन के बढ़ने से देश में खद्यान समस्या का भी हल होता है, खद्यान सुरक्षा मजबूत होती है खद्यान सुरक्षा के मजबूत होने से देश में गरीब और भुखमरी जैसे गम्भीर समस्याओं का समाधान होता है यदि किसी देश में भुखमरी और गरीबी जैसी समस्यायें खत्म हो जाय तो देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ता है क्योंकि मानव भी पूंजी है। विकासशील और अल्पविकसित देशों में गरीबी और भुखमरी जैसे समस्यायें देखने को मिलती हैं इसलिए अल्पविकसित देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपणन एक आर्थिक क्रिया होती है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मुद्रा में आंका जाता है।

प्रो० अबार के अनुसार— कृषि विपणन में वे समस्त कार्य शामिल किये जाते हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं कच्चा माल फर्मों से उपभोक्ता तक पहुँचता है।

प्रो० कोल्स एवं उस के अनुसार— विपणन का तात्पर्य वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया की उन क्रियाओं से है जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है। कृषि उपज विपणन की कृषि उत्पादों को इकट्ठा करना मुख्य निम्न क्रियायें हैं—

1. कृषि उत्पादों को इकट्ठा करना।
2. कृषि उत्पादों को अलग — अलग श्रेणियों में विभाजित करना
3. श्रेणियों में विभक्त उत्पादों को गोदामों में रखना
4. उत्पादों को मार्केट तक पहुँचाना (परिवहन)
5. उत्पादों का थोक व फुटकर व्यापार

6. उपर्युक्त कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करना
7. कृषि प्रधान देश काफी हद तक विपणन योग्य कृषि अतिरेक पर निर्भर करता है।

15.3.1 कृषि अतिरेक (Agricultural Surplus)

कृषि अतिरेक से तात्पर्य, किसान कुल कृषि उत्पादों में से अपने और अपने परिवार के उपयोग के लिए, उत्पादन में लगाने वाली कीमत तथा बीजों को रखने के बाद जो भी उत्पाद बचता है वह कृषि अतिरेक होता है। अर्थात् कुल उत्पाद में से (उपयोग कीमत) को घटाने पर जो प्राप्त होता है वह अतिरेक होगा। यदि कृषि उत्पाद के साथ-साथ उस देश की जनसंख्या भी उसी दर से बढ़ रही है तो कृषि अतिरेक नहीं होगा। कृषि में अतिरेक होने के मुख्य दो कारण हो सकते हैं पहला यह कि जनसंख्या स्थिर रहे, जो कि असम्भव है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धान्त में बताया है कि जनसंख्या के बढ़ने की दर बीजगणितीय होती है जैसे 2,4,6,8..... और उत्पादन के बढ़ने की दर अंकगणितीय होती है जैसे— इसलिए अतिरेक नहीं प्राप्त हो सकता। अतिरेक प्राप्त करने तरीका यह है कि कृषि में उन्नत किस्म के बीजों, आधुनिक टेक्नोलॉजी और उर्वरक आदि का प्रयोग करके उत्पादन के बढ़ने की दर को, जनसंख्या के बढ़ने की दर से अधिक कर दे, उत्पाद के बढ़ने की दर जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक अतिरेक प्राप्त होगा। कृषि सुदृढ़ होगी। अतिरेक जितना अधिक होगा किसानों की आर्थिक दशा उतनी ही किसानों की आय बढ़ने पर वे अपने उत्पादन को और बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। कृषि अतिरेक को बाजार में बेचकर जो साथ प्राप्त होगी उस आय किसान अपने जरूरत का अन्य सामान खरीद सकता है जितना अधिक अतिरेक होगा किसानों की क्रय शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। विपणन योग्य कृषि अतिरेक के बढ़ने से उन लोगों को भी खाद्यान्न की कमी नहीं होगी जो लोग कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों (पूंजी एवं सेवा क्षेत्र) में काम करते हैं। अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग कृषि अतिरेक को ही बाजार से खरीदते हैं, अतः अतिरेक बढ़ने पर खाद्यान्न संकट नहीं उत्पन्न होगा। वर्तमान सरकार कृषि अतिरेक को बढ़ाने पर जोर दे रही है जिससे किसानों की आय दो गुनी हो सके। उर्वरकों पर सब्सिडी, कृषि को वैज्ञानिक ढंग से करने को प्रोत्साहन एवं बहुत ही कम ब्याज दर पर किसानों को लोन मुहैया करा रही है।

15.3.2 कृषि अतिरेक का आर्थिक महत्व (Economic importance of Agricultural surplus)

अल्पविकसित या विकासशील देशों में आय का मुख्य साधन कृषि होती है और ऐसे में विकासशील देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। आर्थर लेविस के अनुसार कृषि में लगे ऐसे श्रमिक जिनका सीमांत उत्पादन शून्य है उनको कृषि क्षेत्र से निकालकर औद्योगिक क्षेत्रों में जाना चाहिए। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के विकास की पूर्व शर्त ही है विपणन योग्य अतिरेक जिससे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। किसी भी देश को आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का विकसित होना जरूरी है और औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियां कच्चे माल (कृषि अतिरेक) पर निर्भर करती हैं। विकासशील देशों के लिए कृषि अतिरेक का निम्न महत्व है।

1. उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति —

कृषि अतिरेक का मुख्य महत्व उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कच्चा माल जैसे जूट, कपास, गन्ना, रेशम आदि। यदि कच्चे माल की कमी होगी तो कच्चे मालों को आयात करना पड़ेगा जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जायेगी जो कि विकासशील देशों के हित में नहीं होगा यदि कच्चे माल को हम पर्याप्त मात्रा में अपने ही देश में उत्पादित कर ले तो बची हुयी विदेशी मुद्रा से अन्य जरूरी सामान आयात कर सकते सामान आयात कर सकते हैं। यदि कृषि अतिरेक इतना बढ़ जाय कि अपने देश के उद्योगों के उपयोग से ज्यादा हो तो उस कच्चे माल को हम निर्यात भी कर सकते हैं जिसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी इस प्रकार देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा।

2. पूंजी निर्माण में सहायक

अल्पविकसित देशों में उद्योगों का विकास न होने का एक प्रमुख कारण है पूंजी की कमी। नकर्स, रॉक्टरॉव, लेवेन्स्टीन, रॉडॉन जैसे अर्थशास्त्रियों ने विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण पर अधिक बल दिया है। यदि विपणन योग्य कृषि अतिरेक बढ़ता है तो किसानों की आय बढ़ेगी, जिससे किसानों की कम शक्ति बढ़ेगी, कम शक्ति के बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा फलस्वरूप पूंजी निर्माण वृद्धि

होगी। पूंजी निर्माण में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ेंगी जिसमें आर्थिक विकास सम्भव होगा।

3. खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होना

कृषि विपणन योग्य अतिरिक्त ही खाद्य को सुरक्षा सुदृढ़ करता है। ऐसे लोग जो कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं उनके खाद्यान्न की पूर्ति विपणन योग्य अतिरिक्त से ही होती है। यदि विपणन योग्य अतिरिक्त की कमी हो तो खाद्यान्न को आयात करना पड़ेगा जिससे मुद्रा अन्य विकास कार्यों में न लगकर उपभोग में लग जायेगी और देश का आर्थिक और संरचनात्मक विकास धीमा हो जायेगा। अल्पविकसित देशों में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं सरकार उन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनको मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है यदि कृषि अतिरिक्त न बढ़े तो सरकार पायेगी जिससे देश में भुखमरी की समस्या समाज कल्याण के कार्य नहीं कर पायेगी जिससे देश फँस जायेगी।

4. औद्योगिक क्रान्ति

अल्पविकसित देशों से, विकसित देश कच्चे माल का आयात करते हैं। अल्पविकसित देशों में कृषि अतिरिक्त जितना अधिक होगा कच्चे माल का निर्यात उतना ही अधिक होगा कच्चे माल के निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और उस मुद्रा से हम पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। क्योंकि आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का विकसित होना जरूरी है और उद्योगों के विकास के लिए आधुनिक मशीनों का होना जरूरी है। आधुनिक मशीनों का आयात करके हम अपने देश में औद्योगिक क्रान्ति ला सकते हैं जिससे हमारा आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा।

5. बाजार का विस्तार

किसी भी देश में बाजार का विस्तार वहाँ की मांग पर निर्भर करता है। अल्पविकसित देशों में मांग की कमी होती है क्योंकि लोगों की क्रयशक्ति ही कम होती है जिससे बाजार का विस्तार कम होता है। यदि कृषि विपणन योग्य अतिरिक्त बढ़ता है तो किसानों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से किसानों के रहन-सहन का स्तर भी बढ़ेगा किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रयशक्ति के बढ़ने पर मांग बढ़ेगी जिससे उत्पादन बढ़ेगा और बाजार का विस्तार होगा।

6. उचित कीमत नीति निर्धारण में सहायक

जब निरन्तर कृषि अतिरिक्त होता है तो सरकार को नई मण्डियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन मिलता है जहाँ पर कृषि अतिरिक्त को किसान आसानी से बेच सकता है और कृषि विपणन अतिरिक्त नीति निर्माण में भी सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार से कृषि अतिरिक्त आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चाहे वह उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हो या फिर खाद्य सुरक्षा, बाजार का विस्तार हो या कृषि अतिरिक्त को निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करना आदि।

1.3.3 कृषि अतिरिक्त को निर्धारित करने वाले कारक (factors determining Agricultural surplus)

सामान्यतया यह देखा जाता है कि कृषि विपणन हेतु अतिरिक्त भिन्न-भिन्न मौसम में, भिन्न भिन्न फसलों में अतिरिक्त भिन्न-भिन्न होता है। कृषि विपणन योग्य अतिरिक्त को निम्न तत्व प्रभावित करते हैं।

उत्पाद की मांग— जिस उत्पाद की मांग अधिक होती है उसका मूल्य भी अधिक होता है अधिक मूल्य मिलने के कारण किसान उसी उत्पाद का उत्पादन अधिक करता है जिससे उसको अधिक लाभ हो सके। इस प्रकार उत्पाद की मांग उत्पादन का निर्धारण करती है। यदि किसी की मांग कम है तो किसान उसका उत्पादन नहीं करेगा उत्पादन कम होने से कृषि अतिरिक्त भी कम होता है।

कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता

कृषि विपणन योग्य अतिरिक्त में सबसे होती है। भारत में अधिकांश किसानों पास जोतों का आकार कम है जिसके कारण उन किसानों का अतिरिक्त अधिक नहीं होता जोतों का आकार कम होने के कारण किसान आधुनिक संयंत्रों का उपयोग अपनी भूमि पर नहीं कर पाता इसमें भी उत्पादकता प्रभावित होती है। भारत में कुछ ही किसानों के पास कृषि जोतों का आकार अधिक है जिससे उन्हें अधिक लाभ होता है। किसानों की अन्य

आर्थिक गतिविधियां किसानों की कृषि उत्पादन उपयोग के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं जैसे—राजस्व अदायगी, ऋणों की अदायगी, अन्य वस्तुओं का क्रय आदि इसके लिए किमान बड़ी मात्रा में विपणन अतिरेक मण्डियों में बेचता है जिससे उसको अधिक धन की प्राप्ति हो। किसानों को सरकार द्वारा मिलने वाली अन्य सहायिकी – अल्पविकसित देशों में किसानों की आय इतना अधिक नहीं होती कि वे महँगे औ आधुनिक किस्म के बीज और उर्वरक खरीद सकें। सरकार इसके लिए किसानों को सब्सिडी मुहैया कराती है। जिससे किसान अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। को सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य एजेंसियों द्वारा तय किया जाता है और इस तय मूल्य से नीचे कोई भी व्यापारी किसानों से खाना नहीं खरीद सकता है, हाँ तय मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद सकता है। जो फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत आती है किसान उसका उत्पादन निःसंकोच करते हैं किन्तु जो फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत नहीं आती उसका उत्पादन किसान कम कर देते हैं यदि उनको लगता है कि इसकी मांग बाजार में कम है जिसके कारण विपणन योग्य अतिरेक भी कम हो जाता है।

बोध प्रश्न

1. कृषि विपणन और उपभोक्ता संरक्षण को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

2. कृषि अतिरेक से क्या तात्पर्य है और कृषि अतिरेक के आर्थिक महत्व समझाइए।

.....

.....

.....

3. अल्पविकसित देशों में कृषि अतिरेक को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

15.4 कृषि विपणन की विशेषताएं (Specialty of Agricultural market)

कृषि विपणन, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अल्पविकसित देशों के लिए महत्वपूर्ण अंग है। यदि कृषि विपणन ठीक ढंग से हो तो देश का आर्थिक विकास और किसानों की आय दोनों में बढ़ोत्तरी होगी कृषि विपणन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

1. किसान अपने उत्पादन को सीधे मण्डी में बेच सकें अर्थात् बिचौलियों की जरूरत न पड़े
2. शीत भण्डार गृहों का उचित प्रबन्धन होना चाहिए जिससे किसान अपने उत्पादन को सुरक्षित रख सकें और जब उस उत्पादन का मूल्य बाजार में अधिक हो तो बेच सकें
3. ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा हो।
4. किसान अपने उत्पादों को मण्डियों तक सुगमता से पहुँचा सकें उसके लिए परिवहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
5. सरकार, किसानों को बाजार की पूरी जानकारी उपलब्ध कराये जिससे किसान दलालों से बच सकें।

6. ऐसी संस्थाओं और एजेंसियों का गठन होना चाहिए जो किसानों के हित के लिए कार्य को और किसानों को उचित मूल्य दिला सके।
7. सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे किसान अपनी समस्या सरकार तक आसानी से पहुँचा दे। सेमिनारों का आयोजन हो किसान सम्मेलनों का आयोजन आदि।
8. किसानों के लिए किसान यूनियन होना चाहिए जो किसानों के हित की बात सरकार से कर सके और कृषि विपणन की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराये

15.5 कृषि विपणन के उद्देश्य (Objectives of Agricultural marketing)

कृषि उत्पादन में कृषि विपणन का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि विपणन से न केवल उपभोक्ता बल्कि पूरे देश का विकास प्रभावित होता है। यदि कृषि विपणन ठीक ढंग से किया जाय तो देश का आर्थिक विकास तेजी से सम्भव हो सकेगा। कृषि विपणन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं—

किसानों के हितों की रक्षा— कृषि विपणन का पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है किसानों को उनकी उपज का अधिकाधिक मूल्य दिलाया जा सके जिससे किसानों की आय बढ़ने से किसान उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के लिए किसानों की क्रय-शक्ति बढ़ेगी। खाद्यान की मात्रा में वृद्धि से देश खाद्यान की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन जायेगा।

उपभोक्ता के हितों की रक्षा — एक संगठित विपणन व्यवस्था द्वारा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्यान और अन्य वस्तुएं उपलब्ध हो जिससे उपभोक्ता अपनी आय का कम हिस्सा त्याग करके अधिक सन्तुष्टि प्राप्त कर सके और एक उद्देश्य यह भी है कि कीमत में गुणवत्ता पूर्ण साधन देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हो।

खाद्यान पूर्ति में आत्मनिर्भरता :

अल्पविकसित देशों में गरीबी और भुखमरी को खत्म करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार नीतियां बनाती है। एक सुसंगठित वितरण व्यवस्था द्वारा जब किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य समय पर मिलता है तो किसान अपने उत्पादन को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होता है और खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ने से देश खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनत चला जाता है। यदि देश के अन्दर ही पर्याप्त मात्रा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान उपलब्ध हो तो सरकार को गरीबी निवारण नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी यदि किसी देश में गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएँ आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए सरकार सबसे पहले लोगों की खाद्यान से सम्बन्धित समस्याओं का निवारण करती है।

15.6 आर्थिक विकास में कृषि विपणन का महत्व (Importance of Agricultural Marketing in Economic development)

कोई भी देश चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील आर्थिक विकास के लिए विपणन व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासतौर पर विकासशील देश के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विमा विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों से आता है यदि विपणन व्यवस्था उचित ढंग से पूरी होती है तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी जिसके कारण विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। कृषि में वृद्धि से विपणन योग्य अतिरिक्त भी बढ़ेगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनके रहन-सहन का स्तर उच्च होता है। किसानों की आय बढ़ने से वे अपने परिवार बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा पायेगा और आगे चलकर देश की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेगा।

यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति में कभी नहीं जायेगी अन्यथा कच्चे माल को भी आयात करना पड़ेगा। यदि कृषि उत्पादन अतिरिक्त बढ़ता है तो हम कच्चे माल को निर्यात भी कर सकते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और प्राप्त विदेशी से हम आर्थिक विकास से जुड़ी अन्य पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं जिससे हमारा आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा। आर्थिक विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें कृषि विपणन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों की आय को बढ़ाना, गरीबी

और भुखमरी को खत्म करना, खद्यान वस्तुओं की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाना और कच्चे माल को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कान जैसे महत्वपूर्ण कार्य जो आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं एक उचित कृषि विपणन प्रणाली से हम प्राप्त कर सकते हैं।

बोध प्रश्न

1. भारत जैसे अल्पविकसित देशो मे कृषि विपणन प्रणाली की विशेषताएं और उद्देश्यो की चर्चा करें।

.....
.....
.....

2. कृषि विपणन व्यवस्था मे आर्थिक विकास किस प्रकार सम्भव है?

.....
.....
.....

15.7 भारत मे कृषि विपणन व्यवस्था (Agricultural marketing system in India)

भारत की 65 प्रतिशत आबादी रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष कृषि पर निर्भर है। प्राचीन काल मे कृषि जीवन यापन के लिए की तौर पर जानी जाती थी लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात देश की आर्थिक विकसित कराने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण करने लगी जिसके लिए यह जरूरी था कि भारत की कार्य का व्यवसायीकरण हो। हरित कान्ति के बाद भारत की कमी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उत्पादन बढ़ने लगा जिससे विपणन योग्य अतिरेक भी बढ़ा जिसके बाद कृषि को जीवन निर्वाह की श्रेणी मे निकालकर व्यवसायिक रूप प्रदान कर दिया गया। इसके साथ समय— समय पर कृषि विपणन व्यवस्था मे अनेक बदलाव आते रहे हैं। भारत मे कृषि विपणन व्यवस्था निम्न प्रकार है—

गांवो मे फसल की बिक्री — अधिकांश किसानो को मंडी की जानकारी न होने के कारण या फिर परिवहन लागत अधिक होने के कारण गांवो मे ही महाजनो, साहूकारो या बिचौलियों को अपनी फसल कम कीमत पर ही बेच देते हैं। स्वतन्त्रता पूर्व अधिकतर किमान ऐसा ही करते थे लेकिन समय के साथ बिचौलियो की प्रथा समाप्त हो रही है।

साप्ताहिक बाजारो मे बिक्री — गांवो मे सप्ताह में एक या दो बार साप्ताहिक बाजार लगती है जिसको हॉट अर्थात स्थानीय बाजार कहते हैं। ऐसे स्थानीय बाजारों मे किसानो की फसलो को खरीदने वाले लोग रहते हैं जो कि कम कीमत पर फसलो को खरीद लेते हैं और फिर उसे मण्डियो मे ऊंचे दामो पर बेच देते हैं जिससे उनको मोटरा गुजाफा होता है।

सरकारी खरीद — पिछले कुछ वर्षो मे सरकार ने जगह—जगह पर कम केन्द्र स्थापित किये हैं जहाँ पर किसानो की उपज को कम किया जाता है। पर सरकारी क्रय केन्द्रों पर उपज का निर्धारित मूल्य किसानो को मिलता है और किसान दलालो या बिचौलियों से छुटकारा पति है।

सहकारी विपणन — सहकारी विपणन से तात्पर्य ऐसे विपणन से है जो समितियो के सदस्यो के अतिरेक को इकट्ठा कर लेते हैं और उसे मण्डियो मे थोक व्यापारियो के साथ बेचते हैं। सहकारी विपणन प्रणाली से विपणन मे कार्य कुशलता का स्तर भी उच्च हुआ है और बिचौलियो के कपटपूर्ण व्यवहार से किसान बच जाता है।

15.7.1 भारत मे कृषि विपणन व्यवस्था के दोष (Defects of Agricultural Marketing system in India)

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की राष्ट्रीय आय मे कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है इसके बावजूद भी कृषि विपणन व्यवस्था बहुत ही गरीब और कमजोर रही है हालांकि समय के साथ इसमे सुधार किया जा रहा है।

भारत में कृषि विपणन व्यवस्था के मुख्य दोष निम्न हैं— मध्यस्थों की भूमिका— भारतीय किसान अपनी उपज को सीधे मण्डी में नहीं बेच पाता इसके कई कारण होते हैं जैसे बाजार की जानकारी का परिवहन सुविधा न होना। ऐसे में किसान अपनी उपज को साहूकारों, दलालों, महाजनो आदि को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता जिससे किसान हतोत्साहित होता है। प्रो० डी. एस. सिन्धु एक शोध से पता चलता है कि किसानों को चावल की कीमत का मात्र 53 प्रतिशत प्राप्त होता है जिसमें शेष 31 प्रतिशत विचौलियों का हिस्सा है तथा 16 प्रतिशत विपणन लागत अभाव है।

उत्पादों को रखने के लिए अपर्याप्त स्थान— किसानों को अपने उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानों का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि किसान अपने उत्पादों को खुले आसमान के नीचे ही रख देते हैं और बारिश तथा तेज हवाओं के चलने से सारा उत्पाद बेकार हो जाता है जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। सुरक्षित स्थानों के अभाव के कारण किसान अपने उत्पादों को विचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

अल्पविकसित परिवहन— भारत के गांवों को मण्डियों से जोड़ वाली सड़कें व्यवस्थित नहीं हैं जिसके कारण परिवहन सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं। परिवहन की कमी से परिवहन महंगे होते हैं और महंगे परिवहन किसानों को अपनी उपज मण्डी तक पहुँचाने के लिए हतोत्साहित होते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों की सड़कें अब बनने लगी हैं ताकि किसानों की मण्डी तक पहुँच आसान है मूल्य सूचनाओं का अभाव आज भी दूर—दराज इलाकों में किसानों के मूल्यों का पता ही नहीं होता है (जिस मूल्य पर मण्डी में किसानों की उपज को खरीदा जाता है) बहुत से किसान तो मण्डी से जुड़े ही नहीं होते हैं जिसके कारण व्यापारी जो मूल्य देता है उसी मूल्य पर किसान अपनी उपज को व्यापारी को दे देता है और व्यापारी अधिक कीमत पर उपज को मण्डी में बेचकर लाभ कमाता मण्डी में उत्पादों की बिक्री के लिए संस्थाओं की कमी — भारत में अधिकतर छोटे किसान हैं जिनका विपणन योग्य अतिरिक्त कम होता है और कम उपज को मंडी में बेचने पर अधिक लाभ नहीं होती क्योंकि विपणन लागत भी शामिल होती है। ऐसे में छोटे किसान अपनी उपज को गांव के ही किसी बनिये को बेच देता है जिससे उसको लाभ कम होता है। ऐसी संस्थाओं का गठन बड़ी मात्रा में किया जाना चाहिए जो किसानों के उपज को अपने पास इकट्ठा करे और उसको मंडी में बेच दे।

15.7.2 भारत में विपणन प्रणाली क्षमता को बढ़ाने के उपाय (Measures to Entrance Marketing System Efficiency in India)

भारत में कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार समय—समय पर अनेक आयोगों और समितियों का गठन किया जाता जैसे— शाही कृषि आयोग (1928), केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति प्रान्तीय आर्थिक सम्मेलन (1934) आदि। विपणन प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार निम्न कार्य कर सकती है।

भारत में कई मंडिया कानून के अन्तर्गत स्थापित की गयी हैं और अभी ऐसी कई मण्डियों की आवश्यकता भी है। इन मण्डियों पर निगरानी के लिए एक कमेटी बनायी जाती है जिसमें उत्पादकों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। वर्ष 1951 में मण्डियों की सं० 2006 और 2011 में बढ़कर 7346 मण्डियां हो गयी हैं अभी और मण्डियों की आवश्यकता है। यदि किसानों की पहुँच मण्डियों तक आसान हो जायेगी तो किसान अपनी उपज को सीधे मण्डियों में बेचेगा और अधिक लाभ कमायेगा। देश में न केवल नई मण्डियों की आवश्यकता है बल्कि पुरानी मण्डियों को सड़कों के माध्यम से गांवों से जोड़ने की भी आवश्यकता है। 1^{वीं} पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया था कि जो मण्डियों को फीस के रूप में धन प्राप्त होगा उससे मण्डियों की संरचना सुधारने में प्रयुक्त होगा

सहकारिता को प्रोत्साहन— भारत में अधिकतर छोटे किसान हैं और उनके पास बेचने को अधिशेष कम ही होता है जिससे उनकी सौदा करने की शक्ति कम होती है। सरकार इस बात के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है कि कुछ लोग मिलकर एक सहकारी संगठन बना ले और सभी किसान अपने थोड़े—थोड़े अधिशेष को संगठन को दे दिया करे और फिर सहकारी संगठन उन अधिशेषों को मण्डियों में बेच दे जिससे किसानों को अधिक फायदा होगा। हालांकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही सहकारी संगठन को बनाने की बात की गयी थी। इस समय भारत में लगभग 10 हजार से अधिक सहकारी संगठन काम कर रहे हैं लेकिन अभी और ऐसे संगठन की जरूरत है।

परिवहन प्रणाली की व्यवस्था – बाजार प्रणाली का एक परिवहन व्यवस्था है। उचित परिवहन प्रणाली न केवल किसानों को उनकी उपज का बाजार तक पहुंचाने में सहायक होगी अपितु कृषि साधनों को बाजार को खेतों तक लाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

बोध प्रश्न :

1. भारत में कृषि विपणन व्यवस्था एवं उनके दोषों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

2. भारत में कृषि विपणन प्रणाली में कौन-कौन से सुधारों की आवश्यकता है।

.....

.....

.....

15.8 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता को परिभाषित करते हुए कहा गया कि जो व्यक्ति स्वयं के उपयोग के लिए कोई वस्तु या सेवाओं को खरीदता है वह उपभोक्ता है। यह अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा और उनकी शिकायतों को शीघ्र एवं बिना किसी व्यय के निवारण के संरक्षण की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार भी प्रदान करता है जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत का अधि और अति पूर्ति का अधिकार।

15.9 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

भारत सरकार हावा पारित कानून उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेती है। यह कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार 2019 में इसे पारित किया था और यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हो गया है। इस कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण (CCPA) का गठन किया जाना है।

15.9.1 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण उपभोक्ताओं के हितों की पक्ष के साथ-साथ उनके अधिकारों को बढ़ावा देगा और उसे लागू करेगा, यह प्राधिकरण पुरानी व्यापार प्रथाओं भ्रामक जानकारियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित मामलों को भी देखेगा। इस अधिकरण के पास जुर्माना लगाना, बिके हुए माल को वापस लेना, अनुचित व्यापार जमाओं को बंद करना और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गयी कीमत को वापस दिलाने जैसे अधिकार शामिल हैं।

15.9.2 उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consume Disputes Redres Commission) की स्थापना का भी प्रावधान है। CORc निम्न प्रकार की शिकायतों का निपटारा करेगा।

1. अधिक अथवा अस्पष्ट मूल्य वसूलना
2. अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार
3. ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाना जो जीवन के लिए हानिकारक हो।
4. ऐसी वस्तुओं या सेवाओं पर रोक जो दोषपूर्ण सिद्ध हो।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के आयोगों का अधिकार क्षेत्र को बांट दिया है जैसे 10 करोड़ रुपये से ऊपर के मामले को राष्ट्रीय स्तर के आयोग देखेंगे और 1 करोड़ से 10 करोड़ से कम के मामले को ज्यादा और 10 राज्य स्तर के आयोग देखेंगे और 1 करोड़ से कम के मामले को जिला के आयोग देखेंगे।

15.10 सारांश

भारत जैसे अल्पविकसित देशों की राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि अतिरेक पर निर्भर करता है और वहां के उद्योग भी कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर होते हैं ऐसे में उचित कृषि विपणन प्रणाली देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो कारक कृषि अतिरेक को बढ़ाते हैं उन कारकों को और मजबूत करने की जरूरत है। अतिरेक बढ़ने से किसानों की क्रयशक्ति बढ़ती है फलस्वरूप बाजार का विस्तार होता है। स्वतन्त्रता के बाद से सरकार लगातार विपणन प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठा रही है और अभी भी बहुत मदों की जरूरत है। विपणन प्रणाली में सुधारों के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी जरूरी है जिसके लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1969 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का प्रावधान करती है। भारत की कृषि विपणन प्रणाली और उपभोक्ता संरक्षण जितना ही सुदृढ़ होगा भारत का आर्थिक विकास उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।

15.11 शब्दावली

विपणन— विपणन एक सतत प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत उत्पादों और सेवामों को उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक पहुँचाने की गतिविधि शामिल होती है। विपणन के बिना उत्पादन अधूरा होता है। कार्य कृषि अतिरेक – कुल कृषि उत्पादों में से किसान के उपयोग के लिए खाद्यान्न और लागत को निकाल देने पर जो शेष बचता है वही कृषि अतिरेक होता है। कृषि अतिरेक को ही किसान बाजारों में बेचकर माथ अर्जित करता है।

कच्चा माल— कच्चा माल उन मूल पदार्थों को कहते हैं जिनका उपयोग हम सीधे तौर पर नहीं करते। कच्चे माल से उपभोग योग्य वस्तुएँ बनायी जाती हैं।

सहायिकी— सहायिकी का मतलब राज सहायता से है। जब सरकार आर्थिक या सामाजिक नीति को बढ़ाना चाहती है तो सहायिकी प्रदान करती है। यह आमतौर से सरकार द्वारा व्यक्तियों कम्पनियों या संस्थाओं को दी जाती है। सहायिकी के कई रूप हो सकते हैं जैसे कि सीधे तौर पर पैसे देना, कर में दूर देना, ब्याज रहित ऋण आदि

सहकारी विपणन : सहकारी विपणन, विपणन प्रयासों को बढ़ाने का एक समझौता है। सहकारी विपणन में कम से कम कम्पनियों/समूहों की साझेदारी है जिनका उद्देश्य बाजार की पूरी क्षमता का दोहन करना है। दो या दो से अधिक समूह मिलकर विपणन कार्य को पूरा करते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण— उपभोक्ता संरक्षण एक कानून है जिसके तहत उपभोक्ताओं के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा होती है। और यह निष्पक्ष और विवाद समाधान तन्त्र सुनिश्चित करता है।

उपभोक्ता : उपभोक्ता वह है जो किसी वस्तु और सेवाओं का अन्तिम उपयोगकर्ता होता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उनका उपयोग करता है।

इकाई—16 कृषि फसल बीमा, कृषि विस्तार सेवाएँ/ग्रामीण विकास योजनाएँ

ईकाई की रुपरेखा

- 16.0 उद्देश्य
- 16.1 प्रस्तावना
- 16.2 कृषि फसल बीमा
- 16.3 कृषि फसल बीमा का प्रभाव
- 16.4 फसल बीमा बाजार: अवलोकन
- 16.5 भारत में कृषि विस्तार प्रणाली
- 16.6 कृषि विस्तार प्रणाली के कार्य
- 16.7 प्रमुख विस्तार कार्यक्रम और योजनाएँ
- 16.8 चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ
- 16.9 कृषि विस्तार सेवाएँ
- 16.10 कृषि विस्तार सेवाएँ/ ग्रामीण विकास योजनाएँ
- 16.11 सारांश
- 16.12 बोध प्रश्न
- 16.13 उपयोगी पुस्तके

16.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में कृषि फसल बीमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में फसल बीमा बाजार से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में कृषि विस्तार प्रणाली की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कृषि विस्तार प्रणाली के कार्य से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई कृषि विस्तार सेवाएँ/ ग्रामीण विकास योजनाएँ के बारे में जानेंगे।

16.1 प्रस्तावना

कृषि, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की आधारशिला और लाखों लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो जलवायु परिवर्तनशीलता से लेकर बाजार में उतार-चढ़ाव तक कई चुनौतियों का सामना करता है। इन जोखिमों को कम करने और किसानों की लचीलापन को बढ़ाने के लिए, दो महत्वपूर्ण तंत्र विकसित किए गए हैं: कृषि फसल बीमा और कृषि विस्तार सेवाएँ। फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसलों के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसान अपने कार्यों को फिर से शुरू कर करते हुए स्थिर बनाए रख सकें। साथ ही, कृषि विस्तार सेवाएँ ज्ञान का प्रसार करके, नवीन कृषि पद्धतियों को शुरू करके और सतत कृषि विकास का समर्थन करके ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ में, ये पहल कृषि क्षेत्र की स्थिरता और विकास में योगदान करती हैं, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देती हैं।

16.2 कृषि फसल बीमा

कृषि फसल बीमा एक महत्वपूर्ण वित्तीय योजना है जो किसानों को फसल के नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, और रोगों से होने वाली नुकसान से बचाव करने में मदद करती है, जिससे उनकी आय व स्थिरता में सुधार होता है। इसके अलावा, कृषि फसल बीमा किसानों को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे उन्हें उनके खेती-बाड़ी में नई प्रौद्योगिकियों की अधिगमन करने की संभावना होती है। वित्तीय सुरक्षा के अन्तर्गत फसल बीमा किसानों को अपनी फसलों के नुकसान से बचाती है और उन्हें निश्चित राशि मिलती है जिससे उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। बीमा किसानों के लिए उनके खेती-बाड़ी में उच्च उत्पादकता की ओर अधिगमन करने की प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि वे अधिक चुनौतीपूर्ण व्यवस्था को अपना सकते हैं जैसे कि उच्च उत्पादकता फसल प्रकार या आधुनिक सिंचाई प्रणालियों में निवेश करना। आर्थिक विकास के आधार पर स्थिर फसल आय से कृषि फसल बीमा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। स्थिर फसल आय स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं का समर्थन करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

कृषि फसल बीमा और विस्तार सेवाओं का संयुक्त प्रभाव विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकता है। जहाँ फसल बीमा एक वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करता है, वहीं विस्तार सेवाएँ किसानों को जोखिम कम करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करती हैं। साथ में, ये तंत्र चुनौतियों का सामना करने और सतत ग्रामीण विकास में योगदान देने में सक्षम एक अधिक लचीला कृषि क्षेत्र बनाते हैं। फसल बीमा और विस्तार सेवाओं को एकीकृत करके, नीति निर्माता और विकास व्यवसायी किसानों के लिए व्यापक सहायता प्रणाली बना सकते हैं, जिससे अनिश्चितताओं से निपटने और बदलते कृषि परिदृश्य में पनपने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी।

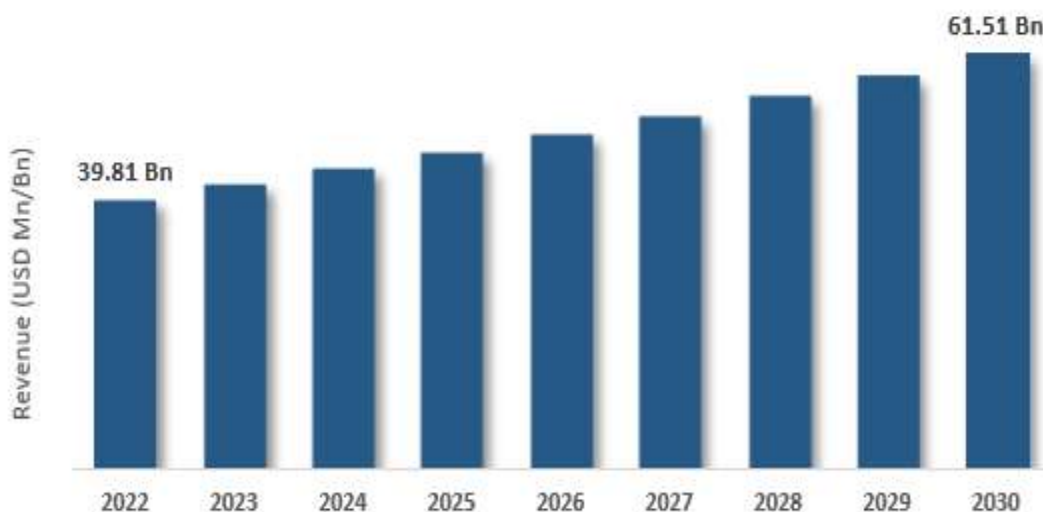
16.3 कृषि फसल बीमा का प्रभाव

- फसल बीमा किसानों को सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल की विफलता के कारण होने वाली वित्तीय तबाही से बचाता है। यह स्थिरता किसानों को अपने खेतों में फिर से निवेश करने, गुणवत्तापूर्ण इनपुट खरीदने और अपनी आजीविका बनाए रखने की अनुमति देती है।
- किसानों से जोखिम को बीमा कंपनियों को हस्तांतरित करके, फसल बीमा किसानों को अधिक उत्पादक लेकिन संभावित रूप से जोखिमपूर्ण कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि उच्च उपज वाली फसल किस्मों को लगाना या आधुनिक सिंचाई प्रणालियों में निवेश करना।
- बीमित किसानों को अक्सर वित्तीय संस्थानों द्वारा कम जोखिम वाला माना जाता है, जिससे उनकी ऋण तक पहुँच में सुधार होता है। यह उन्हें बेहतर तकनीक, बुनियादी ढांचे और इनपुट में निवेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है।
- कृषि आय को स्थिर करके, फसल बीमा व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। स्थिर कृषि आय स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं का समर्थन करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- फसल के नुकसान से सुरक्षा करके, बीमा अधिक स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है।

16.4 फसल बीमा बाजाररू अवलोकन

फसल बीमा उद्योग की संभावनाएं कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें नीतिगत ढांचा, तकनीकी विकास, कृषि परिदृश्य, और किसानों की जागरूकता शामिल हैं। फसल बीमा मुख्य रूप से कृषि उद्योग पर केंद्रित एक सेवा है, जिसमें सेवा प्रदाताओं और कृषि उपज या भूमि मालिकों, जिसमें पशुधन किसान भी शामिल हैं। यह

एक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करता है और किसानों को फसल की कीमतों में कमी के कारण राजस्व हानि से बचाता है। फसल बीमा की दो मुख्य श्रेणियां फसल-ओलावृष्टि बीमा और बहु-खतरा फसल बीमा (एमपीसीआई) हैं। पहला मुख्य रूप से उन देशों में उपलब्ध है जहाँ अक्सर ओलावृष्टि होती है और इसे निजी कंपनियों द्वारा बेचा जाता है, जबकि दूसरा राज्य कार्यक्रमों द्वारा विनियमित होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के कारण फसल बीमा की मांग में उछाल आया है, और बाजार में वृद्धि की प्रवृत्ति सकारात्मक रहने की उम्मीद है। वैश्विक फसल बीमा बाजार का आकार 2022 में लगभग 39.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2023 और 2030 के बीच लगभग 5.59% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ 2030 तक लगभग 61.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक फसल बीमा बाजार 2023–2030 तक सालाना 55.9% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसका बाजार मूल्य 2022 में 39.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा और 2030 तक 51–61 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित फसल नुकसान के कारण बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। बहु-खतरा फसल बीमा (एमपीसीआई) के 2022 में बाजार पर हावी होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी निकाय अग्रणी सेवा प्रदाता होंगे। एशिया-प्रशांत क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति में अग्रणी होने की उम्मीद है।



CAGR : 5.59%

source: [zionmarketresearch.com](https://www.zionmarketresearch.com)

<https://www.zionmarketresearch.com.translate.google/report/crop-insurance-market>

16.5 भारत में कृषि विस्तार प्रणाली

भारत में कृषि विस्तार प्रणाली कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र, जो प्रमुख विस्तार सेवा प्रदाता है, फसल पालन की ओर झुका हुआ है और इसकी पहुंच सीमित है। इसके कारण कम कर्मचारियों वाले विस्तार विभागों पर सब्सिडी और इनपुट वितरित करने जैसी गैर-विस्तार जिम्मेदारियों का बोझ पड़ रहा है। उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्र में वृद्धि फसल उत्पादन की तुलना में दोगुनी या तीन गुनी रही है। भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% कार्यबल कृषि में लगे हुए हैं। भारत में 138 मिलियन कृषि जोतें हैं, जिनमें से 85% छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनमें से अधिकांश गरीब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य और पोषण सुरक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गरीबी और कुपोषण को कम करने और एक समतापूर्ण समाज बनाने से जुड़ा हुआ है। 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार का प्रयास छोटे किसानों पर एक निष्पक्ष और दूरदर्शी जोर देता है। हालांकि, सार्वजनिक विस्तार की पहुंच सीमित है, और यह सब्सिडी और इनपुट वितरित करने जैसी गैर-विस्तार जिम्मेदारियों के बोझ तले

दबा हुआ है। ग्रामीण छोटे किसानों को कृषि विस्तार की सफल डिलीवरी के बिना 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य एक कठिन काम है।

कृषि विकास वर्षा, सिंचाई अवसंरचना, अनुसंधान और मूल्य स्थिरीकरण जैसे कारकों पर निर्भर करता है। कृषि विस्तार प्रयोगशालाओं से किसानों की भूमि तक नवाचारों को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। भारत की पहली हरित क्रांति के बाद से विस्तार कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, मुख्य रूप से कृषि प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं का प्रसार करता रहा है। हालाँकि, बदलती सरकारी नीतियों, प्रौद्योगिकी की माँग और आपूर्ति विशेषताओं और विपणन सुधारों के साथ, विस्तार प्रणाली को अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद से, विस्तार सेवाएँ मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई हैं। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र दो-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से प्रमुख विस्तार सेवा प्रदाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए केंद्रीय संस्थान है, जबकि राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAU) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) राज्य और जिला स्तर पर विस्तार की सुविधा प्रदान करते हैं। हालाँकि, सार्वजनिक विस्तार मुख्य रूप से फसल पालन पर केंद्रित है, जो संबद्ध क्षेत्रों की उपेक्षा करता है। सार्वजनिक विस्तार सेवाओं के अलावा, निजी खिलाड़ी, नागरिक-समाज संगठन, किसान-आधारित संगठन और गैर सरकारी संगठन भी विस्तार सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

16.6 कृषि विस्तार प्रणाली के कार्य

कृषि विस्तार प्रणाली की कार्य सारणी को विभिन्न चरणों और गतिविधियों में विभाजित किया जा सकता है। यह कार्य सारणी किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। निम्नलिखित तालिका कृषि विस्तार प्रणाली के प्रमुख कार्यों का विवरण प्रदान करती है:

क्रमांक	कार्य/गतिविधि	विवरण	समय-सीमा
1	सूचना का प्रसार	नवीनतम कृषि तकनीकों और अनुसंधान की जानकारी प्रदान करना।	सतत
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	किसानों को फसलों की खेती, सिंचाई, मृदा प्रबंधन, कीट नियंत्रण आदि पर प्रशिक्षण देना।	मासिक / तिमाही
3	क्षेत्रीय प्रदर्शन	फसल उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन खेतों में करना।	मौसम के अनुसार
4	कृषक समूह बैठकें	नियमित किसान समूह बैठकें आयोजित करना।	मासिक
5	समस्या समाधान	किसानों की समस्याओं का समाधान करना।	तात्कालिक
6	प्रकाशन और प्रसार सामग्री	पम्पलेट, ब्रोशर, और पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी का प्रसार।	मासिक/त्रैमासिक
7	फार्म विजिट	अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किसानों के खेतों का दौरा।	मासिक/तिमाही
8	तकनीकी सलाहकार सेवाएँ	कृषि विशेषज्ञों द्वारा सलाह प्रदान करना।	तात्कालिक

9	फसल निरीक्षण	फसल की स्थिति का निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करना।	मौसम के अनुसार
10	बाजार जानकारी	किसानों को बाजार की जानकारी और मूल्य रुझान प्रदान करना।	साप्ताहिक/मासिक
11	प्रदर्शनी और मेले	कृषि मेले और प्रदर्शनी आयोजित करना।	वार्षिक
12	पोषण और खाद्य सुरक्षा	किसानों को पोषण और खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना।	सतत
13	पर्यावरण—संवेदनशील कृषि	पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।	सतत
14	सहकारी संगठन और NGOs के साथ सहयोग	कृषि विकास के लिए सहकारी संगठनों और NGOs के साथ मिलकर कार्य करना।	सतत
15	डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग	डिजिटल माध्यमों, मोबाइल एप्स, और सोशल मीडिया का उपयोग।	सतत
16	सहकारी संगठन और NGOs के साथ सहयोग	कृषि विकास के लिए सहकारी संगठनों और NGOs के साथ मिलकर कार्य करना।	सतत

16.7 प्रमुख विस्तार कार्यक्रम और योजनाएँ

- **राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (एनआईपी) :** इस परियोजना का उद्देश्य देश में कृषि विस्तार प्रणाली को मजबूत करना है।
- **राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमआईटी):** यह मिशन किसानों के प्रौद्योगिकी प्रसार और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
- **आत्मा (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी):** इसका उद्देश्य कृषि विस्तार सेवाओं का विकेंद्रीकरण करना और किसान-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई):** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करती है।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई):** जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है।

16.8 चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ

- विशाल और विविध कृषि परिदृश्य को कवर करने के लिए सीमित वित्तीय और मानव संसाधन।
- जागरूकता या प्रशिक्षण की कमी के कारण आधुनिक तकनीकों को अपनाने में देरी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढाँचा विस्तार सेवाओं की प्रभावशीलता में बाधा डालता है।
- विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता।

- व्यापक दर्शकों तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया का लाभ उठाना।
- सरकार, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाना।
- किसान-नेतृत्व वाली शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना।
- जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को विस्तार सेवाओं में एकीकृत करना।
- लक्षित कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

भारत में कृषि विस्तार प्रणाली किसानों को उनकी उत्पादकता और आजीविका में सुधार करने के लिए ज्ञान, कौशल और संसाधनों के साथ सशक्त बनाकर कृषि क्षेत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

16.9 कृषि विस्तार सेवाएं

कृषि विस्तार सेवाएँ कृषि अनुसंधान और कृषक समुदायों के बीच की खाई को पाटकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सेवाएँ किसानों को कृषि ज्ञान, तकनीक और प्रथाओं का प्रसार करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जिससे उनकी उत्पादकता, आय और समग्र आजीविका में वृद्धि होती है। कृषि विस्तार सेवाओं के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

- कृषि विस्तार सेवाएँ किसानों को फसल किस्मों, कीट और रोग प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और संधारणीय कृषि प्रथाओं के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करती हैं। इससे किसानों को सूचित निर्णय लेने और खेती में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद मिलती है।
- कृषि विस्तार सेवाएँ एजेंटों या विशेषज्ञों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ किसानों की क्षमता का निर्माण करती हैं। वे नए कौशल, तकनीक और प्रौद्योगिकियाँ सीखते हैं जो कृषि उत्पादन में उनकी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करती हैं।
- कृषि विस्तार सेवाएँ अनुसंधान संस्थानों से किसानों तक नई कृषि प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती हैं। इसमें बेहतर बीज, कुशल सिंचाई विधियाँ, जैविक खेती की प्रथाएँ और मशीनीकरण शामिल हैं।
- कृषि विस्तार सेवाएँ एजेंट या विशेषज्ञ किसानों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर व्यक्तिगत सलाह और सिफारिशें प्रदान करते हैं। इससे किसानों को समस्याओं का समाधान करने, इनपुट को अनुकूलित करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद मिलती है।
- कृषि विस्तार सेवाएँ में अक्सर बाजार के रुझान, मूल्य निर्धारण और विपणन रणनीतियों के बारे में जानकारी शामिल होती है। यह किसानों को अपनी उपज को कब बेचना है और बाजारों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुँचना है, इस बारे में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- कृषि विस्तार सेवाएँ किसानों के बीच सामुदायिक भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करती हैं। इससे आपसी लाभ और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किसान समूहों, सहकारी समितियों और सामूहिक कार्रवाई का गठन हो सकता है।
- संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना कृषि विस्तार सेवाएँ का मुख्य उद्देश्य है। इसमें ऐसी पद्धतियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती हैं, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं और दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता को बढ़ावा देती हैं।

कुल मिलाकर, कृषि विस्तार सेवाएँ किसानों को उनके कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और संधारणीय ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और संसाधनों से सशक्त बनाने

में सहायक होती हैं। उन्हें अक्सर सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

16.10 कृषि विस्तार सेवाएँ/ ग्रामीण विकास योजनाएँ

कृषि विस्तार सेवाएँ और ग्रामीण विकास योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और जीविका सुरक्षा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये योजनाएँ किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकियों, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, और समुदाय के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।

कुछ मुख्य कृषि विस्तार सेवाएँ और ग्रामीण विकास योजनाएँ शामिल हैं:

कृषि विस्तार सेवाएँ:

- **शिक्षा और प्रशिक्षण:** किसानों को नवीनतम कृषि प्रथाओं, तकनीकियों, और प्रबंधन प्रणालियों की जानकारी प्रदान करना।
- **समुदाय आधारित कार्यक्रम:** समुदाय को मिलकर कृषि विकास की योजनाओं का समर्थन करना और सहयोग प्रदान करना।
- **तकनीकी सहायता:** किसानों को समृद्ध कृषि प्रथाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

ग्रामीण विकास योजनाएँ:

- **सड़क, पानी, और संभावना सेवाएँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुधार करना, जैसे कि सड़क और पानी की आवाज पहुंच।
- **उद्यमिता विकास:** स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देना और उन्हें समर्थन प्रदान करना।
- **सामाजिक विकास:** शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाना।

इन योजनाओं के माध्यम से, सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, और अन्य संगठन समुदायों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने में मदद करते हैं।

ग्रामीण विकास योजनाएँ

ग्रामीण विकास वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में, क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबी को दूर करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादकता में सुधार करना है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और रोजगार के अवसरों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों की कमी जैसे मुद्दों को संबोधित करना है। भारत में ग्रामीण विकास देश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जो गरीबी का सामना कर रहे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। कृषि क्षेत्र, जिस पर दो-तिहाई आबादी निर्भर है, जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, जीडीपी में इसका हिस्सा लगातार घट रहा है। समय के साथ, ग्रामीण विकास एक नए आयाम और परिप्रेक्ष्य के साथ फोकस, रणनीतियों और कार्यक्रमों में विकसित हुआ है। लोगों की भागीदारी प्रक्रियात्मक और दार्शनिक दोनों रूप से ग्रामीण विकास का मूल है। विकास योजनाकारों और प्रशासकों को योजनाओं को सहभागी बनाने के लिए विभिन्न ग्रामीण समूहों की भागीदारी का अनुरोध करना चाहिए। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय नीतियों, विनियमों और अधिनियमों को तैयार करने के लिए शीर्ष निकाय है। कृषि, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और डेयरी ग्रामीण व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में प्राथमिक योगदानकर्ता हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने घर उपलब्ध कराने के लिए PMAY-G, सड़क बनाने के लिए PMGSY और ग्रामीण लोगों को काम पर रखने के लिए MGNREGA सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आवास और रोजगार में सकारात्मक वृद्धि की है। PMAY-G ने 2021-22 में निर्माण के लिए 34,41,482 आवासों को मंजूरी दी, जिसमें 2019-20 में स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों की अधिकतम संख्या शामिल है। PMGSY ने अपनी स्थापना के बाद से 7.8 मिलियन किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, जो सड़क बुनियादी ढांचे में दैनिक सुधार में योगदान दे रही हैं। MGNREGA ग्रामीण श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को रोजगार देता है, जिससे वित्त वर्ष 2021-22 में रोजगार पैदा होते हैं। ग्रामीण भारत में सामाजिक समस्याओं को खत्म करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आवश्यक है। भारत की घटती साक्षरता दर, विशेष रूप से महिलाओं के बीच, एक बड़ी चिंता का विषय है। उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए भूमि और तकनीकी सुधारों की आवश्यकता है। उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए जैविक खेती जैसी आधुनिक तकनीक को लागू किया जाना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र को उन्नत करने से ग्रामीण लोगों के लिए ऋण और ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करने में भी मदद मिल सकती है। भारत का ग्रामीण विकास PMAY-G, PMGSY और MGNREGA सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा संचालित है, जो ग्रामीण समुदायों के लिए बुनियादी ढांचे, आवास और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।

16.11 सारांश

कृषि फसल बीमा, कृषि विस्तार सेवाएँ, और ग्रामीण विकास योजनाएँ कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन नीतियों और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को विभिन्न जोखिमों से बचाना, उनकी उत्पादकता बढ़ाना, और समग्र ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना है। कृषि फसल बीमा का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिरता बढ़ती है और वे जोखिम कम महसूस करते हैं। यह बीमा प्रणाली किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है। कृषि विस्तार सेवाएँ किसानों को नई तकनीकों, उन्नत कृषि विधियों, और नवीनतम अनुसंधानों से अवगत कराती हैं। इन सेवाओं के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, परामर्श, और आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है जिससे उनकी उत्पादकता और कृषि दक्षता में वृद्धि होती है। यह सेवाएँ किसानों को उनके खेतों में सीधे जाकर सहायता प्रदान करती हैं और कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान करती हैं। ग्रामीण विकास योजनाएँ व्यापक ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का समावेश करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, और समग्र जीवन स्तर में सुधार करना है। इन योजनाओं से ग्रामीण समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कृषि फसल बीमा, कृषि विस्तार सेवाएँ, और ग्रामीण विकास योजनाएँ एक समेकित दृष्टिकोण के तहत किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन उपायों से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, स्थिरता, और समृद्धि में वृद्धि होती है, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को भी बल मिलता है। किसानों के लिए इन योजनाओं का सही और प्रभावी कार्यान्वयन उनकी समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, और इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्थायी और समग्र विकास की आधारशिला रखी जा सकती है।

16.12 बोध प्रश्न

- कृषि फसल बीमा से आप क्या समझते हैं ?
- कृषि फसल बीमा का प्रभाव के अध्ययन की व्याख्या कीजिए।
- फसल बीमा बाजार की विवेचना कीजिए।
- भारत में कृषि विस्तार प्रणाली की विवेचना कीजिए।
- कृषि विस्तार सेवाएँ/ ग्रामीण विकास योजनाएँ की व्याख्या कीजिए।
- कृषि विस्तार प्रणाली के कार्य की विवेचना कीजिए।

- Dr. S Rajamohan & T. Dhanbalan. (2013). Rural development schemes and their contribution towards the human resource development. Indian Journal of Applied Research.
- Panda & Mazumdar. (2013). A review of rural development programmes in India. International Journal of Research in Sociology & Social Anthropology,
- Kaushal, S L. & Balbir Singh. (2016). A study of women participation in MGNREGA in Himachal Pradesh. Productivity, 56(4), 382-390.
- Maria Navis Sorris, A. & Sheeba, E. (2017). A study on knowledge and perceptions of beneficiaries towards MGNREGA in palayakayal panchayat of Thoothukudi district. International Journal of Informative & Futuristic Research, 4(9), 7499-7506.
- Dr. P Shrinivas Rao. (2019). Rural development schemes in India – A study. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR).
- Singh, Raj, et al. "Role of Krishi Vigyan Kendras in Agricultural Extension in India." Indian Journal of Extension Education, vol. 57, no. 1, 2021, pp. 34-42.
- Reddy, M. Sudarshan. "Role of NGOs in Promoting Sustainable Agriculture in India." Journal of Rural Development, vol. 39, no. 2, 2020, pp. 151-166.
- Sharma, V. P., and P. K. Joshi. "Agricultural Research and Extension System in India: Structure, Current Policy Issues, and Future Orientations." Agricultural Economics Research Review, vol. 32, no. 1, 2020, pp. 1-19.
- Anderson, Jock R., and Gershon Feder. "Agricultural Extension: Good Intentions and Hard Realities." The World Bank Research Observer, vol. 19, no. 1, 2020, pp. 41-60. [Website](#).
- Singh A, De H and Pal P. 2016. Training needs of agro-input dealers in South 24 Parganas district of West Bengal. Indian Research Journal of Extension Education 15(2): 7-10.
- Aayog N. 2017. Changing structure of rural economy of India implications for employment and growth. National Institution for Transforming India, Government of India.
- Babu S C, Joshi P, Glendenning C J, Kwadwo A O and Rasheed S V. 2013. The state of agricultural extension reforms in India: Strategic priorities and policy options. Agricultural Economics Research Review 26(347-2016–17086), 159.
- Gulati A, Sharma P, Samantara A and Terway P. 2018. Agriculture extension system in India: Review of current status, trends and the way forward. Indian Council for Research on International Economic Relations
- Kaegi S. 2015. The experiences of India's agricultural extension system in reaching a large number of farmers with rural advisory services. Presented at the Background paper for Workshop Reaching the Millions at Hanoi, Vietnam

इकाई-17 ग्रामीण विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका, एम.एस.एम. ई. क्षेत्र पर उदारीकरण का प्रभाव

इकाई की रूपरेखा

- 17.0 उद्देश्य
- 17.1 प्रस्तावना
- 17.2 ग्रामीण विकास
- 17.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा
- 17.4 एमएसएमई निकाय, संस्थाएँ तथा ग्रामीण विकास में उनका योगदान
- 17.5 एमएसएमई क्षेत्र पर उदारीकरण का प्रभाव
- 17.6 एमएसएमई का ढाँचागत विकास
- 17.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची/उपयोगी पुस्तकें

17.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त शिक्षार्थियों की निम्न बिन्दुओं पर समझ विकसित होगी—

- ग्रामीण विकास क्या है?
- ग्रामीण विकास के महत्व को जानेगे।
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को जान सकेंगे।
- ग्रामीण विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की भूमिका को जान पायेगे।
- एमएसएमई का ढाँचागत विकास क्या है

17.1 प्रस्तावना

17.2 ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास एक व्यापक संकल्पना है। जिसका तात्पर्य है कि ग्रामीण अर्थशास्त्र में उन सभी नियोजित जीवन यापन कर रहे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन एवं पर्यावरणीय स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन लाना तथा उन्हें अनुकूलतम कल्पना की ओर प्रवृत्त करना है।

विश्व बैंक ने ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है—

“ग्रामीण विकास एक रणनीति है, जो लोगों के एक विशिष्ट समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका चाहनेवाले सबसे गरीब लोगों तक विकास का लाभ पहुँचाना शामिल है। इस समूह में छोटी जाति के किसान, काश्तकार एवं भूमिहीन मजदूर शामिल हैं।”

ग्रामीण विकास के अन्तर्गत निम्न घटक सम्मिलित किये जाते हैं—

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढाँचें का निर्माण।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में “शिक्षा एवं स्वास्थ्य” जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन करना।
- ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
- कृषि का विकास
- प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन (ग्रामीण क्षेत्र में) आदि।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अथवा माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इण्टरप्राइजेज (एमएसएमई) की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास एवं संवृद्धि में महती भूमिका है। आकड़ें बताते हैं कि यह क्षेत्र पिछले पाँच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यधिक उत्तेजित एवं गतिशील क्षेत्र बनकर उभरा है। जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसरों का सृजन हुआ है, तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तन को बल मिला है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने का नूतन मार्ग प्रशस्त हुआ है। एमएसएमई की लागत बड़े उद्योगों की तुलना में पूँजीगत लागत कम है तथा यह सहायक ईकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक के रूप में क्रियाशील है। देश में कुछ लगभग 633.88 लाख एमएसएमई हैं, जिनका देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में लगभग 30 : हिस्सा है तथा यह लगभग 1109.88 लाख लोगों (11 मिलियन लगभग) को रोजगार प्रदान करता है।

17.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा

“सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006” के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है—

- (i) सूक्ष्म उद्यम – वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
- (ii) लघु उद्यम – वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
- (iii) मध्यम उद्योग – वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, औद्योगीकरण तथा युवाओं में कौशल विकास करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की अग्रणी भूमिका है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम इण्टरप्राइजेज) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 633.88 लाख एमएसएमई क्रियाशील हैं, जिनमें आधे से अधिक लगभग 324.88 (51.25:) एमएसएमई ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित हैं।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका आप एवं रोजगार सृजन के रूप में भी देखी जा सकती है। जहाँ एक ओर एमएसएमई से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला है तो वहीं दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी हुआ है। जिससे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे लोगों का जीवन स्तर (रहन-सहन) ऊपर उठा है। आकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई द्वारा लगभग 1109.89 (110 मिलियन) रोजगार सृजित हुए हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित एमएसएमई से 497.78 लाख (कुल एमएसएमई से सृजित रोजगार का 45:) रोजगार सृजित हुए हैं। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा एवं दिशा बदली है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, नारी सशक्तीकरण, प्रव्रजन रोकने जैसे सामाजिक सरोकारों में भी एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हुए हैं। जिसका

परिणाम यह हुआ है कि लोग रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों महानगरों की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही काम करके आय प्राप्त कर रहे हैं एवं अपनी आजीविका चला रहे हैं तथा समृद्ध जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार एमएसएमई के विकास से जहाँ एक ओर गरीबी उन्मूलन में सहायता मिली है तो वहीं दूसरी ओर प्रव्रजन पर भी रोक लगी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तीकरण में एमएसएमई की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ पुरुषों की तरह काम की तलाश में दूर-दराज के शहरों एवं महानगरों में नहीं जा सकती हैं। एमएसएमई के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है तथा उन्हें आय के अच्छे साधन प्राप्त हो रहे हैं, जिससे जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं तथा महिलाएँ अपने परिवार के भरण-पोषण में अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

चूँकि एमएसएमईज भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रान्ति की तरह है। अतः चाहे शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र, सरकार (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार) MSMEs के विकास पर खासा ध्यान दे रही है। जिसके अन्तर्गत आधारभूत ढाँचे के विकास से जुड़ी हुई नीतियों एवं योजनाओं का निरन्तर क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं की गति ढाँचागत विकास पर विशेष रूप से निर्भर करती है। अतः इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में MSMEs की स्थापना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढाँचागत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे सड़क-यातायात एवं संचार माध्यमों आदि का विकास हो रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थापित MSMEs सतत विकास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो कि वर्तमान समय की माँग है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थापित उम्डमे की उत्पादन की तकनीकी काफी हद तक इकोफ्रेन्डली प्रकृति की होती है तथा इसके उत्पाद भी प्रकृति पर कम नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

MSMs ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादित उत्पादों को बड़े शहरों, महानगरों एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बाजारों का आकार बढ़ रहा है तथा उस क्षेत्र विशेष की ख्याति दुनियाँ भर में फैल रही है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल प्रदान कर रहा है।

17.4 एमएसएमई से सम्बन्धित निकाय एवं संस्थाएँ तथा ग्रामीण विकास में उनका योगदान

- (1) **खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** – यह एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है। जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुई थी। वर्तमान समय में यह आयोग ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तथा रोजगार का सृजन कर रहा है, इसका मुख्यालय मुम्बई में है। इसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे—
 - स्वच्छ भारत अभियान
 - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
 - हनी मिशन
 - कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम आदि।
- (2) **कॉयर बोर्ड (Cair Board)** – कॉयर बोर्ड भी एक वैधानिक निकाय है। यह निकाय कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत बनाया गया था। इसका लक्ष्य कॉयर उद्योग का समग्र, सतत विकास करना है तथा नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है। कॉयर उद्योग का सम्बन्ध नारियल उत्पादक राज्यों से है। कॉयर नारियल का एक उपोत्पादक है, जिससे विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं, जैसे डोरमैट, रस्सी आदि।
- (3) **महात्मा गाँधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (MGIRI)** – यह वर्धा में स्थापित है तथा सूक्ष्म, लघु

एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है। यह ग्रामीण उद्योगों के उन्नयन एवं विकास के लिए तकनीकी सेवाएँ, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।

17.5 एमएसएमई क्षेत्र पर उदारीकरण का प्रभाव

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में अपनाई गई उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा एवं दिशा को बदल कर रख दिया। यद्यपि कि यह नीति अत्यन्त ही कठिन परिस्थितियों में अपनाई गई किन्तु इसके दूरगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त ही लाभप्रद है।

एमएसएमई के विशेष सन्दर्भ में यदि हम उदारीकरण के प्रभाव की बात करें तो हम पाते हैं कि उदारीकरण के पश्चात् एमएसएमई के क्षेत्र की विशेष प्रगति हुई। भारत सरकार ने उदारीकरण के पश्चात् एमएसएमई के विकास पर खासा ध्यान दिया। इसके अन्तर्गत वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गयी। जिसका लक्ष्य लघु उद्योगों के ढाँचागत एवं तकनीकी विकास करना रोजगार का सृजन करना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर देश की संवृद्धि एवं विकास को बल प्रदान करना था। वर्ष 2007 (19 मई 2007) में भारत सरकार कार्य आवंटन के नियम 1961 में संशोधन किया गया तथा इन दोनों मंत्रालयों (लघु उद्योग मंत्रालय एवं कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) का विलय कर वर्तमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्थापना की गयी।

इसके साथ ही इस मंत्रालय के कार्यों एवं दायित्वों में भी वृद्धि की गयी। यह मंत्रालय विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास एवं विस्तार के लिए नीतियाँ तैयार करता है, साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी चलाता है।

उदारीकरण का एमएसएमई के विकास एवं विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे हम निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझ सकते हैं—

एमएसएमई का उत्कृष्ट प्रदर्शन –

उदारीकरण की नीति ने एमएसएमई के विकास एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदारीकरण से पूर्व एम एस एम ई क्षेत्र को विशेष संरक्षण प्राप्त था। कुछ चुने हुए उत्पादों को एम एस एम ई के लिए ही संरक्षित किया गया था जिसका उत्पादन केवल MSME ही कर सकते थे किन्तु उदारीकरण की नीति ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, जिससे डेडवुड क्षेत्र ने वैश्विक परिदृश्य में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी गुणवत्ता में सुधार किया।

17.6 एमएसएमई का ढाँचागत विकास

उदारीकरण के पश्चात् भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने एमएसएमई के ढाँचागत विकास पर विशेष ध्यान दिया। इसके अन्तर्गत MSME के ढाँचागत विकास के लिए वित्त की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। 2 अप्रैल 1990 में स्थापित SIDBI (Small Industries Development Banking India)की इसमें विशेष भूमिका रही। इसके समय ही खादी ग्रामोद्योग कमीशन, काँयर बोर्ड ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रोजगार सृजन क्षमता में सुधार –

उदारीकरण के पश्चात् एमएसएमई का बहुत तेजी से विस्तार हुआ जिससे MSME के क्षेत्र में रोजगार सृजन बहुत भारी संख्या में हुआ।

सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप –

उदारीकरण से पूर्व लाइसेंसिंग अपने चरम पर था किन्तु उदारीकरण के पश्चात् सरकार ने यह स्पष्ट किया कि सरकार का काम शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था देखना है न कि उद्योग चलाना। इसके पश्चात् सरकार ने उद्यम शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाया एवं विशेष सहायता भी प्रदान की।

निर्यात में वृद्धि –

उदारीकरण के परिणामस्वरूप MSME के विकास एवं विस्तार को विशेष बल मिला है। जिससे गुणवत्तापूर्ण

वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन सम्भव हो पाया है और निर्यात में वृद्धि हुई है।

17.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- <https://mgiri.org/>
- <https://www.msme.gov.in/>
- <https://mospi.gov.ac.in>
- <https://rural.gov.in/>
- <https://pib.gov.in/>
- MSMEs Annual report 2022-23
- Kumar, A. (2020). 'Role of MSMEs in Employment Generation in India',
- Biswas, A. (2015). 'Opportunities and Constraints for Indian MSMEs'
- Pujar, M. (2014), 'MSMEs and Employment in India: An Analytical Study'

ईकाई की रूपरेखा

- 18.0 उद्देश्य
- 18.1 प्रस्तावना
- 18.2 जल स्रोत प्रभाव
- 18.3 जनजातीय समुदायों के लिए जल का महत्व
- 18.4 जनजातीय क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन में चुनौतियाँ
- 18.5 जनजातीय क्षेत्रों में जल निकाय
- 18.6 भारत में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम और नीतियां
- 18.7 जनजातीय विकास योजना का मूल्यांकन
- 18.8 जनजातीय विकास योजना के उद्देश्य
- 18.9 मूल्यांकन का महत्व
- 18.10 सारांश
- 18.11 बोध प्रश्न
- 18.12 उपयोगी पुस्तके

18.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में जल स्रोत प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में जनजातीय समुदायों के लिए जल का महत्व से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम और नीतियां की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में जनजातीय विकास योजना से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई जनजातीय विकास योजना के उद्देश्य के बारे में जानेंगे।

18.1 प्रस्तावना

जनजातीय समुदायों का कल्याण जल स्रोतों की उपलब्धता और गुणवत्ता से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। पानी सिर्फ एक बुनियादी जरूरत नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण घटक है जो जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से, जनजातीय समुदाय अपने अस्तित्व और आजीविका के लिए नदियों, झरनों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल निकायों पर निर्भर रहे हैं। हालाँकि, बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों, विकासात्मक दबावों और जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में जनजातीय कल्याण पर जल स्रोतों का प्रभाव अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गया है। आदिवासी समुदायों के लिए, पीने, खाना पकाने, स्वच्छता और कृषि उद्देश्यों के लिए जल स्रोत आवश्यक हैं। पारंपरिक जल प्रबंधन प्रथाएँ, जो अक्सर स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों में निहित होती हैं, ने इन समुदायों को पीढ़ियों से बनाए रखा है। इन प्रथाओं में प्राकृतिक झरनों का उपयोग, वर्षा जल संचयन और छोटे चेक डैम और तालाबों का निर्माण शामिल है। जल निकाय कई जनजातियों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं, जो उनके अनुष्ठानों और परंपराओं का एक अभिन्न अंग हैं।

आदिवासी समुदायों के लिए जल स्रोतों की स्थिरता विभिन्न कारकों से प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। पर्यावरणीय क्षरण सम्बन्धी वनों की कटाई, खनन और औद्योगिक गतिविधियों ने प्राकृतिक जल स्रोतों के क्षरण को बढ़ावा दिया है। इन गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण जल निकायों को दूषित करता है, जिससे वे उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं और कृषि उद्देश्यों के लिए उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। वर्षा के बदलते माध्यम और सूखे की बढ़ती आवृत्ति ने पानी की उपलब्धता को और अधिक अनिश्चित बना दिया है। जलवायु परिवर्तन जल स्रोतों की प्राकृतिक पुनःपूर्ति को प्रभावित करता है, जिससे महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान कमी होती है। बाँध, सिंचाई योजनाएँ और शहरी विस्तार जैसी बड़े पैमाने की विकास परियोजनाएँ अक्सर आदिवासी समुदायों के विस्थापन और उनके पारंपरिक जल स्रोतों के जलमग्न होने का कारण बनती हैं। इससे न केवल उनकी जीवन शैली बाधित होती है, बल्कि उन्हें अनिश्चित जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पलायन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। सरकारी नीतियों के सन्दर्भ में कुछ नीतियों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए पानी की पहुँच में सुधार करना है, कार्यान्वयन अक्सर नौकरशाही की अक्षमताओं, सामुदायिक भागीदारी की कमी और अपर्याप्त धन के कारण बाधित होता है। नीतियाँ स्थायी, समुदाय-आधारित जल प्रबंधन समाधानों की तुलना में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का पक्ष ले सकती हैं। पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता का जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूषित जल स्रोत जलजनित बीमारियों को जन्म देते हैं, जो एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है। अपर्याप्त जल आपूर्ति कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, जिससे खाद्य असुरक्षा और आजीविका का नुकसान होता है। इसके अलावा, पारंपरिक जल स्रोतों के नुकसान से होने वाला सांस्कृतिक और सामाजिक विघटन जनजातीय समाजों के समग्र कल्याण को प्रभावित करता है। जनजातीय कल्याण में सुधार के प्रयासों में जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें प्राकृतिक जल निकायों की सुरक्षा और बहाली, जलवायु-लचीले जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली जल-संबंधी चुनौतियों का समाधान करके, उनके समग्र कल्याण को बढ़ाना और उनके सतत विकास को सुनिश्चित करना संभव है।

प्रभाव का क्षेत्र	विवरण	उदाहरण
आर्थिक	जल स्रोतों की उपलब्धता कृषि और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, जो आय के स्रोत हो सकते हैं।	नदियों के किनारे बसे जनजातियों में मछली पकड़ने की परंपरा।
स्वास्थ्य	स्वच्छ जल की उपलब्धता से जनजातियों में जल जनित रोगों की संभावना कम हो जाती है।	ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप या नलकूप का प्रचलन।
सामाजिक	जल स्रोतों के चारों ओर समुदायिक एकता और सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रबल होती हैं।	तालाब या नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों का आयोजन।
शिक्षा	जल स्रोतों की निकटता से बच्चों की जलभराव की जिम्मेदारियों में कमी आती है, जिससे उनकी शिक्षा में सुधार होता है।	स्कूली बच्चों के लिए पानी के नजदीकी स्रोत उपलब्ध होने से उनका समय बचता है।
पर्यावरण	जल स्रोतों की देखभाल से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है।	वन क्षेत्रों में जल संचयन और संरक्षण के प्रयास।
सांस्कृतिक	जल स्रोत जनजातियों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा होता है।	नदी या तालाब के किनारे धार्मिक अनुष्ठान।

18.2 जल स्रोत प्रभाव

भारत में आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास में जल स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वच्छ और पर्याप्त जल तक पहुँच स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए मौलिक है। यह सार आदिवासी कल्याण पर जल स्रोतों के बहुमुखी प्रभाव की पड़ताल करता है, तथा जल उपलब्धता और गुणवत्ता से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। जल एक मूलभूत संसाधन है जो किसी भी समुदाय के कल्याण और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आदिवासी समुदायों के लिए, जो अक्सर दूरदराज और अविकसित क्षेत्रों में रहते हैं, जल स्रोतों की उपलब्धता और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वच्छ और पर्याप्त जल संसाधनों तक पहुँच उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिसमें स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधियाँ, शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता शामिल है।

18.3 जनजातीय समुदायों के लिए जल का महत्व

- स्वच्छ पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच जलजनित बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक है, जो खराब जल गुणवत्ता के कारण कई जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं। बेहतर जल स्रोत बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान करते हैं और बीमारियों के बोझ को कम करते हैं।
- कई जनजातीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। नदियों, नालों और कुओं जैसे जल स्रोतों की उपलब्धता सीधे उनकी कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और आय को प्रभावित करती है।
- दूर के स्रोतों से पानी लाने में लगने वाला समय अक्सर महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों पर पड़ता है, जिससे उनकी नियमित रूप से स्कूल जाने की क्षमता प्रभावित होती है। जल स्रोतों तक बेहतर पहुँच से स्कूल में उपस्थिति बढ़ सकती है और बेहतर शैक्षिक परिणाम मिल सकते हैं।
- कृषि से परे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए जल की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, जिसमें लघु उद्योग, पशुपालन और मत्स्य पालन शामिल हैं, जो जनजातीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करते हैं।
- जल स्रोत अक्सर जनजातीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, जो उनकी पारंपरिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और सामाजिक समारोहों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

18.4 जनजातीय क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन में चुनौतियाँ

जनजातीय क्षेत्रों में जल प्रबंधन चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। जनजातीय समुदाय अक्सर दूरदराज और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ स्वच्छ जल तक पहुँच सीमित है। इन समुदायों की पारंपरिक प्रथाएँ और सांस्कृतिक मानदंड भी जल उपयोग और संरक्षण प्रयासों को प्रभावित कर सकते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, अपर्याप्त धन और आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी स्थिति को और भी बदतर बना देती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सामाजिक-आर्थिक संदर्भ पर विचार करता है, स्थानीय ज्ञान को एकीकृत करता है, और जनजातीय आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप टिकाऊ जल उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

- कई जनजातीय समुदाय भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ भूभाग कठिन है, जिससे जल अवसंरचना का विकास और रखरखाव चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- मानसून की बारिश और मौसमी जल निकायों पर निर्भरता शुष्क मौसम के दौरान पानी की कमी का कारण बन सकती है, जिससे जल आपूर्ति की निरंतरता प्रभावित होती है।
- जल भंडारण, शुद्धिकरण और वितरण के लिए अपर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध जल संसाधनों के प्रभावी

उपयोग में बाधा डालती है।

- वनों की कटाई, खनन और अन्य गतिविधियाँ जल स्रोतों को खराब कर सकती हैं, जिससे पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता कम हो सकती है।

जल स्रोतों की उपलब्धता और प्रबंधन आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभावी जल प्रबंधन से इन समुदायों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ प्रथाओं के साथ-साथ जल अवसंरचना को विकसित करने और बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि आदिवासी आबादी फल-फूल सके और समृद्ध हो सके।

18.5 जनजातीय क्षेत्रों में जल निकाय

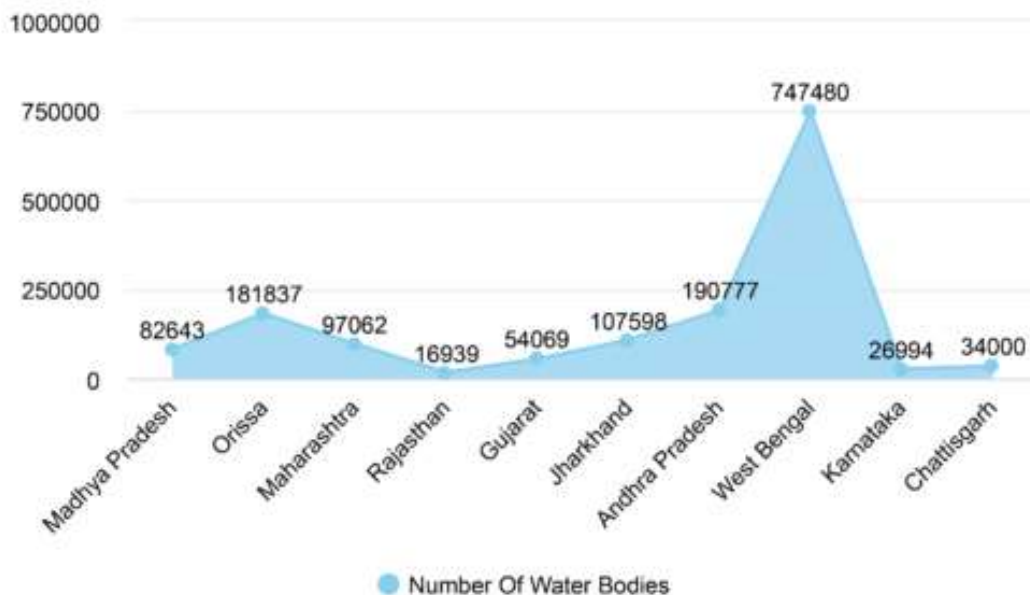
भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ विभिन्न जनजातीय समूहों की काफी आबादी रहती है। अधिकांश क्षेत्रों में, जनजातियों के सदस्य, जिन्हें “आदिवासी” भी कहा जाता है, जंगलों और पानी के प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आजीविका चलाते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक भारत के प्रमुख जनजातीय राज्य हैं जो गोंड जनजातियों, मुंड जनजातियों, संथालों आदि जैसे विभिन्न जनजातीय समूहों के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करते हैं।

भारत भर के जनजातीय क्षेत्रों में जल निकायों की सूची

जनजातीय राज्य	जल निकायों की संख्या
मध्य प्रदेश	82,643
उड़ीसा	1,81,837
महाराष्ट्र	97,062
राजस्थान	16,939
गुजरात	54,069
झारखण्ड	1,07,598
आन्ध्रप्रदेश	1,90,777
पश्चिम बंगाल	7,47,480
कर्नाटक	26,994
छत्तीसगढ़	34,000

मध्य प्रदेश राज्य, अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, जंगलों, समृद्ध विरासत और कई ऐसे प्राकृतिक चमत्कारों के साथ, अपनी भूमि पर विभिन्न जनजातियों को आश्रय देता है, जिनमें आंध्र, बैगा, भील आदि शामिल हैं। राज्य में 82,663 जल निकाय हैं, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में और बहुत कम शहरी क्षेत्रों में हैं। ओडिशा के आश्चर्यजनक वन्यजीव और विस्मयकारी पहाड़ों में 1,81,837 जल निकाय हैं, जिनमें से आधे से अधिक ग्रामीण इलाकों में और थोड़ा अनुपात शहरी भूमि पर है, साथ ही निजी और सार्वजनिक स्वामित्व के बीच लगभग बराबर वितरण है। महाराष्ट्र में 97,062 जल निकाय हैं, जिनमें से 99.3% ग्रामीण इलाकों में हैं, और शेष 0.7% शहरीकृत भागों में हैं। राज्य के अधिकांश जल निकाय सार्वजनिक स्वामित्व में हैं, केवल 0.3% निजी स्वामित्व के अधीन हैं।

Tribal States



<https://www.mapsofindia.com/my-india/india/first-census-report-list-of-water-bodies-in-tribal-areas-across-india>

राजस्थान में 16,939 जल निकाय हैं, जिनमें से 189 शहरी क्षेत्रों में और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। गुजरात में 54,069 जल निकाय हैं, जिनमें से ज्यादातर संरक्षण योजनाओं और चेक डैम के लिए हैं। बिहार के आदिवासी राज्य झारखंड में 1,07,598 जल निकाय हैं। आंध्र प्रदेश में 1,90,777 हैं, जबकि कर्नाटक में 26,994 हैं। पश्चिम बंगाल में 7,47,480 जल निकाय हैं, जो अन्य सभी राज्यों से ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़, जो अपनी अनूठी कला और शिल्प के लिए जाना जाता है, में 34,000 जल निकाय हैं। ये राज्य जल संरक्षण और आदिवासी आबादी की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

18.6 भारत में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम और नीतियां

भारत में विश्व स्तर पर जनजातीय लोगों की सबसे बड़ी संख्या है, जनजातियाँ प्रकृति की संतान हैं और उनकी जीवनशैली पारिस्थितिकी तंत्र से प्रभावित होती है। भारत के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में विविध जनजातीय आबादी मौजूद है, जनजातीय क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 15% हिस्सा बनाते हैं। भारत की आबादी का सबसे कमजोर वर्ग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और विमुक्त जनजातियाँ हैं। जनजातीय समुदाय गैर-जनजातीय, जाति हिंदू समुदायों के साथ बातचीत करते हैं लेकिन सामाजिक संरचना से अलग रहते हैं। आदिवासी, जातीय और जनजातीय समूहों के विषम समूह के लिए एक सामान्य शब्द है, जिसे भारत की आदिवासी आबादी माना जाता है। यह शब्द 1930 के दशक में गढ़ा गया था और तब से इसने अतीत की स्वायत्तता का एक अर्थ विकसित किया है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बाधित हुआ था। आदिवासी समाज भारत के उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची में “अनुसूचित जनजाति” के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से, जनजातीय समस्याओं ने समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं का ध्यान आकर्षित किया है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, जनजातीय लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अभिनव योजनाएँ, कार्यक्रम, संरचनाएँ और संस्थान बनाए गए हैं। आदिवासी लोग, अपनी अनूठी भावना, विश्वदृष्टि, सामुदायिक भावना और जीवन शैली के साथ, कभी-कभी विकास कार्यक्रमों के साथ भ्रमित होते हैं। वे आम तौर पर इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये उनके पारंपरिक जीवन शैली के खिलाफ हैं। आदिवासी लोग अपनी समूह एकजुटता के प्रति सचेत हैं और इसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

भारत में जनजातीय कल्याण के लिए कई कार्यक्रम और नीतियाँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार लाना है। इन प्रयासों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। नीचे कुछ प्रमुख जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों और नीतियों का विवरण दिया गया है—

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) इस अधिनियम के तहत, जनजातीय समुदायों को उनके पारंपरिक वनभूमि पर अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे अपनी जमीन और संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसका लक्ष्य वन संसाधनों पर जनजातीय समुदायों के अधिकार को मान्यता देना और उन्हें उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार प्रदान करना।
- पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996—PESA) इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन को प्रोत्साहित करना और जनजातीय समाज की पारंपरिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करना है। इसका लक्ष्य जनजातीय समुदायों को स्थानीय स्वशासन में अधिक अधिकार देना और उनकी भागीदारी बढ़ाना।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential Schools—EMRS) इस योजना के तहत, जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिससे उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। इसका लक्ष्य जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल करना।
- राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मिशन (National Tribal Health Mission) इस मिशन का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, जिससे जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य मानकों को सुधारना।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana—PMAGY) इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल गाँवों का समग्र विकास किया जाता है, जिससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सके। इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल गाँवों को मॉडल गाँवों में विकसित करना।
- जनजातीय उप-योजना (Tribal Sub&Plan—TSP) इस योजना के तहत, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का एक हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों के लिए आरक्षित किया जाता है, जिससे उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसका लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय जनजातीय छात्रवृत्ति योजना (National Tribal Scholarship Scheme) इस योजना के तहत, जनजातीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका लक्ष्य जनजातीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार करना।

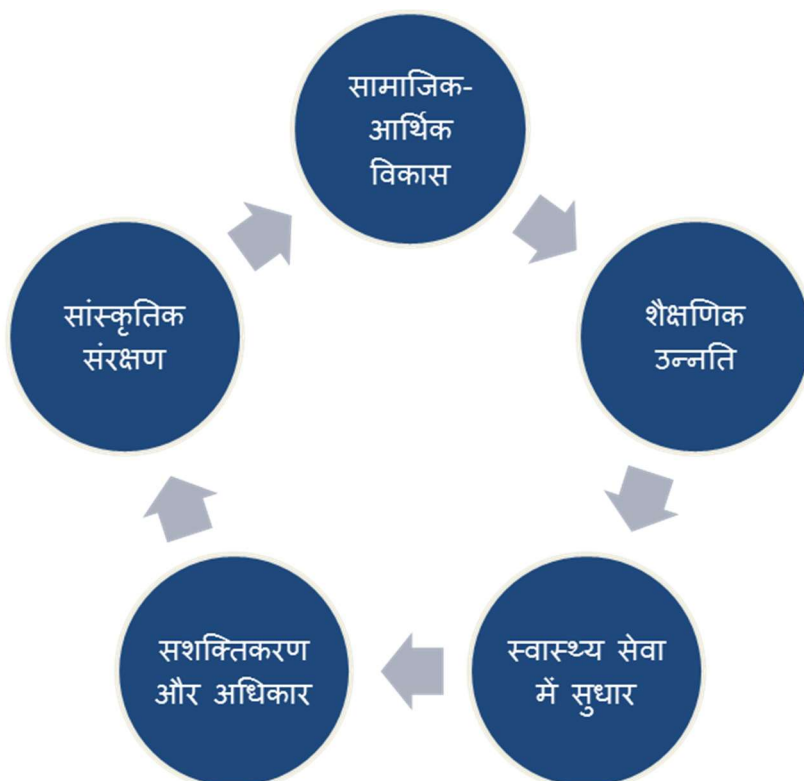
- स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme) इस योजना के माध्यम से जनजातीय उद्यमियों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इसका लक्ष्य जनजातीय उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना।

18.7 जनजातीय विकास योजना का मूल्यांकन

आदिवासी विकास के मुद्दों के लिए विकास नियोजन में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने की वकालत की, जिसे 1961 में डेबर आयोग ने और आगे बढ़ाया। आयोग ने भोजन, पेयजल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव की सड़कों जैसी न्यूनतम बुनियादी वस्तुओं पर आधारित एक एकीकृत दृष्टिकोण की सिफारिश की। आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर 1972 के टास्क फोर्स ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए पारिस्थितिक, व्यावसायिक और सामाजिक मापदंडों का उचित मूल्यांकन करने का सुझाव दिया। 1972 में दुबे समिति ने आदिवासी विकास के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण तैयार किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को परिभाषित किया गया और आदिवासी संभावनाओं और आकांक्षाओं पर विचार करते हुए एक क्षेत्र विकास दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया गया। भारत में जनजातीय विकास योजना एक व्यापक रणनीति है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार करना है। ये समुदाय, जो अक्सर दूरदराज और अविकसित क्षेत्रों में रहते हैं, ऐतिहासिक रूप से बुनियादी सेवाओं और विकास के अवसरों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। भारत सरकार ने इन असमानताओं को दूर करने और जनजातीय आबादी के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है।

18.8 जनजातीय विकास योजना के उद्देश्य

जनजातीय विकास योजना के प्राथमिक उद्देश्य हैं:



चित्र . 1 जनजातीय विकास योजना के उद्देश्य

- संसाधनों, रोजगार के अवसरों और आजीविका कार्यक्रमों तक बेहतर पहुँच के माध्यम से जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्थितियों को बेहतर बनाना।
- शिक्षण संस्थान एवं स्कूल स्थापित करके, छात्रवृत्ति प्रदान करके और शैक्षिक बुनियादी ढाँचे में सुधार करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और जनजातीय बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।
- जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करते हुए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और भाषाओं की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना।
- भूमि अधिकारों सहित जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना।

18.9 मूल्यांकन का महत्व

आदिवासी विकास योजना का मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है:

- विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता और आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर उनके प्रभाव को समझना।
- उन क्षेत्रों को उजागर करना जहाँ योजना ने अपने इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं, जिससे अंतराल और चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलती है।
- नीति निर्माताओं को डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करें, जिससे वे भविष्य की रणनीतियों और हस्तक्षेपों को परिष्कृत और बेहतर बना सकें।
- संसाधनों के कुशल उपयोग और वादा किए गए लाभों के वितरण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह ठहराएँ।

आदिवासी विकास योजना का मूल्यांकन आम तौर पर कई प्रमुख मानदंडों पर केंद्रित होता है। इसमें योजना के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने में संसाधनों के इष्टतम उपयोग का आकलन करना चाहिए और इसके साथ ही आदिवासी समुदायों की वास्तविक जरूरतों और प्राथमिकताओं के साथ योजना की पहलों के संरेखण का मूल्यांकन करें। विकास हस्तक्षेपों की दीर्घ कालिक व्यवहार्यता और प्रभाव का निर्धारण कर समानता की जाँच करें कि क्या योजना के लाभ आदिवासी समाज के सबसे हाशिए पर और कमजोर वर्गों तक पहुँचे हैं। इन पहलुओं का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करके, हितधारक आदिवासी विकास योजना की सफलताओं और सुधार के क्षेत्रों की व्यापक समझ हासिल कर सकते हैं, जो अंततः भारत में आदिवासी आबादी की भलाई को बढ़ाने के लिए भविष्य के प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

18.10 सारांश

आदिवासी समुदायों का कल्याण जल स्रोतों की उपलब्धता और प्रबंधन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जल एक मूलभूत संसाधन है जो स्वास्थ्य, कृषि, सांस्कृतिक प्रथाओं और समग्र आजीविका का आधार है। हालाँकि, इन जल स्रोतों की स्थिरता पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन, विकास परियोजनाओं और अपर्याप्त नीति कार्यान्वयन से लगातार खतरे में है। ये चुनौतियाँ आदिवासी समुदायों की कमजोरियों को बढ़ाती हैं, जिससे स्वास्थ्य संकट, खाद्य असुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन होता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जल संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन को प्राथमिकता देता है। इसमें न केवल प्राकृतिक जल निकायों की बहाली और संरक्षण शामिल है, बल्कि जलवायु-लचीले प्रथाओं को अपनाना और जल प्रबंधन निर्णयों में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी भी शामिल है। नीतियों और विकास परियोजनाओं को आदिवासी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आदिवासी समुदायों को उनके जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाने से उनके कल्याण में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। इसमें उनके स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना

शामिल है। जनजातीय कल्याण में जल की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानकर तथा इसे सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय कदम उठाकर, हम जनजातीय समाजों के सतत विकास और लचीलेपन में योगदान दे सकते हैं।

18.11 बोध प्रश्न

- भारत में जल स्रोत से आप क्या समझते हैं ?
- जनजातीय समुदायों के लिए जल का महत्व की व्याख्या कीजिए।
- जनजातीय क्षेत्रों में जल निकाय से आप क्या समझते हैं ?
- भारत में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम और नीतियों की विवेचना कीजिए।
- जनजातीय विकास योजना की व्याख्या कीजिए।
- जनजातीय विकास योजना के उद्देश्य की विवेचना कीजिए।

18.12 उपयोगी पुस्तकें

- **Singh, K. (2008).** *Indigenous Water Management Systems: Ecology and Culture in India.* Oxford University Press.
- **Shah, T., & Raju, K. V. (2002).** *Rethinking Rehabilitation: Ecology, Equity, and Economic Efficiency.* *Economic and Political Weekly*, 37(23), 2181-2186.
- **Cullet, P. (2009).** *Water Law, Poverty, and Development: Water Sector Reforms in India.* Oxford University Press.
- **Pandey, D. N. (2001).** *Traditional Knowledge Systems for Biodiversity Conservation.* *Indian Journal of Traditional Knowledge*, 1(1), 20-27.
- **Narain, V. (2003).** *Institutions, Technology, and Water Control: Water Users Associations and Irrigation Management Reform in Two Large-scale Systems in India.* Orient BlackSwan.
- **Kumar, M. D., & Singh, O. P. (2005).** *Groundwater Management in India: Physical, Institutional, and Policy Alternatives.* Sage Publications.
- **Ward, P.J., Robinson, E., & Brown, J. (2013).** "The Role of Water Resources in Tribal Development". *International Journal of Water Resources Development*, 29(2), 200-213.
- **Mishra, R. (2010).** "Tribal Health and Water Access: A Case Study of Jharkhand". *Indian Journal of Community Medicine*, 35(3), 432-438.
- **Singh, S. (2015).** "Cultural Significance of Water Resources in Tribal Communities". *Journal of Anthropological Research*, 71(4), 578-592.
- **Vishwanath, R. (2017).** "Economic Impact of Water Availability on Tribal Agriculture". *Journal of Rural Development*, 36(1), 95-110.
- **Dev, S. and Kumar, P. (2020).** "Environmental and Social Benefits of Water Conservation in Tribal Areas". *Environmental Science & Policy*, 104, 87-97.
- **Sundara Rao & Ramu P. (2014), 'An Overview of the Tribal Development Policy of India' International Journal of Academic Research. ISSN No. 2348 – 7666, Vol.1, Issue – 1, June – 2014**
- **Rajneesh (2014), 'Impact of Various rural development Schemes: An Evaluation' International Journal of Management Research and Business Strategy. ISSN No. 2319 – 345, Vol. 3, April 2014.**
- **Harishankar Banothu, (2016), 'Tribal Economic Development in India' International Journal of Multidisciplinary Advanced Research Trends. ISSN No.2349 – 7408. Vol. III, June 2016**
- **Gandhimathi, (2016) 'Social Policies and Programmes for Tribal Development in Theni District' International Journal of Advanced Research, ISSN No.2320-5407.**

इकाई-19 सामाजिक न्याययुक्त विकास एवं ग्रामीण विकास नीति

ईकाई की रुपरेखा

- 19.0 उद्देश्य
- 19.1 प्रस्तावना
- 19.2 सामाजिक न्याययुक्त विकास
- 19.3 ग्रामीण विकास नीति
- 19.4 1970 के दशक से पहले के प्रयास
- 19.5 1970 के दशक के बाद के प्रयास :
- 19.6 ग्रामीण विकास नीतियां और कार्यक्रम: एक समीक्षा
- 19.7 ग्रामीण विकास नीति के प्रमुख क्षेत्रों का वितरण ग्राफ
- 19.8 भारत में ग्रामीण विकास का रणनीतिक परिप्रेक्ष्य
- 19.9 ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याययुक्त विकास नीतियों की भूमिका
- 19.10 सारांश
- 19.11 बोध प्रश्न
- 19.12 उपयोगी पुस्तकें

19.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में सामाजिक न्याययुक्त विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण विकास नीति से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण विकास नीतियां और कार्यक्रम की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याययुक्त विकास नीतियों की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई ग्रामीण विकास का रणनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे।

19.1 प्रस्तावना

भारत एक विविध और अनौपचारिक समाज है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का महत्व आत्मसात है। इन क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं और नीतियों के साथ-साथ सामाजिक न्याय के मूल्यों का भी मजबूत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रस्तावना में, हमने इस प्रसंगिक विषय पर गहराई से चर्चा की है, साथ ही ग्रामीण विकास नीतियों में सामाजिक न्याययुक्तता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर किया है। हमने विभिन्न आयामों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव दिए हैं, जो सामाजिक न्याय, समर्थन, और सामूहिक उत्थान को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नीतियाँ ऐसे तंत्र की स्थापना करें जो सभी व्यक्तियों के लिए उचित और समान अवसरों का समर्थन करें, ताकि समृद्धि और सामाजिक न्याय की अद्वितीय समरूपता स्थापित की जा सकें।

सामाजिक न्याय

“सामाजिक न्याय” एक सामाजिक और नैतिक मूल्य है जो समाज में समानता, न्याय, और समृद्धि को प्राथमिकता देता है। यह उस न्याय सिद्धांत को उजागर करता है जिसके अनुसार सभी व्यक्ति और समुदायों को

समान अधिकार, अवसर, और स्थिति के लिए प्राप्ति होनी चाहिए, और कोई भी विशेषाधिकार या अन्यता नहीं होनी चाहिए। “सामाजिक न्याय” विकास को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की खोज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जोकि निष्पक्ष, समावेशी और न्यायसंगत हो। इसका उद्देश्य प्रणालीगत असमानताओं को दूर करना, समान अवसरों को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों और समुदायों को उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना बुनियादी जरूरतों, अधिकारों और संसाधनों तक पहुँच हो। इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर कोई सम्मान, न्याय और सम्मान के साथ रह सके।

19.2 सामाजिक न्याययुक्त विकास

सामाजिक न्याय के साथ विकास प्रगति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो न केवल आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि समाज के सभी सदस्यों के बीच लाभ, अवसरों और संसाधनों का समान वितरण भी सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय के साथ विकास के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

- **समानता और समावेश :** इसमें ऐसी नीतियाँ और अभ्यास शामिल हैं जो लिंग, जाति, जातीयता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विकलांगता और अन्य पहचानों में समानता और समावेश को बढ़ावा देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को उनके कल्याण और विकास के लिए आवश्यक अवसरों और संसाधनों तक समान पहुँच हो।
- **गरीबी में कमी :** सामाजिक न्याय के साथ विकास का उद्देश्य समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और अच्छे काम और आजीविका के अवसरों के माध्यम से गरीबी को कम करना है।
- **मानव अधिकार :** यह मानवाधिकार सिद्धांतों को कायम रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति हो। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और भेदभाव और शोषण से मुक्ति के अधिकार शामिल हैं।
- **पर्यावरणीय स्थिरता :** सामाजिक रूप से न्यायसंगत विकास पर्यावरणीय स्थिरता को एकीकृत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक गतिविधियाँ पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएँ और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी से किया जाए।
- **भागीदारी एवं सशक्तिकरण :** यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हाशिए पर पड़े समूहों और समुदायों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी पर जोर देता है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। सशक्तिकरण पहल व्यक्तियों और समुदायों के बीच क्षमता, कौशल और आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद करती है ताकि वे विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें और उनसे लाभ उठा सकें।
- **सामाजिक सामंजस्य व एकजुटता :** यह समाज के भीतर विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक सामंजस्य, विश्वास और एकजुटता को बढ़ावा देता है, सभी सदस्यों की भलाई के लिए अपनेपन और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता :** सामाजिक रूप से न्यायसंगत विकास सामाजिक न्याय लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों के लिए सरकारों, संस्थानों और निजी क्षेत्रों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संसाधन आवंटन में पारदर्शिता विश्वास को बढ़ाती है और भ्रष्टाचार को कम करती है।
- **सांस्कृतिक विविधता एवं सम्मान :** यह सांस्कृतिक विविधता को महत्व देता है और समाज के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं, भाषाओं और पहचानों के लिए सम्मान को बढ़ावा देता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सद्भाव और आपसी समझ में वृद्धि होती है।

संक्षेप में, सामाजिक न्याय के साथ विकास का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ सभी व्यक्ति अपनी

पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ रह सकें। इसके लिए प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और सभी के लिए एक स्थायी और न्यायपूर्ण भविष्य बनाने के लिए मानवाधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा करना आवश्यक है।

19.3 ग्रामीण विकास नीति

ग्रामीण विकास नीति ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये नीतियाँ ग्रामीण समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों जैसे संसाधनों तक सीमित पहुँच, बुनियादी ढाँचे की कमी और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में असमानताओं को संबोधित करने के लिए बनाई गई हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके, ग्रामीण विकास नीति जीवंत और लचीले ग्रामीण समुदायों का निर्माण करना चाहती है जो तेजी से बदलती दुनिया में पनप सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी मानव बस्ती अर्थव्यवस्था में खाद्य संग्रहण से खाद्य उत्पादन में बदलाव के कारण संभव हुई है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ग्रामीण समाजों में परिवर्तन विशेष रूप से प्रमुख रहे हैं, स्थानीय पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधनों और तकनीकी विकास के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उभरे हैं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य अर्थव्यवस्था है, लेकिन सभी लोग हमेशा कृषि में शामिल नहीं होते हैं, और वे अन्य व्यवसायों को अपनाकर या प्राथमिक अर्थव्यवस्था का समर्थन करके जीवित रह सकते हैं। ग्रामीण समाज समरूप है, लेकिन यह बहुत विविध भी है, और ग्रामीण विकास के लिए नीति को इस विविध संदर्भ को संबोधित करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी कृषक नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि का समर्थन करती है और खेती से संबंधित नहीं विभिन्न व्यवसायों को अपनाती है। इसलिए, ग्रामीण विकास के लिए नीति और योजना विकसित करते समय विविध और जटिल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों को संबोधित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बेहतर संचार सुविधाओं और बढ़ते वैश्वीकरण के साथ, कई ग्रामीण क्षेत्र अब बाहरी दुनिया के संपर्क में हैं।

एक नए विकास प्रतिमान की आवश्यकता है जो लोगों को प्राथमिकता देता हो, आर्थिक विकास को एक साधन के रूप में मानता हो, भावी पीढ़ियों के जीवन के अवसरों की रक्षा करता हो, और प्राकृतिक प्रणालियों का सम्मान करता हो। सच्चे विकास के लिए न्याय, संसाधनों तक समान पहुँच और हरित क्रांति की फसल उत्पादन बढ़ाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, लेकिन असमानता को भी कम करना चाहिए। पारंपरिक ज्ञान अधिक प्रभावी विकास रणनीति में योगदान दे सकता है, और प्रौद्योगिकी आवश्यक है, लेकिन इसे अपने निर्माता पर हावी नहीं होना चाहिए। एक नया विकास प्रतिमान जो लोगों, न्याय और प्राकृतिक प्रणालियों को प्राथमिकता देता है, सच्चे विकास के लिए आवश्यक है।

ग्रामीण विकास नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढाँचे का विकास करना है। यह नीति ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने, गरीबी को कम करने, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, ग्रामीण विकास नीति का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। भारत में ग्रामीण विकास का उद्देश्य एक ऐसा मूल्य-तंत्र बनाना है जो देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ संरेखित हो। स्वतंत्रता के बाद से, विकास योजना का लक्ष्य "सामाजिक न्याय के साथ विकास" रहा है। भारत सरकार द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद, उपलब्धियाँ उतनी प्रभावशाली नहीं रही हैं जितनी कि उम्मीद थी। नीतिगत परिप्रेक्ष्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए, प्रयासों को दो अवधियों में विभाजित करने की सिफारिश की जाती है: 1970 के दशक में प्रयास और 1970 के दशक के बाद के प्रयास शामिल हैं।

19.4 के दशक से पहले के प्रयास

पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में, भारत की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती थी, जिसमें से 80% लोग एक्सटी जोन में रहते थे। राज्यों, ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई। लाखों लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, शारीरिक रूप से विकलांगों और विकलांग या अलग-अलग सक्षम लोगों जैसे हाशिए पर पड़े सामाजिक समूहों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक था।

1952 में सामुदायिक विकास पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य तकनीकी ज्ञान के सहयोग और अभिसरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर एकीकृत विकास करना था। स्थानीय स्तर की इकाइयों के रूप में बनाए गए सामुदायिक विकास खंड आज कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए छठी स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी पहल भूमि-जोत की शाही संस्थाओं और प्रणालियों का उन्मूलन था, जो अत्यधिक शोषणकारी थे और गरीबी को बढ़ावा देते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को आर्थिक रूप से उत्पादक संपत्ति मानते हुए आयात की एक व्यापक नीति अपनाई गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में नई तकनीक की शुरुआत के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे हरित क्रांति सफल हुई। हालाँकि, इन प्रयासों का समग्र प्रभाव गरीबी की समस्या से निपटने के लिए संतोषजनक नहीं था। हरित क्रांति विशिष्ट क्षेत्रों और फसलों तक ही सीमित थी, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में अंतर-फसल, अंतर-व्यक्तिगत और अंतर-क्षेत्रीय असमानताएँ पैदा हुईं।

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, जिससे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालाँकि, विकास ने ग्रामीण गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। विकास का ट्रिकल-डाउन प्रभाव भारत के संदर्भ में काम नहीं आया और ग्रामीण आबादी का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। खराब आर्थिक स्थिति, निर्वाह जीवन, कम सौदेबाजी की शक्ति, अस्थिर रोजगार के अवसर और शहरी क्षेत्रों में संकटपूर्ण प्रवास भारत में गरीबों की विशेषताएँ बनी रहीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धीरे-धीरे नौकरशाही पूर्वाग्रह वाले टुकड़ों-टुकड़ों वाले कार्यक्रमों द्वारा बदल दिया गया।

19.5 के दशक के बाद के प्रयास

1970 के दशक में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और नीतियों पर पुनर्विचार किया गया, जिसमें गरीबी कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से निपटने के लिए ग्रामीण कार्य कार्यक्रम (आरडब्ल्यूपी), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी), काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी) और छोटे और सीमांत किसानों के लिए कार्यक्रम जैसे नए कार्यक्रम शुरू किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वरोजगार के लिए आय-उत्पादक परिसंपत्तियाँ बनाना, वेतन-कर्मचारी अवसर पैदा करना और पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्र-आधारित विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना था। अतिरिक्त कार्यक्रम गरीबों और निराश्रितों के लिए बुनियादी ढाँचा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित थे। लोगों को सशक्त बनाने और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए नीतिगत नुस्खे और वैधानिक प्रावधान पेश किए गए।

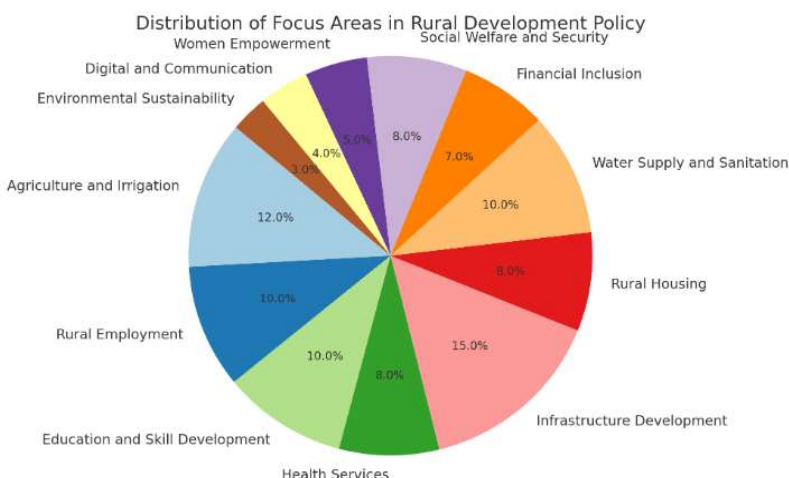
19.6 ग्रामीण विकास नीतियाँ और कार्यक्रमरू एक समीक्षा

हाल के वर्षों में ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कई अध्ययनों ने उनके गुण और दोष उजागर किए हैं। हालाँकि, इन कार्यक्रमों को कई कारणों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। लाभार्थियों, पूर्ण किए गए कार्यों, उत्पादक परिसंपत्तियों में वृद्धि और सृजित नौकरियों पर आधिकारिक दावे अतिरंजित और अविश्वसनीय हैं, लाभार्थियों में गैर-गरीब और वंचित लोगों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत अपर्याप्त लक्ष्यीकरण को दर्शाता है। अनुचित कामकाज, अप्रभावी कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार के कारण रिसाव होता है। इन कार्यक्रमों के तहत विकसित या आपूर्ति की गई संपत्तियाँ खराब गुणवत्ता की हैं, और यह अनिश्चित है कि वे लाभार्थियों के आय स्तरों को कैसे प्रभावित करेंगी। जवाबदेही के मुद्दे एक प्रमुख मुद्दा बने हुए हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों का संगठन, सामग्री और वित्तपोषण ज्यादातर संघीय सरकार के नियंत्रण में रहता है। इससे नियोजन का दोहराव और विखंडन होता है, जिससे समन्वय और निगरानी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। कार्यक्रम अक्सर ऋण और सब्सिडी के साथ-साथ वर्तमान वेतन रोजगार के प्रावधान पर जोर देते हैं, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक स्तरों पर संरक्षण और भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्देश्य वंचितों को सस्ती कीमतों पर बुनियादी उपभोक्ता सामान उपलब्ध कराना है, लेकिन कई क्षेत्रों में यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है, खासकर उन राज्यों में जहाँ गरीब लोगों की संख्या अधिक है। राजनीतिक विरोध और प्रशासनिक चुनौतियों ने प्रभावी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना मुश्किल बना दिया है। आलोचकों का

तर्क है कि दीर्घकालिक गरीबी में कमी के लिए इन कार्यक्रमों का सफल योगदान, उनमें निवेश किए गए संसाधनों के अनुपात में नहीं है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। देश इस विलासिता को वहन नहीं कर सकता, क्योंकि राजकोषीय असंतुलन का उच्च स्तर है और समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के व्यय के लिए संसाधनों की गंभीर कमी है। भारत की योजना अवधि के दौरान, ग्रामीण विकास नीतियाँ मुख्य रूप से नेहरू के भारतीय गाँवों के दृष्टिकोण से प्रभावित थीं, जिसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना, कृषि संबंधों में सुधार करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। सरकार और प्रशासनिक भागीदारी इन नीतियों के लिए केंद्रीय थी, जैसा कि सीडीपी का कार्यान्वयन था। हालाँकि, राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को जन्म दिया, जिसके कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को निर्देशित करने के लिए PRI को उपकरण के रूप में पेश किया गया। गरीबी से निपटने और ग्रामीण भारत के विकास को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। हालाँकि, इनमें से कई कार्यक्रमों को उनकी अकुशलता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें गैर-गरीब और वंचित लोगों का उच्च प्रतिशत, अनुचित प्रथाओं के कारण रिसाव, अप्रभावी कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, खराब गुणवत्ता वाली संपत्तियाँ, विशिष्ट क्षेत्रों या समूहों के लिए अनुपयुक्त संपत्तियाँ और योजनाएँ और स्थानीय समुदायों के साथ न्यूनतम परामर्श शामिल हैं।

16.7 ग्रामीण विकास नीति के प्रमुख क्षेत्रों का वितरण ग्राफ

ग्राफ ग्रामीण विकास नीति के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिशत वितरण प्रदर्शित करता है। इस पाई चार्ट में, विभिन्न रंगों और लेबलों का उपयोग करके प्रत्येक क्षेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। बुनियादी ढांचा विकास 15% यह सबसे बड़ा घटक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, आवास, और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। कृषि और सिंचाई 12% यह क्षेत्र उन्नत बीज, उर्वरक, और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रामीण रोजगार 10% जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा और कौशल विकास 10% यह शैक्षिक सुविधाओं में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना इस क्षेत्र का उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवाएँ 8% जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना होता है। ग्रामीण आवास 8% इसमें सभी के लिए सस्ती आवास सुनिश्चित करना इस क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य है। जल आपूर्ति और स्वच्छता 10% यह ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना। वित्तीय समावेशन 7% इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, ऋण, और बीमा सेवाओं को बढ़ावा देना होता है। सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 8% इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर वर्गों का समर्थन करना तथा महिला सशक्तिकरण 5% इसमें स्व-सहायता समूहों और कौशल विकास पहलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। डिजिटल और संचार 4% यह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना होता है। पर्यावरणीय स्थिरता 3% इसके अन्तर्गत टिकाऊ कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना होता है। यह ग्राफ दर्शाता है कि ग्रामीण विकास नीति विभिन्न क्षेत्रों पर संतुलित रूप से ध्यान केंद्रित करती है, जिससे ग्रामीण समुदायों की समग्र उन्नति सुनिश्चित होती है।



19.8 भारत में ग्रामीण विकास का रणनीतिक परिप्रेक्ष्य

भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही एक कल्याणकारी राज्य रहा है, जहाँ सभी सरकारी प्रयासों का प्राथमिक उद्देश्य लाखों लोगों का कल्याण करना रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही नियोजन भारतीय नीति के स्तंभों में से एक रहा है, और देश की ताकत नियोजन की उपलब्धियों से प्राप्त होती है। नीतियों और कार्यक्रमों को ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो भारत में नियोजित विकास के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक रहा है। इन योजनाओं और ब्लूप्रिंट के मूल सिद्धांतों में गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों, अवसरों की असमानता को खत्म करना और बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना शामिल है। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब और कुपोषित बच्चे, महिलाएँ और पुरुष हैं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में नीति निर्माताओं के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के विकास ने हमेशा गहरा महत्व हासिल किया है। भारत ने ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट कार्यक्रम शुरू किया, जो परिमाण, विविधता और गतिशीलता में अद्वितीय है।

ग्रामीण विकास को अतीत में कृषि विकास के बराबर माना जाता रहा है, लेकिन धीरे-धीरे यह गरीबी उन्मूलन का पर्याय बन गया है। भारत में ग्रामीण विकास की चिंताएँ, दृष्टिकोण और रणनीतियाँ पिछले कुछ वर्षों में बदली हैं, पिछली गलतियों के लिए संशोधन किए गए हैं और नई सिफारिशों का संज्ञान लिया गया है। ग्रामीण विकास एक जटिल घटना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना, नियोजन का केंद्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर क्रियान्वयन और ऋण तक अधिक पहुँच शामिल है। ग्रामीण विकास में ग्रामीण जीवन शैली को बदलना, स्थानिक और सामाजिक आजीविका में सुधार करना, संस्थागत और संगठनात्मक ढाँचों को फिर से सक्रिय करना, रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त तकनीक पेश करना और आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।

19.9 ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याययुक्त विकास नीतियों की भूमिका

ग्रामीण विकास नीतियाँ और सामाजिक न्याययुक्त विकास के सिद्धांतों को एक साथ मिलाने का प्रयास भारतीय समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है यहां कुछ मुख्य प्रभाव वर्णित हैं:

- **अधिकारों की सुरक्षा :** सामाजिक न्याययुक्त विकास नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करती हैं। इससे ग्रामीण समुदायों के व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों का समर्थन मिलता है, जैसे कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार।
- **आर्थिक विकास :** ये नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती हैं। व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाते हुए, उद्यमिता को बढ़ाने में समर्थन प्रदान करती हैं और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं।
- **सामाजिक समृद्धि :** ये नीतियाँ सामाजिक समृद्धि को बढ़ाती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और सामाजिक सुरक्षा के पहुँच को सुधारती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का मानवाधिकारिक और सामाजिक स्तर पर सुधार होता है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता :** ग्रामीण विकास नीतियाँ पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहित करती हैं। सामुदायिक प्रक्रियाओं और संसाधनों का ध्यान रखती हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होता है और पर्यावरणीय संरक्षण में सहायता मिलती है।
- **सांस्कृतिक संरक्षण :** ग्रामीण विकास नीतियाँ स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी सुनिश्चित करती हैं। स्थानीय शैली में विकास को प्रोत्साहित करती हैं और ग्रामीण समुदायों की पहचान को मजबूत करती हैं।

इन प्रभावों के माध्यम से, सामाजिक न्याययुक्त विकास नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन, समृद्धि, और

समाजिक न्याय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें:

घटक	विवरण	प्रमुख कार्यक्रम/पहलकदमी
कृषि और सिंचाई	उन्नत बीज, उर्वरक, और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना।	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
ग्रामीण रोजगार	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
शिक्षा और कौशल विकास	शैक्षिक सुविधाओं में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।	सर्व शिक्षा अभियान (SSA), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
स्वास्थ्य सेवाएँ	सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना।	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), आयुष्मान भारत
बुनियादी ढांचा विकास	ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें सड़कें, आवास, और स्वच्छता सुविधाएँ शामिल हैं।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण आवास	सभी के लिए सस्ती आवास सुनिश्चित करना।	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
जल आपूर्ति और स्वच्छता	ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना।	जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन
वित्तीय समावेशन	ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, ऋण, और बीमा सेवाओं को बढ़ावा देना।	प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
सामाजिक कल्याण और सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर वर्गों का समर्थन करना।	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
महिला सशक्तिकरण	स्व-सहायता समूहों और कौशल विकास पहलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना।	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

डिजिटल और संचार	ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।	भारतनेट, डिजिटल इंडिया
पर्यावरणीय स्थिरता	टिकाऊ कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (NMSA), हरित भारत मिशन

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):** 2000 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना है। इस योजना ने ग्रामीण पहुँच में सुधार लाने, दूरदराज के क्षेत्रों को बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए):** 2005 में शुरू की गई, एमजीएनआरईजीए ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी देती है, जो बेरोजगारी के समय सुरक्षा जाल प्रदान करती है और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देती है। यह दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है।
- **दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम):** 2011 में शुरू की गई डीएवाई-एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) का उद्देश्य स्व-रोजगार को बढ़ावा देकर और ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका का निर्माण करके ग्रामीण गरीबी को कम करना है। यह महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन:** 2016 में शुरू किया गया यह मिशन प्लूरिबन्ध क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास करता है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करके ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):** 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अपर्याप्त आवास स्थितियों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह पात्र लाभार्थियों को पक्के घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत मिशन):** 2014 में शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई सुविधाओं में सुधार पर केंद्रित है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई):** 2015 में शुरू की गई पीएमकेएसवाई का उद्देश्य सिंचाई प्रणालियों की दक्षता में सुधार करना और सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार करना है। यह जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- **ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम):** 2016 में लॉन्च किया गया, ई-एनएएम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो देश भर की मंडियों (कृषि बाजारों) को जोड़ता है। यह किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाता है, उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और बिचौलियों की भूमिका को कम करता है।
- **स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी):** 2015 में लॉन्च किया गया, एसवीईपी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह ग्रामीण उद्यमियों को सहायता

और प्रशिक्षण प्रदान करता है और स्थायी उद्यम बनाने में मदद करता है।

- **ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा:** यह पहल विभिन्न गांवों में आयोजित एक पखवाड़े के अभियान के दौरान स्वच्छता, स्वच्छता और समग्र ग्रामीण विकास पर केंद्रित है।

19.10 सारांश

भारतीय समाज में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास नीतियाँ गांवों की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रकृति के सुधार में मार्गदर्शन करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन में, हमने सामाजिक न्याययुक्त विकास के सिद्धांतों को ग्रामीण विकास नीतियों में सम्मिलित करने के प्रयास किए हैं। इसके माध्यम से हमने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का परिदृश्य प्रस्तुत किया है, साथ ही ग्रामीण समुदायों के उत्थान और समर्थन के लिए नीतियों के महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान दिया है। ग्रामीण विकास नीतियाँ उस समाज में सामाजिक न्याय और समर्थन के साथ ही गहरे संवेदनशीलता और समर्पण का समावेश सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं।

19.11 बोध प्रश्न

- सामाजिक न्याययुक्त विकास से आप क्या समझते हैं ?
- ग्रामीण विकास नीति से आप क्या समझते हैं ?
- ग्रामीण विकास नीतियाँ और कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए।
- भारत में ग्रामीण विकास का रणनीतिक परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं ?
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याययुक्त विकास नीतियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
- ग्रामीण विकास नीति 1970 के बाद एवं पहले के प्रयास की विवेचना कीजिए।

19.12 उपयोगी पुस्तकें

- राधाकृष्ण, आर. और रे, एस. (संपादक) (2005), भारत में गरीबी की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक: परिप्रेक्ष्य, नीतियाँ और कार्यक्रम, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- गोपाल, एस. (1973), जवाहरलाल की चयनित कृतियाँ, खंड 5 (पुरानी श्रृंखला), नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन
- जोधका, एस.एस. (2002), राष्ट्र और गांव: गांधी, नेहरू और अंबेडकर में ग्रामीण भारत की छवियाँ, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 37(32), 3343–3353
- मिश्रा, बी.बी. (1983), जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास, दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- पिंटो, एम.आर. (1992), भारत में ग्रामीण विकास और नौकरशाही, इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 53(3), 279–296
- <https://www.socialworkin.com/2022/08/rural-development-policies-and.html>
- Mehta, Shiv R. (1984). Rural Development Policies and Programmes, Sage Publications, New Delhi
- Singh, Katar (1986). Rural Development, Principles Policies and Management, Sage

- Agrawal, A.N. (2006). Development and Planning, Wishva Prakashan, New Delhi
- **Desai, V.** (2011). Rural Development in India: Past, Present and Future. Himalaya Publishing House.
- **Mahajan, V.** (2009). Social and Economic Development in Rural India. Sage Publications.
- **Planning Commission.** (2007). Eleventh Five Year Plan (2007–2012). Government of India.
- **Gore, C.** (1993). Social Exclusion and Social Justice: A Capability Approach. World Development, 31(3), 335-370.
- **Nussbaum, M. C.** (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press.
- **Ellis, F., & Biggs, S.** (2001). Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s. Development Policy Review, 19(4), 437-448.
- **Singh, S., & Patel, A.** (2018). Impact of Rural Development Policies on Social Justice in India. International Journal of Social Sciences, 7(2), 45-60.

इकाई-20 सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव

इकाई की रूपरेखा

- 20.0 उद्देश्य
- 20.1 प्रस्तावना
- 20.2 ग्रामीण विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का महत्व
- 20.3 ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व
- 20.4 कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका
- 20.5 महिला सशक्तीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका
- 20.6 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव में ध्यान रखने योग्य बातें
- 20.7 निष्कर्ष
- 20.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

20.0 उद्देश्य (Objectives)

इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ सकेंगे कि—

- ग्रामीण विकास में सिर्फ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है?
- कृषि क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका है?
- महिला सशक्तीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव में ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं? इन सब को समझ सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना (Introduction)

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव बिहार ग्रामीण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास सुनिश्चित होता है। वर्तमान समय में भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों ने भी ग्रामीण विकास पर महत्वपूर्ण कार्य सूची तैयार की है तथा उसका क्रियान्वयन भी तीव्र गति से हो रहा है। जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव को विशेष प्राथमिकता दी गई है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण भारत के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही भारत ग्रामीण जनता के जीवन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन ला रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव ने सरकार के कार्य प्रक्रिया को भी सुगम किया है तथा लोगों की सहभागिता को बढ़ाया है। जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और अनुक्रियाशीलता में सुधार आया है। इससे सरकारी लक्ष्य समूह को प्रभावकारी सेवाएं प्रदान करने में सफल हो पाई हैं। जिसमें बहुसेवा वितरण चौनल (मल्टीप्ल डिवाइसेज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल) जैसे इंटरनेट, मोबाइल, डिवाइसेज, वॉयरलेस, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल (WAP) आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है—

20.2 ग्रामीण विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है?

ग्रामीण भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में दूरसंचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और सूचना प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी, आंकड़ा व प्रतिबिंब

स्थानांतरण, डाटा एंड इमेज ट्रांसफर, प्रौद्योगिकी और अन्योनक्रिया (इन्ट्रैक्टिव) प्रौद्योगिकी ने ज्ञान संवर्धन, सूचना एवं ज्ञान के तीव्र स्थानांतरण एवं प्रसारण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक विकास को एक नई दशा एवं दिशा प्रदान की है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव ग्रामीण समुदायों के मध्य अधिगम एवं स्थानिक क्षमता निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ है। जिससे ग्रामीण परिवेश से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु नूतन मार्ग प्रशस्त हुए हैं तथा ग्रामीण रहन-सहन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। इस प्रकार सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव ग्रामीण जनता के लिए वरदान साबित हुआ है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, खाद्य-सुरक्षा एवं सतत विकास आदि से संबंधित उद्देश्यों एवं लक्षण को प्राप्त करने में सहायता मिली है।

20.3 ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है?

- **ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व** — ग्रामीण क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जुड़ाव सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे सरकार की कार्य प्रक्रिया सुगम हुई है। तथा लोगों की सहभागिता बढ़ी है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और अनुक्रियाशीलता में सुधार आया है। इससे सरकारें (केंद्र एवं राज्य सरकारें) लक्ष्य समूह को प्रभावकारी सेवाएं प्रदान करने में सफल हो पाई हैं। जिसमें बहुत सेवा वितरण चैनलों (मल्टीप्ल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल) जैसे इंटरनेट, मोबाइल, डिवाइसेज, वॉयरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल (WAP) आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- **प्रजा-ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचना** — प्रजा जिसका सामान्य अर्थ है, नागरिक एक ऐसी परियोजना जो ग्रामीण जनता को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार के अधिक समीप लाता है। इस परियोजना का उद्देश्य जिला और मंडल स्तरों पर ग्रामीण जनता को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराना है। इस योजना को पहली बार आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में कार्यान्वित किया गया। यह योजना राष्ट्रीय सूचना केंद्र (National Information Centre & NIC) के तकनीकी सहयोग के माध्यम से कार्यान्वित है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के नागरिकों को (Government to Citizen – G2C) और नागरिकों से नागरिकों को (Citizen to Citizen – C2C) विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के वितरण करने की पहल है। इस परियोजना के अंतर्गत मंडल और ग्राम स्तर पर प्रजासेवाकेंद्र नाम के ग्रामीण किओस्क (KIOSKS) में वेब मुहैया किया गया है। यह सम्पूर्ण रूप से कंप्यूटरकृत है तथा डायल अपसर्किट (Dial up circuit) और इंटरनेट के माध्यम से जिला नेटवर्क से जुड़े हैं। इसमें जिला सर्वर, रिमोट एक्सेस सर्वर, सुदूर अधिगम परिसेवक (Server) के रूप में कार्य करता है यह प्रजा सेवा केंद्र जिला पोर्टल चलाता है। इससे विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं का जनता द्वारा एक्सेस किया जाता है। यह पोर्टल विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह परियोजना सरकार को जनता तक सीधे सेवाएं पहुंचाने में तथा पारदर्शिता तथा गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

20.4 कृषि क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?

- कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कृषि को देखा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या का जीविकोपार्जन मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र की विकास एवं समृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि भारत गांव का देश है और एक बड़ी आबादी गांव में ही बसती है। अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है यह लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है।
- कृषि क्षेत्र के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक प्रकार से वरदान है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को अपने आसपास का सही उत्पादन का सही दाम मिलता है। वे कृषि की नई-नई तकनीकी से परिचित होते हैं तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उत्पन्न सीधा उन तक सुविधा पहुंचता है। यह ग्रामीण परिवेश में एक क्रांति की तरह है जिससे किसानों के उत्पादन में तथा उनके उत्पादक में वृद्धि देखने को मिली है। जिससे उनके रहन-सहन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। कृषि

क्षेत्र को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रम एवं उपक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वरदान है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादन का सही दाम किसी की नई-नई तकनीक के अनुप्रयोग तथा सरकार के विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। यह ग्रामीण परिवेश में किसी क्षेत्र में एक क्रांति की तरह है, जिससे किसानों के उत्पादन में एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

- **पूसा कृषि मोबाइल ऐप** — यह ऐप माननीय प्रधानमंत्री जी के लैब टू लैंड (प्रयोगशाला से खेत तक) के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसानों को कृषि की नई-नई तकनीक की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इससे कृषि से जुड़ी हुई हर समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। सरकार की कृषि संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इस ऐप से प्राप्त होती है।
- **एम किसान पोर्टल** — एम किसान पोर्टल के माध्यम से देश भर के लाखों किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा परामर्श प्रदान किया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा 100 कृषि केंद्रों पर स्वचालित मौसम केंद्र जोड़े गए हैं।
- **ई पशुधन हाट पोर्टल**— ई पशुधन हॉट पोर्टल की स्थापना 26 नवंबर 2016 को प्रथम बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उत्पादकता मिशन के अंतर्गत ई पशुधन हाट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पालतू मवेशियों, गोजातीय जानवरों के व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- **वाई-फाई चौपाल** — यह एक सरकारी पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई हॉटस्पॉट की भूमिका सुविधा प्रदान करती है। इसके माध्यम से लोग कम लागत वाले डाटा प्लान की सहायता लेकर इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यह ग्रामीण परिवेश को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- **ई नैम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि मंडी)**— इस पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। यह एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। जहाँ किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन अच्छे दाम में बेच सकते हैं। यह पोर्टल किसान व्यापारी खरीददार को एक मंच पर ले जाता है। यह एक पूर्णतः डिजिटल पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से किस भी प्रकार की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया जाता है।
- **डिजिटल साक्षरता अभियान** — इस मिशन का पूरा नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कंप्यूटर पर डिजिटल एक्सेस डिवाइस जैसे — टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि चलाने, ईमेल भेजने और ईमेल प्राप्त करने इंटरनेट ब्राउजर चलाने, सरकारी सेवाओं तक पहुंचने, जानकारी की खोज करने और डिजिटल भुगतान आदि करने के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना

20.5 महिला सशक्तिकरण में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?

महिला सशक्तिकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका —

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी महिलाओं की विकास एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इससे महिलाओं में उत्साह, आत्मविश्वास एवं जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण महिलाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित करने में सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता फैलाने में सहायता मिलती है। लैंगिक असमानता एवं ग्रामीण महिलाओं के मध्य पिछड़ापन दूर करने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार द्वारा महिलाओं को लक्ष्य करके चलाई जा रही योजना एवं कार्यक्रमों का महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

20.6 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं?

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव में ध्यान रखने योग्य बातें सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव तथा इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रौद्योगिकी का चयन किस प्रकार किया गया है। इसलिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जुड़ाव में निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है—

- प्रौद्योगिकी का चयन उसे क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं परिवेश के आधार पर होना चाहिए। जिससे ग्रामीण समुदाय सुगमता से प्रौद्योगिकियों का ज्ञान अर्जित कर उन्हें आत्मसात् कर सके।
- प्रौद्योगिकी का चयन इस प्रकार हो कि ग्रामीण समुदायों को अपनी परंपरागत दक्षताओं एवं क्षमताओं को उन्नत करने में सहायता मिल सके।
- प्रौद्योगिकी चयन इस प्रकार हो की ग्रामीण समुदायों को कठिन परिश्रम एवं थकान से मुक्ति मिल सके।
- स्थानीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।

20.7 निष्कर्ष

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है किंतु अभी भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बहुसंख्यक लोगों के मध्य अपनी पहुंच बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है। फिर भी ग्रामीण विकास में जो त्वरित परिवर्तन प्रारंभ हुए हैं उसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सरकार की योजना एवं कार्यक्रमों का सीधा लाभ यदि लोगों को मिल रहा है तो इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ही है य जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान तीव्रगामी हुआ है और ग्रामीण परिवेश अत्यधिक सजग एवं सशक्त हुआ है तथा ग्रामीण परिवेश में भी नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण आदि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

20.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- <https://www.egyankash.ac.in>
- <https://www.jetir.org>
- <https://www.jslps.org>
- <https://www.wifichaupal.in>
- <https://www.indianenprars.com>
- <https://www.indiaflings.com>
- <https://www.edrishti.in>
- चंचल रानी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सीटी) ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के सन्दर्भ में
- <https://www.shodhshert.in>

इकाई-21 ग्रामीण विकास एवं संस्थागत ऋण प्रणाली (NBFC, RRB, MFI)

ईकाई की रूपरेखा

- 21.0 उद्देश्य
- 21.1 प्रस्तावना
- 21.2 संस्थागत ऋण प्रणाली
- 21.3 संस्थागत ऋण प्रणाली के मुख्य पहलू
- 21.4 ग्रामीण ऋण संस्थान विकास
- 21.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)
- 21.6 सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI)
- 21.7 माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के प्रकार
- 21.8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)
- 21.9 संस्थागत ऋण में सुधार के उपाय
- 21.10 सारांश
- 21.11 बोध प्रश्न
- 21.12 उपयोगी पुस्तके

21.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में संस्थागत ऋण प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में संस्थागत ऋण प्रणाली के मुख्य पहलू से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण ऋण संस्थान विकास की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में संस्थागत ऋण में सुधार के उपाय से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

21.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति और सामाजिक समानता के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है, जिसका ध्यान ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण में सुधार पर है। सतत ग्रामीण विकास को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ऋण प्रणाली महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए वित्तपोषण तंत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। MFI वंचित ग्रामीण आबादी को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में प्रमुख खिलाड़ी हैं। वे उद्यमशीलता गतिविधियों, बचत खातों, बीमा उत्पादों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए छोटे ऋण (माइक्रोक्रेडिट) प्रदान करते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर, MFI ग्रामीण व्यक्तियों को अपनी आजीविका में सुधार करने और स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए RRB की

स्थापना की गई थी। वे कृषि और गैर-कृषि वित्त प्रदान करते हैं, सरकारी ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करते हैं और बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करते हैं। RRB वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण ग्राहकों के बीच की खाई को पाटते हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों को वित्तीय सेवाएँ सुलभ हो जाती हैं। एमएसएमई ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, रोजगार पैदा करते हैं और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देते हैं। एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता में ऋण सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी, तकनीकी सहायता और बाजार संपर्क शामिल हैं। एमएसएमई का समर्थन करके, वित्तीय संस्थान विविध आय-सृजन अवसरों के साथ एक गतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करते हैं। संस्थागत ऋण प्रणाली, जिसमें एमएफआई, आरआरबी और एमएसएमई वित्तपोषण शामिल हैं, ग्रामीण विकास के लिए मौलिक है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण आबादी को आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और जीवन स्तर में सुधार हो। इन संस्थानों को शामिल करने वाला एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण टिकाऊ और समावेशी ग्रामीण विकास की ओर ले जा सकता है, शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाट सकता है और समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दे सकता है।

भारतीय सामाजिक-आर्थिक संरचना मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जिसमें दो-तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इन क्षेत्रों में ऋण प्रणाली में सुधार करने के लिए, मौजूदा संरचनाओं को पुनर्जीवित करना और आधुनिक ऋण प्रणाली शुरू करना महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने, उत्पादकता सुनिश्चित करने और आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण आवश्यक है, जो बदले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की समग्र आर्थिक प्रगति को गति देता है। ग्रामीण ऋण संस्थानों की प्रभावशीलता आर्थिक विकास के आधार पर निर्धारित की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्र एक व्यवसाय क्षेत्र के रूप में बहुत उत्साहजनक नहीं है। आधुनिक युग में, ग्रामीण क्षेत्र को अल्पकालिक इनपुट, जैसे कि उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के साथ-साथ सिंचाई और भूमि विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालिक निवेश के लिए उच्च मात्रा में ऋण की आवश्यकता होती है। ग्रामीण विकास, कृषि आधारित उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने और कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों के उधार को कम करने के लिए ऋण आवश्यक है।

21.2 संस्थागत ऋण प्रणाली

संस्थागत ऋण प्रणाली वित्तीय संस्थाओं का एक संरचना है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक धन के प्रवाह को सुगम बनाना, आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करना और विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रणाली में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), सहकारी बैंक, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) और विकास वित्त संस्थान (DFI) सहित विभिन्न वित्तीय संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को वित्तीय अधिकारियों द्वारा स्थिरता, पारदर्शिता और कानूनी और वित्तीय मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जाता है। यह प्रणाली आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) का समर्थन करती है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और बुनियादी ढाँचे और सामाजिक परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देती है। चुनौतियों में कम सेवा वाले क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, ऋण जोखिम का प्रबंधन करना और आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखना शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद, वित्तीय संसाधनों के प्रभावी और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करके देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह प्रणाली महत्वपूर्ण है। संस्थागत ऋण प्रणाली वित्तीय संस्थाओं के संगठित प्रारूप को संदर्भित करती है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान करती है, जिसमें व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं। इस प्रणाली में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), सहकारी समितियाँ और अन्य वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं जो सामूहिक रूप से ऋण के प्रवाह को सुगम बनाती हैं।

21.3 संस्थागत ऋण प्रणाली के मुख्य पहलू

- **संगठित नेटवर्क:** इसमें औपचारिक वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं जो सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित विनियामक ढाँचों के अंतर्गत काम करती हैं। इन संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी

बैंक और माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ शामिल हैं।

- **ऋण प्रावधान:** इस प्रणाली का प्राथमिक कार्य ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ जैसे बचत खाते, निवेश उत्पाद और बीमा प्रदान करना है। यह कृषि, उद्योग, सेवाओं और व्यक्तिगत वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है।
- **विनियमन और पर्यवेक्षण:** इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को स्थिरता, पारदर्शिता और वित्तीय मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा विनियमित किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों और NBFC को विनियमित करता है।
- **वित्तीय समावेशन:** इस प्रणाली का उद्देश्य छोटे व्यवसायों, ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले व्यक्तियों सहित समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।
- **आर्थिक विकास:** ऋण तक पहुँच प्रदान करके, संस्थागत ऋण प्रणाली आर्थिक विकास, उद्यमशीलता और बुनियादी ढाँचे के विकास का समर्थन करती है, जो समग्र आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान देती है।

संस्थागत ऋण प्रणाली यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वित्तीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित किया जाए, आर्थिक गतिविधियों का समर्थन किया जाए और व्यक्तियों और समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।

संस्थागत ऋण प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अलग-अलग भूमिकाएँ और कार्य करता है। यहाँ मुख्य प्रकारों का अवलोकन दिया गया है:

- वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सहकारी बैंक
- माइक्रोफाइनेंस संस्थान
- विकास वित्त संस्थान
- बचत और ऋण संघ
- निवेश बैंक
- बीमा कम्पनियाँ
- गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ
- पेंशन फंड

प्रत्येक प्रकार की संस्था वित्तीय प्रणाली में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है, तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण और वित्तीय सेवाओं के प्रभावी वितरण में योगदान देती है।

21.4 ग्रामीण ऋण संस्थान विकास

ग्रामीण ऋण संस्थान (Rural Financial Institutions) का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और समावेशन को प्रोत्साहित करता है। इन संस्थानों का उद्देश्य गरीब और किसानों की वित्तीय

जरूरतों को पूरा करना और उन्हें आर्थिक समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करना है। कृषि क्षेत्र को प्राचीन काल से ही ऋण की आवश्यकता रही है, जिसे अक्सर स्थानीय जमींदारों या धनी व्यापारियों द्वारा पूरा किया जाता है। ग्रामीण ऋण का इतिहास 1883 से शुरू होता है, जब ब्रिटिश भारत के तहत 'कर ऋण', 1883 का भूमि सुधार ऋण अधिनियम और 1884 का कृषक ऋण अधिनियम शुरू किया गया था। हालांकि यह एक नियमित कृषि ऋण योजना नहीं थी, लेकिन अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान शतकवीश को कम ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता था। समय पर ऋण वितरित करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, मद्रास प्रांतीय सरकार ने सहकारी संस्थाओं की शुरुआत की। 1904 की सहकारी ऋण समिति कृषि ऋण को संस्थागत बनाने के लिए सरकार द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसके कारण देश में सहकारी समितियों का संगठित गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में सामाजिक नियंत्रण नीतियों और वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई, जिसके कारण कृषि ऋण की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने ग्रामीण ऋण के लिए बहु-एजेंसी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। 1990 के दशक में, स्वयं सहायता समूह और माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ ग्रामीण ऋण के लोकप्रिय स्रोत बन गए। इसका मुख्य लक्ष्य एक ऐसी ऋण प्रणाली बनाना था जो ग्रामीण कृषि विकास का समर्थन करे और ग्रामीण ऋण प्रणाली में पारंपरिक प्रथाओं की जगह ले।

21.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था होती हैं जो बैंकों की तरह जमा स्वीकार करने की बजाय वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि ये बैंकों के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सेवाएँ और उत्पाद प्रदान करती हैं, जिससे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलता है।

NBFCs का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और उन क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करना है जहाँ पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की पहुँच सीमित होती है। ये कंपनियाँ व्यक्तियों, छोटे और मध्यम व्यवसायों, और विशेष क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण, निवेश, बीमा, और धन प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करती हैं।

इनकी कार्यप्रणाली और सेवाएँ वित्तीय विकास को प्रोत्साहित करने, आर्थिक विविधता को बढ़ाने, और समग्र आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। NBFCs के माध्यम से, ग्राहकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, और यह संस्थाएँ बैंकों के साथ मिलकर एक समन्वित वित्तीय प्रणाली का निर्माण करती हैं।

NBFCs के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं:

- **लोन और क्रेडिट:** NBFCs ऋण प्रदान करती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत ऋण, व्यवसायिक ऋण, वाहन ऋण, आदि।
- **निवेश:** ये कंपनियाँ विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करती हैं, जैसे कि शेयर, बांड, और म्यूचुअल फंड्स।
- **धन प्रबंधन:** एनबीएफसी निवेशकों को धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती हैं।
- **बीमा सेवाएँ:** कुछ NBFCs बीमा उत्पाद भी पेश करती हैं।
- **वित्तीय सलाह:** ये कंपनियाँ वित्तीय सलाह और योजना सेवाएँ भी प्रदान कर सकती हैं।

NBFCs का भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान होता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ बैंकों की पहुँच सीमित होती है। ये कंपनियाँ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं और छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हिस्सा हैं। ये कंपनियाँ बैंकों के अलावा वित्तीय सेवाओं की विविधता प्रदान करती हैं और उन क्षेत्रों में काम करती हैं जहाँ पारंपरिक बैंकिंग की पहुँच सीमित हो सकती है। NBFCs न केवल ऋण, निवेश, और बीमा सेवाएँ प्रदान करती हैं, बल्कि वे आर्थिक समावेशन और विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं।

21.6 सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI)

1970 के दशक में माइक्रोफाइनेंस की शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनूस ने गरीब लोगों के लिए पारंपरिक बैंक ऋण के विकल्प के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन और समानता को बढ़ावा देना था। इस अवधारणा को सबसे पहले बांग्लादेश में 'ग्रामीण बैंक' के माध्यम से पेश किया गया था और बाद में भारत में नाबार्ड द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। शहरी क्षेत्रों में दो मुख्य सहकारी वित्तीय संस्थाएँ शहरी सहकारी बैंक (UCB) और शहरी ऋण सहकारी समितियाँ (UCCS) हैं। भारत में, 1400 से अधिक यूसीबी हैं, जिनकी 3400 से अधिक शाखाएँ और 14 मिलियन सदस्य हैं, जिनका कुल ऋण बकाया 80 बिलियन रुपये से अधिक और 1990-91 में 101 बिलियन रुपये जमा था। भारत में वित्तीय समावेशन प्रयासों और गरीबी उन्मूलन में माइक्रोफाइनेंस एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 1990 के दशक की शुरुआत में इसे प्रमुखता मिली जब भारतीय रिजर्व बैंक ने SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिससे बैंकों को बचत के आधार पर खाते खोलने और ऋण देने की अनुमति मिली। 2000 के परिपत्र ने सभी संगठनों को माइक्रो-क्रेडिट की पेशकश करने की अनुमति दी, जिससे माइक्रोक्रेडिट के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) की शुरुआत हुई। आउटरीच और स्थिरता के मामले में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का विकास हुआ है, नीति निर्माताओं और नियामकों ने इसे आबादी के वंचित और वंचित वर्गों तक वित्तीय समावेशन का विस्तार करने में एक आवश्यक तत्व के रूप में तेजी से मान्यता दी है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने MFI के लिए एक अनुकूल नीति ढांचा बनाया है, जिसमें सा-धन जैसे SRO विनियमन, ग्राहक सुरक्षा, जिम्मेदार ऋण और उद्योग आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। देश में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) की वृद्धि उल्लेखनीय रही है, जिनमें से कई आरबीआई-विनियमित एनबीएफसी-एमएफआई और 'नॉट फॉर प्रॉफिट' खंड में अन्य संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। हालांकि, एमएफआई संरचनाओं की नकल करने वाले अवैध और रातों-रात बनने वाले संगठनों में वृद्धि हुई है, जिससे कानूनी रूप से संचालित संस्थानों के लिए नकारात्मक माहौल पैदा हो रहा है। इसे संबोधित करने के लिए, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में कानूनी रूप से संचालित संस्थानों की एक उचित सूची की आवश्यकता है, जिससे नीति निर्माताओं, नियामकों और वित्तपोषकों को उनके रिकॉर्ड और उचित हस्तक्षेप के लिए एक व्यापक डेटाबेस मिल सके।

21.7 माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के प्रकार

भारत में ग्रामीण ऋण प्रणाली में ग्रामीण विकास को समर्थन देने के लिए कई रणनीतियाँ हैं। चार से दस व्यक्तियों से मिलकर बने संयुक्त देयता समूह, मुख्य रूप से कृषि या संबंधित व्यवसायों के लिए आपसी आश्वासन के आधार पर ऋण लेते हैं। हालाँकि, ऋण देने में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के कारण प्रणाली आंशिक रूप से ध्वस्त हो गई है। समान सामाजिक-आर्थिक समूहों से मिलकर बने स्वयं सहायता समूह आपसी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक साझा कोष बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। ग्रामीण बैंक मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन ग्रामीण ऋण और वसूली प्रणालियों के मुद्दों के कारण इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। भारत की जनसंख्या घनत्व और स्थिरता के लिए उनकी उपयुक्तता के कारण स्वयं सहायता समूह अधिक सफल रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता युग के दौरान स्थापित ग्रामीण सहकारी समितियों ने गरीब लोगों की संपत्ति एकत्र की और उनका उपयोग बैंकिंग सेवाओं के लिए किया, लेकिन उनके संचालन की प्रक्रिया जटिल थी और इससे ग्रामीण भारत में केवल ऋण योग्य उधारकर्ताओं को ही लाभ हुआ।

सूक्ष्म वित्त संस्थान (Micro Finance Institutions & MFIs) वे संगठन हैं जो गरीब और कम आय वाले लोगों को छोटे-छोटे ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जिन तक पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की पहुँच नहीं होती। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य गरीबों और सीमांत समुदायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों के प्रमुख कार्य और विशेषताएँ:

- **सूक्ष्म ऋण (Micro Loans):** MFIs छोटे ऋण प्रदान करते हैं, जिनकी आमतौर पर मामूली राशि होती है, जिससे लाभार्थी अपना व्यवसाय शुरू कर सके या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सके।
- **सुविधाजनक पुनर्भुगतान योजनाएँ:** MFIs अपने ऋण की पुनर्भुगतान योजनाओं को लाभार्थियों की

आय और पुनर्भुगतान की क्षमता के अनुसार तैयार करते हैं।

- **साक्षरता और प्रशिक्षण:** ये संस्थान वित्तीय साक्षरता और प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं ताकि लाभार्थी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और प्रबंधित कर सकें।
- **बचत खातें:** MFIs बचत खातों की सुविधा भी प्रदान करती हैं, जो गरीबों को अपनी बचत को सुरक्षित रखने का अवसर देती हैं।
- **समूह आधारित ऋण:** कई MFIs समूह आधारित ऋण प्रणाली का उपयोग करती हैं, जिसमें एक समूह के सदस्य एक-दूसरे के ऋण की गारंटी प्रदान करते हैं।
- **बीमा और सुरक्षा योजनाएँ:** कुछ MFIs बीमा योजनाएँ भी प्रदान करती हैं, जो दुर्घटनाओं, स्वास्थ्य समस्याओं या अन्य आपात स्थितियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- **सामाजिक और आर्थिक विकास:** MFIs का उद्देश्य सिर्फ वित्तीय सेवाएं प्रदान करना ही नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना भी है।

21.8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

1975 में, भारत सरकार ने ग्रामीण समुदायों को संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए श्री एम. नरसिम्हन के नेतृत्व में एक कार्य समूह नियुक्त किया। समूह ने वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के कामकाज में कमियों की पहचान की और दोनों को मिलाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के निर्माण का प्रस्ताव रखा। आरआरबी का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण ऋणग्रस्तता को खत्म करना और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच ऋण अंतराल को पाटना था। आरआरबी आमतौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित होते हैं, लेकिन कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी उनका समर्थन किया है। आरआरबी का परिचालन क्षेत्र एक से तीन राजस्व जिलों तक सीमित है, और उनकी शाखाएँ अपने क्षेत्र में पाँच से दस पीएसीएस/एफएसएस को वित्तपोषित करने में सक्षम होनी चाहिए। आरआरबी का उद्देश्य कृषि और गैर-कृषि उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- **कृषि ऋण प्रदान करना:** छोटे और सीमांत किसानों को कृषि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैसे बीज, उर्वरक, और अन्य कृषि उपकरणों के लिए कर्ज देना।
- **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण उद्यमों और व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास हो सके।
- **सहेजना और निवेश:** ग्रामीण लोगों को बचत खातों और अन्य निवेश योजनाओं के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपनी बचत को सुरक्षित रूप से जमा कर सकें।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** सरकारी योजनाओं जैसे जनधन योजना, पेंशन योजनाएं, और बीमा योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना।
- **स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता:** ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वे अपने आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकें।
- **ऋण पुनर्वसन:** गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए ऋण पुनर्वसन योजनाएं लागू करना, ताकि वे अपने ऋण को चुकाने में सक्षम हो सकें।
- **स्थानीय परियोजनाओं का समर्थन:** स्थानीय विकास परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन देना, जैसे जल संरक्षण, सड़क निर्माण, और अन्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं।

ये बैंकों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

21.9 संस्थागत ऋण में सुधार के उपाय

संस्थागत ऋण (Institutional Credit) से तात्पर्य उन ऋणों से है जो बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इन ऋणों का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, जैसे कृषि, छोटे व्यवसाय, और व्यक्तिगत जरूरतों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है।

संस्थागत ऋण की प्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

1. ऋण वितरण में पारदर्शिता:

- **सिस्टम और प्रक्रिया:** ऋण आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
- **फीस और शर्तें:** ऋण की शर्तों और फीस को स्पष्ट रूप से बताना ताकि उधारकर्ताओं को पूरी जानकारी हो।

2. सहायता और सलाहकार सेवाएँ:

- **वित्तीय शिक्षा:** उधारकर्ताओं को वित्तीय प्रबंधन, ऋण पुनर्भुगतान, और निवेश की शिक्षा देना।
- **सलाहकार सेवाएँ:** छोटे व्यवसायों और किसानों के लिए सलाहकार सेवाएँ उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकें।

3. ऋण की पहुँच बढ़ाना:

- **ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की शाखाओं का विस्तार करना।
- **माइक्रोफाइनेंस:** छोटे ऋण के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों का उपयोग करना ताकि गरीब और सीमांत वर्ग के लोगों को भी ऋण मिल सके।

4. ऋण की शर्तें और ब्याज दरें:

- **कम ब्याज दरें:** ऋण की ब्याज दरों को उचित और कम करना ताकि उधारकर्ताओं को बोझ न उठाना पड़े।
- **ऋण पुनर्भुगतान:** लचीली और सुविधाजनक पुनर्भुगतान योजनाएँ प्रदान करना, ताकि उधारकर्ता आसानी से अपने ऋण चुका सकें।

5. क्रेडिट स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन:

- **सम्पूर्ण मूल्यांकन:** उधारकर्ताओं की क्रेडिट क्षमता और जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रभावी स्कोरिंग सिस्टम लागू करना।
- **डेटा विश्लेषण:** उधारकर्ताओं के वित्तीय डेटा का विश्लेषण करके उनके वित्तीय स्वास्थ्य की सटीक तस्वीर प्राप्त करना।

6. नियामक ढांचा और नीति:

- **नीति में सुधार:** ऋण प्रबंधन और वितरण के लिए नीतियों में सुधार करना और उचित नियामक ढांचा स्थापित करना।
- **साक्षरता और प्रशिक्षण:** बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को उधारकर्ताओं की बेहतर सेवा के लिए प्रशिक्षित करना।

7. प्रौद्योगिकी का उपयोग:

- **डिजिटल प्लेटफॉर्म:** डिजिटल ऋण वितरण प्लेटफॉर्म और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ाना।
- **ब्लॉकचेन और एआई:** ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके ऋण प्रक्रियाओं की सुरक्षा और दक्षता में सुधार करना।

इन उपायों के माध्यम से संस्थागत ऋण की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और गरीब और सीमांत वर्ग के लोगों को बेहतर वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

21.10 सारांश

ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास और सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक संभावनाओं में सुधार करना है। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFI), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए वित्तपोषण तंत्र सहित संस्थागत ऋण प्रणाली इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। MFI वंचित ग्रामीण आबादी को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, माइक्रोक्रेडिट, बचत, बीमा और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाते हैं। RRB वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण ग्राहकों के बीच की खाई को पाटते हैं, आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ, कृषि और गैर-कृषि वित्त प्रदान करते हैं और सरकारी ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करते हैं। एमएसएमई वित्तपोषण ऋण, तकनीकी सहायता, बाजार संपर्क और सरकारी प्रोत्साहन के साथ छोटे उद्यमों का समर्थन करता है। व्यापक ग्रामीण विकास, परिवर्तनकारी बदलावों और अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत और समन्वित संस्थागत ऋण प्रणाली आवश्यक है।

21.11 बोध प्रश्न

- संस्थागत ऋण प्रणाली से आप क्या समझते हैं ?
- संस्थागत ऋण प्रणाली के मुख्य पहलू के अध्ययन की व्याख्या कीजिए।
- ग्रामीण ऋण संस्थान विकास की विवेचना कीजिए।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) से आप क्या समझते हैं ?
- सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI) से आप क्या समझते हैं ?
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) से आप क्या समझते हैं ?
- माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के प्रकार की विवेचना कीजिए।
- संस्थागत ऋण में सुधार के उपाय की विवेचना कीजिए।

21.12 उपयोगी पुस्तकें

- Reserve Bank of India. (2020). Report of the Expert Committee on Micro, Small and Medium Enterprises. Retrieved from RBI Website
- NABARD. (2019). Annual Report 2018-19. National Bank for Agriculture and Rural Development. Retrieved from NABARD Website
- Ministry of Rural Development, Government of India. (2020). Annual Report 2019-20. Retrieved from Ministry of Rural Development Website
- Microfinance Institutions Network (MFIN). (2021). Micrometer Report Q1 FY 2021-22. Retrieved from MFIN Website

- Planning Commission, Government of India. (2014). Report of the Committee on Financial Inclusion. Retrieved from Planning Commission Archive
- World Bank. (2018). Financial Inclusion and Rural Development: Insights from India. World Bank Publications. Retrieved from World Bank Website
- Basu, P., & Srivastava, P. (2005). Scaling-up Access to Finance for India's Rural Poor. World Bank Publications.
- Sharma, A. (2015). Role of Regional Rural Banks in the Economic Development of India. *International Journal of Social Sciences and Management*, 2(3), 234-239.
- Chavan, P. (2008). Microfinance and Financial Inclusion of Women: Evidence from India. *Economic and Political Weekly*, 43(13), 60-66.
- Singh, S. P., & Singh, S. (2016). Impact of Institutional Credit on Agricultural Growth in India. *Agricultural Economics Research Review*, 29(2), 293-300.

इकाई-22 ग्रामीण विकास संस्थागत प्रणाली

इकाई की रूपरेखा

- 22.0 उद्देश्य
- 22.1 प्रस्तावना
- 22.2 भारत में ग्रामीण विकास रणनीतियाँ
- 22.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- 22.4 प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण (PMAY-G)
- 22.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
- 22.6 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- 22.7 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण
- 22.8 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)
- 22.9 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- 22.10 डिजिटल इंडिया
- 22.11 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
- 22.12 ग्रामीण हाट और बाजार का विकास
- 22.13 भारत में ग्रामीण विकास के लिए नवीन विचार एवं सुझाव
- 22.14 भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता
- 22.15 सारांश
- 22.16 बोध प्रश्न
- 22.17 उपयोगी पुस्तकें

22.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण विकास रणनीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण विकास के लिए नवीन विचार एवं सुझाव से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण (PMAY-G) से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) से भी अवगत होंगे।

- प्रस्तुत इकाई में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में डिजिटल इंडिया से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में प्रौद्योगिकी कृषि के प्रमुख पहलुओं से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई वर्तमान में भारत में कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग में के बारे में जानेंगे।

22.1 प्रस्तावना

ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है। भारत में, जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता है, एक प्रभावी ग्रामीण विकास संस्थागत प्रणाली के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इस प्रणाली में विभिन्न संगठनों, एजेंसियों और संरचनाओं का एक नेटवर्क शामिल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहलों को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं। ग्रामीण विकास संस्थागत प्रणाली को ग्रामीण समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें गरीबी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच और कम कृषि उत्पादकता शामिल है। इसमें सरकारी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी शामिल है। इनमें से प्रत्येक संस्था ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, निष्पादन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ग्रामीण विकास संस्थागत प्रणाली गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढाँचे के विकास, कृषि विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), वित्तीय संस्थान, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, निजी क्षेत्र की कंपनियाँ और समुदाय-आधारित संगठन सहित विभिन्न हितधारक शामिल हैं। सरकारी एजेंसियाँ नीतियाँ बनाती हैं, धन आवंटित करती हैं और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं। गैर सरकारी संगठन इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान देते हैं, अक्सर सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी में काम करते हैं। एसएचजी आर्थिक गतिविधियाँ, ऋण तक पहुँच और क्षमता निर्माण प्रदान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाते हैं। वित्तीय संस्थान, जैसे बैंक और माइक्रोफाइनेंस संस्थान, इन पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नवीन कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार करते हैं, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियाँ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से योगदान देती हैं। समुदाय-आधारित संगठन, जैसे ग्राम विकास समितियाँ और किसान संघ, विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में स्थानीय समुदायों को शामिल करते हैं। प्रणाली के प्राथमिक उद्देश्यों में गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढाँचे का विकास, कृषि विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं। हालाँकि, इस प्रणाली को सीमित वित्तीय और मानव संसाधन, समन्वय संबंधी मुद्दों, सामाजिक-राजनीतिक कारकों और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में ग्रामीण विकास की सफलता इसकी संस्थागत प्रणाली की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। विविध हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और अभिनव दृष्टिकोणों को एकीकृत करके, ग्रामीण विकास संस्थागत प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकती है और लाखों ग्रामीण निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।

22.2 भारत में ग्रामीण विकास रणनीतियाँ

भारत में ग्रामीण विकास के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

22.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना और गरीबी को कम करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है।

MGNREGA के प्रमुख उद्देश्य:

- ग्रामीण रोजगार सृजन: ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम करना।
- सतत विकास: पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन जैसे कार्यों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना।
- गरीबी उन्मूलन: गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
- महिलाओं का सशक्तिकरण: महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना।

MGNREGA के प्रमुख लाभ:

- रोजगार का अधिकार: यह योजना ग्रामीण परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करती है।
- मजदूरी भुगतान: मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाता है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
- समाज की भागीदारी: स्थानीय समुदायों की भागीदारी से योजना की प्रभावशीलता बढ़ती है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: इस योजना के अंतर्गत सड़कें, नहरें, तालाब आदि का निर्माण होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है।

MGNREGA ने ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है।

22.4 प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण (PMAY-G)

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी, और इसका मुख्य लक्ष्य 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के सपने को साकार करना है। यह योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) कर दिया गया।

PMAY-G के प्रमुख उद्देश्य:

- आवास की सुविधा: ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
- मूलभूत सुविधाएँ: पानी, बिजली, शौचालय, और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं से युक्त घर प्रदान करना।
- सामाजिक और आर्थिक उत्थान: गरीब और वंचित वर्गों को घर प्रदान करके उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

- सतत विकास: टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल आवासीय सुविधाएँ प्रदान करना।

PMAY-G के प्रमुख लाभ:

- वित्तीय सहायता: पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में रुपये 1.30 लाख की सहायता व मैदानी क्षेत्रों में रुपये 1.20 लाख की सहायता।
- मजदूरी सहायता: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत 90-95 दिनों की मजदूरी सहायता।
- स्वच्छता सुविधा: स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता।
- बैंक ऋण: घर निर्माण के लिए कम ब्याज दर पर बैंक ऋण की सुविधा।

PMAY-G ने ग्रामीण भारत में आवास की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिला है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

22.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों को सर्व मौसम सड़कों से जोड़ना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं और आर्थिक अवसर मिल सकें।

PMGSY के प्रमुख उद्देश्य:

- ग्रामीण संपर्कता: सभी आवासीय क्षेत्रों को मुख्य सड़कों और शहरों से जोड़ना।
- सामाजिक-आर्थिक विकास: बेहतर सड़कों शिक्षा, स्वास्थ्य, और बाजारों तक पहुंच में सुधार लाकर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
- सतत विकास: टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण को बढ़ावा देना।
- गरीबी उन्मूलन: परिवहन सुविधाओं में सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना।

PMGSY के प्रमुख लाभ:

- सर्व मौसम सड़कों का निर्माण: हर मौसम में उपयोगी सड़कों का निर्माण, जिससे यातायात सुविधाएं बाधित न हों।
- आर्थिक विकास: बेहतर सड़कों से कृषि उत्पादों की बाजारों तक पहुंच बढ़ती है, जिससे किसानों की आमदनी में सुधार होता है।
- शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं: स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच आसान हो जाती है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है।
- सामाजिक एकीकरण: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ने से सामाजिक एकीकरण में मदद मिलती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने ग्रामीण भारत की परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और उन्हें बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त हुए हैं।

22.6 दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक और आर्थिक विकास योजना है, जिसे 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना गरीबों के लिए आय सृजन के अवसर प्रदान करती है और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं का लाभ प्रदान करती है।

DAY-NRLM के प्रमुख उद्देश्य:

- आजीविका सृजन: ग्रामीण गरीब परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना।
- स्वावलंबन: ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को स्वावलंबी बनाना और उन्हें अपने व्यवसाय के प्रबंधन में सक्षम बनाना।
- सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण: गरीब और वंचित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना।
- संगठनात्मक ढांचा: स्व-सहायता समूह (SHG) और अन्य ग्रामीण संगठन बनाना और उन्हें प्रोत्साहित करना।

DAY-NRLM के प्रमुख लाभ:

- आर्थिक सशक्तिकरण: गरीब और वंचित परिवारों को आर्थिक संसाधनों और अवसरों के साथ सशक्त बनाना।
- समूह आधारित विकास: स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना।
- कौशल और प्रशिक्षण: ग्रामीण लोगों को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करके उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना।
- सामाजिक बदलाव: महिलाओं और गरीबों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके माध्यम से लाखों लोगों को स्वावलंबी बनने का अवसर मिला है और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

22.7 स्वच्छ भारत मिशनदृग्रामीण

स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण (SBM-G) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्वच्छता और sanitation में सुधार करना है। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य 2022 तक हर ग्रामीण घर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना है। यह योजना भारत की व्यापक स्वच्छता और स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा है, जिसमें दो प्रमुख घटक हैं: एक शहरी क्षेत्र के लिए और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।

SBM-G के प्रमुख उद्देश्य:

- शौचालय निर्माण: ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना और प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना।
- स्वच्छता और Hygiene: स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता

में सुधार करना।

- सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण: सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करना।
- शिक्षा और जागरूकता: स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वच्छता की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

SBM-G के प्रमुख लाभ:

- स्वच्छता में सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार होता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएँ कम होती हैं।
- खुले में शौच की समाप्ति: खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- स्वास्थ्य में सुधार: शौचालयों की उपलब्धता से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आती है।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा: शौचालयों की सुविधा से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार होता है, विशेषकर रात के समय।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) ने ग्रामीण भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार लाने में योगदान दिया है। इसके माध्यम से लाखों लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ मिली हैं और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने में मदद मिली है।

22.8 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा प्रदान करना और स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाना है।

NRDWP के प्रमुख उद्देश्य:

- स्वच्छ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जल पुनर्चक्रण: पानी की मांग और आपूर्ति में सुधार के लिए जल पुनर्चक्रण और संग्रहण प्रणालियों का निर्माण।
- पानी के बुनियादी ढांचे में सुधार: पानी के बुनियादी ढांचे को सुधारना और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करना।
- जल प्रबंधन और स्वच्छता: जल प्रबंधन, जल शोधन, और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना।

NRDWP के प्रमुख लाभ:

- स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पानी की पहुंच बढ़ाना।
- स्वास्थ्य में सुधार: स्वच्छ पानी की उपलब्धता से जल जनित रोगों में कमी आती है।
- जल प्रबंधन: जल संचयन और पुनर्चक्रण के माध्यम से पानी की प्रभावी प्रबंधन।
- समाज की भागीदारी: समुदायों को जल प्रबंधन और स्वच्छता गतिविधियों में शामिल करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) ने ग्रामीण भारत में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार लाने

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित की गई है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार और जीवन गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

22.9 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास और सुधार करना है ताकि फसलों की उत्पादकता बढ़ सके और पानी की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करती है, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार और पानी की उपयोगिता में वृद्धि हो सके।

PMKSY के प्रमुख उद्देश्य:

- सिंचाई का विस्तार: कृषि क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता को बढ़ाना और भूमि के सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना।
- जल उपयोग में सुधार: जल संसाधनों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना और जल की बर्बादी को कम करना।
- विवेकपूर्ण जल प्रबंधन: जल के विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना।
- खेती की उत्पादकता में सुधार: सिंचाई के माध्यम से फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना।

PMKSY के प्रमुख लाभ:

- सिंचाई की उपलब्धता: किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, जिससे फसलों की वृद्धि और उत्पादन में सुधार होता है।
- पानी की दक्षता: सिंचाई के आधुनिक तरीकों से पानी का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जाता है।
- फसल की उत्पादकता: सिंचाई में सुधार से फसलों की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
- कृषि की स्थिरता: लगातार सिंचाई से कृषि उत्पादन में स्थिरता और विविधता बढ़ती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ने भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधार लाने में मदद की है। इसके तहत किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएँ और जल प्रबंधन के आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं, जिससे कृषि उत्पादन और फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

22.10 डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से सरकारी सेवाओं, सामाजिक समावेशन, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत के विकास को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए है।

डिजिटल इंडिया के प्रमुख उद्देश्य:

- सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटलीकरण: सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, जिससे नागरिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएँ मिल सकें।
- डिजिटल अवसंरचना का विकास: ब्रॉडबैंड, Wi-Fi, और अन्य डिजिटल अवसंरचनाओं का विकास और विस्तार।
- स्मार्ट सरकारी सेवाएँ: सरकारी सेवाओं को स्मार्ट और त्वरित बनाना, जैसे ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएँ।

- डिजिटल साक्षरता: लोगों को डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना और उन्हें डिजिटल साक्षर बनाना।
- डिजिटल उद्यमिता और नवाचार: डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए उद्यम और नवाचार को प्रोत्साहित करना।

डिजिटल इंडिया के प्रमुख लाभ:

- सरकारी सेवाओं की पहुंच: नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच और पारदर्शिता।
- समय और लागत की बचत: ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से समय और लागत की बचत।
- डिजिटल साक्षरता: लोगों को डिजिटल दुनिया में साक्षर और सशक्त बनाना।
- उद्यमिता और नवाचार: डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई व्यावसायिक और नवाचारी अवसरों का निर्माण।

डिजिटल इंडिया ने भारत में डिजिटल क्रांति को गति दी है और देश की सामाजिक, आर्थिक और सरकारी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से डिजिटल अवसंरचना में सुधार हुआ है और नागरिकों को सरकारी सेवाओं के अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके प्रदान किए गए हैं।

22.11 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों के लोगों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को 1995 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य विशेष रूप से वृद्ध, विकलांग और विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।

NSAP के प्रमुख उद्देश्य:

- आर्थिक सहायता प्रदान करना: वृद्ध, विकलांग और विधवाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सामाजिक सुरक्षा: गरीब और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देना।
- वंचित वर्गों की सहायता: विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्रदान करना।
- गरीबी उन्मूलन: गरीबी को कम करने और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करना।

NSAP के प्रमुख लाभ:

- आर्थिक सुरक्षा: वृद्ध, विकलांग और विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- सामाजिक समावेशन: समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन।
- गरीबी में कमी: आर्थिक सहायता से गरीबों की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और गरीबी कम होती है।
- समाज की सहायता: विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करके समाज की समृद्धि में योगदान करना।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ने भारत में समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता

और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से विशेष रूप से वृद्ध, विकलांग और विधवाओं को सहायता प्राप्त हुई है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

22.12 ग्रामीण हाट और बाजार का विकास

ग्रामीण हाट और बाजार का विकास भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण हाट और बाजार, छोटे व्यवसायों और उत्पादकों के लिए विपणन अवसर प्रदान करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। इनका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और गांवों की समृद्धि में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण हाट और बाजार के प्रमुख उद्देश्य:

- स्थानीय विपणन नेटवर्क: ग्रामीण उत्पादकों को उनके उत्पादों को सीधे स्थानीय बाजार में बेचने का अवसर प्रदान करना।
- आर्थिक सशक्तिकरण: छोटे और मध्यम उद्यमियों और किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करना।
- रोजगार सृजन: स्थानीय व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन।
- सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि: ग्रामीण बाजारों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

ग्रामीण हाट और बाजार के प्रमुख लाभ:

- स्थानीय उत्पादकों को लाभ: स्थानीय उत्पादकों और किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।
- आर्थिक विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास और समृद्धि।
- रोजगार के अवसर: छोटे व्यवसायों और दुकानदारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
- सामाजिक समृद्धि: बाजारों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।

ग्रामीण हाट और बाजार का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादकों की मदद करने और सामाजिक समृद्धि में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

भारत में ग्रामीण विकास की दिशा में ये रणनीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

22.13 भारत में ग्रामीण विकास के लिए नवीन विचार एवं सुझाव

भारत में ग्रामीण विकास देश की विकास रणनीति का आधार रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, गरीबी, बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, ऐसे अभिनव विचारों और समाधानों की सख्त जरूरत है जो ग्रामीण भारत को बदल सकें। ग्रामीण विकास के लिए अभिनव विचारों में कई तरह के दृष्टिकोण शामिल हैं जो आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी, संधारणीय प्रथाओं और सामुदायिक सहभागिता का लाभ उठाते हैं।

इन विचारों का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच प्रदान करना और रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा करना है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित अनुभाग कुछ ऐसे अभूतपूर्व विचारों का पता लगाते हैं जो भारत में ग्रामीण विकास में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। ये विचार न केवल ग्रामीण आबादी की तत्काल जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि दीर्घकालिक, संधारणीय प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास का लाभ देश के सबसे दूरदराज के कोनों तक भी पहुंचे।

इसमें कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों में श्रम गहन तकनीकों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह ग्रामीण उद्यमियों की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, क्योंकि वे अक्सर अशिक्षा के कारण इन योजनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। आईसीआईसीआई, सिडबी, आईडीबीआई, आईएफसीआई और एसएफसी जैसी वित्तीय संस्थाओं को उदार शर्तों के साथ ग्रामीण उद्यमियों को कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराना चाहिए। बुनियादी ढांचे, भंडारण सुविधाओं, विपणन सहायता और विदेशों में माल निर्यात करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पवन और सौर ऊर्जा जैसे गांव के संसाधनों का भी दोहन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक इकाइयों की स्थापना से इंजीनियरिंग उद्योगों में बेहतर उत्पादकता हो सकती है। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमियों को लघु और मध्यम उद्यम (एसएचजी) जैसी सूक्ष्म ऋण योजनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छोटे व्यापारियों की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की पहचान करने के लिए एक एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण किया जाना चाहिए और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। व्यवसाय को कैरियर के रूप में अपनाने में रुचि रखने वाले युवाओं की बड़ी संख्या को समर्थन देने के लिए गांवों में इनोवेटर्स क्लब की स्थापना की जानी चाहिए। उद्यमिता की चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों में विपणन प्रबंधन कौशल में सुधार किया जाना चाहिए। ग्रामीण उद्यमियों में नवोन्मेषी भावना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। असाधारण सफलता प्रदर्शित करने वाले उद्यमियों को पुरस्कार दिए जाने चाहिए। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में ग्रामीण उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए सभी गांवों के स्तर पर उद्यमिता विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार द्वारा अलग से वित्तीय निधि प्रदान की जानी चाहिए, जबकि सभी वित्तीय संस्थानों और बैंकों से पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण उद्यमियों के लिए उनके ज्ञान और व्यावसायिक कौशल में सुधार के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण उद्यमियों के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वित्तीय आधुनिकीकरण आवश्यक है। ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकारी योजनाओं और योजनाओं को मजबूती से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ग्रामीण उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज मुक्त उपभोग ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। कृषि विविधीकरण को अनाज, फल या सब्जियों की नई किस्म की खेती, कृषि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और गैर-कृषि उत्पाद व्यवसाय स्थापना को बढ़ावा देकर हासिल किया जा सकता है। ओपीएस (अवसर, समस्या की पहचान और समाधान) दृष्टिकोण उद्यमियों को अवसरों का पता लगाने, समस्याओं की पहचान करने और बाजार के अवसरों का उपयोग करने में मदद कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर चले गए कुशल और पेशेवर लोगों की वापसी और ग्रामीण उत्पादों के विपणन के लिए कुशल विनियमित बाजारों की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। ग्रामीण उद्योगों के लाभ के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और प्रचार गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सहकारी समितियों, सूक्ष्म और अन्य विनिर्माण व्यवसायों के लचीले विनिर्माण नेटवर्क विकसित किए जाने चाहिए और ऐसे उत्पाद विकसित और उत्पादित किए जाने चाहिए जो अकेले निर्मित नहीं किए जा सकते हैं।

ग्रामीण उद्यमिता भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यह रोजगार के अवसर पैदा करता है, वास्तविक आय बढ़ाता है और बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करता है। हालांकि, पूंजी संचय, जोखिम उठाने और नवाचार की कमी के कारण ग्रामीण उद्यमिता को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए, सरकार को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए। इन कार्यक्रमों में बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि में निवेश और ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिए। लाभकारी रोजगार पैदा करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के

बीच असमानताओं को कम करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना, समय पर जानकारी प्रदान करना, ऋण प्रदान करना और बैंकरों, पंचायत संघ के नेताओं और स्वैच्छिक सेवा संगठनों को प्रेरित करना ग्रामीण उद्यमिता और ग्रामीण विकास के विकास की ओर ले जा सकता है।

22.14 भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। हालांकि खेती और कृषि सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक गतिविधियों में से एक हैं, समस्या इस बात में निहित है कि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगातार घट रहा है। साथ ही, भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर करती है। परिणामस्वरूप, उत्पादकता मानक के अनुरूप नहीं है और स्थिति केवल बदतर होती जा रही है। इसके अलावा, 1991 से सार्वजनिक निवेश में कमी आई है, जिसके साथ-साथ पर्याप्त बुनियादी ढांचे, ऋण, परिवहन, रोजगार आदि की कमी भी है। इसलिए, 2007–2011 के दौरान कृषि उत्पादन केवल 3.2% की दर से बढ़ा है। इन सभी कारकों ने गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है जो सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है। ग्रामीण भारत में विशेष रूप से महिलाओं के लिए घटती साक्षरता दर एक प्रमुख चिंता का विषय है। भूमि और तकनीकी सुधारों की आवश्यकता है। उत्पादन और लाभ में सुधार के लिए जैविक खेती जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। अंत में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली को सुधारकर लोगों को आसान ऋण और लोन तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए। निष्कर्ष में, यह आसानी से कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, ऋण की पहुँच, साक्षरता, गरीबी उन्मूलन आदि जैसे क्षेत्रों में भारी बदलाव की जरूरत है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य से पहले से चल रही योजनाओं को नए दृष्टिकोण और उचित अद्यतन की आवश्यकता है। तदनुसार, सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।

भारत में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की सूची

योजना का नाम	शुरुआत का वर्ष	उद्देश्य
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	2005	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी और बुनियादी ढांचे का विकास
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)	2016	ग्रामीण गरीबों के लिए पक्के घरों का निर्माण
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	2000	ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क का सुधार
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	2011	ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार और SHGs का गठन
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)	2014	ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2015	सिंचाई सेवाओं में सुधार और 'हर खेत को पानी' लक्ष्य प्राप्त

(PMKSY)		करना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	2016	किसानों को फसल हानि के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करना
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)	1995	वृद्ध, विधवा और विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन (SPMRM)	2016	ग्रामीण-शहरी संपर्क को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)	2016	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना
डिजिटल इंडिया ग्रामीण पहल	2015	ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना
सवायत्त शासन योजना	1992	पंचायत राज संस्थानों को सशक्त करना और ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	2007	खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में सुधार करना
मिड-डे मील योजना	1995	सरकारी स्कूलों में छात्रों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान करना
जन धन योजना	2014	गरीबों को बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय समावेशन प्रदान करना

22.15 सारांश

भारत में ग्रामीण विकास संस्थागत प्रणाली ग्रामीण समुदायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संरचित किए गए एक व्यापक और गतिशील ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रणाली केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, स्थानीय सरकारी संस्थानों, विकास एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों और शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न घटकों को एकीकृत करती है। इस प्रणाली की प्रमुख ताकत कृषि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने की इसकी क्षमता में निहित है। सरकारी पहलों, सामुदायिक भागीदारी और गैर-सरकारी समर्थन के मिश्रण का लाभ उठाकर, प्रणाली का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। संक्षेप में, भारत में ग्रामीण विकास संस्थागत प्रणाली, ग्रामीण आबादी की भलाई को बढ़ाने के लिए राष्ट्र के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। विभिन्न संस्थानों और हितधारकों की ताकत का उपयोग करके, इस प्रणाली का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों के लिए फलने-फूलने के अवसर पैदा करना है।

22.16 बोध प्रश्न

- भारत में ग्रामीण विकास रणनीतियाँ से आप क्या समझते हैं ?

- ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी की व्याख्या कीजिए।
- भारत में ग्रामीण विकास के लिए नवीन विचार एवं सुझाव की विवेचना कीजिए।
- ग्रामीण हाट और बाजार का विकास की व्याख्या कीजिए।
- भारत में ग्रामीण विकास की विवेचना कीजिए।

22.17 उपयोगी पुस्तके

- Narang Ashok (2006), “Indian Rural Problems”, Murari Lal and Sons, New Delhi.
- Advantages of rural entrepreneurs (n.d) www.thehindu.com/...entrepreneurs...rural-india/article
- Keyne, J. (2000), “Rural Entrepreneurship Initiative”, *Kauffman Centre for Entrepreneurial Leadership*, September.
- Kumar A. “Rural industrialization in India: a strategy for rural development” Mittal Publications, Delhi, 1989.
- Mehta, A. (2011), “Rural Entrepreneurship – A Conceptual Understanding with Special Reference to Small Business in Rural India”, *Elixir Marketing*, Vol. 36
- Nandanwar Kalpana P. (2011), Role of Rural Entrepreneurship in Rural Development, *International Referred Research Journal*, ISSN- 0974-2832, Vol. II, ISSUE-26, March.
- Petrin, T. (1994), “Entrepreneurship as an Economic Force in Rural Development”, *Key Note Paper presented at the 7th FAO / REU International Rural Development Summer School*, Herrsching, Germany, 8 – 14 September
- Sharma, Swati and Vyas, Divya (2011), “Entrepreneurship in Rural India – A Need Analysis”, *International Journal of Business Economics and Management Research*, Volume 2, Issue 4, April Sandeep Saxena, “Problems Faced by Rural Entrepreneurs and Remedies to Solve It”, *ISOR Journal of Business and Management*, 3(1), pp. 23-29, 2012.
- Santhi N. and Rajesh Kumar S. (2011), *Entrepreneurship Challenges and Opportunities in India*.

इकाई-23 स्वयं सहायता समूह एवं किसान क्लब

इकाई की रूपरेखा

- 23.0 उद्देश्य
- 23.1 प्रस्तावना
- 23.2 किसान क्लब क्या है?
- 23.3 किसान क्लब के सिद्धान्त
- 23.4 किसान क्लब का आयोजन
- 23.5 स्वयं सहायता समूह
- 23.6 स्वयं सहायता के उद्देश्य
- 23.7 स्वयं सहायता की विशेषताएं
- 23.8 स्वयं सहायता के कार्य
- 23.9 भारत के स्वयं सहायता समूह,
- 23.10 स्वयं सहायता समूह के महत्व
- 23.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची/उपयोगी पुस्तकें

23.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त शिक्षार्थियों में निम्न समझ विकसित होगी—

- किसान क्लब क्या है?
- किसान के सिद्धान्तों को जान सकेंगे।
- स्वयं सहायता समूह क्या है?
- स्वयं सहायता समूह के कार्य, विशेषताएं एवं महत्व को जान सकेंगे।
- भारत के स्वयं सहायता समूह के बारे में जान सकेंगे।

23.1 प्रस्तावना

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है और सकल घरेलू उत्पाद में 23% का योगदान देती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय कृषि नीति दस्तावेजों में कृषि में 4% की वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है, जबकि पिछले 50 वर्षों में औसत वृद्धि 2% से भी कम रही है। 1990 के दशक से शुरू होने वाला पिछला दशक हरित क्रांति के बाद की थकान और देश के कई हिस्सों में उपज के स्तर में स्थिरता का प्रतीक था। कृषि में 4% की निरंतर वृद्धि के लिए उत्पादकता में सुधार और दक्षता में सुधार करके लागत में कटौती करने की आवश्यकता है।

इसलिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इनपुट उपयोग दक्षता में सुधार, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कृषि में निवेश को बढ़ावा देने और अनुकूल और सक्षम आर्थिक वातावरण बनाने के लिए पहलों का पैकेज प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में उभरती हुई जरूरतें अब स्थान-विशिष्ट कौशल और ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाना, कृषि उपज में अधिक मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संस्थानों, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच नई साझेदारी बनाना, वित्तीय स्थिरता को साकार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आईटी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना है।

किसानों के खेतों तक नवीनतम कृषि तकनीकों को पहुंचाने, बैंकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने, नवीनतम फसल-उपरांत प्रबंधन प्रौद्योगिकी, मूल्य संवर्धन आदि को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा इनपुट प्राप्त करने और अपनी उपज का चयन करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी शक्ति का लाभ उठाने के लिए किसान क्लब की शुरुआत 2004 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को संगठित करना और उन्हें कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करना था। किसान क्लब के माध्यम से किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, और उन्हें अपनी फसलों के लिए बाजार की जानकारी भी प्रदान की जाती है।

वैश्विक स्तर पर स्वयं सहायता समूह का प्रारम्भ बांग्लादेश से माना जाता है। बांग्लादेश के चिटगीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मोहम्मद युनूस को इसका सृजनकर्ता माना जाता है। आपने 1976 में ग्रामीण बैंक नाम की कार्य अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की, जिसमें ग्रामीणों द्वारा छोटी-छोटी बचतों से निधि एकत्रित की जाती थी, जिसे जरूरतमंदों को ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। यह ग्रामीण बैंक भूमिहीन, गरीब, मुख्यतः महिलाओं को ऋण प्रदान करता है। अगर हम भारतीय परिदृश्य से देखें तो आइको-फाइनेन्स के लिए बैंक एक एजेन्सी के रूप में कार्य करते हैं।

अहमदाबाद में सेवा (सेल्फ इम्प्लाय्ड ओमेन एसोसिएशन) संस्थापक सदस्य लावेन भाट ने सर्वप्रथम माइक्रो फाइनेन्स की अवधारणा विकसित की।

महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा महिला मण्डल और तमिलनाडु कार्यशील महिला मंच, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा प्रायोजित समूहों ने सेवा (सेल्फ इम्प्लाय्ड वूमेन एसोसिएशन) के पदचिन्हों पर चलना प्रारम्भ किया। यह निर्धन स्वरोजगार महिला कार्मिकों की ट्रेड यूनियन है जो सहयोग धनराशि से एक निधि तैयार करती है। इस निधि का उपयोग जरूरतमंदों का ऋण देने में किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं में सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

आज नाबार्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे 500 बैंक, आर्थिक विकास महामण्डल (MAVIM), जिला विकास संस्थायें (DRDA), नगर निगम जैसी संस्थायें और 3024 से अधिक गैर-सरकारी संस्थायें, स्वयं सहायता समूह आन्दोलन को बढ़ावा देने में संलग्न हैं।

23.2 किसान क्लब क्या हैं?

किसान क्लब जमीनी स्तर के अनौपचारिक मंच हैं। ऐसे क्लब बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा नाबार्ड के समर्थन और वित्तीय सहायता से संबंधित बैंकों और ग्रामीण लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए आयोजित किए जाते हैं। किसान क्लबों के व्यापक कार्य निम्नलिखित होंगे:

- अपने सदस्यों के बीच ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने तथा बैंक-उधारकर्ता के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए बैंकों के साथ समन्वय करना,
- हर महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करें और जरूरत के हिसाब से हर महीने 2-3 बैठकें आयोजित करें। गैर-सदस्यों को भी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों आदि के विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, कृषि विश्वविद्यालयों, विकास विभागों एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के विस्तार कर्मियों के साथ तकनीकी जानकारी के उन्नयन के लिए इंटरफेस। अतिथि व्याख्यानों के लिए, गांव/पड़ोसी गांवों के गैर-सदस्य अनुभवी किसानों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
- सदस्यों की ओर से थोक इनपुट खरीदने के लिए कॉर्पोरेट इनपुट आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करना,
- सदस्यों के लाभ के लिए मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, सामूहिक कृषि उपज विपणन आदि जैसी संयुक्त गतिविधियों का आयोजन/सुविधा प्रदान करना। वे स्वयं सहायता समूहों को प्रायोजित/संगठित भी कर सकते हैं।

- सामुदायिक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक गतिविधियाँ संचालित करना।

23.3 किसान क्लब कार्यक्रम क्या है?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) किसानों के क्लब कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के क्लबों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करता है, जिसे पहले “विकास स्वयंसेवी वाहिनी (वीवीवी) कार्यक्रम” के रूप में जाना जाता था। यह कार्यक्रम नवंबर 1982 में नाबार्ड द्वारा “ऋण के माध्यम से विकास” के पांच सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए शुरू किया गया था

पाँच सिद्धांत हैं:

1. ऋण का उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सबसे उपयुक्त तरीकों के अनुसार किया जाना चाहिए।
2. ऋण की शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए।
3. उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य कुशलता के साथ किया जाना चाहिए।
4. ऋण से उत्पन्न अतिरिक्त आय का एक हिस्सा बचाया जाना चाहिए।
5. ऋण की किस्तें समय पर और नियमित रूप से चुकाई जानी चाहिए ताकि ऋण का पुनर्चक्रण हो सके।

23.4 किसान क्लब का आयोजन कौन कर सकता है?

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कोई भी बैंक, जिसमें वाणिज्यिक बैंक (सीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक (एससीबी, एससीएआरडीबी, पीसीएआरडीबी, डीसीसीबी और पीएसीएस) शामिल हैं, किसान क्लबों को प्रायोजित और संगठित कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो वे क्लबों के प्रचार के लिए एनजीओ/केवीके/कृषि विश्वविद्यालयों की सेवाएं ले सकते हैं। सभी क्लबों का बैंक में बचत खाता होना चाहिए।

स्थापित करना

किसान क्लब गांवों में एक अनौपचारिक मंच है। इसे किसी गांव/गांवों के समूह में, आम तौर पर किसी बैंक के परिचालन क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सकता है। किसान क्लब में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, लेकिन सदस्यता की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। हर क्लब में दो पदाधिकारी होंगे – एक ‘मुख्य समन्वयक और दूसरा ‘सह-समन्वयक’। पदाधिकारियों का चुनाव क्लब के सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक आधार पर दो साल के कार्यकाल के लिए किया जाएगा। पदाधिकारियों को क्लब के संचालन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। कोई भी एनजीओ प्रतिनिधि क्लब का पदाधिकारी नहीं हो सकता। पदाधिकारियों का मुख्य कार्य बैठकें बुलाना, विशेषज्ञों के साथ बैठकें आयोजित करना होगा।

23.5 स्वयं सहायता समूह : इतिहास

भारत में स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली 1970 में स्वरोजगार महिला एसोसिएशन (सेवा) के गठन के साथ शुरू हुई। इसके बाद 1992 में अपनी स्थापना के बाद से, नाबार्ड का स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस पहल बन गया है। 1993 से स्वयं सहायता समूह नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बचत खाते खोलने में सक्षम हो गए हैं। इस कार्रवाई ने स्वयं सहायता समूह आंदोलन को बढ़ावा दिया और स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के लिए आधार तैयार किया।

- भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को विकसित और कुशल बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) शुरू की थी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), विश्व का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन अभियान है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जब यह कार्यक्रम राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में विस्तारित हो गया।
- एसआरएलएम (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) पहले से ही देश भर के 29 राज्यों और पांच क्षेत्रों (दिल्ली

और चंडीगढ़ को छोड़कर) में संचालित हो रहे हैं।

- एनआरएलएम गरीबों को कम लागत वाली, भरोसेमंद वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें वित्तीय साक्षरता, बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा, धनप्रेषण, पेंशन और वित्तीय सेवा परामर्श शामिल हैं।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की आवश्यकता

हमारे देश में गरीबी का मुख्य कारण गरीब लोगों के लिए ऋण और वित्तीय सेवाओं तक कम पहुंच है। डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) समिति का गठन किया गया था। इस समिति के तहत 'देश में वित्तीय समावेशन' पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई थी।

इस रिपोर्ट में वित्तीय समावेशन की कमी के चार प्रमुख कारणों की पहचान की गई थी:

- संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता
- खराब ऋण अवशोषण क्षमता
- संस्थाओं की अपर्याप्त पहुंच
- कमजोर सामुदायिक नेटवर्क

इससे यह स्पष्ट है कि गांवों में सुदृढ़ सामुदायिक नेटवर्क का अस्तित्व ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संपर्क के प्रमुख तत्वों में से एक है। गरीबी उन्मूलन और गरीबों, विशेषकर महिलाओं, के बीच सामाजिक पूंजी निर्माण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

23.6 स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य

1. महिलाओं में अपनी आय प्रबन्ध की क्षमता को विकसित करना।
2. गरीब एवं बेरोजगार व्यक्तियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
3. समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं पोषण में योगदान देना।
4. स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना।
5. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें विभिन्न उत्पादक कार्यों में लगाना।
6. देश के प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना।
7. सद्भावना और सहयोग की भावना को विकसित करना।
8. प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करना।
9. गरीबी निवारण करना।
10. देश की कार्यकारी जनसंख्या को अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में जोड़ना।

23.7 स्वयं सहायता समूह: विशेषताएं

स्वयं सहायता समूह का गठन व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से एक साथ आकर किया जाता है। एक सामान्य स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर 10–20 सदस्य होते हैं, तथा इनका संगठनात्मक ढांचा अनौपचारिक होता है। सदस्य अपनी बचत को एकत्रित करके एक साझा कोष बनाते हैं, जिसका उपयोग जरूरतमंद सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।

- स्वयं सहायता समूह सदस्यों के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और समर्थन की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- वे प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से सदस्यों के बीच कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देते हैं।

- स्वयं सहायता समूहों का उद्देश्य सदस्यों को वित्तीय संसाधन, आजीविका के अवसर और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

23.8 स्वयं सहायता समूहों के प्रकार

- गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) (NGOs)
- सरकार द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाले बैंक, राज्य और निजी दोनों संस्थान
- एसएचजी फेडरेशन एसएचजी के समूह हैं जो एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं
- एसएचजी/उद्यमिता नेता

23.9 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कार्य

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का प्रमुख कार्य गरीबों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार और अन्य गतिविधियां उपलब्ध कराना है, जिनसे वे आय अर्जित कर सकें। इसके अलावा यह सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा द्वारा मुद्दे को सुलझाने में विश्वास रखता है। यह समूह द्वारा तय शर्तों और नियमों के साथ बाजार आधारित दरों पर जमानत मुक्त ऋण भी देता है। इन सबके अतिरिक्त इनके कुछ कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं—

- ये समूह उन सदस्यों के लिए सामूहिक गारंटी प्रणाली की तरह काम करते हैं जो अधिकृत स्रोतों से ऋण लेना चाहते हैं। इसके लिए गरीब लोग बैंक में बचत करते हैं और बदले में उन्हें बैंक से बहुत कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- इन सभी नियमित और निरंतर प्रयासों से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गरीबों को माइक्रोफाइनेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे भरोसेमंद और प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं।

स्वयं सहायता समूह सूची

भारत के कुछ स्वयं सहायता समूह निम्नलिखित हैं:

स्व-रोजगार महिला एसोसिएशन (SEWA)

SEWA भारत का एक प्रमुख स्वयं सहायता समूह है जो अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वित्त तक पहुँच, कौशल विकास और महिला श्रमिकों के अधिकारों की वकालत सहित विभिन्न सहायता सेवाएँ प्रदान करता है।

कुदुम्बश्री मिशन

कुदुम्बश्री मिशन केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करना और उद्यमिता और सामुदायिक विकास पहलों के माध्यम से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है।

महिला आर्थिक विकास महामंडल (MAVIM)

MAVIM महाराष्ट्र स्थित एक संगठन है जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। यह महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और बाजार संपर्क प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे बनाए रखने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

एनआरएलएम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह स्वयं सहायता

समूहों को बढ़ावा देकर और समुदाय-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय सेवाओं, आजीविका के अवसरों और सामाजिक सशक्तिकरण तक उनकी पहुँच को सुविधाजनक बनाकर गरीबी में कमी लाने पर केंद्रित है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

एसजीएसवाई एक सरकारी योजना थी जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका प्रदान करना था। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन, कौशल विकास और ऋण सुविधाओं का समर्थन किया।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड एक विकास वित्तीय संस्था है जो भारत में स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, पुनर्वित्तपोषण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है तथा ग्रामीण उद्यमिता और कृषि विकास को बढ़ावा देती है।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा सृजित अवसर

स्वयं सहायता समूहों ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में सहायक अवसर उपलब्ध कराते रहते हैं। इतना ही नहीं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करके वे लोगों में घरेलू स्तर के साथ-साथ सामुदायिक स्तर पर निर्णय लेने में भाग लेने का आत्मविश्वास पैदा करते हैं। वे विभिन्न स्वयं सहायता समूह पहलों के अंतर्गत समुदाय के अप्रयुक्त एवं कम उपयोग वाले संसाधनों को बहुत प्रभावी तरीके से जुटाया जा सकता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदान किये जाने वाले कुछ सामान्य अवसर नीचे सूचीबद्ध हैं:

- वे सदस्य जो स्वयं सहायता समूह में सफल और क्षमतावान हैं, वहां ये व्यक्ति विभिन्न सामुदायिक विकासात्मक पहलों के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
- जो व्यक्ति विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की पहलों में सक्रिय रूप से शामिल होता है, उसे नेतृत्व-कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।
- आंकड़ों के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि प्रायः महिला स्वयं सहायता समूह नेताओं को पंचायत प्रधानों या पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में चुना जाता है।

महत्व

स्वयं सहायता समूहों के कुछ सामान्य लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं:

सामाजिक अखंडता — यह लोगों को दहेज, शराबखोरी आदि जैसी विभिन्न गलत प्रथाओं पर काबू पाने के लिए सामूहिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

लैंगिक समानता — यह जरूरतमंद महिलाओं को सशक्त बनाता है और उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करता है तथा यह समिति महिलाओं को ग्राम सभा और चुनावों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए भी सशक्त बनाती है। देश भर में तैयार किए गए विभिन्न आंकड़ों से पता चलता है कि स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद समाज में और साथ ही परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई गुना प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

दबाव समूह — वे सरकारी प्रक्रिया में अत्यधिक सक्रिय होते हैं, जिससे वे समाज के प्रमुख मुद्दों जैसे दहेज, शराबखोरी, खुले में शौच की समस्या, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आदि को उजागर करने तथा नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं।

हाशिए पर पड़े वर्ग की आवाज — चूंकि अधिकांश सरकारी नीतियां गरीब और कमजोर वर्गों के लिए हैं, लेकिन उन्हें उनका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लाभार्थी को यह नियमित रूप से मिले।

वित्तीय समावेशन — एक सामान्य स्वयं सहायता समूह का आमतौर पर नाबार्ड से सीधा संबंध होता है।

इससे ऋण तक पहुंच बहुत आसान हो गई है और गरीब वर्ग की पारंपरिक साहूकारों और अन्य गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता कम हो गई है।

रोजगार का वैकल्पिक स्रोत

इस समिति ने गरीब लोगों को सूक्ष्म उद्यम (जैसे— सिलाई, किराना और औजार मरम्मत की दुकानें) जैसे व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित करने में सहायता देकर कृषि पर उनकी निर्भरता कम कर दी है।

उपभोग पैटर्न में परिवर्तन — इस स्कोर ने लोगों को गैर-ग्राहक परिवारों की तुलना में भोजन और स्वास्थ्य के महत्व के साथ-साथ अपने बच्चों को शिक्षित करने के महत्व के बारे में अधिक शिक्षित किया है।

आवास एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव — स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से बाल मृत्यु दर में कमी लाने, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा बेहतर पोषण, आवास एवं स्वास्थ्य के माध्यम से मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है।

बैंकिंग साक्षरता — वे लोगों को एक निश्चित राशि बचाने और बैंक में बचत करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे ऋण प्राप्त कर सकें।

स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

स.के. कालिया समिति की सिफारिशों के आधार पर, नाबार्ड ने असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए 1992 में एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रयास के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए बचत खाते खोलने के लिए अधिकृत किया गया। बैंक सामूहिक गारंटी के आधार पर एसएचजी को ऋण देते हैं, और ऋण राशि एसएचजी की बैंक जमा राशि से कई गुना अधिक हो सकती है। इसके अलावा कुछ पहल निम्नलिखित हैं—

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देना: स्वयं सहायता समूहों को भारत सरकार द्वारा बैंकों के लिए कार्य करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में चुना गया है।
- निम्नलिखित श्रेणियों के स्वयं सहायता समूहों के सदस्य बैंक वित्तपोषण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के लिए पात्र हैं: कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, सामाजिक बुनियादी ढांचा और अन्य।
- खाद्य एवं देखभाल क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वयं सहायता समूहों को अनाज बैंक संचालित करने का अधिकार दिया गया है।
- नाबार्ड प्रियदर्शिनी योजना के लिए नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके जीवन में सुधार लाना है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संक्षिप्त रूप है।
- इसका लक्ष्य दीर्घकालिक गरीब सामुदायिक संस्थाओं का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना है।
- यह मिशन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघों के साथ मिलकर काम करता है।
- डीएवाई-एनआरएलएम मिशन, कृषि-पारिस्थितिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिससे महिला किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी इनपुट लागत और जोखिम (एमकेएसपी) कम होंगे।
- राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग (अब मंत्रालय) के अंतर्गत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी।
- इसका लक्ष्य निम्न आय वाली महिलाओं के लिए ऋण को अधिक सुलभ बनाना था ताकि वे अपनी

23.10 स्वयं सहायता समूह का प्रभाव

1. समुदाय में स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना।
 2. क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक असमानता को कम करने में सहायक के रूप में।
 3. स्वयं सहायता समूह रोजगार एवं स्वरोजगार से निर्धनता उन्मूलन में सहायक होते हैं।
 4. समाज में व्यक्तियों एवं महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने की सहायक होते हैं।
 5. रोजगार के लालच में हो रहे पलायन को रोकने में सहायक।
 6. अनौपचारिक संस्थाओं पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है।
 7. देश में स्वदेशी शुद्ध वस्तुओं का निर्माण करने में सहायक।
 8. इस समय देश में लगभग 46 मिलियन गरीब महिलाओं को संगठित किया है।
 9. महिलाओं को ऋण तक पहुंच बनाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का मंच प्रदान करना।
-

23.11 संदर्भ सूची

- भारतीय अर्थव्यवस्था (BhartiyaArthvyavavstha) 36जी Revised Edition by Bharat Garg V-K- Puri] S- K- Misra-
- कृषि अर्थशास्त्र (2023) डॉ जय प्रकाश मिश्र , साहित्य भवन पब्लिकेशन।
- कृषि अर्थशास्त्र में प्रमुख मुद्दे (हिंदी)“ आर.एन. सोनी और संगीता मल्होत्रा द्वारा।
- कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं भारत में कृषि विकास , डॉ क न जोशी द्वारा।
- लघुवित्त एवं अर्थव्यवस्था के आधार, प्रो० विलेश गामित द्वारा।
- माइक्रोफाइनेंस को नेविगेट करना: अंतर्दृष्टि और कार्यान्वयन”, प्रदीप कुमार सिंह द्वारा।

इकाई-24 वित्तीय समावेशन एवं माइक्रो फाइनेंस

इकाई की रूपरेखा

24.0 उद्देश्य

24.1 प्रस्तावना

24.2 सूक्ष्म वित्त की अवधारणा

24.3 ग्रामीण विकास और सूक्ष्म वित्त से संबंध:

24.4 वित्तीय समावेशन की प्रगति का मापन

24.5 भारत में लघु वित्त

24.6 संतुलन की आवश्यकता

24.7 वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति की कार्य योजना का रोडमैप

24.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची/उपयोगी पुस्तकें

24.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत शिक्षार्थी की निम्न बिन्दुओं पर समझ विकसित होगी—

- सूक्ष्म वित्त क्या है?
 - ग्रामीण विकास में सूक्ष्म वित्त के महत्व को जान सकेंगे।
 - भारत में लघु वित्त को समझ सकेंगे।
 - आय असमानताओं को कम करने में लघु वित्त के महत्व को समझ सकेंगे।
 - वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा के विषय में समझ सकेंगे।
-

24.1 प्रस्तावना

यद्यपि न तो माइक्रो क्रेडिट और न ही माइक्रोफाइनेंस शब्द को एक ही शब्द में परिभाषित किया गया है। 1980 या 1990 के दशक से पहले अकादमिक साहित्य में इस्तेमाल की जाने वाली अवधारणा कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना बहुत पुराना है। 1720 में गरीब लोगों को लक्षित करने वाला पहला ऋण कोष आयरलैंड में स्थापित किया गया था लेखक जोनाथन स्विफ्ट। यह 1976 में प्रसिद्ध हुआ, सराहनीय ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद युनुस के प्रयासों से बांग्लादेश और 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता। विचार इसका उद्देश्य गरीब लोगों, विशेषकर महिलाओं तक छोटी-छोटी धनराशि पहुंचाना है (वॉडरलैंक और श्राइनर 2002) ताकि वे कार्यवित्त अल्पकालिक जरूरतों और आत्मनिर्भर बन गए। 1976 में, यूनुस ने पहली माइक्रो बांग्लादेश में केवल सत्ताईस डॉलर का ऋण (बयालीस बांस बैंकों को) इस पहले माइक्रो के समय से ग्रामीण बैंक को वित्तीय संस्थान के रूप में आधिकारिक प्रमाणीकरण प्राप्त हो गया है

1983 में, यूनुस और उनके सहकर्मियों ने एक व्यापक रूप से प्रतिकृति माइक्रो-ऋण देने का मॉडल जो मुख्यतः समूह ऋण के प्रावधान पर केंद्रित था समाज के सबसे गरीब वर्ग की महिला ग्राहक। ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू किया गया मूल सूक्ष्म ऋण निम्न दबाव वाली ऋण स्थिति और सहकारी ऋण की विशेषता थी।

24.2 सूक्ष्म वित्त की अवधारणा

1997 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित माइक्रो क्रेडिट शिखर सम्मेलन की घोषणा में माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रमों को “स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए गरीब लोगों को छोटे ऋण प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के रूप में परिभाषित किया गया था, जो आय उत्पन्न करते हैं, जिससे उन्हें खुद की और अपने परिवार की देखभाल करने में मदद मिलती है”। घोषणा में यह भी कहा गया था कि, “अधिकांश मामलों में, माइक्रो क्रेडिट परियोजनाएं स्व-रोजगार के लिए ऋण के अलावा अपने ग्राहकों को सेवाओं और संसाधनों का एक संयोजन प्रदान करती हैं। इनमें अक्सर बचत सुविधाएं, प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और सहकर्मि सहायता शामिल होती हैं”। भारत में, माइक्रोफाइनेंस के लिए सहायक और नियामक ढांचे पर टास्क फोर्स [NABARD 2000] ने माइक्रोफाइनेंस को “ग्रामीण, अर्ध-शहरी या शहरी क्षेत्रों में गरीबों को बहुत कम मात्रा में बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं और उत्पादों का प्रावधान” के रूप में परिभाषित किया है, जिससे उन्हें अपनी आय के स्तर को बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलती है। माइक्रो क्रेडिट संचालन की विशिष्ट विशेषताएं, स्व-रोजगार के माध्यम से आय सृजन के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को छोटे ऋण हैं। माइक्रो क्रेडिट संस्थाएं बचत और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए सुविधाएं भी प्रदान कर सकती हैं।

विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप के अभाव में, भूमिहीन और परिसंपत्ति-विहीन परिवारों को औपचारिक क्षेत्र के ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण योग्य नहीं माना जाता है, क्योंकि वे उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक राशि प्रदान नहीं कर सकते हैं।

दूसरा, एनजीओ द्वारा नियंत्रित माइक्रो क्रेडिट ऋण आम तौर पर ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो समूहों के सदस्य होते हैं। समूह (या एसएचजी) को वास्तव में संपार्श्विक के स्थान पर खड़ा माना जाता है। समूह की उपस्थिति को “सामाजिक संपार्श्विक” का एक रूप कहा गया है। यह तर्क दिया जाता है कि समूहों के गठन से लेनदेन लागत कम होने और पुनर्भुगतान में सुधार होने का दोहरा लाभ होता है। उदाहरण के लिए, नाबार्ड टास्क फोर्स ने गरीबों के साथ बैंकिंग के तीन तरीकों की पहचान की है: पारंपरिक बैंक ऋण के माध्यम से, एसएचजी को बैंक ऋण के साथ जोड़ना, और समूहों या व्यक्तियों को आगे ऋण देने के लिए माइक्रो क्रेडिट और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को बैंक ऋण देना। टास्क फोर्स ने आगे कहा कि दूसरे और तीसरे तरीके “कम लेनदेन लागत और उच्च पुनर्भुगतान की विशेषता रखते हैं” (नाबार्ड 2000)।

तीसरा, माइक्रो क्रेडिट को बाजारीकृत विकास को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है या मोहम्मद यूनूस के शब्दों में, “अर्थव्यवस्था का निजीकरण” ख्यूनस, 1997,।

चौथा, सूक्ष्म ऋण परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य समूह ऋण की आवश्यकता वाले लोगों का एक अंश है: यह लक्ष्य समूह आमतौर पर राष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार पूर्ण गरीबी रेखा से नीचे है।

पांचवां, जबकि सभी परिभाषाएं माइक्रो क्रेडिट को “छोटे ऋण” के प्रावधान के रूप में मानती हैं, ऋण की “छोटीता” का पैमाना अलग-अलग होता है और इसे अनुभवजन्य रूप से पहचाना जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 6000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 9000 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन सिफारिश की है कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दिया जाने वाला औसत ऋण लगभग 1000 रुपये होना चाहिए (नाबार्ड 2000)। हालांकि, आरबीआई के माइक्रो क्रेडिट सेल ने माइक्रोफाइनेंस के लिए 25000 रुपये की सीमा का प्रस्ताव दिया है और सुझाव दिया है कि दो से तीन वर्षों में नियमित पुनर्भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले उधारकर्ताओं के लिए सीमा को बढ़ाकर 40000 रुपये किया जा सकता है।

समाज के गरीब वर्गों को संस्थागत ऋण तक पहुँच प्रदान करने के लिए माइक्रो क्रेडिट एक टिकाऊ और प्रभावी साधन है। जहाँ माइक्रो क्रेडिट का तात्पर्य छोटी मात्रा में ऋण की उपलब्धता से है, वहीं माइक्रो फाइनेंस का एक सीमांत अर्थ है और इसमें बचत बीमा आदि जैसी अन्य वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं।

संक्षेप में, माइक्रो क्रेडिट आमतौर पर (ए) बहुत छोटे ऋणों, (बी) कोई संपार्श्विक नहीं, (सी) उधारकर्ता समूहों के गठन, (डी) ग्रामीण और शहरी गरीबों में से उधारकर्ताओं, (ई) बाजार आधारित स्वरोजगार के माध्यम से आय सृजन के लिए ऋण, और (एफ) निजीकरण, मुख्य रूप से संवितरण पर एनजीओ नियंत्रण और प्रत्येक ऋण

से जुड़ी शर्तों के निर्धारण के तंत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

24.3 ग्रामीण विकास और सूक्ष्म वित्त से संबंध

ग्रामीण विकास को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कम आय वाली आबादी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके विकास की प्रक्रिया को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है (लेले, 1975)। ग्रामीण विकास एक अलग दृष्टिकोण और रणनीति बन गया है जिसे मुख्य रूप से विकासशील राज्यों में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है। इसमें बहुक्षेत्रीय घटक शामिल हैं और यह कृषि की तुलना में इसका दृष्टिकोण व्यापक है। इसके लिए अंतःविषय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। गरीबी असमानता और वितरणात्मक न्याय पर इसके चार पहलू इसे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हस्तक्षेप की एक विशेष श्रेणी में खड़ा करते हैं (विश्व बैंक, 1997)

भारत, अधिकांश विकासशील देशों की तरह, स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से ग्रामीण विकास को अपना रहा है और नीति निर्माता देश में नियोजन प्रक्रिया के आगमन के बाद से ग्रामीण विकास कवर की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। ग्रामीण विकास का अंतिम उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और जनता की गुणवत्ता में सुधार करना था। इस संबंध में माइक्रोफाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रमों ने बहुत मदद की है। माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने के लिए छोटे ऋण प्रदान करके उनकी मदद की है। यह बेरोजगार ग्रामीणों, खासकर महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। इस तरह के कार्यक्रम से महिलाएं सशक्त हुई हैं। इसने गरीबी उन्मूलन में मदद की है और ऐसे लोगों तक शिक्षा की पहुंच आसान हो गई है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आना शुरू हो गया है।

मिर्डल (1971) के अनुसार, लोकतांत्रिक समाज में ग्रामीण विकास का मूल उद्देश्य है 1. सामुदायिक एकजुटता बढ़ाना, 2. कृषि संबंधी आवश्यकताओं को बढ़ाना और 3. समानता का संस्थागतकरण तथा ग्रामीण विकास प्रयासों का अभिन्न अंग। इन आवश्यकताओं को सूक्ष्म ऋण की सहायता से पूरा किया जा सकता है। इससे ग्रामीण लोगों के बेहतर उत्थान में मदद मिलती है? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर ग्रामीण विकास की अवधारणा में कई बदलाव हुए हैं।

24.4 वित्तीय समावेशन की प्रगति का मापन

14 जुलाई, 1969 को देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रयास किए जाते रहे हैं। लीड बैंक योजना से ही भारत में वित्तीय समापन की दिशा में इस दिशा में जहाँ एक प्रारम्भिक बिन्दु था। 2019 में इस योजना ने 50 वर्ष पूरे कर प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में ही नहीं लिए हैं। वहीं 2014 में प्रारम्भ की गई सबसे बड़ी पहल है, लेकिन जमीनी धरातल वरन् सारे विश्व में वित्तीय समावेशन की पर वित्तीय समावेशन की स्थिति 'आधा भरा गिलास' जैसी ही है। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति में वित्तीय समावेशन का समय-समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल देते हुए कतिपय प्राचल और सूचक विकसित किए हैं, जिन्हें चित्रों (Graph) द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

स्वतंत्रता से पहले तथा स्वतंत्रता के बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने तक, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं का विकास पर्याप्त रूप से न होने के कारण शहरी, अर्द्धशहरी तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य स्रोत साहूकार / महाजन ही थे। प्रापि 1969 में 14 तथा 1980 में 6 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 1982 में नाबार्ड की स्थापना होने से बैंकों का प्रसार तीन गति से हुआ और इनकी पहुंच गांवों तक हो गई। लेकिन इसके बावजूद गांवों की गरीब जनता इन बैंकों के पहुंच से बाहर रही क्योंकि न तो इनके पास बैंकों में जमा करने के लिए पैसे थे और न ही बैंकों से पैसे उधार लेने के लिए कोई प्रतिभूति। साथ ही लोगों के गरीब मन में ये गलत धारणा बन गई थी और वे बैंक को अमीर वर्ग की संस्था ही समझते थे, इस कारण ये गरीब व्यक्ति अब भी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों/महाजनों पर ही निर्भर रहे और इनके शोषण का शिकार होते रहे। इन साहूकारों की ब्याज दर अत्यधिक होने के कारण इन्हें कर्ज से मुक्ति कभी न मिल पाती थी, और ये सदा ही कर्जदार बने रहते थे। इस प्रकार वित्तीय सेवाओं से वंचित ये गरीब वित्तीय सेवाओं के अभाव में हमेशा गरीब के गरीब ही बने रहे।

बांग्लादेश में गरीबी निवारण में लघु वित्त की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने भी 1992 से (स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से) लघु वित्त कार्यक्रम की शुरुआत। जिससे गरीबों को औपचारिक वित्तीय समस्याओं से वित्त सेवाएं मुहैया करा कर उनके आर्थिक हितों की रक्षा कर सकें। इस कार्यक्रम में काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। वर्तमान में लघु वित्त कार्यक्रम विभिन्न बैंकों गैर सरकारी संगठन तथा संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है।

लघु वित्त से तात्पर्य वित्तीय सेवाओं की उस विशेष उप-शाखा से है जो अति गरीब व्यक्तियों को उपभोग, उत्पादक गतिविधियों, व्यापार या फिर छोटे-मोटे उद्योग धंधों के लिए बिना किसी प्रतिभूति या नाममात्र की प्रतिभूति पर अत्यन्त ही कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। साथ ही इसके अन्तर्गत बचत, बीमा तथा पेंशन की सुविधाएं भी आती हैं।

सस्ते ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी किया जाता है, जिससे वे अपनी छोटी बचतों को इकट्ठा कर भविष्य में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रख सकें। इसके अतिरिक्त उनकी छोटी बचतों को उत्पादक कार्य में निवेश कर गतिशील भी बनाया जाता है। वर्तमान समय में इन गरीब लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लघु वित्त के अन्तर्गत ऋण तथा बचत के साथ-साथ बीमा तथा पेंशन को भी शामिल कर लिया गया है।

24.5 भारत में लघु वित्त

ग्रामीणक्षेत्र को विकास की बुनियाद मानते हुए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अब तक विभिन्न प्रयास किए गये हैं। गरीबों, किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों तथा अन्य निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी गईं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी माली हालत सुधारने का प्रयास किया गया। बैंकों के माध्यम से ग्रामीण की आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा राष्ट्रीय उत्पादन में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए 1950 ई० में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। यद्यपि देश में बैंकों का विकास हो रहा था, लेकिन निजी क्षेत्र के ये बैंक व्यावसायिक दृष्टिकोण से मुख्यतः शहरों के उच्च आय वर्ग के साथ ही संलग्न थे तथा ग्रामीण क्षेत्र, अर्धशहरी तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्ति अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों तथा साहूकारों पर निर्भर थे।

ग्रामीण व्यक्तियों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान की जरूरत समझने तथा राष्ट्रीय उत्पादन में इनकी भागिता बढ़ाने के लिए और बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार के लिए 1969 ई० में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों जिनकी कुल पूंजी 50 करोड़ रुपये से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया। इसके फलस्वरूप बैंकों का वृहद स्तर पर प्रसार हुआ तथा इनकी अनेक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गईं जिससे हर व्यक्ति को औपचारिक स्रोतों से वित्तीय सुविधाएं मिल सकें तथा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया तेज की जा सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों के बदलते कार्य व्यवहार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बढ़ती पहुँच को देखते हुए भारतीय सरकार ने 1980 में पुनः 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

भारत सरकार ने 1992 में लघु वित्त कार्यक्रम की शुरुआत की जिससे कम लागत पर समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों आदि को उनके उत्पादन तथा वितरण संबंधी आवश्यकताओं के लिये ऋण दिया जा सके, जिससे उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।

माइक्रोफाइनेंस कंपनियों उन किसानों और ग्रामीण गरीबों को 24 फीसदी पर ऋण देती हैं, जिन्हें सूदखोर-महाजन 48 फीसदी पर ऋण देते हैं। बड़े बैंक इस तरह के ऋण वितरण में नहीं उतरते क्योंकि गरीब और साधनहीन लोगों को दिया जाने वाला ऋण बेहद कम होता है और कर्जदार भी दूर-दराज इलाके में बसा होता है। यहीं माइक्रोफाइनेंस कंपनियाँ अवतरित होती हैं और छोटे मार्जिन लाभ के साथ काम करती हैं। जिन लोगों को 48 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिल रहा है, उन्हें कोई कंपनी यदि 24 फीसदी पर दे तो वह देवदूत ही नजर आएगा। लेकिन, आगे चलकर ये कंपनियाँ ब्याज दर बढ़ाती रहती हैं जिससे ये थोड़े ही दिनों में यमदूत बन जाती हैं। यह एक सच्चाई है कि इस देश में गरीबों का शोषण वही लोग कर रहे हैं जो इनकी बेहतरी की वकालत करते हैं।

सूक्ष्म ऋण संस्थाओं के नियमन के लिए कानून बनाने के प्रयास के तहत 2007 में माइक्रोफाइनेंस सेक्टर

(डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन) बिल-2007 संसद में पेश किया गया। लेकिन, आम सहमति न बन पाने से यह बिल सदन में पास न हो सका और उसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। आन्ध्र प्रदेश में कर्जदारों की आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2010 में वाई०एच० मालेगाम की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया था। समिति ने जनवरी 2011 में अपनी रिपोर्ट ऊँची ब्याज दरें वसूलने वाली माइकोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज पर लगाम लगाने की सिफारिश की है। मालेगाम समिति ने जनवरी 2011 में अपनी रिपोर्ट ऊँची ब्याज दरें वसूलने वाली माइकोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज पर लगाम लगाने की सिफारिश की है। मालेगाम समिति ने इन कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले कर्जा पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा 24 प्रतिशत तय करने को कहा है। इसके अलावा, समिति ने व्यक्तिगत कर्जा की अधिकतम सीमा भी 25,000 रुपये तय करने की अनुशंसा की है। यही नहीं समिति ने माइकोफाइनेंस कंपनियों के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक अलग श्रेणी एनबीएफसी एमएफ आई बनाने की भी सिफारिश की है जिससे कि उनके कामकाज को रेगुलेट किया जा सके।

24.6 संतुलन की आवश्यकता

माइको फाइनेंस कंपनियों मुख्यतः दक्षिण भारत में अपना कारोबार कर रही थी। बढ़ते कारोबार को देखते हुए कंपनियों देश के दूसरे क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जैसे राज्यों और पूर्वोत्तर में अपनी पहुँच बनाने की तैयारी में जुटी थीं। लेकिन माइकोफाइनेंस कंपनियों के कामकाज के तरीकों को लेकर उठे विवाद को देखते हुए बैंको ने जहाँ माइकोफाइनेंस कंपनियों को कर्ज देना बंद कर दिया है, वहीं प्राइवेट इक्विटी निवेशकों ने माइकोफाइनेंस कंपनियों से दूरी बना ली है। इसका सीधा असर कंपनियों की विस्तार योजनाओं पर पड़ रहा है।

भारत में ही नहीं, वरन् विश्व के सभी विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास तथा निर्धनता निवारण का एक प्रमुख संवाहक माना जाने लगा है। समाज के सभी वर्गों— विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों, श्रमिकों, स्वरोजगारियों, छोटे छोटे कारो— बारियों, महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं व उत्पादों तक सुगम पहुँच आर्थिक विकास तथा रोजगार की ऊँची संवृद्धि दर को सुनिश्चित करती है। इससे निर्धनता निवारण, आर्थिक झटकों से उबरने तथा मानव पूँजी निवेश में वृद्धि करने में भी सहायता मिलती है। शताब्दियों के अनुभवों से यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि वित्तीय सेवाओं के अनौपचारिक स्रोत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक शोषण का तरीका रहे हैं। जहाँ जहाँ वित्तीय स्रोतों के औप—चारिक स्रोतों तक लोगों की पहुँच बढ़ी है, वहाँ वहाँ विकास अपेक्षाकृत अधिक समावेशी हुआ है।

वित्तीय अपवर्जन के निम्न में से कोई एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं—

- लोगों के पास यथोचित मात्रा में वेशी आय (मौदिक संसाधन) न होना।
- वित्तीय संसाधन और स्रोत ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप न होना।

“संयुक्त राष्ट्र सम्पोषणीय विकास लक्ष्य एवं वित्तीय समावेशन संयुक्त राष्ट्र के 17 सम्पोषणीय विकास लक्ष्यों—2030 में से सात विकास लक्ष्य किसी न किसी रूप में वित्तीय समावेशन से जुड़े हैं और माना जाता है कि इन सात लक्ष्यों को प्राप्त करने में वित्तीय समावेशन की कारगर भूमिका है। चरम निर्धनता का निवारण, भूख को कम करना तथा खाद्य सुरक्षा प्रोन्नयन, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली प्राप्त करना, लिंगमूलक समता प्रोन्नयन, सतत, समावेशी एवं सम्पोषणीय संवृद्धि प्रोन्नयन, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार तथा उत्कृष्ट कार्य, उछालदार अधोरचना का निर्माण करना, समावेशी एवं सम्पोषणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा नवाचार का प्रोन्नयन, देशों के भीतर तथा देशों के बीच आय असमानताओं को कम करना आदि संयुक्त राष्ट्र सम्पोषणीय विकास लक्ष्यों के प्रमुख लक्ष्य है, जिन्हें प्राप्त करने में वित्तीय समावेशन उल्लेखनीय रूप से योगदान दे रहा है।”

- वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वांछित अभिलेख ग्राहकों के पास न होना।
- ग्राहकों को यथोचित रूप से वित्तीय उत्पादों की जानकारी न होना।

- वित्तीय प्रणाली के प्रति विश्वास की कमी।
- लेन-देन की ऊँची लागते।
- सेवाप्रदाताओं एवं ग्राहकों के बीच की दूरी अधिक होना।
- प्रदत्त सेवाओं की खराब गुणवत्ता।
- वित्तीय समावेशन त्रिआयामी पहल है— वित्तीय समावेशन की यथोचित नीतियाँ, वित्तीय साक्षरता पहलें तथा ग्राहक शिकायत निवारण फ्रेमवर्क।

वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति, 2019–2024 वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति के तत्वावधान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई है तथा यह वित्तीय क्षेत्रक के विभिन्न विनियामकों— भारतीय प्रतिभूतियाँ एवं विनिमय बोर्ड य बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा पेंशन फण्ड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। इसको तैयार करने में वित्तीय समावेशन के अन्य पणधारकों नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वाणिज्यिक बैंकों कार्पोरेट बिजनेस अभिकर्ताओं के साथ भी सघन विचार-विमर्श किया गया है —

विगत दशक में विश्व बैंक की पहल पर राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति को अपनाने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई. 2018 के मध्य में ब्राजील, चीन, इण्डोनेशिया, पेरू तथा नाइजीरिया सहित विश्व के 35 से अधिक देशों ने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति लॉन्च की है तथा 25 से अधिक देश इसे विकसित कर रहे हैं. इस रणनीति को बनाने तथा लागू करने में विभिन्न देशों के बीच निम्नलिखित समानताएँ हैं—

- सफल और सक्षम नेतृत्व
- लक्ष्य आधारित उपागम
- सशक्त विनियामक ढाँचा बाजार विकास
- अधोरचना सुदृढीकरण
- समाज के अन्तिम छोर तक सेवाएं पहुँचाना
- नवाचार एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन
- वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता
- ग्राहक संरक्षण
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

भारत में वित्तीय समावेशन हेतु विभिन्न पहले —

- देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (19 जुलाई, 1969)
- लीड बैंक योजना (दिसम्बर 1969)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना (2 अक्टूबर, 1975)
- देश के 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (15 अप्रैल, 1980)
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (1 जनवरी, 2004) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (28 अगस्त, 2014)
- पेमेंट बैंकों की स्थापना (19 अगस्त, 2015)
- स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना (16 सितम्बर, 2015)

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (9 मई, 2015)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (9 मई, 2015)
- अटल पेंशन योजना (9 मई, 2015)

24.7 वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति की कार्य योजना का रोडमैप

देशवासियों को समयबद्ध तरीके से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्न— लिखित रोडमैप की सिफारिश की गई है—

1. वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच

5 किमी की त्रिज्या के भीतर औपचारिक वित्तीय सेवाएँ प्रदाता तक प्रत्येक गाँव की पहुँच होनी चाहिए ग्राहकों के लिए व्यवधान एवं कष्टरहित डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं तक सुगम पहुँच हो, इसके लिए यथाशीघ्र कागज रहित आर्थिक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए यह उसी दशा में सम्भव है जब देश के प्रत्येक गाँव एवं बसावट को एक प्रभाव डिजिटल नेटवर्क द्वारा वित्तीय सेवा प्रदाता पटलों से जोड़ा जाए सहकारी बैंकों, पेमेन्ट बैंकों, स्माल फायनेंस बैंकों, खाद की दुकानों, ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगर निकायों, शिक्षण संस्थाओं को डिजिटल नेटवर्क से राशन की दुकानों, सामूहिक सेवा केन्द्रों, जोड़ा जाए. इस हेतु निम्नलिखित कार्य योजना का सुझाव दिया गया है—

- मार्च 2020 तक पर्वतीय क्षेत्रों के 500 परिवारों के गाँवों/मजराओं को 5 किमी की त्रिज्या के भीतर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, पेमेन्ट बैंकों/स्माल फायनेंस बैंकों के पटलों की सुविधा पहुँचाना चाहते हैं, के बारे में विस्तृत सूचना मार्च 2020 तक सभी कौशल विकास केन्द्रों/जीवनयापन मिशनों तथा इनके बारे में सूचना सभी इच्छुक लाभार्थियों को प्रदान करना।
- वित्तीय समावेश से जुड़े सभी नए स्वयं सहायता समूहों/सूक्ष्म उद्यमों के साथ सतत् सम्पर्क बनाए रखने के महत्व को समझते हुए सिविल सोसायटी बैंकों एनजीओ के प्रयासों की समाभिरूपिता (Convergence) सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2022 तक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशनों के द्वारा वित्तीय साक्षरता, प्रबन्धकीय कौशल, साख एवं बाजारी सम्पर्कों को विकसित किया जाए।

2. वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा

वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप इसके सभी उत्पादों एवं उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को समझने के लिए लक्षित श्रोता—अभिमुख (बच्चे, युवा वयस्क, महिलाएं, नए कामगारधुद्यमी, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्त होने वाले, सेवानिवृत्त हो चुके) ऐसे मॉड्यूलों को विकसित किया जाए, जिन्हें वे आसानी से समझ सकें. इसके लिए समझने लायक श्रव्य दृश्य साधनों, पत्रिकाओं के रूप में उपलब्ध कराना।

इस हेतु सुझाव दिया गया है कि SLBC/DCC/DLRC के विद्यमान तन्त्र का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संसाधन व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों, कृषक क्लबों आदि द्वारा जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता के प्रोन्नयन हेतु किया जाए. प्रस्तावित कार्य योजना इस प्रकार है—

- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र के द्वारा ऐसे मॉड्यूल विकसित किए जाएं जो श्रव्य दृश्य विषयक बुकलेटों के रूप में वित्तीय सेवाओं के बारे में यथोचित जानकारी प्रदान करते हों, मार्च 2021 तक बच्चों, युवा वयस्कों महिलाओं, नए कामगारों/उद्यमियों तथा वरिष्ठ नागरिकों की समझ के अनुरूप ऐसे शैक्षणिक मॉड्यूल विकसित कर लिए जाएं।
- प्रक्रियागत साक्षरता एवं अवधारणात्मक साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ऐसी पठनीय सामग्री विकसित की जाए जो प्रत्येक विद्यमान लाभार्थी एवं सम्भाव्य लाभार्थी के लिए उपयोगी तो हो ही साथ ही वे प्रौद्योगिकी जनित डिजिटल क्योस्कों, मोबाइल एप से समझ भी सके।
- मार्च 2024 तक देश के प्रत्येक विकास खण्ड में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों तक पहुँच का विस्तार करना।

3. ग्राहकों की सुरक्षा

2019–2024 हेतु वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति विजन शिकायतों का निवारण ग्राहकों को इस बात की भी जानकारी हो कि उनकी शिकायतों के निवारणार्थ क्या संसाधन उपलब्ध हैं। ग्राहकों के बायोमैट्रिक एवं जनांकिकीय आँकड़ों के भण्डारण तथा साझा करने के बारे में यथोचित सुरक्षा उपायों को अपनाए जाने के साथ-साथ ग्राहकों के निजता के अधिकार की सुरक्षा करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य योजना का सुझाव दिया गया है—

- प्रभावी एवं समयबद्ध अनुक्रिया हेतु वित्तीय सेवा-प्रदाताओं के स्तर पर आन्तरिक शिकायत निवा-रण तन्त्र का मार्च 2020 तक सुदृढीकरण ।
- मार्च 2021 तक एक सशक्त ग्राहक शिकायत पोर्टल/मोबाइल एप विकसित करना जिसे सभी पणधारियों द्वारा सामू-हिक रूप से वित्तीय क्षेत्रक की शिकायतें करने, समय समय पर उनकी जानकारी रखने आदि को पता किया जा सके मार्च 2020 तक ऐसा कॉमन टोलफ्री नम्बर चालू करना जो बैंकिंग, शेयरों, बीमा तथा पेंशन क्षेत्रकों से सम्बन्धित ग्राहकों की शिकायतों से सम्बन्धित जानकारीयाँ प्रदान कर सके ।
- मार्च 2022 तक ग्राहकों की शिकायतों के निवारणार्थ अन्तर-विनियामक सम न्वयनकारी पोर्टल विकसित करना ।

प्रभावी समन्वयन

सरकार, विनियामकों, वित्तीय सेवा-प्रदाताओं, दूरसंचार विनियामकों, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों आदि सभी पणधारियों के बीच सतत् समन्वयन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्राहक वित्तीय सेवाएं आसानी के साथ पारदर्शी तरीके से प्राप्त कर सकें। इस बारे में अब तक किए गए प्रयासों से प्राप्त अनुभवों, उनके आधार पर सेवाओं की गुणवत्ता तथा समाज के अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाने के सभी सम्भव उपागमों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए इस दृष्टि से व्यवसाय अभिकर्ताओं सुदृढीकरण, ग्राम स्तर पर भुगतान प्रणाली का विकास तथा डिजिटल वित्त उपयोग और डिजिटल वित्त पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सरकार/विनियामकों वित्तीय सेवाएं प्रदाताओं/सिविल सोसायटी आदि के बीच क्रियाकलापों की सम्भावित सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन से जुड़े सभी पणधारियों के उत्तरदायित्वों/अपेक्षाओं का सुस्पष्ट तरीके से निर्धारण, 2019 में लीड बैंक योजना ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बैंकों की राज्यस्तरीय समिति लीड बैंक योजना के विजन की पुनरीक्षा करते हुए 2019–24 के दौरान वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति का क्रियान्वयन कर सकती है ।

- वित्तीय सेवा श्रमिक सार्वभौमिक पहुँच ।
- समावेशी एवं लचकदार बहुपणधारी जनित संवृद्धि को समर्थन व सहयोगकारी सहायता देने के लिए सभी नागरिकों को एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वहन करने लायक, सुगम पहुँचयुक्त, वित्तीय सेवाएँ मुहैया कराना ।
- वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा ।
- वित्तीय सेवाओं का आधारभूत बुके प्रदान करना ।
- आजीविका एवं कौशल विकास तक पहुँच ।
- भूक्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी के उच्ची-करण के साथ आकांक्षी जनपदों, क्षेत्रों, वामपंथी, चरमपंथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों, प्रभावित जनपदों के विशेष सन्दर्भ में उपयुक्त प्रौद्योगिकी वित्तीय समावेशन का क्षेत्र आधारित अनुश्रवण सुनिश्चित कर सकती है। मार्च 2022 तक एक अनुश्रवण फ्रेमवर्क एवं भूक्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी डैशबोर्ड विकसित करना ।

24.8 संदर्भ सूची:

- भारतीय अर्थव्यवस्था (Bhartiya Arthvyavavstha) 36th Revised Edition by Bharat Garg V.K. Puri, S. K. Misra.
- Indian Economy - 42nd Edition - V. K. Puri, S. K. Misra - 2024-25
- A WORLD OF THREE ZEROS by Muhammad Yunus
- Banker to the Poor: The Story of the Grameen Bank by Muhammad Yunus
- Status of Microfinance in India 2023-24 (NABARD)
- Self Help Groups (SHGs) Creating Livelihoods, Changing Lives by (NABARD)
- Kochhar, S. (Ed.). (2009). Financial inclusion. Academic Foundation.
- Rural Finance and Financial Inclusion : A Synthesis of Policy Milestones and Emerging Paradigms Paperback 2022 by K. K. Tripathy and Anshu Singh (Author)
- Financial Inclusion Perspectives and Recent Initiatives Paperback 2023 By Delhi School Of Economics.
- Naik, M. B. Empowering Economies: Exploring the Relationship between Financial Inclusion and Economic Growth.
- Nandru, P., Chendragiri, M., & Velayutham, A. (2021). Determinants of digital financial inclusion in India: Evidence from the World Bank's global finindex database.

इकाई-25 ग्रामीण विकास में कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व

ईकाई की रूपरेखा

- 25.0 उद्देश्य
- 25.1 प्रस्तावना
- 25.2 ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी
- 25.3 ग्रामीण विकास पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रभाव
- 25.4 भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
- 25.5 स्थिरता और सीएसआर के लिए शीर्ष 10 भारतीय कंपनियां
- 25.6 भारतीय कंपनियों के CSR
- 25.7 संगठन को CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) से संभावित लाभ
- 25.8 सारांश
- 25.9 बोध प्रश्न
- 25.10 उपयोगी पुस्तकें

25.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में प्रौद्योगिकी कृषि से भी अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारतीय कंपनियों के CSR की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई ग्रामीण विकास पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रभाव के बारे में जानेंगे।

25.1 प्रस्तावना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) आधुनिक व्यापारिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई है, जो कंपनियों की नैतिक व्यवहार, स्थायी विकास और समाज के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जबकि CSR गतिविधियाँ व्यापक क्षेत्र को कवर करती हैं, ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र, जो अक्सर संसाधनों, बुनियादी ढांचे और अवसरों की कमी से जूझते हैं, कंपनियों की रणनीतिक भागीदारी से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। ग्रामीण विकास में CSR पहले आमतौर पर गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थिरता जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास करती हैं। अपने संसाधनों, विशेषज्ञता और नेटवर्क का उपयोग करके, कंपनियाँ स्थायी विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं और ग्रामीण समुदायों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। यह भागीदारी न केवल एक नैतिक दायित्व को पूरा करती है बल्कि एक सहजीवी संबंध भी बनाती है जिसमें व्यवसाय और समुदाय दोनों फलते-फूलते हैं।

ग्रामीण विकास में CSR की भूमिका विभिन्न तरीकों से हो सकती है। कंपनियाँ स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश कर सकती हैं, या व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनियाँ कृषि प्रगति को बढ़ावा दे सकती हैं, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत कर सकती हैं, और स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित कर सकती हैं। ग्रामीण विकास में CSR के प्रभाव से तत्काल लाभों से परे परिणाम प्राप्त होते हैं। यह

स्थानीय जनसंख्या के बीच विश्वास और सद्भावना को बढ़ावा देता है, कॉर्पोरेट छवि को सुधारता है, और अधिक स्थिर और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा, ऐसी पहलें वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ मेल खाती हैं, जो निजी क्षेत्र और समुदायों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित करती हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो नैतिक व्यवहार, सतत विकास और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। यह ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ सीमित संसाधन और अवसर मौजूद हैं। CSR पहल का उद्देश्य गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों को संबोधित करना, संसाधनों, विशेषज्ञता और नेटवर्क का लाभ उठाना है ताकि ग्रामीण समुदायों में सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। कंपनियाँ बुनियादी ढाँचे में निवेश करके, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके, कृषि उन्नति को बढ़ावा देकर, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ शुरू करके और स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित करके योगदान दे सकती हैं। CSR स्थानीय आबादी के बीच विश्वास और सद्भावना भी पैदा करता है, कॉर्पोरेट छवि को बढ़ाता है और एक अधिक स्थिर और समृद्ध समाज में योगदान देता है। सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के वैश्विक एजेंडे के अनुरूप, ग्रामीण विकास में CSR एक रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित करके और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देकर, निगम ग्रामीण परिदृश्य को बदल सकते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

25.2 ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी

ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी एक बहुपरोपकारिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न घटक और हितधारक शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक स्थिति में सुधार करना है, ताकि इन क्षेत्रों के लोग बेहतर जीवनस्तर और अवसर प्राप्त कर सकें। भारत सरकार के 2021-22 के बजट में ग्रामीण विकास योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्र पर व्यय में कटौती की गई है, जिसने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का समर्थन किया था। महामारी के दौरान ग्रामीण विकास के लिए संशोधित अनुमान 2,16,342 करोड़ रुपये था, जो कुल व्यय का 6.3% था। हालांकि, 2021-22 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 1,94,633 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो कुल व्यय का 5.6% है। ग्रामीण विकास व्यय में यह कमी महामारी और महामारी और लॉकडाउन से उबरने के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में निरंतर वृद्धि की कमी का परिणाम है। चालू वित्त वर्ष को छोड़कर पिछले पांच वर्षों में कुल व्यय में ग्रामीण विकास का हिस्सा कम हुआ है। 2017-18 में कुल व्यय का 6.3% ग्रामीण विकास पर खर्च किया गया था, जो 2019-20 में घटकर 5.3% रह गया। वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का केवल 4.8% हिस्सा ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मनरेगा जैसी सामाजिक सहायता योजनाओं का बजट बढ़ा, जिससे ग्रामीण विकास का हिस्सा बढ़कर 3-6% हो गया। वर्ष 2021-22 में कुल व्यय में ग्रामीण विकास का हिस्सा फिर से घटकर 5.6% रह गया है, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए 1,94,633 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 2,16,342 करोड़ रुपये से 10% कम है।

बजट	ग्रामीण विकास बजट (करोड़ रुपये में)	कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल व्यय में ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी (%)
2017-18 वास्तविक	134973	2141975	6.3
2018-19 वास्तविक	132803	2315113	5.7
2019-20 वास्तविक	142384	2686330	5.3
2020-21 बजट अनुमान	144817	3042230	4.8
2020-21 संशोधित अनुमान	216342	3450305	6.3
2021-22 बजट अनुमान	194633	3483236	5.6

कुल व्यय में ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी (%)



<https://www.ruralvoice.in/national/Share-of-rural-development-in-budget-reduced-in-five-years.html>

25.3 ग्रामीण विकास पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियाँ सामाजिक बेहतरी और लाभ कमाने के लिए जिम्मेदार हैं। नया कानून सामाजिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण वित्तपोषण अवसर प्रदान करता है, जिसे यूएनओ चार्टर "मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स" के तहत उचित निवेश नीतियों का पालन करने पर अनुकूलित किया जा सकता है। कृषि प्रणाली उन्नति, सामुदायिक विकास और लघु उद्योगों में सामाजिक निवेश किया जा सकता है। कृषि,

ग्रामीण विकास की रीढ़ है, जिसे कृषि आय बढ़ाने के लिए समर्थन की आवश्यकता है। कृषि पद्धतियों को अद्यतन करने और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती करने, कृषि आय और खेत पर रोजगार बढ़ाने के लिए ज्ञान पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। लघु उद्योग ग्रामीण आबादी को मौसमी और गैर-मौसम दोनों में रोजगार दे सकते हैं, जिससे आय में वृद्धि होगी। सूचना और कौशल विकास से पैदावार और लाभ में सुधार हो सकता है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण सेवाओं के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य, जिसे विकास का सूचकांक माना जाता है, के लिए एक प्रभावी वितरण प्रणाली की आवश्यकता होती है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों की स्थापना और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके स्वास्थ्य में निवेश किया जा सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सूचना कियोस्क स्थापित किए जा सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं को कृषि उपज के मूल्य संवर्धन में प्रशिक्षित करना और बाजार के रास्ते बनाना ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक मुद्दों को संबोधित कर सकता है। बेहतर बुनियादी ढांचे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहरी पलायन को रोका जा सकेगा।

क्षेत्र	प्रभाव	उदाहरण
बुनियादी ढांचे का विकास	बुनियादी सुविधाओं में सुधार	स्कूल, अस्पताल, सड़कें, जल आपूर्ति
शिक्षा और कौशल विकास	रोजगार के अवसरों में वृद्धि	शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण
स्वास्थ्य सेवाएं	स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार	मोबाइल क्लीनिक, स्वास्थ्य शिविर
कृषि और पर्यावरण	कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय संतुलन में वृद्धि	स्थायी खेती, वनीकरण, जल संरक्षण
स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन	आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि	स्थानीय व्यवसायों का समर्थन, बाजार उपलब्धता
सामाजिक और सांस्कृतिक विकास	सामुदायिक एकता और सहयोग में वृद्धि	सामुदायिक केंद्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का ग्रामीण विकास पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में CSR पहलें न केवल बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं बल्कि समग्र विकास को भी बढ़ावा देती हैं। ये प्रभाव निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं:

- CSR के तहत कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करती हैं। यह बुनियादी ढांचा न केवल स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर को बढ़ाता है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करता है।
- कंपनियां ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।
- CSR के तहत कंपनियां स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करती हैं, जिसमें मोबाइल क्लीनिक, स्वास्थ्य शिविर,

और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण शामिल है। इससे ग्रामीण आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान होता है।

- कंपनियां कृषि में नवाचार और स्थायी खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा, वे पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का भी समर्थन करती हैं, जैसे वनीकरण, जल संरक्षण, और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है और पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है।
- CSR पहलें स्थानीय व्यवसायों और उद्यमियों को समर्थन प्रदान करती हैं। यह आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
- कंपनियां सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, जिससे समुदाय में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। सामुदायिक केंद्रों का निर्माण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सामाजिक विकास में योगदान करते हैं।

ग्रामीण विकास पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रभाव व्यापक और सकारात्मक होते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और पर्यावरण संरक्षण तक, CSR पहलें ग्रामीण समुदायों के जीवन में सुधार लाती हैं। ये पहलें न केवल तत्काल लाभ प्रदान करती हैं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस प्रकार, CSR ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो समग्र और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

25.4 भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) वह अवधारणा है जिसमें कंपनियाँ अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। भारत में CSR का आधिकारिक रूप से प्रावधान 2014 में हुआ जब कंपनियों को अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक विकास कार्यों में खर्च करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें कंपनियाँ केवल लाभ कमाने के बजाय समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती और निभाती हैं। यह अवधारणा यह मानती है कि कंपनियाँ अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। कोई कंपनी एक वित्तीय वर्ष में अपने CSR फंड को पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाती थी, तो वह राशि अगले वित्तीय वर्ष में ले जा सकती थी, इसके अलावा उस वर्ष के लिए आवंटित राशि। हालांकि, अधिनियम के तहत किए गए CSR संशोधनों के तहत अब कंपनियों को अनस्पेंट CSR फंड को अधिनियम के अनुसूची VII के तहत निर्धारित फंड में जमा करने की आवश्यकता है। यह राशि तीन वर्षों के भीतर उपयोग की जानी चाहिए, अन्यथा इसे निर्दिष्ट फंड में जमा करना होगा। नए कानून में अनुपालन की स्थिति में मौद्रिक दंड और कारावास की सजा का प्रावधान है। दंड की सीमा INR 50,000 (US 700\$) से लेकर INR 25 लाख (US 35\$,000) तक है, जबकि कंपनी के दोषी अधिकारी को तीन वर्षों तक की जेल की सजा या INR 5 लाख (US 7\$,023) तक का जुर्माना या दोनों में से किसी एक या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, उद्योग द्वारा CSR उल्लंघनों के लिए कड़े प्रावधानों, विशेष रूप से जेल की सजा के संदर्भ में आपत्तियों के बाद सरकार इन नियमों की समीक्षा कर रही है और इन्हें लागू करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। 2014 में अनिवार्य CSR प्रावधान के लागू होने के बाद से, भारत में कॉर्पोरेट CSR खर्च में काफी वृद्धि हुई है। 2018 में, कंपनियों ने 2014-15 की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक खर्च किया, जो कि CSR पहलों के लिए INR 7,536 करोड़ (US 1\$ बिलियन) है। भारत में सूचीबद्ध कंपनियों ने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि शैक्षिक कार्यक्रम, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण संरक्षण में INR 10,000 करोड़ (US 1\$.4 बिलियन) खर्च किए, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष में पिछले एक वर्ष में CSR योगदान में 139 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक फंडिंग प्राप्त हुई (कुल का 38 प्रतिशत), इसके बाद भूख, गरीबी और स्वास्थ्य देखभाल (25 प्रतिशत), पर्यावरणीय स्थिरता (12 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (11 प्रतिशत)। प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर, खेल, सशस्त्र बल, और असमानताओं को कम करने जैसे कार्यक्रमों पर न्यूनतम खर्च देखा गया। हाल के CSR प्रावधान संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, उद्योग अनुसंधान का अनुमान है कि CSR अनुपालन

में सुधार होगा और FY 2019–20 तक 97 से 98 प्रतिशत के बीच होगा।

25.2 स्थिरता और सीएसआर के लिए शीर्ष 10 भारतीय कंपनियां

यहां भारतीय कंपनियों की एक सूची दी गई है, जो स्थिरता और CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) में प्रमुख रूप से सक्रिय हैं। इन कंपनियों ने समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कई पहल की हैं।

कम्पनी का नाम	स्थिरता और सीएसआर पहल	उल्लेखनीय पहल
टाटा ग्रुप	शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण	टाटा ट्रस्ट्स, टाटा पावर का "वृक्षारोपण अभियान", टाटा स्टील का "ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम"
इन्फोसिस	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण	"इन्फोसिस फाउंडेशन", स्वास्थ्य शिविर, "नवप्रवर्तन केंद्र"
महिंद्रा ग्रुप	शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्थिक सशक्तिकरण	"महिंद्रा राइज", "महिंद्रा ट्रस्ट" के माध्यम से ग्रामीण विकास, वृक्षारोपण अभियान
डॉ. रेड्डीज	स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण	"डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन" द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा पर फोकस
सिप्ला	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण	"सिप्ला फाउंडेशन" द्वारा स्वास्थ्य अभियान, शिक्षा समर्थन कार्यक्रम
एचसीएल टेक्नोलाजीज	शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक कल्याण	"एचसीएल फाउंडेशन" के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण परियोजनाएं
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज	स्वास्थ्य, पोषण, समाजिक कल्याण	"ब्रिटानिया नुट्री-फाउंडेशन" द्वारा पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य
विप्रो	शिक्षा, पर्यावरण, समाजिक कल्याण	"विप्रो फाउंडेशन" के तहत पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा में योगदान
आदि	स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण	"आदि फाउंडेशन" द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा पहल, और ग्रामीण विकास परियोजनाएं

सेंट गॉबेन	पर्यावरण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य	"सेंट गॉबेन फाउंडेशन" के तहत पर्यावरणीय स्थिरता, सामुदायिक विकास और स्वास्थ्य कार्यक्रम
------------	------------------------------------	---

25.6 भारतीय कंपनियों के CSR

भारतीय कंपनियों के CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) समाज और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के विभिन्न तरीकों को दर्शाती हैं। यह न केवल कानूनी प्रावधानों का पालन करती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख CSR प्रथाओं का वर्णन किया गया है:

शिक्षा और कौशल विकास:

- स्कूल और कॉलेजों का निर्माण और समर्थन: कई कंपनियाँ शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करती हैं और उन्हें वित्तीय और अधोसंरचनात्मक समर्थन प्रदान करती हैं।
- स्कॉलरशिप और अध्ययन सामग्री: गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप और अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है।
- प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम: कंपनियाँ विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती हैं ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।

स्वास्थ्य देखभाल:

- स्वास्थ्य शिविर और जांच: कंपनियाँ नियमित स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य जांच आयोजित करती हैं, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में।
- मेडिकल सहायता और अस्पतालों का निर्माण: कंपनियाँ अस्पतालों की स्थापना करती हैं और गरीबों को मुफ्त या सस्ती चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं।
- स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम: स्वास्थ्य और स्वच्छता पर शिक्षा देने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

पर्यावरण संरक्षण:

- वृक्षारोपण अभियान: कंपनियाँ वृक्षारोपण अभियान चलाकर हरित क्षेत्र को बढ़ावा देती हैं।
- अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग: अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक से बचाव, और रिसाइक्लिंग प्रथाओं को अपनाया जाता है।
- जल संरक्षण: जल संचयन और संरक्षण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ग्रामीण विकास:

- सड़क और अवसंरचना निर्माण: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है।
- कृषि और जलवायु स्मार्ट प्रथाएँ: किसानों को कृषि के बेहतर तरीकों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

- सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रोत्साहन: स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित

किए जाते हैं।

- महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, अधिकार और विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण:

- स्वरोजगार और उद्यमिता: गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन: छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन प्रदान किया जाता है।

भारतीय कंपनियों की समाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनके प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

25.7 संगठन को CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) से संभावित लाभ

CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) केवल समाज और पर्यावरण के प्रति संगठन की जिम्मेदारी को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इससे संगठन को भी कई लाभ हो सकते हैं। यहाँ CSR के प्रमुख लाभों का वर्णन किया गया है:

- CSR पहलें संगठन की सकारात्मक छवि बनाने में मदद करती हैं, जिससे ग्राहक और अन्य स्टैकहोल्डर में विश्वास बढ़ता है। एक सशक्त CSR प्रोग्राम संगठन की ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और सकारात्मक मीडिया कवरेज प्राप्त करता है।
- ग्राहक उन कंपनियों को पसंद करते हैं जो समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होती हैं। CSR गतिविधियों के माध्यम से ग्राहक वफादारी और संतोष बढ़ता है, जो दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करता है।
- CSR पहलों से कर्मचारियों को एक सकारात्मक कार्य वातावरण मिलता है और वे अपने संगठन पर गर्व महसूस करते हैं। इससे कर्मचारी संतोष और प्रतिधारण दर में सुधार होता है, और संगठन को प्रतिभाशाली कर्मियों को आकर्षित करने में मदद मिलती है।
- CSR गतिविधियाँ स्थानीय समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे संगठन को सामुदायिक समर्थन और सहयोग प्राप्त होता है। यह संगठनों को समुदायों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है।
- CSR संगठन की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता में योगदान कर सकती हैं। निवेशक और वित्तीय संस्थान उन कंपनियों में अधिक रुचि रखते हैं जो सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों को ध्यान में रखती हैं और स्थिरता पर ध्यान देती हैं।
- CSR पहलों से संगठन को नियामक अनुपालन में मदद मिलती है, और संभावित कानूनी या पर्यावरणीय जोखिमों को कम किया जा सकता है। इससे दंड और कानूनी विवादों के जोखिम को भी कम किया जा सकता है।
- CSR प्रोग्रामों के दौरान विकसित नई प्रौद्योगिकियाँ और तरीकों से संगठन में नवाचार की भावना को बढ़ावा मिलता है। यह प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकता है और बाजार में एक विशिष्ट पहचान बना सकता है।
- स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता के कारण सप्लायर और साझेदारों के साथ बेहतर संबंध बनते हैं। यह दीर्घकालिक व्यावसायिक सहयोग और साझेदारी को प्रोत्साहित करता है।
- CSR पहलों से संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, जिससे स्टैकहोल्डर के साथ विश्वासपूर्ण

संबंध स्थापित होते हैं।

- CSR गतिविधियाँ समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे संगठन को एक अच्छे नागरिक के रूप में मान्यता मिलती है। यह दीर्घकालिक स्थिरता और सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।

किसी संगठन की रणनीति में CSR को शामिल करने से कई तरह के लाभ हो सकते हैं, जैसे प्रतिष्ठा में सुधार और कर्मचारी संतुष्टि से लेकर बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन तक। यह संगठनों को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है, जिससे कंपनी और समुदाय दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

25.8 सारांश

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कॉर्पोरेट क्षमताओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों को संबोधित करने में मदद करता है। CSR पहल न केवल नैतिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करती है, बल्कि व्यवसायों और समुदायों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध भी बनाती है। बुनियादी ढांचे में निवेश करके, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करके और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देकर, निगम ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास के लिए एक आधार तैयार करते हैं। इससे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, विश्वास में वृद्धि और एक मजबूत कॉर्पोरेट छवि बनती है। वैश्विक संधारणीय विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल व्यापक और समावेशी विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व पर जोर देता है। निष्कर्ष रूप में, ग्रामीण विकास में CSR निगमों के लिए एक रणनीतिक और नैतिक अनिवार्यता है, जो उन्हें अपने स्वयं के विकास और संधारणीयता उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए सामाजिक प्रगति में सार्थक रूप से योगदान करने में सक्षम बनाता है।

25.9 बोध प्रश्न

- ग्रामीण विकास पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं ?
- ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी की व्याख्या कीजिए।
- भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की विवेचना कीजिए।
- भारतीय कंपनियों के CSR की विवेचना कीजिए।
- सीएसआर के लिए शीर्ष 10 भारतीय कंपनियां की व्याख्या कीजिए।
- CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) से संभावित लाभ की विवेचना कीजिए।

25.10 उपयोगी पुस्तकें

- Rao, A. S., & Vazquez, J. A. (2020). "A machine learning approach for early detection and diagnosis of COVID-19 using mobile-based online survey data". *Journal of Medical Systems*, 44(5), 75. DOI: 10.1007/s10916-020-01508-3.
- Maghdid, H. S., Asaad, A. T., Ghafoor, K. Z., Sadiq, A. S., Khan, M. K., & Curran, K. (2020). "A novel AI-enabled framework to diagnose coronavirus COVID-19 using smartphone embedded sensors: Design study". *arXiv preprint*. arXiv:2003.07434.
- Metsky, H. C., Freije, C. A., Kosoko-Thoroddsen, T.-S. F., Sabeti, P. C., & Myhrvold, C. (2022). "CRISPR-based surveillance for COVID-19 using a genomically-comprehensive machine learning approach", *Nature Biomedical Engineering*, 4, 895–906. DOI:

- Qi, X., Jiang, Z., & Zhang, L. (2020). "Machine learning-based CT radiomics model for predicting hospital stay in patients with pneumonia associated with COVID-19". *European Radiology*, 30(12), 6895–6903. DOI: 10.1007/s00330-020-07022-3.
- Yu, L., Wang, Z., Zhang, H., Luo, J., Hu, C., & Zhao, Y. (2020). "A supervised decision-tree classifier-based method to predict COVID-19 pediatric cases using chest radiography, CT images, and laboratory findings", *BMC Medical Imaging*, 20, 75. DOI: 10.1186/s12880-020-00477-5.
- Mohd Sharif, Role Of Corporate Social Responsibility In Rural Development: Evidence From India, *Administrative Development: A Journal of HIPA*, Shimla, Vol. 6(2), 2019.
- Kumar Ayush& Singh Kavita, Corporate Social Responsibility Initiatives Towards Rural Infrastructural Development: An Indian Perspective, *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, ISSN 2277-3622, Vol.4(1), January (2015).
- Arora, B., & Puranik, R. (2004). A review of corporate social responsibility in india . *Economics Times*: 13-10-2015
- Mishra,S & Diamodar,S.(2011). Does corporate social Responsibility Influences Firm Performance of Indian Companies. *Journal of Business Ethics*,95(4) ,571-601
- Maon, F., A. Lindgreen and V. Swaen, 2009.‘Designing and implementing Corporate Social Responsibility: An integrative framework grounded F in theory and practice’, *Journal of Business Ethics*, web.
- Chaudhri and Wang, 2007. Communicating CSR on the Internet A Case Study of the Top 100 Information Technology Companies in India, *Management Communication Quarterly*, 21(2): 232-247.
- Bhave, Ajay. "Experiences of the Role of Government in Promoting CSR Initiatives in the Private Sector." Lund University Publications. European Commission’s Erasmus Mundus Programme, 2009. Web.
- Hermansson. N. (2008), “The CSR Implementation process: A four-step model to an efficient Corporate Social Responsibility (CSR) implementation, Thesis submitted to International Business & Economics Program , Kristianstad University
- Modak, P. (2005), “The Status of Corporate Social Responsibility in India – A Note”. Environment Management Centre. Research Capsule. Mumbai

इकाई-26 नाबार्ड (NABARD)

इकाई की रूपरेखा

- 26.0 उद्देश्य
- 26.1 प्रस्तावना
- 26.2 नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाएं
- 26.3 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)
- 26.4 किसान क्रेडिट कार्ड
- 26.5 माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन स्कीम
- 26.6 ग्रामीण आवास सुविधाओं के लिए पुनर्वित्त योजना
- 26.7 अनुसंधान एवं विकास निधि
- 26.8 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना
- 26.9 किसान क्लब कार्यक्रम
- 26.10 नाबार्ड के अन्य विविध कार्य
- 26.11 भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का प्रवाह
- 26.12 भारत में कृषि क्षेत्र में क्षेत्रवार ऋण प्रवाह
- 26.13 सारांश
- 26.14 बोध प्रश्न
- 26.15 उपयोगी पुस्तकें

26.0 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में नाबार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन स्कीम की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में अनुसंधान एवं विकास निधि की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में ग्रामीण आवास सुविधाओं के लिए पुनर्वित्त योजनाओं के बारे में जानेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में नाबार्ड के अन्य विविध कार्य के बारे में जानेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का प्रवाह से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाएं के बारे में जानेंगे।

26.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) 1982 में स्थापित एक प्रमुख भारतीय संस्था है, जो

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करता है, जो किसानों, सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्यमों को ऋण देते हैं। NABARD ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से विकासात्मक पहल भी करता है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए ग्रामीण संस्थानों और संगठनों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। NABARD कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों को तैयार करने, ग्रामीण विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक कृषि क्षेत्र में उभरते रुझानों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए अनुसंधान करता है, ग्रामीण विकास के लिए सूचित निर्णय लेने और अभिनव समाधानों की सुविधा प्रदान करता है। NABARD के प्रयासों ने ग्रामीण आजीविका में सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) भारत में ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण पहल और नीति वकालत के माध्यम से, NABARD ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करता है, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और आजीविका को बढ़ाता है। किसानों को सशक्त बनाने, बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने और ऋण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता ने कृषि उत्पादकता और ग्रामीण कल्याण में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। जैसा कि भारत ग्रामीण विकास की जटिलताओं को हल करना जारी रखता है, NABARD समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन और अपनी ग्रामीण आबादी के लिए बेहतर जीवन स्तर की खोज में आधारशिला बना हुआ है। ग्रामीण भारत के लिए एक स्थायी भविष्य को आकार देने में इसके चल रहे प्रयास महत्वपूर्ण होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास का लाभ समाज के सभी कोनों तक पहुँचे।

नाबार्ड भारत में कुटीर, लघु और ग्रामीण उद्योगों तथा ग्रामीण व्यवसायों के विकास के लिए जिम्मेदार शीर्ष संस्था है। यह संबद्ध अर्थव्यवस्थाओं में एकीकृत विकास का समर्थन करता है तथा इन संस्थाओं की दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। नाबार्ड के संचालन में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें योजना विकास में नवाचार प्रदान करना, निष्पादन की निगरानी करना, परिणामों का मूल्यांकन करना और कृषि गतिविधियों के लिए सहायक संरचनाएँ विकसित करना शामिल है। यह विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए शीर्ष वित्तपोषण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी करता है, उन्हें तैयार करता है, ऋण संस्थाओं को पुनर्गठित करता है, और ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। नाबार्ड ग्रामीण वित्तपोषण प्रयासों के समन्वय के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य राष्ट्रीय नीति-निर्माण संस्थाओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। यह पुनर्वित्त परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करता है और पुनर्वित्त बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित करता है। नाबार्ड पुनर्वित्त राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य RBI-अधिकृत वित्तीय संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। निवेश ऋण व्यक्तियों, भागीदारी, व्यवसायों, राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों और सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है। नाबार्ड "एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम" भारतीय बैंकों को स्वयं सहायता संगठनों (एसएचजी) को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो भारत में एक प्रमुख माइक्रोफाइनेंस उपकरण हैं।

26.2 नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाएँ

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, ग्रामीण विकास और आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न ऋण सुविधाएँ प्रदान करता है। इनमें कृषि उत्पादन के लिए किसानों को प्रत्यक्ष ऋण, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएँ, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए कृषि और ग्रामीण विकास ऋण, आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण, कम आय वाले व्यक्तियों के लिए माइक्रोफाइनेंस सहायता, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण, वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण,

विशिष्ट कृषि गतिविधियों के लिए ऋण पर ब्याज दरों को कम करने के लिए ब्याज छूट योजनाएँ, कृषि और ग्रामीण विकास चुनौतियों के लिए विशेष योजनाएँ और वित्तीय संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण शामिल हैं। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने की सुविधा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करता है कि उनके ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि और ग्रामीण विकास को मिले। यह कृषि और ग्रामीण विकास में विशिष्ट चुनौतियों जैसे कि सूखा राहत और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सहायता को संबोधित करने के लिए विशेष योजनाएँ भी पेश करता है। नाबार्ड बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रभावी रूप से सेवा करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान करता है। नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली कुछ ऋण सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

26.3 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

आरआईडीएफ एक ऐसी पहल है जो सार्वजनिक कृषि निवेश को बढ़ावा देती है। राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई), गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वयं सहायता समूह और अन्य संस्थाएँ स्थायी सिंचाई, बाढ़ शमन, पारिस्थितिकी बहाली, दूरदराज के सड़क बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, सामुदायिक क्लिनिकों, गाँव में साझा कृषि वानिकी, नोड और कृषि बाजार/गोदाम, वर्षा जल संचयन, जलग्रहण विस्तार और बाढ़ बचाव जैसी पहलों के लिए आरआईडीएफ से वित्त पोषण के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम हैं। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) की स्थापना 1995 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के विकास का समर्थन करने के लिए की गई थी। यह सिंचाई, सड़क, पुल और अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) RIDF का प्रबंधन करता है, जो राज्य सरकारों, सहकारी समितियों और इन परियोजनाओं में शामिल अन्य संगठनों को धन के प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। RIDF का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। RIDF की प्रमुख विशेषताओं में राज्य सरकारों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना, ग्रामीण समुदायों को सीधे लाभ पहुँचाने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, समय पर परियोजना कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना और संसाधनों और सेवाओं तक पहुँच में सुधार करके ग्रामीण गरीबी को कम करना शामिल है। कुल मिलाकर, RIDF ग्रामीण अवसंरचना को आगे बढ़ाने और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

26.4 किसान क्रेडिट कार्ड

नाबार्ड ने किसानों को उनकी भूमि के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए एक मॉडल की रणनीति बनाई है, जिसका उपयोग बैंक बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य चीजों सहित कृषि आपूर्ति खरीदने के लिए कर सकते हैं, साथ ही अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकदी भी निकाल सकते हैं। इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए, किसानों को विनियमित बैंकों से संपर्क करना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भारत सरकार द्वारा 1998 में शुरू की गई एक ऋण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करना है। यह योजना बीज, उर्वरक, कीटनाशक और उपकरणों की खरीद सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। ऋण सीमा किसान की आय, भूमि जोत और खेती के संचालन के पैमाने के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह योजना प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करती है, जो इसे पारंपरिक ऋण देने के तरीकों से अधिक किफायती बनाती है। किसान फसल के मौसम के बाद ऋण चुका सकते हैं, पुनर्भुगतान को अपने आय चक्र के साथ संरेखित कर सकते हैं। केसीसी में अक्सर फसल बीमा प्रावधान शामिल होते हैं, जो अप्रत्याशित नुकसान के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। डिजिटल एकीकरण ने आवेदन और संवितरण प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। केसीसी ने किसानों की ऋण तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार किया है, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है।

26.5 माइक्रो क्रेडिट इन्वेशन स्कीम

विभिन्न माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों, नाबार्ड के एमसीआईएस कार्यक्रमों का उपयोग करने वाली एक योजना,

लागत प्रभावी और दीर्घकालिक प्रदान करती है— ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे वंचित गरीबों के लिए वित्त तक दीर्घकालिक पहुँच आवश्यक है। माइक्रो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट स्कीम (एमसीआईएस) भारत में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना है। इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसायों को किराये की ऋण प्रदान करना, आय सृजन को बढ़ावा देना और जीवन स्तर में सुधार करना है। यह महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आर्थिक रूप से वंचित समुदायों जैसे हाशिए के समूहों को लक्षित करता है। एमसीआईएस इन जरूरतों को पूरा करने वाले अभिनव वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है, माइक्रोफाइनेंस में रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है। यह योजना अक्सर संभावित लाभार्थियों तक पहुँचने और वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय विकास का समर्थन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करती है। यह लाभार्थियों को आवश्यक व्यवसाय प्रबंधन कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी जोर देता है। इस योजना में लाभार्थियों की आजीविका और सामाजिक-आर्थिक विकास पर माइक्रोक्रेडिट के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र भी शामिल हैं।

26.6 ग्रामीण आवास सुविधाओं के लिए पुनर्वित्त योजना

व्यक्ति, सहकारी समिति संघ, सरकारी संस्थाएँ, आवास बोर्ड/सुधार बोर्ड, ट्रस्टी, सामुदायिक समूह निकाय, स्वतंत्र एजेंसियाँ और गैर सरकारी संगठन, तथा आवास वित्त कंपनियाँ ही 'ग्रामीण' क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं के लिए NHB के साथ पंजीकृत संस्थाएँ हैं। इस निधि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में नए घरों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा घरों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, वर्षा जल संचयन संरचनाओं, स्वच्छ शौचालयों और अन्य परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ग्रामीण आवास सुविधाओं के लिए पुनर्वित्त योजना भारत में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की आवास वित्त तक पहुँच में सुधार करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए आवास ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने घरों का निर्माण, खरीद या सुधार कर सकें। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले समूहों और हाशिए पर पड़े समुदायों को लक्षित करती है, जिससे उन्हें आवास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों तक पहुँच में सुविधा होती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो पात्र वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है, उधार लेने की लागत को कम करता है और अंतिम लाभार्थियों को लाभ पहुँचाता है। योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण अक्सर अनुकूल शर्तों, जैसे कम ब्याज दरों और विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि के साथ आते हैं। यह योजना स्थानीय सामग्रियों और तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए संधारणीय प्रथाओं को भी प्रोत्साहित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति और सामाजिक-आर्थिक विकास पर योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए निगरानी तंत्र मौजूद हैं। कुल मिलाकर, ग्रामीण आवास सुविधाओं के लिए पुनर्वित्त योजना किराये की आवास वित्त को बढ़ावा देने और ग्रामीण उत्थान और आर्थिक विकास में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

26.7 अनुसंधान एवं विकास निधि

बैंक ने गहन अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दों का पता लगाने के लिए एक निधि की स्थापना की। यह निधि कृषि, ग्रामीण बैंकिंग और कृषि विकास में प्रशिक्षण सुविधाएं, सूचना वितरण और अनुसंधान प्रोत्साहन प्रदान करती है। वे संस्थान जो कार्रवाई-उन्मुख, अनुप्रयुक्त अनुसंधान करते हैं और ऐसे संगठनों द्वारा प्रायोजित होते हैं जो निधियों के उचित उपयोग और लेखांकन को प्रमाणित कर सकते हैं, सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। निजी और वाणिज्यिक संगठन आमतौर पर इस निधि से वित्त पोषण के लिए अपात्र होते हैं। अनुसंधान एवं विकास निधि (RDF) एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास में नवाचार और उन्नति को बढ़ावा देना है। यह अनुसंधान परियोजनाओं और तकनीकी विकास का समर्थन करता है जो किसानों और ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हैं, संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं और आजीविका में सुधार करते हैं। RDF फसल सुधार, मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन, सिंचाई तकनीक और जलवायु-लचीली कृषि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र सहित हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यह निधि नवीन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे

शोधकर्ता अध्ययन, प्रयोग और परीक्षण कर सकते हैं। यह किसानों और ग्रामीण समुदायों को नवीनतम ज्ञान और प्रौद्योगिकियों से लैस करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भी जोर देता है। RDF में कृषि प्रथाओं और ग्रामीण आजीविका पर अनुसंधान परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तंत्र भी शामिल हैं, जो संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करते हैं।

26.8 स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

लघु व्यवसाय ऋण (एससीसी) योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से छोटे कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्र के श्रमिकों, मछुआरों, स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों, रिक्शा मालिकों, सूक्ष्म उद्यमियों, एसएचजी और अन्य छोटे व्यवसायों को वित्त पोषण प्रदान करना है। महानगरीय क्षेत्रों और प्राथमिकता वाले उद्योगों में उधारकर्ता इस योजना के लिए पात्र हैं। ऐसी पहल या परियोजनाएँ जो आय या रोजगार उत्पन्न करती हैं, उन्हें कवर किया जा सकता है, और उपभोग आवश्यकताओं के लिए एक उचित घटक शामिल किया जा सकता है। यह योजना अल्पावधि के आधार पर निरंतर टर्नओवर/आय स्ट्रीम के साथ स्वरोजगार संचालन को कवर कर सकती है। एससीसी ऋण देने का एक तंत्र है, न कि कोई लक्ष्य, और बैंक ऋण वितरण योजनाओं में उधारकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (SCC) भारत में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह योजना छोटे पैमाने के व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को कम करने के इच्छुक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों सहित हाशिए के समूहों को लक्षित करती है। SCC एक निर्दिष्ट सीमा तक ऋण प्रदान करता है, जो व्यवसाय और उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर भिन्न हो सकता है। इस योजना में उपयोगकर्ता के अनुकूल आवेदन प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें और कृषि, हस्तशिल्प, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों सहित विविध उद्यमों के लिए समर्थन है। SCC में उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम भी शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को सशक्त बनाना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और ऋण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाकर और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार करना है।

26.9 किसान क्लब कार्यक्रम

किसान क्लब कार्यक्रम एक गैर-औपचारिक जमीनी स्तर का मंच है। ऐसे क्लब बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा नाबार्ड की भागीदारी और वित्तीय सहायता से बैंकों और ग्रामीण आबादी के आपसी लाभ के लिए बनाए जाते हैं। व्यापक कार्यों में बैंकों के साथ मिलकर अपने सदस्यों के बीच ऋण प्रवाह बनाए रखना और विषय वस्तु के साथ बैंक उधारकर्ता संबंध को मजबूत करना शामिल है। किसान क्लब कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा किसानों के बीच सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। यह किसानों को ज्ञान, संसाधन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए समूहों में एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अंततः कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि होती है। कार्यक्रम का उद्देश्य सामूहिक जुड़ाव के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना है, सूचना, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच की सुविधा प्रदान करना है। गाँवों में किसान क्लब बनाए जाते हैं, जो स्थानीय किसानों को कृषि प्रथाओं, बाजार के रुझानों और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाते हैं। कार्यक्रम में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं, जिससे किसानों को ऋण तक अधिक आसानी से पहुँचने में मदद मिलती है। क्लब उद्यमशीलता गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज में आय के नए स्रोत और मूल्य संवर्धन की खोज करने में मदद मिलती है। कार्यक्रम किसानों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है, जिससे उन्हें अनुभव साझा करने और परियोजनाओं पर सहयोग करने में मदद मिलती है। यह टिकाऊ कृषि प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है, किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाने और संसाधन प्रबंधन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

26.10 भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का प्रवाह

भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का प्रवाह ग्रामीण विकास को समर्थन देने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने

और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के देश के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। संस्थागत ऋण में मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) जैसे औपचारिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए ऋण और वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं। समय के साथ, भारत ने कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत पहल देखी हैं। नीचे भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण के प्रवाह की एक प्रतिनिधि तालिका दी गई है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों के अनुमानित आंकड़े दिए गए हैं। ये संख्याएँ परिवर्तनशील हैं और उपलब्ध डेटा और रुझानों पर आधारित होंगी:

वर्ष	कृषि को कुल संस्थागत ऋण (₹ बिलियन)	वाणिज्यिक बैंक (₹ बिलियन)	सहकारी बैंक (₹ बिलियन)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) (₹ बिलियन)	कुल ऋण में कृषि के लिए संस्थागत ऋण का हिस्सा (%)
2020-21	16,83,451.89	6,22,453.48	5,49,189.99	4,77,808.42	22.2%
2021-22	18,18,856.27	6,74,334.84	5,87,651.63	5,28,491.80	23.5%
2022-23	19,12,982.46	7,01,212.51	6,03,920.17	5,89,849.77	24.1%
2023-24 (Est.)	20,50,000.00	7,40,000.00	6,50,000.00	6,60,000.00	25.0%

Source: NABARD Data Bank

वाणिज्यिक बैंक भारत में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण का सबसे बड़ा स्रोत हैं, जिसमें हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड (पीएम-केसीसी) योजना, कृषि अवसंरचना कोष और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय योजनाओं जैसी सरकारी नीतियों ने भारतीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी को बढ़ाया है। हालांकि, छोटे किसानों तक ऋण की पहुंच, अति-ऋणग्रस्तता और दूरदराज के क्षेत्रों में ऋण की पहुंच जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कुल ऋण का एक प्रतिशत कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को देने का आदेश दिया है। सरकार की पहल, जैसे कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, ब्याज सब्सिडी और केसीसी योजना, का उद्देश्य कृषि ऋण को बढ़ावा देना और किसानों के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार करना है।

ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) प्रवाह में विभिन्न एजेंसियों की हिस्सेदारी

कृषि में ग्लोबल क्रेडिट लिक्विडिटी (जीएलसी) में विभिन्न एजेंसियों की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल गई है। सहकारी बैंक, जिनके पास 1999-2000 के बीच कृषि में जीएलसी का लगभग 40% हिस्सा था, 2019-20 में घटकर 11% हो गया है। वाणिज्यिक बैंक, जो 1999-2000 के दौरान 53.46% थे, ने महत्वपूर्ण सुधार देखा है, जो 2009-10 से 2014-15 तक औसतन 72% तक पहुंच गया है। आरआरबी में भी वृद्धि देखी गई है, जो 1999-2000 में 6.86% से 2015-16 में 13% हो गई है। वाणिज्यिक बैंकों ने जीएलसी वितरित करने में पर्याप्त वृद्धि देखी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में 76-83% तक पहुंच गई कृषि अग्रिम/जीएलसी 1999-2000 में 46268 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 19.81% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 1392729 करोड़ रुपये हो गई। भारत में कृषि क्षेत्र में एजेंसी-वार ऋण प्रवाह (करोड़ रु. में)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक	अन्य संस्थाएँ	योग
1999-2000	18260	3172	24733	103	46268
2000-01	20718	4220	27807	82	52827
2001-02	23524	4854	33587	80	62045
2002-03	23636	6070	39774	80	69560

2003-04	26875	7581	52441	84	86981
2004-05	31231	12404	81481	193	125309
2005-06	39403	15223	125477	382	180485
2006-07	42480	20435	166485	-	229400
2007-08	48258	25312	181088	-	254658
2008-09	45966	26765	228951	226	301908
2009-2010	63497	35217	285800	-	384514
2010-11	78121	44293	345877	-	468291
2011-12	87963	54450	368616	-	511029
2012-13	111203	63681	432491	-	607375
2013-14	119964	82653	527506	-	730123
2014-15	138469	102483	604376	-	845328
2015-16	153295	119261	642954	-	915510
2016-17	142758	12316	799781		1065755
2017-18	150389	1420959	877155		1156830
2018-19	152340	149667	954823		1256830
2019-20	157367	165326	1070036		1392729
सीएजीआर	12.97	22.93	21.84		19.81
सीवी (प्रतिशत)	66.27	94.85	89.26		85.92

Source: NABARD Data Bank (various issues) and Ensure Portal, NABARD. Figures given in parentheses indicates the percentage.

26.11 भारत में कृषि क्षेत्र में क्षेत्रवार ऋण प्रवाह

भारत में कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह कृषि की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। किसानों को ऋण की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताएँ अक्सर भौगोलिक परिस्थितियों, बुनियादी ढाँचे, वित्तीय संस्थानों की पहुँच और सरकारी नीतियों जैसे कई कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं। यहाँ भारत में कृषि के लिए क्षेत्रीय ऋण प्रवाह का अवलोकन दिया गया है:

क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	सीएजीआर
उत्तरी क्षेत्र	167813	202479	216919	232847	256991	270197	283945	8.66
उत्तरी पूर्व क्षेत्र	4345	4453	5833	8773	10273	1172	11809	21.29
पूर्व	56217	80013	103673	86860	96751	113792	131668	12.06
मध्य क्षेत्र	110929	133118	153289	156476	167096	171261	197015	8.61
पश्चिम	95420	106981	107934	136787	136374	151115	156206	8.96

क्षेत्र								
दक्षिण क्षेत्र	295398	318284	327862	444013	495132	539292	612087	13.93
भारत	730123	845928	915510	1065756	1162617	1256830	1392729	11.19

Source: NABARD Data Bank (various issues) and Ensure Portal, NABARD. Figures given in parentheses indicates the share in Total GLC

26.12 नाबार्ड के अन्य विविध कार्य

नाबार्ड वित्तपोषण और विकास में अपनी प्राथमिक भूमिकाओं से परे कई विविध कार्य करता है। इनमें शामिल हैं:

- पुनर्वित्तपोषण : नाबार्ड सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए पुनर्वित्तपोषण सहायता प्रदान करता है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देना: नाबार्ड ग्रामीण महिलाओं और हाशिए के समुदायों के बीच बचत, ऋण पहुंच और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हुए एसएचजी के गठन और मजबूती को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।
- अनुसंधान और विकास: बैंक ग्रामीण विकास का समर्थन करने वाली नीतियों और पहलों को सूचित करने के लिए कृषि प्रवृत्तियों, ग्रामीण विकास के मुद्दों और वित्तीय समावेशन पर शोध करता है।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम: नाबार्ड किसानों, सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए उनके कौशल, ज्ञान और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करता है।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास: यह ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और स्वच्छता सुविधाओं सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के विकास का समर्थन करता है।
- वित्तीय समावेशन पहल: नाबार्ड वंचित आबादी के लिए वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना है।
- आपदा प्रबंधन सहायता: बैंक प्राकृतिक आपदाओं के बाद कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करके आपदा पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता करता है।
- नीति निर्माण और सलाहकार सेवाएँ: नाबार्ड ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाने वाली नीतियाँ बनाने और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
- सतत कृषि संवर्धन: बैंक दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए जैविक खेती और कुशल संसाधन प्रबंधन सहित सतत कृषि को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।
- बाजार विकास: नाबार्ड कृषि बाजारों और मूल्य श्रृंखलाओं की स्थापना का समर्थन करता है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

ये कार्य सामूहिक रूप से एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और पूरे भारत में ग्रामीण समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के नाबार्ड के व्यापक लक्ष्य में योगदान करते हैं।

26.13 सारांश

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्था है। 1982 में स्थापित, NABARD वित्तीय सहायता प्रदान करके, विकासात्मक पहलों को लागू करके, ग्रामीण संस्थानों के भीतर क्षमता निर्माण करके और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करके एक बहुमुखी भूमिका निभाता है। यह किसानों और ग्रामीण उद्यमों के लिए ऋण पहुँच की सुविधा प्रदान करता है, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को निधि देता है, और प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाता है। अपने व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, NABARD ग्रामीण आजीविका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है, और गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करके, NABARD समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और भारत में ग्रामीण आबादी के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक है।

26.14 बोध प्रश्न

- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)से आप क्या समझते हैं ?
- नाबार्ड की विवेचना कीजिए।
- किसान क्रेडिट कार्ड की विवेचना कीजिए।
- अनुसंधान एवं विकास निधि से आप क्या समझते हैं ?
- नाबार्ड के अन्य विविध कार्य से आप क्या समझते हैं ?
- ग्रामीण आवास सुविधाओं के लिए पुनर्वित्त योजना की व्याख्या कीजिए।
- नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाएँ की विवेचना कीजिए।

26.15 उपयोगी पुस्तकें

- https://www.nabard.org/english/role_function.aspx
- <http://www.scribd.com/doc/54054001/Role-of-Nabard-in-Agriculture#scribd>
- https://en.wikipedia.org/wiki/National_Bank_for_Agriculture_and_Rural_Development
- https://www.nabard.org/pdf/Nabard_Act_1612.pdf
- <http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/102901122-1130.pdf>
- Vijayalakshmi, M. A., & Priya, M. S. C. (2022). A STUDY ON PERFORMANCE EVALUATION OF NABARD BANK. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(6), 184-187.
- Rao, A. S. (2017). Role of NABARD in strengthening SHGs: current issues and future concerns. The Indian Journal of Social Work, 71(1), 7-26.
- Prasad, B. D., & Vijayalakshmi, B. (2010). SHGs: Emerging Spaces for Social Work Practice. INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, 71(1), 1-6.
- Dr.KumarAnurag, ROLE OF NABARD IN RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), 2018 Volume 5, Issue 7
- Dutta, P. (2011), "The growth and impact of NABARD's SHG-Bank linkage program in India", Indian Journal of Finance, Vol. 5, No. 12, 2011, pp. 38-43, Associated Management Consultants (p) Ltd.
- C.V.GEETHA, ROLE OF 'NABARD' IN RURAL DEVELOPMENT, Juni Khyat, Vol-12 Issue-01 No.01: 2022